खण्ड-324, अंक-3
बुधवार, 9 चैत्र, शक संवत् 1899
(30 मार्च, 1977 ई0)

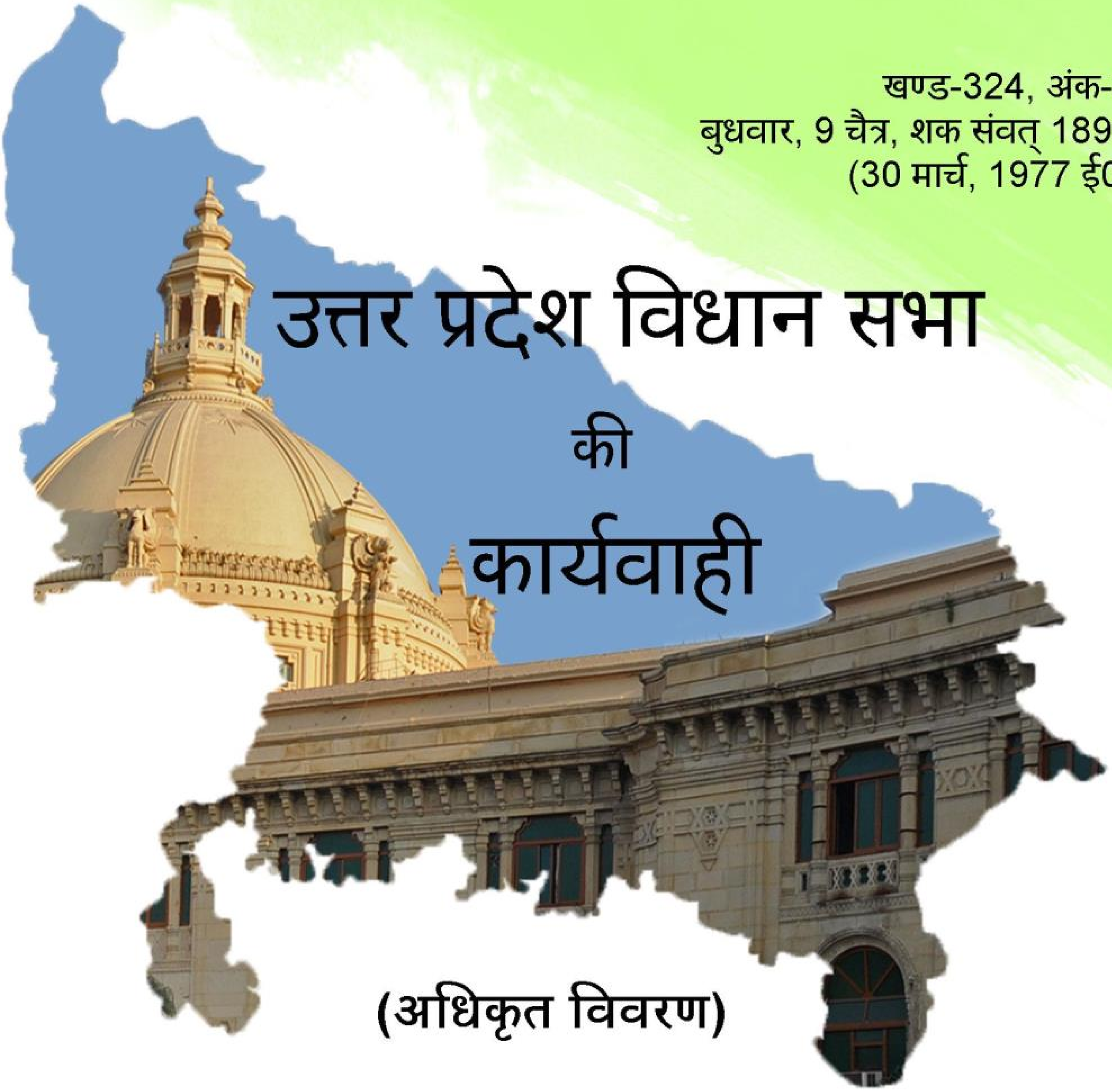

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 324 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	71–75
प्रश्नोत्तर (जारी)	75–94
2 नवम्बर, 1976 के मोहम्मद रफी खां के तारांकित प्रश्न 58 के उत्तर का शोधन	94
प्रश्नोत्तर	95–118
उत्तर प्रदश साहूकारी विनियमन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	118
उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दंड) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	118
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (चतर्थ संशोधन) विनियम, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	119
उत्तर प्रदश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	119
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (ऋण लेने की) नियमावली, 1972 तथा उसका शुद्धि पत्र (सदन के पटल पर रखा गया) ..	119
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था (सातवां संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	119
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (आठवां संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	119
उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	120
वित्त (बिक्री–कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	120
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री–कर) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	120
उत्तर प्रदेश विनियोग (1976—77 का अनुपूरक) विधेयक, 1977 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	120
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	120
कतिपय सदस्यों द्वारा सदन की सदस्यता से त्याग–पत्र के संबंध में सूचना ..	121
लोकतांत्रिक कांग्रेस दल के पदाधिकारियों तथा दल को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में सूचना	121
कतिपय सदस्यों द्वारा दल परिवतन एवं कार्यवाहक नेता विरोधी दल के संबंध में सूचना	121–123
सर्व श्री अन्नपूर्णा आयल एन्ड जनरल मिल, अलीगढ़ के सेवायोजकों द्वारा ताला बंदी करने के संबंध में वक्तव्य	123–126
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिये विधान सभा के 5 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव	126
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	126–128
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	128–178
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	178
वन्थियां	179–205

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 30 मार्च, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (388)

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप यादव, श्री (एडवोकेट)
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0 मु0 मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद लोधी, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसद गैरोला, श्री
गोविन्दसिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती ,श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप , श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेगी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री

पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
राघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा

रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमापन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजहबादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
रामहर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उप नाम मणी जी
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी,
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर,
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह , श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी शर्मा, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरप्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री

नोट:--स्वायत्त शासन राज्य मंत्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री, श्री हबीबुर्रहमान नोमानी तथा परिवहन राज्य मंत्री, श्री शिव प्रसाद सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 30 मार्च, 1977

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

देवरिया जिले के उदित नारायण इण्टर कालेज के लिपिकों के वेतन का भुगतान

*1--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद के पडरौना नगर में उदित नारायण इन्टर कालेज के लिपिकों को सितम्बर, 74 से आज तक वेतन नहीं मिला है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और कब तक वेतन दे दिया जायेगा?

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जी नहीं। प्राप्त सूचनानुसार सितम्बर, 74 से किसी भी मान्य लिपिक के वेतन का भुगतान बाकी नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि श्री राम विलास सिंह, श्री नथनी प्रसाद जो 1974 से उदित नारायण इंटर कालेज में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं और वहां के मान्य अभिलेख, रजिस्टरों में उनका नाम दर्ज है तथा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को बराबर इसकी सूचना दी गयी है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लिखे जाने के बावजूद भी आज तक इन दोनों व्यक्तियों को एक पैसा वेतन नहीं मिला है ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, इस विद्यालय के 2 लिपिक इस प्रकार के हैं, जिसका विवरण अभी माननीय सदस्य ने दिया है। राम विलास सिंह तथा श्री तिवारी। यह विद्यालय परीक्षक विभाग का शिकार हुआ और काफी कुछ अनियमिततायें रहीं। सरकार ने जांच की। अब साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति हुई है, जिससे तमाम झगड़े तय किये जा सकें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विवादग्रस्त श्री तिवारी, कानपुर में शुगर वर्क्स पडरौना की जो शाखा है, उसमें भी इसी अवधि में कार्यरत रहे और उन्हें वहां का भी वेतन उपलब्ध हुआ है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, शासन को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी कर ली जायगी और जो भी दोषी पाया गया तो उसको सजा दी जायगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता सहित अनेक लोगों ने जिला विद्यालय निरीक्षक, ओम नारायण सिंह से बीसियों बार सम्पर्क स्थापित किया और उनकी भूमिका बहुत गर्भित है तो क्या जिला विद्यालय निरीक्षक ओम नारायण सिंह के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, तथ्यों को छिपाने के संबंध में जिस अधिकारी को दोषी पाया जायगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

नगर क्षेत्र गंगोह, सहारनपुर के लिपिक का अवशेष वेतन

*2—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगर क्षेत्र गंगोह, जिला सहारनपुर के कितने ऐसे शिक्षा लिपिक, शिक्षा विभाग में हैं, जिन्हें फरवरी, 73 से अब तक वेतन नहीं दिया गया है और वेतन न देने का क्या कारण है ? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

नगर क्षेत्र गंगोह जनपद सहारनपुर में ऐसा कोई लिपिक नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नगर क्षेत्र गंगोह, जिला सहारनपुर में कोई ऐसा लिपिक कार्यरत है जिसका वेतन अनेक वर्षों से रोका गया है और केवल आंशिक रूप में भुगतान किया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जिस समय बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन नहीं हुआ था और जिला परिषदों के अधीनस्थ विद्यालय थे उस समय एक श्री गोयल की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद जब बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन हुआ तो उनको वहां की सर्विसेज से अलग कर दिया गया। उसके बाद वह न्यायालय में चले गये। उसके बाद फिर उनको वापस बुलाया गया। इस समय वस्तुस्थिति यह है कि यह मामला फिर न्यायालय में दायर किया गया है, कोर्ट में सबजुडिस है। इस संबंध मे ज्यादा कहना उचित नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, इस संबंध में जैसा माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है, श्री गोयल का वेतन कुछ कारणों से रोका गया है, वह क्या हैं?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिये कुछ कहना उचित नहीं है?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

न्यायालय की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अगर मंत्री जी कोई जबाब दे देंगे तो न्यायालय से उसका संबंध जुड़ जायगा, आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विशेष सचिव, श्री इन्द्र मोहन सहाय ने क्या निदेशक को इसके भुगतान के बारे में लिखा था?

श्री अध्यक्ष—

यह भी वही है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, यह न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। मान्यवर, न्यायालय से मामला हटा लिया गया था। यह शिक्षा विभाग से संबंधित है।

श्री अम्मार रिजवी—

यह बात सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् के पास विचाराधीन है। उन्होंने एक अपील की है कि जैसे ही उसका निर्णय हो जायेगा तो जो भी भुगतान होगा, वह कर दिया जायेगा।

रिहन्द स्कूल पिपरी के अध्यापकों को नए वेतनमान

*3—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, ओबरा बांध निर्माण मंडल, ओबरा (मिर्जापुर) ने प्रमुख अभियन्ता को सम्बन्धित अपने अर्ध शासकीय पत्र 4061/ओ0 डी0 सी0/क्यू0 4, दिनांक 26-11-73 के माध्यम से वेतन आयोग 1971-73 के संस्तुतियों के आधार पर शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों की ही भांति रिहन्द स्कूल, पिपरी के अध्यापकों को भी वेतन दिये जाने हेतु शासन द्वारा मांग की थी? यदि हां, तो कृपया अधीक्षण अभियन्ता के मांग पत्र तथा उस पर की गई कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करेंगे? यदि कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है, तो उसका क्या कारण है?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)—

जी हां। अधीक्षण अभियन्ता, ओबरा बांध निर्माण मंडल के अर्धशासकीय पत्र संख्या 4061/ओ0 डी0 सी0/क्यू0 4, दिनांक 26 नवम्बर, 1973 के आधार पर मुख्य अभियन्ता

से प्राप्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया गया। चूंकि रिहन्द स्कूल 'पिपरी' राजकीय विद्यालय की परिभाषा में नहीं आता है अतः राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के समान इस स्कूल के अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जा सकता है।

मान्यवर, बाद में यह विचार करके आदेश दे दिये गये हैं कि उन अध्यापकों को वही वेतन दिया जाय जो राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन दिया जाता है।

श्री श्रीनारायण—

मान्यवर, हमारे प्रश्न का समाधान हो गया है।

गोरखपुर जिले के निर्वाचन क्षेत्र मुण्डेरा बाजार के अन्तर्गत बांधों की मरम्मत

*4—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर में कितने विभागीय व कितने अविभागीय बन्धे गत वर्ष की बाढ़ एवं बरसात से कट एवं टूट गये हैं ? क्या इसमें निर्वाचन क्षेत्र मुन्डेरा बाजार से सम्बन्धित बांध–चितहरी थुन्ही, बरही पाथ, राजधानी बड़हरा–सिलहटा मुन्डेरा, करही विशनपुरा–महुवाकोल एवं मलौनी बांध भी हैं ? यदि हां, तो क्या इनका सुधार व निर्माण होकर उपयोगी स्तर दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों ?

सिचाई राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ चौधरी)—

जनपद गोरखपुर में गत वर्ष (1975) की बाढ़ एवं बरसात से कोई विभागीय बांध नहीं टूटा। केवल निम्नांकित 4 अविभागीय बांध कट एवं टूट गये थे :—

1—नगवा
2—लेहड़ा
3—बेलसर रिगौली
4—राजधानी बड़हरा–सिलहट

इनमें से निर्वाचन क्षेत्र, मुन्डेरा बाजार का केवल राजधानी बड़हरा-सिलहट बांध है जिसके सुदृढ़ीकरण एवं रिटायर करने का राहत कार्य प्रगति में है।

श्री मधुकर दिघे—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अविभागीय बांध टूट जाने से जो हानि होती है तो उससे उनको राहत देने और बचाने के सिलसिले में आपके विभाग द्वारा जांच करके उन बांधों की मरम्मत कराने के संबंध में, क्या सिचाई विभाग जिम्मेदारी लेकर उनको बनाने की कोशिश करेगा ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

श्रीमन्, लेटेस्ट सूचना के अनुसार 4 बांधों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मंत्री जी के जवाब के सम्बन्ध में कहना है कि 4 में काम हो चुका है और बाकी में जवाब नहीं दिया है। तो क्या मैं समझूं कि सभी बांधों पर काम चल रहा है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

अभी जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार 4 बांधों में काम पूरा हो चुका है।

गोरखपुर जिले के "लेडी प्रसन्न कौर इण्टर कालेज, बसडीला" के प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति

*5—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि गोरखपुर जनपद में स्थित "लेडी प्रसन्न कौर इण्टर कालेज, बसडीला" के प्रधानाचार्य के अवकाश ग्रहण के पश्चात कार्यवाहक प्रधानाचार्य

की नियुक्ति अध्यापकों में से वरिष्ठता क्रम के आधार पर नहीं की गयी है ? यदि हां, क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। प्रबन्धक के कथनानुसार प्रबन्ध समिति ने वरिष्ठ अध्यापकों में प्रशासनिक क्षमता न होने के कारण उन्हें प्रधानाचार्य पद पर तदर्थ रूप से नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रबन्धक के उत्तर से सन्तुष्ट हो गए। शिक्षा निदेशक को आदेश दिए गए हैं कि वे जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्णय के औचित्य की जांच करें।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या माननीय मन्त्री जी उक्त विद्यालयों के 2 वरिष्ठतम अध्यापकों के नामों को और उनकी योग्यता को बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, श्री मुंशी प्रसाद सिंह, एम0 ए0, एल0 टी0 हैं और बुद्धनारायण शर्मा, एम0 ए0, एल0 टी0 हैं। उनकी नियुक्ति की तिथि 2-1-1948 और 1-8-1957 है।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि लाल बचन यादव की नियुक्ति और मुंशी प्रसाद सिंह की नियुक्ति एक ही दिनांक की है और केवल दो घंटे का अन्तर है। जिन अध्यापकों का नाम मन्त्री जी ने लिया है, उन दोनों में से किसी को प्रधानाचार्य का चार्ज नहीं दिया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस में नीचे लिखा है कि श्री यादव की नियुक्ति 6-9-48 से है।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो वरिष्ठतम अध्यापक का नाम माननीय मन्त्री जी ने बताया है, उन में से सही तौर पर किस को प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त किया गया है, या किसी अन्य को इस पद पर नियुक्त किया गया है। जवाब में यह है कि उनमें योग्यता नहीं थी, जबकि दोनों.....

श्री अध्यक्ष—

उनको उपयुक्त नहीं पाया गया।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

(श्री काशीनाथ मिश्र के बोलने पर)

माननीय अध्यक्ष जी, काशीनाथ मिश्र जी आकर जवाब दें, या बीच में बोला न करें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

व्यक्तिगत सवाल है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ मिश्र जी, जो सम्बद्ध मन्त्री हैं, वह आपसे अधिक उपयुक्त समझे गए इसलिए तो मन्त्री पद पर हैं। उन्हें उत्तर देना चाहिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी अपने उत्तर के सन्दर्भ में, इस बात का आश्वासन देंगे कि सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य की नियुक्ति विभागीय नियमों के अन्तर्गत जल्दी हो जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन, यह तो तदर्थ नियुक्ति है। इसके बाद जो रेगुलर एपाइन्टमेंट है, वह जल्दी कर दिया जायगा। इण्टरमीडिएट ऐक्ट में, जिसके अनुसार प्रिंसिपल का एडहाक एपाइन्टमेंट किया जाता है, यह लिखा है कि वरिष्ठता के साथ-साथ प्रशासनिक क्षमता भी होनी चाहिए। जैसा कि आपने उत्तर के आखिर में देखा होगा शासन इससे बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं है और उसने शिक्षा निदेशक को यह आदेश दे दिया है कि वह इस बात की जांच करें कि जो फैसला मैनेजमेंट ने दिया है, वह सही है या नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें मेरे प्रश्न को नजर-अन्दाज करने की कोशिश की गयी है। मेरा सवाल यह है कि वह यह आश्वासन सदन को देंगे कि नई नियुक्ति नियमों के अनुसार शीघ्र की जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रधानाचार्य की नियुक्ति करने की जल्दी से जल्दी चेष्टा की जायगी।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मुस्तकिल नियुक्ति अब तक क्यों नहीं की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, शासन द्वारा इस बात की जांच कराई जा रही है। मैं निवेदन कर चुका हूं कि जो तथ्य सामने आयेंगे, उन पर कार्यवाही की जायगी।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के आंसुका में निरुद्ध अध्यापकों का जीवन निर्वाह भत्ता

*6—बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कितने अध्यापक आंसुका में निरुद्ध हैं ? क्या उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के आंसुका में निरुद्ध सभी अध्यापकों को मुक्त कर देने के आदेश शासन द्वारा दिए जा चुके हैं। निरुद्ध अवधि मे उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने के आदेश पहिले ही दिए जा चुके थे। अन्तिम भाग का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले के प्राथमिक अध्यापकों की नियुक्ति में हरिजनों एवं जन-जातियों का कोटा

*7—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में शिक्षा परिषद् में कर्मचारियों की नियुक्ति में इस समय तक हरिजनों एवं जन जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की पूर्ति हो गई है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ति कर दी जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

इस प्रयोजन हेतु समय निश्चित नहीं किया जा सकता परन्तु भविष्य की नियुक्तियों में इसका विशेष ध्यान रखा जायगा।

श्री हरिकेवल—

यह सरकार का काम है और माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में आश्वासन दिया है। यह सरकार जैसा बोलती है, उसे कार्य रूप में परिणित नहीं करती है। आपके

द्वारा मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हरिजनों को भी आश्वासन दिया गया है तथा देवरिया जनपद में लगभग नौ हजार प्राथमिक अध्यापक हैं, उन में कितने पद पर हरिजन इस समय सेवारत हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

सबसे पहली बात तो यह है कि अभी नियुक्ति पर रोक लगा रखी थी और इस कारण यह कोटा पूरी तरह नहीं भरा जा सका। दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने किया है, उसके सम्बन्ध में यह कहना है कि अध्यापकों की संख्या नौ हजार नहीं है, परन्तु 7388 है जिनमें 495 हरिजन जाति से सम्बन्धित हैं ।

श्री हरिकेवल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि शेष कोटा कब तक पूरा किया जायगा ? जो हरिजनों के रिजर्वेशन की दुहाई दी जाती है, तो वह कब तक पूरा किया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, अभी राज्यपाल के अभिभाषण में सम्मानित सदस्य ने सुना होगा कि 10 हजार प्राइमरी स्कूल टीचर्स की नियुक्ति के बारे में घोषणा की गयी है। यह नियुक्तियां जब की जायंगी तो उसमें पूरी तरह इस बात का ध्यान रखा जायगा कि जो प्रतिशत होना चाहिए हरिजनों का और दूसरी जातियों का वह उसमें रखा जाय ।

देवरिया जिले में नसबन्दी की लक्ष्य पूर्ति न होने से अध्यापकों के वेतन का भुगतान न होना

*8—श्री हरिकेवल—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि जनपद के समस्त अध्यापकों का वेतन नसबन्दी की निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु गत मई, 76 से रोक दिया गया है ? यदि हां, तो पुनः वेतन देने का आदेश कब तक दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरि केवल—

अध्यक्ष जी, जहां तक मंत्री जी का उत्तर है, प्रश्न नहीं उठता, मेरी निजी जानकारी को मान करके कि देवरिया जनपद में नसबंदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिये जिन अध्यापकों के वेतन को रोका गया था, इस बात की जांच करायी जायगी कि यह हकीकत है कि उन्होंने लक्ष्य की पूर्ति नहीं की थी, इसलिये उनका वेतन रोक दिया गया था ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन् जी, तिथि प्रश्न में सम्मानित सदस्य ने दी है मई, 1976, उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ और जब किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं हुआ, तो उसके बाद जो चीजें हैं, उनका प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न दिया, उसी समय सारे लोगों की जो तनख्वाहें बाकी थीं, उनका भुगतान कर दिया गया क्या उसी अवधि में जबकि यह प्रश्न किया गया और जब उसके ऊपर विभागीय कार्यवाही हुई तभी सबका भुगतान किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, इस प्रश्न से और वेतन भुगतान से कोई संबंध नहीं है। वेतन का भुगतान उनको होता आया है, जिन तिथियों में रोका गया है, उसकी बात अलग है, लेकिन इस प्रश्न से वेतन भुगतान का कोई संबंध नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके संबंध में, मैं और स्पष्ट जानना चाहता हूं कि नसबंदी अभियान में जो शासकीय आदेश थ, उसके अनुसार काम न करने के कारण कुछ अध्यापकों का वेतन रोका गया। यह मेरी निजी जानकारी है और जब माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया, तब इसकी कार्यवाही शुरू हुई तथा विभागीय अधिकारियों ने पिछल वेतन का भुगतान किया। मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि ऐसे विभागीय अधिकारियों के सम्बन्ध में पूरे मामले की जांच करके कार्यवाही की जायगी।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय सदस्य ने जो कहा है, अगर कोई बात सामने आयेगी तो उसकी जांच की जायगी, लेकिन यह प्रश्न एक निश्चित अवधि के संबंध में था और उसी तिथि के संबंध में, मैंने जवाब दिया है। अगर कोई और जवाब पूछना है, तो उसके लिये अलग से सवाल किया जा सकता है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मंत्री जी वास्तविकता को छिपा रहे हैं, वास्तविकता यह है कि पूरे प्रदेश भर के अध्यापकों का वेतन रोका, सिर्फ इसलिये कि उन्होंने नसबंदी नहीं करायी और अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, तो मैं यह जानना चहूंगा कि क्या अध्यापकों का वेतन रोका गया, अथवा नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मैं फिर नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न एक निश्चित तिथि से संबंध रखता है, अगर इसके अतिरिक्त कोई बात पूछनी है, तो उसके लिये अलग से सवाल किया जा सकता है।

श्री मधुकर दिघे--

जब आपके अनुसार वेतन रोका ही नहीं गया, तो प्रश्न साफ हो गया कि क्या अध्यापकों का वेतन रोका गया अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह प्रश्न उठता कैसे है कि वेतन रोका गया अथवा नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

सम्मानित सदस्य ने मई, 1976 की एक निश्चित तारीख दी है, इस समय ऐसा कोई आदेश नहीं है, अगर इस संबंध में कोई प्रश्न करना है, तो पूछ लें, सरकार उसका उत्तर देगी।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--

मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने अध्यापकों का वेतन मई, 76 का अगले महीनों में दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह नया सवाल है।

श्री मधुकर दिघे--

सवाल यह किया गया था कि नसबन्दी के सिलसिले में अध्यापकों का वेतन मई, 76 के बाद रोका गया था, या नहीं रोका गया था और इस प्रकार के आदेश दिये गये थे या

नहीं दिये गये थे ? यदि दिये गये थे, तो क्या अब उनका वेतन दे दिया गया और यदि दे दिया गया, तो कब दिया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

मई, 76 का जहां तक प्रश्न है, इस तिथि से कोई वेतन नसबन्दी के सिलसिले में नहीं रोका गया ।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है, क्या इस जनपद के समस्त अध्यापकों का वेतन नसबन्दी के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु मई, 76 से रोक दिया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

नहीं रोका गया ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

3 फरवरी, 1977 को इस जनपद में आदेश संख्या 458 भेजा गया था कि जिन अध्यापकों के लक्ष्य दम्पत्ति में आने के कारण और नसबन्दी न कराने के कारण वेतन रोक दिये गये थे और दक्षता रोक पर व अन्य प्रतिबन्ध लगाये गये थे, उनके लिये ही उपरोक्त आदेश भेजा गया था ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह तो बाद की तिथि है ।

जौनपुर जिले के इण्टर कालेज के लिपिक श्री हृदय नारायण सिंह का वेतन

*9—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्टर कालेजों में नियुक्त जौनपुर जिले के लिपिकों को जिन्हें डी0 आई0 ओ0 एस0 का अनुमोदन प्राप्त हो गया है, वहां वेतन प्रबन्ध समिति द्वारा नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, एक लिपिक श्री हृदय नारायण सिंह के वेतन का भुगतान बाद में यह ज्ञात होने पर रोका गया कि उनकी नियुक्ति नियम विरुद्ध की गयी है । सम्प्रति प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है ।

छितौनी इण्टर कालेज, देवरिया में गबन

*10—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विद्यालय निरीक्षक (श्री भगवान स्वरूप सक्सेना) ने छितौनी इन्टर कालेज का माह अगस्त, 1975 में निरीक्षण किया था और 9,602 रु0 का गबन पाया गया था ? यदि हां, तो उसका दोषी कौन पाया गया और उसके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्री भगवान स्वरूप सक्सेना नहीं बल्कि श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने जांच की थी । जांच में प्रधानाचार्य के नाम में लगभग रु0 9602—61 पै0 अंकित पाया गया । इस संबंध में प्रधानाचार्य से अवशेष धन को वापिस कराने के लिये विभाग द्वारा नियंत्रक को निदेश दे दिये गये हैं ।

श्री श्रीनारायण—

क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि नियंत्रक महोदय ने प्रधानाचार्य से 9602 रु0 61 पैसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री अम्मार रिजवी—

इसमें 2627 रु0 वापस हो चुका है। यह पैसा वह है, जिसे कैश इन हैंड कहा जाता है, जो प्रिन्सिपल के पास रहता है। जांच से पता चला कि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सका था और प्रिन्सिपल ने उसे बहुत सी चीजों पर खर्च किया था। उसका एकाउंट तथा वाउचर दे दिये जायेंगे और यह आदेश दे दिये गये हैं कि जो पैसा बच गया है, वह कालेज को वापस कर दिया जाय।

श्री श्रीनारायण—

मेरा सवाल यह था कि इस 9,602 रुपये की वसूली के लिये नियंत्रक महोदय क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मैंने बतलाया कि किसी भी विद्यालय के प्रिन्सिपल के पास कुछ रकम रहती है और वह रकम किसी भी चीज के लिये एडवांस के तौर पर ली जा सकती है। उन्होंने 2327 रुपये खर्च किये, जिसके वाउचर दे दिये गये हैं और बांकी की रकम के लिये उन्होंने कहा है कि जो खर्च हुई है, उसके वाउचर देंगे और जो बचेगी धनराशि उसे वापस करेंगे। इस कार्यवाही के बाद भी अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होंगे, तो जो कार्यवाही अपेक्षित होगी, वह की जायगी।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक की 9602 रुपये की गबन की रिपोर्ट देखी है या नहीं ? यदि हां, तो क्या उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि वाउचर्स बाद में बनाये गये, पहले मौजूद नहीं थे ?

श्री अध्यक्ष—

(सदन में व्यवधान होने पर) उधर शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। माननीय आगा जैदी, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जब 9 हजार रुपये का गबन का केस पकड़ा गया तो पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, यह विभागीय मामला था और जैसा कि मैंने निवेदन किया, पैसा प्रिंसिपल के पास रह सकता है कोई एफ0 आई0 आर0 लाज नहीं करवाई गई।

शाहजहांपुर की प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाध्यापक, श्री राम नाथ सिंह के विरुद्ध हिस्ट्री-शीटर होने की शिकायत

*11—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि नवम्बर, 1975 में ग्राम सभा सेउरा, विकास क्षेत्र भावल खेड़ा, जिला शाहजहांपुर के प्रधान व अन्य 20 नागरिकों ने शिक्षा मंत्री को एक रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र भेजा जिसमें कुछ हिस्ट्री शीटर अध्यापकों की गम्भीर शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र की जनहित में जांच क्यों नहीं कराई और क्यों आज तक कार्यवाही नहीं की ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था। उन्होंने जांचोपरान्त श्री राम नाथ सिंह, प्रधान अध्यापक

प्राइमरी पाठशाला, ग्राम सेउरा, जो हिस्ट्री शीटर थे, का स्थानान्तरण प्राइमरी पाठशाला बेहटी कर दिया।

श्री मोहम्मद रफी खां--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब वे हिस्ट्री शीटर थे तो उनको गवर्नमेंट सरवेन्ट्स कंडक्ट रूल्स के अन्तर्गत बरखास्त करने के आदेश क्यों नहीं दिये गये ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, उनके ऊपर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। जैसा फैसला होगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोहम्मद रफी खां--

श्रीमन्, अगर वे हिस्ट्री शीटर थे, तो उनको बरखास्त न करने की क्या वजह है ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, यह 14 सितम्बर, 1974 को कोर्ट में गया था और मामला वहां विचाराधीन है, जब तक वहां से कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकता।

श्री मोहम्मद रफी खां--

मान्यवर, उनके ऊपर अलग से एक मुकदमा कत्ल का चल रहा है और उन पर हिस्ट्री शीटर की हैसियत से कार्यवाही होनी जरूरी है।

श्री अम्मार रिजवी--

इसकी जांच करवा ली जायेगी।

श्री मोहम्मद रफी खां--

कब तक जांच होगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

एक महीने के अन्दर हो जायेगी।

श्री मोहम्मद रफी खां--

जांच ही होगी या कार्यवाही भी हो जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जांच के उपरान्त जैसा पाया जावेगा, उसके अनुसार सजा भी और कार्यवाही भी होगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या इनको निलम्बित किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो नहीं किया गया।

श्री अम्मार रिजवी--

इसकी भी जांच करने के बाद कार्यवाही की जायेगी। सेवा समाप्ति की जरूरत होगी, तो वह भी किया जायेगा और सब दन्ड दिया जायेगा।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

माननीय मंत्री जी पहले तो यह बतावें कि वे हिस्ट्री शीटर हैं, तो पुलिस हिस्ट्री शीटर का मुकदमा नहीं चलाती है। एक अध्यापक हिस्ट्री शीटर हो सकता है या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, यह एक ऐसा प्रश्न है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर किसी न किसी तरह का मुकदमा न चलता हो। इस मामले में जांच करा ली जायेगी और उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यापक कोई हो तो उसको निकाल दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

हिस्ट्री शीट कौन लिखता है, यह तो थाने में लिखी जाती है । हजारों मामले पुलिस इस तरह के बना लेती है। लेकिन यह आप भी नहीं चाहेंगे कि पुलिस की दखल-अन्दाजी शिक्षा के क्षेत्र में हो, जो अपने रोजनामचे और कागजों को रंग कर अध्यापकों को निकालती रहे । इस पर जांच होनी चाहिये और योग्यता के अनुसार काम किया जाना चाहिये ।

श्री मुहम्मद रफी खां—

आप एडमिट करते हैं कि वह हिस्ट्रीशीटर है। मैं आज ही श्री गोयल, विधि-परामर्शी से मिल कर आया उन्होंने कहा कि वह नौकरी में नहीं रह सकता। तो मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे अपने सेक्रेटरी से बात करें और उसे तुरन्त डिसमिस करें ।

श्री अम्मार रिजवी—

जो भी उचित कार्यवाही होगी, की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

जांच की कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि पुलिस किसी को भी हिस्ट्री शीटर मान लेती है। वह तब लिखती है जब किसी को तमाम मामलों में सजा होती है, जब आदमी सजायाफता होता है ।

श्री अध्यक्ष—

सजा कहां पायेगा ? वह दफा 108/110 में दर्ज कर सकते हैं और करते हैं, बड़े-बड़े नेताओं को उसमें सम्मिलित किया है। इसलिये जांच होनी चाहिये।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मान्यवर, मंत्री जी कृपया बतायेंगे क्यों कि प्रश्न में लिखा है कि 'कुछ हिस्ट्री शीटर अध्यापकों की गंभीर शिकायतें की हैं"। तो क्या उनकी जांच की गई और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री अम्मार रिजवी—

जिस अध्यापक के संबंध में शिकायत सही पाई गई उसका जिक्र है, बाकी के संबंध में जिक्र नहीं है ।

राजकीय इण्टर कालेजों एवं हाई स्कूलों में प्राध्यापकों एवं अध्यापकों के रिक्त पद

*12—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय इन्टर कालेजों एवं हाई स्कूलों में पिछले पांच वर्ष से भी अधिक समय से कितने प्रध्यापकों एवं अध्यापकों के पद रिक्त हैं और क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

रिक्तियों का विवरण कारण सहित संलग्न तालिका में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 179 पर ।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, प्रश्न यह था कि पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से कितने प्राध्यापकों एवं अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? मान्यवर, मंत्री जी ने एक पूरी सूची 20-25 आदमियों की दे दी और कारण लिखा कि संबंधित विषय में छात्रों का अभाव । जब पिछले 5 वर्षों से अध्यापक नहीं हैं, तो छात्र आयेंगे कहां से ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, अगर देखा जाय तो 6 रिक्तियां इन्टर कालेज में हैं और बाकी 13 के करीब जो हैं, वह त्रिभाषा फार्मूले के अन्तर्गत हैं इस प्रकार कुल मिला कर करीब 19 रिक्तियां हैं । इतने बड़े प्रदेश में इतनी रिक्तियां होना स्वाभाविक है । जैसा कहा कि त्रिभाषा के अन्तर्गत जहां छात्र 5 से कम हैं, वहां पर अध्यापक रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये वहां पर कोई अध्यापक नहीं रखा गया है । अगर 5 से ज्यादा छात्र आते हैं, तो वहां पूर्ति कर दी जायेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अगर अध्यापक नहीं हैं, तो छात्र कहां से आयेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

अगर कोई ऐसा स्थान है, जहां पर छात्र आना चाहते हैं और अध्यापक नहीं है, सम्मानित सदस्य बता दें, तो अध्यापक नियुक्त कर दिया जायेगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अगर छात्र न हों तो पद खतम कर देने चाहिये । नहीं तो पहले इन पदों पर अध्यापक नियुक्त किये जायं ।

श्री अम्मार रिजवी—

वहां पर छात्र नहीं हैं, तो वहां पर नियुक्ति करना किस तरह उचित होगा । इसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

छात्र नहीं है, तो यह पद रखने की आवश्यकता क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

इसलिये कि किसी समय भी छात्र आ जावें तो दुबारा पद सृजित न कराने पड़ें ।

गोंडा जिले के राजकीय नलकूपों की टूटी हुई नहरें

*13—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोन्डा जिले में राजकीय नलकूपों की अलग-अलग कितनी नहरें टूटी हुई हैं, उनके नाम क्या हैं तथा वह कब से टूटी हैं और उनको आज तक क्यों नहीं बनाया गया है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना आप कब तक एकत्र करके देंगे, क्योंकि यह 6-8-76 का इतना पुराना प्रश्न है, 10-11-76 इसके अन्तरिम उत्तर की नियत तिथि थी और आज 30-3-77 है, और अभी तक इसका उत्तर आपके पास नहीं आ पाया है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

हमने आदेश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी सूचना एकत्र करके भेज दी जाए।

श्री दशरथ सिंह—

क्या हर जिले में सरकार की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था है कि वहां हर वर्ष जितनी नहरें टूटें, उनकी सूची तैयार की जाए ? यों तो यह गोंडा का प्रश्न है, किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि जो राजकीय नलकूप हैं, वे कितने टूटते हैं, उनके कोई आंकड़े तैयार होते हैं या नहीं ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जब तक सूचना एकत्र नहीं हो जाती, उत्तर देना मुनासिब नहीं है। मैंने आदेश दिए हैं कि शीघ्रातिशीघ्र सूचना एकत्र कर हमारे पास भेज दी जाए।

श्री दशरथ सिंह—

अध्यक्ष जी, आप मंत्री जी द्वारा जवाब देने के तरीके से हटने के बारे में हमारी और सदन की रक्षा कीजिए। मंत्री जी को बाध्य कीजिए कि वह सही उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने आपके खड़े होने के पहले ही मंत्री जी से पूछा था, लेकिन आपने ही हमें पूरे उत्तर से वंचित कर दिया। मंत्री जी कितना समय लेंगे, यह मैं खुद ही पूछ रहा था।

मंत्री जी आप इसको देखें, यह आपकी जिम्मेदारी है। जो अधिकारी इतने दिनों से जवाब नहीं दिए हैं, उनसे जवाब तलब करना चाहिये। इस तरीके से आपके सम्मान को धक्का पहुंचता है। ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है, उनके बारे में सदन न रहे तब भी सूचना लेकर हमें आप दें। मैंने कह दिया इस प्रश्न का जवाब अवश्य प्राप्त हो, कल तो आ नहीं सकता है, लिहाजा 10–15 दिनों में इसे हमारे पास अवश्य भेज दें। या तो कहें कि जवाब नहीं है, यह भी जवाब हो सकता है। यह प्रश्न वर्षों झूलता रहे, यह कतई ठीक नहीं है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या इसलिये उत्तर नहीं दे रहे हैं कि उनको जवाब न देना पड़े और जो दूसरी नयी सरकार आवे, वह इसका जवाब दे ?

श्री अध्यक्ष—

फिर आप क्यों जवाब मांग रहे हैं ?

गोरखपुर के सिंचाई विभाग, गंडक डिवीजन के कथित इंजीनियर का एक ट्रक सामान पुलिस द्वारा पकड़ा जाना

*14—श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग के गन्डक डिवीजन, गोरखपुर के किसी इन्जीनियर द्वारा करीब पचास हजार रुपया मूल्य का एक ट्रक सामान अपने घर भेजा जा रहा था जिसे गोरखपुर शहर के गोलघर के मुख्य मार्ग पर अप्रैल, 1976 व जून, 1976 के मध्य पुलिस (स्थानीय) ने पकड़ा था ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ? क्या यह भी सही है कि अभी तक इस सम्बन्ध में विभागीय कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

27 मई, 1976 को घरेलू तथा निर्माण सामग्री से लदा एक ट्रक गोरखपुर शहर के गोलघर के मुख्य मार्ग पर स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। परन्तु विभागीय जांच के अनुसार वह गण्डक डिवीजन गोरखपुर के किसी इंजीनियर द्वारा नहीं भेजा जा रहा था।

पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस की जांच का परिणाम अभी नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सामान पकड़ा गया तो उस वक्त कौन सी रिपोर्ट और किस व्यक्ति ने पुलिस में की थी, जिसके आधार पर सामान पकड़ा गया ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

इसकी सूचना हमारे विभाग के लोगों को मिली और उन्होंने रिपोर्ट किया। अभी-अभी हमें जो तदर्थ सूचना मिली है, अध्यक्ष जी आज्ञा हो तो बता दूं, यह मामला जूडिशियल मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर के कोर्ट में चल रहा है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

आप रिपोर्ट तो बता दें कि रिपोर्ट क्या है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री मधुकर दिघे—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस में क्या रिपोर्ट दर्ज की गयी है, क्या मुकदमा दर्ज है, लोगों के खिलाफ ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जो लेटेस्ट सूचना मिली है, उसके आधार पर यह मामला चीफ जुडीशल मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर की कोर्ट में चल रहा है।

श्री मधुकर दिघे—

मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। उन्होंने यह कहा कि कोर्ट में मुकदमा चला गया। मैं पूछ रहा हूं कि एफ0 आई0 आर0 क्या दर्ज करायी गयी, क्योंकि उनके विभाग ने करायी है ?

श्री अध्यक्ष—

वह सूचना शायद आपके पास नहीं है ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

27 मई, 1976 को श्री जमुना प्रसाद सिंह जिनका घर तेंदुआ गांव में हैं और सिसवा में भी घर हैं प्राइवेट ट्रक से अपना सामान तेंदुआ गांव में भेज रहे थे। पुलिस ने उसको पकड़ा। उन्हीं का सामान घर बनाने के लिये ले जाया जा रहा था। नाहक में कह दिया कि सहायक अभियन्ता ने चोरी से सामान भेजवाया। यह गलत बात है। यह विधिवत मैं जानता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मतलब यह है कि बांकेलाल जी ने अपनी सूचना दी। शासन के पास इसकी सूचना नहीं है। कोर्ट में केस चल रहा है ।

श्री राम अधार—

माननीय अध्यक्ष जी, हम जानना चाहते हैं कि पुलिस में जो प्रथम रिपोर्ट हुई है वह मामला क्या है। वह नहीं बता रहे हैं। वह मामला क्या है, जो थाने में लिखा गया ?

श्री अध्यक्ष—

वह ठीक है। यही सवाल है आप सबका। वह ढूंढ रहे हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जुडीशल मैजिस्ट्रेट के यहां जिस पर मुकदमा चल रहा है वह सिंचाई विभाग का कर्मचारी है, यदि हां, तो उसको निलम्बित किया गया या नहीं ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मान्यवर, ट्रक पर लदे सामान के दावेदार श्री चन्द्रशेखर सिंह, ग्राम गोनिया छपरा, थाना बैरिया, जिला बलिया के सुपुर्द पन्दरह हजार रुपये की दो जमानतें तथा पन्दरह हजार रुपये का मुचलका ले कर न्यायालय चीफ जुडीशल मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के आदेश से कर दिया गया है। न्यायालय का निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। न्यायालय के निर्णय पर ही ज्ञात हो सकेगा। ..... (व्यवधान)।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मेरा सवाल यह था कि जिस पर मुकदमा चल रहा है क्या वह सिंचाई विभाग का कर्मचारी ह ? यदि हां, तो उसका निलम्बन क्यों नहीं किया गया ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जी नहीं। सिंचाई विभाग का कर्मचारी नहीं है।

श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)—

जुडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो चार्जशीट लगायी गयी, मुकदमें में क्या आरोप लगाये गये ?

श्री अध्यक्ष—

वह समझ गये हैं। प्रथम सूचना (एफ0 आई0 आर0) उनके पास नहीं है। माननीय देवकुमार जी ने प्रश्न किया है उसका जवाब आप दें।

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मान्यवर, रिपोर्ट की कापी तो मेरे पास नहीं है। लेकिन इससे स्पष्ट यह है कि घरेलू व अन्य कुछ सामान ले जाया जा रहा था, पुलिस ने पकड़ा और चालान किया ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं बताना चाहता हूं कि जहां से चोरी करके सामान ले जाया जा रहा था, वहां के असिस्टेंट इन्जीनियर उनके भाई हैं और माननीय मंत्री जी ने उस इन्जीनियर का प्रमोशन भी कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले की मुकम्मल जांच करायी जाये। सत्ताधारी लोगों की भी उस इन्जीनियर के खिलाफ शिकायतें हैं।

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मुझे मालूम नहीं कि चन्द्र शेखर किसी इन्जीनियर के भाई हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेगी जी, आखिरी सवाल करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या ट्रक सिंचाई विभाग की थी, यदि हां तो यह किन परिस्थितियों में पकड़ी गयी ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस ने जो ट्रक पकड़ी, उस पर क्या अभियोग था, क्या सामान था और किसके कहने पर पकड़ा गया, वह रिपोर्ट क्या है ? क्या उसको पढ़ कर सुनायेंगे ?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

एफ0 आई0 आर0 की कापी मिलने पर ही मैं बता सकता हूं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

सवाल बिलकुल साफ है कि एक ट्रक पकड़ी गयी । उसके लिये जवाब यह आया है कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के यहां मुकदमा चल रहा है । सिंचाई विभाग के इन्जीनियर चोरी से सिंचाई विभाग का सामान अपने घर ले जा रहा था, उसे पकड़ा गया । उसे विभाग के लोग छिपा रहे हैं ।

श्री जगन्नाथ चौधरी--

यह मामला जुडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है । आपको सन्तोष हो जायगा, जब फैसला हो जायगा ।

जिला कारागार तथा आदर्श कारागार, लखनऊ के जेलरों के विरुद्ध शिकायतें

*15--श्री मधुकर दिघे--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जेल, लखनऊ व माडल जेल लखनऊ के किन-किन जेलरों के खिलाफ वेश्यागमन, रिश्वतखोरी, मुलाकातियों की पत्नियों के शील भग और कत्ल के आरोप की शिकायत आपात स्थिति के दौरान शासन सचिवालय व जेल प्रशासन को प्राप्त हुई और उन पर क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)--

आपात स्थिति के दौरान जिला कारागार, लखनऊ के चार जेलरों तथा आदर्श कारागार, लखनऊ के एक जेलर के विरुद्ध भिन्न-भिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई । इन शिकायतों पर जांच कराई गई और जो कार्यवाही हुई उसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 180 पर ।)

श्री मधुकर दिघे--

मैं यह जानना चाहता हूं कि शिकायत कर्ता कौन-कौन थे और उन्होंने क्या शिकायत की थी ? क्या माननीय मंत्री जी उनको इस सदन की पटल पर रखेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, शिकायतों का पूरा विवरण इसी उत्तर के साथ संलग्न कर दिया है ।

श्री मधुकर दिघे--

मैं यह जानना चाहता हूं कि शिकायत कर्त्ता कौन थे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको पढ़ूं ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें तो शिकायतों का हवाला है कि कौन-कौन शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

श्री मधुकर दिघे--

मैं यह पूछ रहा हूं कि शिकायत कर्त्ता कौन थे और किस चीज की जांच की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

किसने शिकायत की ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जिला कारागार लखनऊ, श्री आनन्द नारायण राय, जेलर-इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी दो शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे । उप कारागार महानिरीक्षक ने रिपोर्ट दी कि आरोप पुष्ट नहीं हुए । श्री कमला प्रसाद श्रीवास्तव, जेलर-इनक विरुद्ध एक

शिकायती पत्र, शिकायत कर्त्ता की हत्या कराने की साजिश का आरोप लगाते हुए, प्राप्त हुआ। जांच से आरोप असत्य पाया गया। श्री उदय नारायण सिंह, जेलर—इनके विरूद्ध चार शिकायती पत्र प्राप्त हुए जिनमें रिश्वत लेने, जेल के लिए क्रय सामग्री का अनियमित उपभोग करने आदि के आरोप लगाये गये थे।

श्री मधुकर दिघे—

आपके पास जिन लोगों ने शिकायतें की, उनके क्या—क्या नाम हैं ? अभी आपने स्वयं कहा कि इस मामले में जो जांच हुई है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, केवल एक मामले में ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

श्री आनन्द नारायण राय, जेलर के विरुद्ध बंदी के0 के0 भूटानी ने शिकायत की थी। श्री कमला प्रसाद श्रीवास्तव, जेलर के विरुद्ध श्री चक्रधर द्विवेदी ने शिकायत की थी। श्री उदय नारायण सिंह, जेलर, के विरुद्ध श्री विष्णु दत्त पांडे, जियाउद्दीन, कमाल फारूकी तथा तुलसी वल्लभ ने शिकायत की थी। श्री गंगा सरन शर्मा, जेलर के विरुद्ध बंदी राम सेवक की शिकायत थी। वार्डर दुलारे लाल, सहायक कारापाल श्री के0 सी0 त्रिपाठी एवं सिराज बब्बन मीसा बंदियों की शिकायत थी। सरदार समशेर सिंह, फखरुल हसन (मीसा एडवोकेट) मो0 हबीब, कशमीरी लाल (एकाउन्टेन्ट) की शिकायत थी। इनके अतिरिक्त आदर्श कारागार के जेलर श्री राधा मोहन सिंह के विरुद्ध गुमनाम शिकायतें थी।

श्री मधुकर दिघे—

आपने उत्तर में जिन शिकायत करने वालों के नाम पढ़े, उनमें श्री मोती लाल देहलवी का नाम नहीं पढ़ा जबकि उन्होंने श्री उदय नारायण सिंह के विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। तो क्या माननीय मंत्री जी पुनः इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे और जिन-जिन लोगों की शिकायत हैं, उनको बुलाकर उनसे इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जायगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं इसकी पुनः जांच करवा लूंगा, अतिरिक्त कारागार महा निरीक्षक द्वारा, लेकिन जहां तक श्री उदय नारायण सिंह का सम्बन्ध है, उनके विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराई जा चुकी है। उन्होंने बतलाया है कि यह मामला बिल्कुल झूठा है।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, जिला जेल से मैंने बलात्कार के सम्बन्ध में अनेकों प्रश्न पूछे थे, यह जानकर कि हमको सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलेगा, यह आपकी भी जानकारी में होगा। उनमें से एक प्रश्न श्री उदय नारायण सिंह के बारे में बलात्कार सम्बन्धी भी था, वे सब के सब गायब हैं। यह जानकारी मुझे तब प्राप्त हुयी जब आपका एक पत्र मुझे जेल में मिला। मेरे और भी कई प्रश्न थे, जो आप तक नहीं पहुंचे हैं, यहां से गायब कर दिए गए हैं। जो प्रश्न मैंने पूछे थे, जेल वालों ने उन्हें कारागार विभाग में भेज दिया है। माननीय मंत्री जी जान—बूझकर उनको छिपा रहे हैं। जब माननीय मंत्री जी स्वयं जेल में तशरीफ ले गये थे, तब मैंने कहा था कि आप 10 मिनट बैठ जाइये, मैं बलात्कार का मामला साबित किए देता हूं और अगर साबित न करा दूं, तो मैं सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा। उसके बाद मैंने दसियों पत्र लिखकर माननीय मंत्री जी के पास भेजे कि वे जांच करायें, लेकिन आज तक भी जांच नहीं कराई गई है। उन्होंने दुबारा आने को कहा था, लेकिन नहीं आये। ऐसा स्पष्ट है कि माननीय मंत्री जी कतरा गये। मान्यवर, यह कितना गम्भीर बलात्कार का मामला है, लेकिन मेरे प्रश्न यहां सचिवालय से गायब हैं। इससे ज्यादा गम्भीर बात और नहीं हो सकती कि सचिवालय से बलात्कार का प्रश्न गायब हुआ और वह आपकी जानकारी में है, लिख कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

हमारे पास से नहीं हुआ, विधान सभा सचिवालय में, मुझे प्राप्त नहीं हुआ। रास्ते में कहीं रह गया या जेलर ने नहीं भेजा या शासन ने, लेकिन हमारे सचिवालय को तो नहीं आया।

श्री मोतीलाल देहलवी—

आपके पास नहीं आया, लेकिन सचिवालय में आये हैं, यह जेल के डिस्पैच रजिस्टर से साबित है, सचिवालय का जो कारागार विभाग है।

श्री अध्यक्ष—

गवर्नमेंट का सचिवालय कहिये, शासन का सचिवालय।

श्री मोतीलाल देहलवी—

और मान्यवर, आप देख रहे हैं कि मेरा नाम जानबूझ कर छिपाया गया। मेरे पास सबूत मौजूद हैं, मैंने इन लोगों को बार-बार लिखा है। मंत्री जी जब गये थे, तो मैंने कहा था कि इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं, अगर बलात्कार न साबित कर दूं।

श्री अध्यक्ष—

तो क्या चाहते हैं ?

श्री मोतीलाल देहलवी—

मेरा प्रश्न यह है कि जो बलात्कार का प्रश्न हमने भेजा और सचिवालय से गायब है, तो उनकी जांच अभी तक हुई है या नहीं हुई है या जांच करायेंगे या नहीं करायेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जहां तक बलात्कार का मामला है, उसमें उसी समय सतर्कता विभाग से जांच करवाई गयी और पूरी जांच होने के बाद सतर्कता विभाग ने शासन को रिपोर्ट दी कि बलात्कार का मामला झूठा है। जहां तक मोतीलाल जी की शिकायतों का संबंध है, उसके संबंध में विभाग से जानकारी कराऊंगा और कोई शिकायत आयी हैं, तो उसकी जांच का आश्वासन देता हूं।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, मैं आज भी तैयार हूं सिद्ध करने के लिये कि बलात्कार हुआ है। शिकायत मेरी और मुझ से जांच का कोई वास्ता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आपने कहा कि आज भी सिद्ध कर सकते हैं तो ठीक है।

श्री मधुकर दिघे—

मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने यहां कह दिया कि वह इसकी पुनः जांच कराने के लिये तैयार हैं। तो क्या ये सभी मामलों में, शिकायत–कर्त्ताओं को बुला कर पुनः जांच कराने के लिये तैयार हैं और आश्वासन देंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मैं इसको स्वीकार करता हूं, मैं उनको बुलवा कर उनसे सारे मामलों में, जांच करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

और सभी का तो ठीक है, लेकिन मोतीलाल जी वाले मामले में आपने कह दिया कि सतर्कता विभाग ने उसको झूठा मामला बताया है, तो क्या आप उस मामले की पुनः जांच करायेंगे और मोतीलाल जी को पूरा मौका देंगे ? उनको पूरा मौका दीजिये।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मोतीलाल जी को पर्याप्त समय दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

काफी नहीं, उनको पूरा मौका दीजिये ।

2 नवम्बर, 1976 के मो० रफी खां के तारांकित प्रश्न सख्या 58 के उत्तर का शोधन

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

माननीय मोहम्मद रफी खां, सदस्य, विधान सभा को 2 नवम्बर, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 58 के जवाब में निम्न उत्तर दिया गया था :—

मूल प्रश्न	मूल उत्तर
58—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में कितना धन शासन द्वारा शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र, जैतीपुर को हरिजनों के लिये पेय जल की व्यवस्था करने हेतु आवंटित किया गया और विकास क्षेत्र के किन-किन ग्रामों के हरिजनों ने मार्च, 76 से आज तक दिनांक 24-8-76 तक पेय जल के लिये कूप निर्माण कराने की मांग जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से की है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?	58—प्रश्नगत अवधि—24 मार्च, 1976 से अगस्त, 1976 तक जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को स्वयं जैतीपुर विकास क्षेत्र के निवासियों से पेयजल की व्यवस्था के लिये कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । परन्तु भूतपूर्व विधायक, श्री सुरेन्द्र विकम सिह ने 21 जून, 26 जून तथा 21 जुलाई, 1976 को खेड़ारठ में हरिजनों के लिये कूप निर्माण के वास्ते अवश्य पत्र भेजे थे । एक पत्र, श्री जय राम आदि ग्राम खेड़ारठ के निवासियों की ओर से 18 अगस्त, 1976 को आयुक्त; कृषि उत्पादन को भी प्राप्त हुआ था, जो 2 सितम्बर, 1976 को आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला विकास अधिकारी, शाहजहांपुर को भेज दिया गया था । (2) श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह को 31 जुलाई, 1976 को उत्तर में सूचित किया गया कि कथित ग्राम में एक कूप का निर्माण कुछ समय पूर्व ही किया गया है जो 19 अक्टूबर, 1976 को ग्राम सभा को हस्तांन्तरित कर दिया गया था ।

संशोधित उत्तर

उक्त उत्तर के प्रस्तर 2 में संशोधित उत्तर इस प्रकार है :—

(2) श्री सुरेन्द्र विक्रम सिह को 31 जुलाई, 1976 को उत्तर में सूचित किया गया कि कथित, ग्राम में एक कूप का निर्माण कुछ समय पूर्व ही किया गया है जो 19 अक्टूबर, 1975 को ग्राम सभा को हस्तान्तरित कर दिया गया था ।

मूल उत्तर में तिथि 19 अक्टूबर, 1975 की जगह 19 अक्टूबर, 1976 गलत अंकित हो गई थी जिस के लिये खेद प्रकट किया जाता है ।

नोट:—नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

[बुधवार, 30 मार्च, 1977 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नारी शिक्षा निकेतन इण्टरमीडिएट कालेज, लखनऊ की अध्यापिकाओं के वेतन का भुगतान

*1—श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली)—

क्या यह सही है कि नारी शिक्षा निकेतन इन्टरमीडिएट कालेज, लखनऊ की अध्यापिकाओं के वेतन का भुगतान नियमानुसार अगले मास की 20 तारीख तक नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि इन अध्यापिकाओं को 1969 से बढ़े हुये महंगाई भत्ते के बकाये का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से और इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

चन्दौसी, जिला मुरादाबाद के जिला परिषदीय अध्यापकों के वेतन के एरियर का भुगतान

*2—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्दौसी, जिला मुरादाबाद के बेसिक शिक्षकों (जिला परिषदीय) को नये वेतनमान के अन्तर्गत अगस्त, 1972 से एरियर की धनराशि का भुगतान अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त एरियर के भुगतान के हेतु अविलम्ब आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

चन्दौसी, जिला मुरादाबाद के बेसिक शिक्षकों (जिला परिषदीय) को नये वेतनमान के अन्तर्गत अगस्त, 1972 से एरियर की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आदर्श कारागार, लखनऊ के बन्दी श्री नसीम उर्फ बाबा की रिहाई में विलम्ब

*3—श्री मोहम्मद रफी खां—

क्या कारागार मंत्री को ज्ञात है कि आदर्श कारागार, लखनऊ के एक बन्दी (श्री नसीम उर्फ बाबा) नं0 10839 को हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच ने 20–10–76 को रिहाई आदेश डिस्पैच नम्बर 6115 द्वारा जारी किया था लेकिन बन्दी नसीम उर्फ बाबा को 15 नवम्बर, 76 के बाद छोड़ा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

प्रश्न में उल्लिखित बन्दी उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19–10–76 को अपराध से मुक्त किया गया था । छठे अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ने दिनांक 25–10–76 को बन्दी के रिहाई का वारेंट हस्ताक्षरित करा, और जिला कारागार, लखनऊ को भेजा । चूंकि बन्दी 14–7–73 को जिला कारागार, लखनऊ से केन्द्रीय कारागार, वाराणसी को लम्बी सजा होने के कारण स्थानान्तरित किया जा चुका था, अतएव जिला कारागार, लखनऊ ने दिनांक 27–10–1976 को रिलीज वारेंट न्यायालय को वापस कर दिया । न्यायालय ने यह वारेंट अपने आदेश दिनांक 29–10–76 द्वारा अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी को भेजा । अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ने दिनांक 8–11–76 को बन्दी का रिलीज वारेंट न्यायालय को इस अभियुक्ति के साथ वापस कर दिया

कि बन्दी दिनांक 18–9–74 को आदर्श कारागार, लखनऊ को स्थानान्तरित हो चुका है। इस पर न्यायालय ने दिनांक 16–11–76 को रिलीज वारेंट आदर्श कारागार, लखनऊ को भेजने के आदेश दिये। आदर्श कारागार, लखनऊ में बन्दी का रिलीज वारेंट शाम को जेल के बन्द होने के उपरान्त प्राप्त हुआ था। अतएव बन्दी दिनांक 17–11–76 को नियमानुसार जेल से रिहा किया गया।

जूनियर हाई स्कूलों की होम परीक्षा को बोर्ड द्वारा लिए जाने का निर्णय

*4—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1975–76 में जूनियर हाई स्कूलों की परीक्षा, होम परीक्षा के रूप में ली गई थी और 1976–77 की परीक्षा बोर्ड द्वारा लेने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो 1975–76 के निर्णय में क्या खामियां थीं?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। 1975–76 के निर्णय के अनुसार जो सभी जूनियर हाई स्कूलों में कक्षा 8 की गृह परीक्षा ली गयी, उसमें कई समस्यायें सामने आयी थीं।

फर्रुखाबाद में स्थित मिर्जापुर नहर का क्षतिग्रस्त पुल

*5—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर ब्रांच नहर के 98 किलोमीटर, 300 मीटर पर स्थित मिर्जापुर नहर रामगंगा डिवीजन, मैनपुरी, जनपद फर्रुखाबाद में स्थित पुल का एक दर जो लगभग चार या पांच साल पहले निर्मित किया गया था मरम्मत के दौरान पूरा पुल दिनांक 30/31–5–76 को गिर गया जिससे करीब 100 (एक सौ) ग्रामों का आवागमन अवरुद्ध हो गया? यदि हां, तो तत्काल इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति)—

प्रश्नगत पुल 122 वर्ष पुराना था। वर्ष 1971–72 में इसमें एक दर बढ़ायी गयी थी। 13–5–76 से 29–5–76 तक केवल पुल की पिचिंग व फर्श की कुछ मरम्मत की गयी थी। 30–5–76 को पुल के दो पाये नीचे धंस गये तथा 1–6–76 को एक महराब बिल्कुल गिर गयी। पुल के क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप समीपवर्ती ग्रामों में आवागमन में बाधा न हो इस उद्देश्य से अस्थायी तौर पर नहर में दो नावें चलाने की व्यवस्था कर दी गयी है और पुल के पुनर्निर्माण की कार्यवाही भी की जा रही है।

यह पुल अत्यधिक पुराना था। अतः इसके क्षतिग्रस्त होने में कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

वाराणसी में मुसहर कौम के लिए आश्रम टाइप स्कूल खोले जाने की मांग

*6—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना कोलअसला, अठगांवां, कसवार राजा तथा परगना पन्द्रह, तहसील, जिला वाराणसी में मुसहर जाति में शिक्षा, लड़कियों में शून्य तथा लड़कों में एक दो फीसदी भी नहीं है? यदि हां, तो इस पूरी मुसहर कौम को शिक्षित बनाने हेतु सरकार आश्रम टाइप स्कूल खोलने जा रही है? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र माननीय शिक्षा मंत्री को तारीख 8 जुलाई, 76 को दिया है? यदि हां, तो इस संबंध में क्य कार्यवाही की गई?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। उक्त क्षेत्र में मुसहर कौम के 65 छात्र तथा 4 छात्रायें अध्ययन कर रही हैं। सम्प्रति शिक्षा विभाग द्वारा किसी स्थान पर आश्रम टाइप स्कूल खोलने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है। जी हां। प्रश्नकर्ता को उनके पत्र के संदर्भ में वस्तुस्थिति से 21 अगस्त, 1976 को अवगत कराया जा चुका है।

निर्वाचन क्षेत्र चांदा, सुल्तानपुर के अन्तर्गत नलकूपों, ड्रेनों आदि के निर्माण की मांगें

*7—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 22 जून, 1976 को फैजाबाद मंडल आयुक्त के सभा कक्ष में हुई मंत्रि मंडलीय बैठक में प्रश्नकर्ता ने निर्वाचन क्षेत्र चांदा, सुल्तानपुर के विभिन्न ग्रामों में नलकूपों के निर्माण, विभिन्न ग्रामों में तालों से ड्रेनों के निर्माण, रामगन्ज रजवाहे की पटरी के पक्की कराने आदि का लिखित आवेदन किया था? उस सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं की, तो क्यों?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बांदा जनपद की कन्या प्राइमरी पाठशालाओं की अध्यापिकाओं एवं प्रधानाध्यापिकाओं की पदोन्नति एवं उनका वेतन

*8—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बांदा जनपद के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् में 1975 में "चयन समिति" द्वारा कन्या प्राइमरी पाठशालाओं की लगभग 100 सहायक अध्यापिकाओं एवं 50 प्रधाना यापिकाओं को क्रमशः कन्या जूनियर हाई स्कूल की सहायक अध्यापिका पद एवं प्रधानाध्यापिका पद पर प्रोन्नत किया गया है और उन अध्यापिकाओं को आज तक प्रोन्नत वेतनमान नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

बांदा जनपद के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषदीय ग्रामीण क्षेत्रों की कन्या जूनियर हाई स्कूलों में 11 स्थानों तथा कन्या जूनियर हाई स्कूलों तथा क्रमोत्तर कन्या पाठशालाओं में सहायक अध्यापिकाओं की 90 स्थानों में पदोन्नति चयन समिति द्वारा सम्मिलित ज्येष्ठता सूची के आधार पर वर्ष 1975 में की गई थी। पदोन्नतियां नियमित न होने के कारण प्रधान अध्यापिका एवं सहायक अध्यापिका के लिये स्वीकृत वेतनमानों में वेतन भुगतान करने में वित्तीय परामर्शदाता, जिला परिषद्, बांदा द्वारा आपत्ति उठाये जाने के फलस्वरूप भुगतान नहीं किया गया है।

बांदा जिले के राजापुर-रैपुरा मार्ग का नव-निर्माण

*9—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बांदा जनपद के अन्तर्गत राजापुर-रैपुरा मार्ग में ग्राम नादिन कुर्मियान से राजापुर मार्ग को नादिन कुर्मियान से पुनः एलाइनमेन्ट करके मोड़ा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

हां, प्रस्ताव विचाराधीन है।

इसके 3 कारण हैं:

(1) 2 कि0 मी0 नवनिर्माण में लम्बाई कम होगी।

(2) लगभग 87,000 रु0 की बचत होगी।

(3) वार्षिक रख रखाव पर भी कम व्यय होगा।

निर्वाचन क्षेत्र चांदा सुल्तानपुर के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एवं जौनपुर जिले के महाविद्यालयों को अवध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किए जाने की मांग

*10—कुंवर श्रीपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 22 जून, 1976 की फैजाबाद मंडल आयुक्त के सभा कक्ष में हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में निर्वाचन क्षेत्र "चांदा" सुल्तानपुर के विभिन्न ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना तथा कुछ को उच्च मान्यताओं तथा जौनपुर जनपद के महा विद्यालयों की अवध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने का लिखित अवेदन दिया गया था? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं की, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

उक्त बैठक में इस प्रकार का आवेदन पत्र प्राप्त होने की सूचना नहीं है किन्तु अभी और जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

संडीला में मोहर्रम के अवसर पर आवंटित शकर के परमिट

*11—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई, तहसील संडीला में इस वर्ष मोहर्रम के त्योहार हेतु शकर का कितना कोटा निर्धारित किया गया? क्या यह सही है कि जिन लोगों को शकर की आवश्यकता थी उनको न देकर गलत लोगों के नाम परमिट जारी किये गये है? यदि हां, तो क्यों? सरकार जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

शासन द्वारा मुहर्रम के लिये लेवी चीनी का कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया था। थानाध्यक्ष, संडीला तथा कासिमपुर द्वारा प्रमाणित ताजियादारों को उनकी आवश्यकतानुसार 5 से 15 किलो तक के परमिट जिले के सामान्य कोटे से जारी किये गये थे। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

बस्ती जिले के बांसी ब्लाक के नलकूप संख्या 11 द्वारा की गयी सिंचाई

*12—श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के ब्लाक बांसी में नलकूप संख्या 11 (बांसी समूह) द्वारा माह जनवरी 75 में चालू होने पर किन-किन ग्रामों में और कितनी एकड़ सिंचाई हुई? इसमें पाइप लाइन बिछाने की कुल लागत क्या होगी?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ललौली इण्टर कालेज, फतेहपुर की प्रबन्ध समिति के गठन की मांग

*13—श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ललौली इन्टर कालेज, ललौली, जनपद फतेहपुर की प्रबन्ध समिति पांच वर्षों से भंग है और साधिकार नियंत्रक की देख-रेख में यह कालेज चल रहा है? क्या शासन ने उक्त प्रबन्ध समिति के गठन हेतु कई तिथियां निश्चित की थीं? यदि हां, तो निश्चित तिथियों को टालने का कारण क्या था?

श्री अम्मार रिजवी--

ललौली इन्टर कालेज, ललौली, फतेहपुर 3-12-73 से साधिकार नियंत्रक की देख-रेख में चल रहा है। शासन ने इस संस्था की प्रबन्ध समिति के गठन की कोई तिथि निश्चित नहीं की थी। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

रतन सेन डिग्री कालेज, बस्ती के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायतें

*14--श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती), श्री चन्द्र शेखर सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि रतन सेन डिग्री कालेज बांसी, जिला बस्ती के प्राचार्य के विरुद्ध सरकार के आदेशों के खिलाफ उक्त कालेज के छात्रों से गत तीन वर्षों में लाखों रुपया वसूल करके निजी काम में लगाने तथा उनके अन्य भ्रष्ट कार्यों के बाबत कोई शिकायती पत्र या पम्फलेट नवम्बर अथवा दिसम्बर, 1976 में सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायत क्या है? क्या सरकार ने उस पर अब तक कोई कार्यवाही की?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। शिकायतें संलग्नक में दी हैं। इस पर अभिसूचना विभाग द्वारा जांच कराई गयी थी।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 181-182 पर।)

*15--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[1ले मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

देवरिया जिले की न्याय पंचायत, खोटही के निलम्बित चीनी कोटे की बहाली

*16--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकासखंड, रामकोला के न्याय पंचायत खोटही को खाद्य समिति ने किन-किन चीनी वितरण करने वाली सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानों को निरस्त करने की संस्तुति पूर्ति अधिकारी, देवरिया से दिनांक 30-12-75 को की थी? उसकी जांच किस अधिकारी ने की और कौन-कौन सी अनियमिततायें पाई गईं तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

खाद्य समिति, खोटही ने आपने प्रस्ताव दिनांक 30 दिसम्बर, 1975 द्वारा न्याय-पंचायत खोटही के लेवी चीनी कोटेदार खोटही का कोटा निरस्त करने की संस्तुति की थी। जांच के दौरान कोटा निलम्बित कर दिया गया था परन्तु तहसीलदार, हाटा द्वारा जांच किये जाने पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई जिसके फलस्वरूप 28 अगस्त, 1976 को कोटा बहाल कर दिया गया।

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता सिविल की बरखास्तगी आदेश का उच्च न्यायालय द्वारा निरस्तीकरण तथा उनकी सेवा समाप्ति की मांग

*17--श्री महावीर प्रसाद (जिला गोरखपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1975 में एक सहायक अभियन्ता (सिविल) को गम्भीर आरोपों के कारण उसके नौकरी से बरखास्तगी के आदेश उच्च न्यायालय द्वारा इस कारण रद्द किये गये थे कि उसके विरुद्ध विभागीय जांच में दोष रह गया था? यदि हां, तो क्या उस सहायक अभियन्ता को सरकार ने निलम्बित करके उन आरोपों की सही-सही जांच पुनः करायी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*18—श्री महाबीर प्रसाद—

क्या सिंचाई मंत्री इतने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उपरोक्त सहायक अभियन्ता को उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मार्च, 1975 में नियुक्त कर दिया गया और इससे सरकार को लगभग तीस हजार रुपये अवशेष रूप में देने पड़े ? और क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सहायक अभियन्ता अपनी लगभग 14 वर्ष की सेवा में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं हुये हैं और लगभग पूरी सेवा का रिकार्ड भी खराब रहा है ? परन्तु फिर भी अभियन्ता को सेवा मुक्त नहीं किया गया है जबकि इस प्रकार के अन्य व्यक्तियों को निकाला जा चुका है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

रामगंगा जलाशय कालागढ़ से कथित जल-निकासी से रामगंगा नदी में बाढ़

*19—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि 19 अथवा 20 अगस्त, 1976 के आसपास कालागढ़ से फर्रुखाबाद जिला प्रशासन को बिना पूर्व चेतावनी दिये काफी मात्रा में पानी छोड़ा गया जिसके कारण 21 अगस्त, 1976 से राम गंगा नदी में भीषण बाढ़ आगई है और फर्रुखाबाद जनपद के राजेपुर विकास खंड के लगभग 100 गांव जलमग्न हो गये और लाखों रुपये की जनधन की हानि हुई ? यदि हां, तो शासन ने इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

रामगंगा जलाशय कालागढ़ से रामगंगा नदी में 19 अथवा 20 अगस्त, 1976 को कोई पानी नहीं छोड़ा गया। अतः फर्रुखाबाद जिला प्रशासन को चेतावनी देने तथा किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नही उठता।

शिक्षा विभाग के राजपत्रित पदों पर अनुसूचित जाति के अध्यापकों की पदोन्नति का कोटा

*20—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की आज्ञा संख्या 339/तेइस–2ए (2)–76–77, दिनांक 29–8–76 के अन्तर्गत अनुसचित जाति के कितने अध्यापकों को अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतन क्रम में प्रोन्नत किया है ? क्या शासनादेश सं0 15/5–(रा0 एकी0)–73, दिनांक 20 मार्च, 1974 क अनुसार आरक्षित कोटा पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या किया जा रहा है और कोटा न पूरा करने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

किसी अध्यापक को प्रोन्नत नहीं किया गया है।

अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण अभी तक आरक्षित कोटा पूरा नहीं हो सका है।

फर्रुखाबाद जिले की बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों के लिए टाट-पट्टी की मांग

*21—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि 1974–75 एवं 1975–76 में फर्रुखाबाद जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों के लिये टाट-पटटी एवं साज–सज्जा की खरीद नही की गई जिसक फलस्वरूप हजारों छात्र जमीन पर बैठता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और इस लापरवाही के लिये कौन दोषी है ?

श्री अम्मार रिजवी—
नहीं की गई।
जी हां।
वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत खरीद नहीं हो सकी। इसकी जांच की जा रही है।

तहसील पडरौना विकास खंड बिशुनपुरा के कतिपय नालों के नहरीकरण की मांग

*22—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—
क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि पडरौना तहसील के बिशुनपुरा विकास खंड में पकहा के पश्चिम तथा पखनहा के पूर्व बहने वाले नाले के कारण ग्राम पखनहा, पकहा गंभीर, छपरा, धूरछपरा आदि गांवों की हजारों एकड़ फसल प्रति वर्ष नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो उक्त नाले का शीघ्र नहरीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने का अनुग्रह करेंगे कि बिशुनपुरा विकास खंड में किन्नर पट्टी के समीप कुडवा कुंड से निकलने वाले जुडवनिया नाले का भी नहरीकरण कर के 16 किलोमीटर तक प्रति वर्ष बरसात म होने वाली प्रलय लीला की रोकथाम कर हरितक्रन्ति की दिशा में क्रान्तिकारी कदम उठाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—
सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला पूर्ति अधिकारी, देवरिया द्वारा श्री भीषम पाल सिंह को मकान का आवंटन एवं आवंटी के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही

*23—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—
क्या सरकार को जानकारी है कि अक्तूबर, 75 में जिला पूर्ति अधिकारी, देवरिया ने पडरौना नगर में कितने मकान किन-किन व्यक्तियों को एलाट किये ? क्या यह सही है कि विधिवत एलाटेड मकान के किसी किरायेदार के मकान को 5-11-75 को जाफ्ता फौजदारी की धारा 145 के अन्तर्गत जब्त करके आवंटी को बल पूर्वक निकाल दिया गया ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—
उक्त अवधि में दो मकानों का आवंटन किया गया—एक बांट तथा माप कार्यालय को और दूसरा श्री भीषम पाल सिंह को। श्री भीषम पाल सिंह का आवंटित भवन पहले स्वर्गीय श्री काशी नाथ पांडे, भूतपूर्व सदस्य, लोक सभा की किरायेदारी में था जिसमें वे चीनी मिल फेडरेशन के महामंत्री होने के नाते उसका कार्यालय भी खोले हुये थे। आवंटी के कब्जे के विरुद्ध फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने विवाद उठाया जिससे वातावरण अशान्तिमय होता देख कर तत्कालीन परगना मजिस्ट्रेट पडरौना ने धारा 145 जाब्ता फौजदारी में मकान कुर्क करने का आदेश दिया और 6 नवम्बर, 1975 को मकान कुर्क कर लिया गया। इस कार्यवाही के विरुद्ध श्री सिंह ने उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर कर रखी है जो अभी विचाराधीन है।

बाराबंकी जिले के उस्मानपुर प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों के विरुद्ध शिकायत

*24—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—
क्या शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जिला बाराबंकी, तहसील हैदरगढ़ के ब्लाक सिद्धौर के अन्तर्गत ग्राम उस्मानपुर में स्थित जिला परिषद् की प्राइमरी पाठशाला जिसमें तकरीबन 400-500 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, अब वहां के अध्यापकों की लापरवाही

तथा बच्चों को डरा धमका कर स्कूल में पढ़ने हेतु न आने देने के कारण लगभग बन्द सा हो गया है और उसमें अब नाम मात्र छात्र ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अध्यापकों आदि के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करके पुनः उक्त पाठशाला को चालित करने का आदेश देगी जिससे कि उस क्षेत्र के छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत विद्यालय में पिछले पांच वर्षों में कभी भी 400 या 500 छात्र शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। जुलाई, 1976 में विद्यालय में छात्रों की संख्या 210 थी। चूंकि विद्यालय बन्द नहीं है न छात्र संख्या कम है, अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षक संघ, कानपुर की मांगें

*25—श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री (माध्यमिक) बताने की कृपा करेंगे कि 23 फरवरी, 75 को मा0 शि0 संघ कानपुर के अध्यापकों ने जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया था और अपनी मांगों का कोई 11-सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी को दिया था ? यदि हां, तो उनकी मांगे क्या थीं और सरकार ने उनकी मांगों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

मांगे संलग्न सूची में दी गई है। मांगों के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही निम्नवत् है —

मांग सं0 1, 2, 3, 4, 8 और 9

शासन ने 1973 में माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये एक समिति गठित की थी जिसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। उसमें संघ की उक्त मांगे सम्मिलित हैं। प्रतिवेदन शासन के विचाराधीन है।

मांग सं0 5—पेन्शन की सुविधा अध्यापकों को उपलब्ध है। अन्य सुविधाएं देना सम्भव नहीं है।

मांग सं0 6, 7, 10 को स्वीकार करना संभव नहीं है।

मांग सं0 11—राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ. 183 पर।)

*26—श्री शारदा प्रसाद रावत—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

मदन मोहन इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के लिपिक का वेतन निर्धारण

*27—श्री शारदा प्रसाद रावत—

शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में कुछ लिपिकों की नियुक्ति वर्ष 1964 में चकबंदी विभाग से स्थानान्तरित होने के पश्चात् हुई थी ? क्या यह भी सही है कि उक्त लिपिकों को चकबन्दी विभाग की सेवाओं की अवधि में मिल रहे वेतन के अनुसार उनके वेतन का निर्धारण मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर द्वारा नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में चकबन्दी विभाग से स्थानान्तरित होने के पश्चात् कुछ लिपिकों की नियुक्ति वर्ष 1964 में नहीं हुई। केवल एक लिपिक

जो चकबन्दी विभाग में थे उनकी नियुक्ति उनके प्रार्थना पत्र पर और चकबन्दी विभाग से त्याग-पत्र देने के उपरान्त 13–10–64 को हुई थी। उक्त लिपिक को चकबन्दी विभाग की सेवाओं की अवधि में मिल रहे वेतन के अनुसार उनके वेतन का निर्धारण मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर द्वारा नहीं किया गया। इसके कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) उक्त लिपिक ने त्याग-पत्र दे दिया था अतः उनको पूर्व की सेवा का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सका।

(2) मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर एक स्वाशासी संस्था है और उसके कर्मचारियों पर राजकीय कर्मचारियों पर लागू नियम सामान्यतया लागू नहीं होते।

(3) नियुक्ति के समय उक्त लिपिक को उनके तात्कालीक वेतन की सुरक्षा का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

फर्रुखाबाद में खन्ता नाला व काली नदी पर पुल निर्माण की मांग

*28—श्री अनवार जमील—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा चिपासर, जनपद फर्रुखाबाद में खन्ता नाला व काली नदी पर कोई पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है क्योंकि बरसात के दिनों में लगभग पांच सौ ग्राम शहर से बिल्कुल कट जाते हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं। इस क्षेत्र में मार्ग व पुल के निर्माण स्वीकृत नहीं हैं।

*29—श्री राम मूर्ति—

[माननीय सदस्य के त्याग–पत्र देने के कारण हटाया गया।]

जालौन के एकलव्य जूनियर हाई स्कूल को मान्यता

*30—डाक्टर मलखान सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जिला जालौन के एकलव्य जूनियर हाई स्कूल, उरई को अनियमित मान्यता दिये जाने सम्बन्धी शिकायत शासन को वर्ष 76 में मिली है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, आरोपों की जांच की गई तथा कोई अनियमितता, नहीं पायी गई।

बस्ती जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता, श्री रामअधार चन्द के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*31—श्री अब्दुलरऊफ लारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी जनपद बस्ती के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता (श्री रामअधार चन्द) तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ अनियमितता तथा भ्रष्टाचार की शिकायत श्री गुलाबचन्द त्रिपाठी तथा विधायकों द्वारा दिनांक 8–7–76 व 26–8–76 एवं 30–10–76 तथा 17–12–76 को मुख्य मंत्री जी तथा सार्वजनिक निर्माण मंत्री को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है? जांच किसके द्वारा करायी जा रही है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

दिनांक 8–7–76 एवं दिनांक 17–12–76 के शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं। इनकी जांच अधीक्षण अभियंता छठवां वृत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर द्वारा कराई जा रही है।

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण

*32--श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1975 में सिंचाई विभाग में तीन सहायक अभियन्ताओं को अनुसूचित जाति,जनजाति के लिए आरक्षण आदेशों के अन्तर्गत प्रोन्नत करके प्रभारी सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्त किया गया था तथा क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1976 के चयन में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का उल्लंघन किया गया है ?

श्री लोकपति--

जी हां।

वर्ष 1976 के चयन में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का उल्लंघन नहीं किया।

बांदा जिले के मारों बांध के सिंचाई का लक्ष्य

*33--श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में मारों बांध से वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 में अलग-अलग कुल कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हुई ? इस बांध योजना की सिंचाई क्षमता कितनी निर्धारित की गई थी तथा सिंचाई का लक्ष्य पूरा क्यों नहीं हो सका ? लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या योजना का पुनः सर्वेक्षण कराया जायगा और उसमें सुधार किया जायगा ?

श्री लोकपति--

(1) सिंचाई क्षेत्र --

1974-75	1975-76
28 एकड़	138 एकड़

(2) सिंचाई का लक्ष्य--

(1) निर्माण के एक वर्ष बाद---528 एकड़

(2) निर्माण के दो वर्ष बाद---928 एकड़

(3) बांध की तलहटी में प्रतिकूल स्थिति के फलस्वरूप क्षमता अनुसार पानी न रुकने व गूल व बरहों की कमी के कारण लक्ष्यानुसार सिंचाई नहीं हो सकी।

(4) जी हां।

*34--श्री जंग बहादुर वर्मा तथा श्री जंग बहादुर सिंह पटेल--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

*35--श्री अब्दुल रऊफ लारी--

[2रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

आजमगढ़ जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भीमवर के प्रबन्धक के विरुद्ध कथित शिकायत

*36--श्री राम सुन्दर पाण्डेय--

क्या विधान सभा के ता0 प्र0 सं0 27, दिनांक 9-4-75 में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25-4-75 का लिखित उन्हें कोई पत्र शिक्षक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भीमवर, जिला आजमगढ़ के प्रबन्धक पद के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक कौन सी कार्यवाही हुई है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*37—डाक्टर मलखान सिंह—

[5वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कानपुर की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत राजकीय नलकूप निर्माण की मांग

*38—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खंड में चार-चार राजकीय नलकूप लगाए जाने का वर्ष 1976 में आदेश किया गया था? यदि हां, तो कहां-कहां लगाए जाने की व्यवस्था की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कानपुर जिले में सिकन्द्रा–विल्हौर सड़क पर सेंगुर नदी के पुल निर्माण की स्वीकृति

*39—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिला देहात के अन्तर्गत सिकन्द्रा विल्हौर सड़क के बीच मंगलपुर और सन्दलपुर के दरम्यान हवासपुर के सामने सेंगुर नदी पर पुल बनाए जाने की स्वीकृति दी गई है? यदि हां, तो इसकी कुल लागत क्या है और कब से कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

11.90 लाख रु0 की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 1978 की बरसात के बाद कार्य प्रारम्भ होने की आशा है ।

फर्रुखाबाद के इण्टरमीडिएट कालेज तथा हाई स्कूल के शिक्षकों की सेवा समाप्ति

*40—डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद ने कितने इंटरमीडिएट कालेज तथा हाई स्कूल के शिक्षकों को माह सितम्बर–अक्टूबर सन् 76 में कार्यभार से मुक्त करके उनका वेतन रोक दिया? यह किस नियम के अन्तर्गत किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फर्रुखाबाद की सौरिख, प्राइमरी पाठशाला के सहायक अध्यापक, श्री बलराम के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*41—डाक्टर धर्मपाल सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला फर्रुखाबाद प्रायमरी पाठशाला सौरिख के सहायक अध्यापक (श्री बलराम) के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र क्रमशः 16–9–76 एवं 8–11–76 को शिक्षा मन्त्री को प्राप्त हुए? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी एव जांच परिणाम क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

यद्यपि प्रश्न में वर्णित शिकायती-पत्र उपलब्ध नहीं है किन्तु इसी प्रकार के शिकायती पत्र माननीय सदस्य से शिक्षा निदेशक को सितम्बर और नवम्बर, 1976 में प्राप्त हुए थे जिस

आधार पर उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रश्नगत अध्यापक के विरुद्ध जांच कराई गई। जांच के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक को लिखित चेतावनी दे दी गयी है।

गोंडा के न्याय पंचायत रुपईडीह के चीनी के कोटे की बहाली

*42—श्री दशरथ सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के विकास खंड रुपईडीह के न्याय पंचायत रुपईडीह के चीनी के कोटेदार का कोटा जांचोपरान्त अगस्त, 76 में निलम्बित कर दिया गया था? और क्या यह सही है कि पुन: उसे कोटा दे दिया गया? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां। जांच के फलस्वरूप विदित हुआ कि कोटेदार के विरुद्ध शिकायतें आपसी रंजिश के कारण की गई थीं। अत: कोटा 4 दिसम्बर, 1976 को बहाल कर दिया गया।

बाराबंकी जिले को पिछड़ा जिला घोषित किये जाने की मांग

*43—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि क्या बाराबंकी जनपद शिक्षा के क्षेत्र में अन्य जनपदों की तुलना में पिछड़ा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा पिछड़ा जिला घोषित न किये जाने व शिक्षा के प्रसार हेतु अन्य सहायता न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मान्यता प्राप्त आ-अनुदानित जूनियर हाई स्कूलों के छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से विभागीय परीक्षाओं में बैठने का आदेश

*44—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या शिक्षा मंत्री जी को ज्ञात है कि रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र सं0 जूनियर हाई स्कूल सा0 75/76–77, दिनांक 8–11–76 द्वारा प्राइवेट प्रबन्ध समितियों द्वारा संचालित ऐसे जूनियर हाई स्कूलों की कक्षा 8 के छात्र–छात्राओं जो मान्यता प्राप्त हैं परन्तु अनुदानित नहीं हैं, चाहे उनके प्रधानाध्यापक प्रशिक्षित स्नातक हों, को विभागीय जू0हा0 स्कूल परीक्षा 77 में बैठना अनिवार्य कर दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परीक्षा के लिये गत वर्ष की भांति ही व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। इस समय गत वर्ष की भांति व्यवस्था करना शिक्षा के व्यापक दृष्टिकोण में हितकर न होगा।

आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लाक के भवन-विहीन एवं जीर्ण भवन की प्राइमरी पाठशालायें

*45—श्री राम अधार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में ब्लाक महाराजगंज में तेरही, चवता और जमीलपुर ग्रामों में लगभग 25 वर्षों से प्राइमरी स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद् की ओर से चल रहा है और उन ग्रामों में आज तक स्कूल का भवन नहीं है? क्या सरकार निकट भविष्य में भवन निर्माण कराने जा रही है, यदि हां, तो कब तक?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*46—श्री राम अधार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में ब्लाक महाराजगंज में प्रा0 पाठशालाओं की कुल कितनी संख्या 1976 के अन्त तक थी और उनमें कितने स्कूल ऐसे हैं जिनके पास पक्का भवन है और वहां कितने कच्चे भवन हैं जो जर्जर अवस्था में हैं और कितने स्कूलों के पास भवन नहीं है ? क्या सरकार उन स्कूलों के लिये भवन [illegible] ने जा रही है जहां भवन नहीं है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*47—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[2रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कानपुर जिले में नलकूपों की संख्या एवं बिगड़े हुए नलकूप

*48-49—श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत मार्च, 76 से दिसम्बर, 76 तक कितने नलकूप खराब रहे ? यदि हां, तो क्यों ?

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत 75–76 में कितने नलकूप बनाये गये हैं और उन नलकूपों में कितने चल रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ की व्याख्याता कटिंग एण्ड डिजाइन के पद की निर्धारित अर्हता

*50—श्री शिवानंद नौटियाल (जिला पौड़ी गढ़वाल)—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्याख्याता कटिंग एन्ड डिजाइनिंग राजपत्रित पद की निधरित अर्हता क्या है ? क्या राजकीय महिला पालिटेकनिक, लखनऊ में इस पद पर नियुक्त अधिकारी निर्धारित अर्हतायें रखता है ? यदि नहीं, तो क्या इस नियुक्ति को तुरन्त निरस्त करने की कृपा करेगी और इस अनियमित नियुक्ति के लिये कौन जिम्मेदार है तथा उनके खिलाफ शासन क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

व्याख्याता कटिंग एण्ड डिजाइन के पद के लिये अर्हता के निर्धारण का प्रश्न अभी विचाराधीन है । अतएव राजकीय महिला पालीटेकनिक की व्याख्याता कटिंग एवं डिजाइन के पदधारक की निर्धारित अर्हता का प्रश्न वर्तमान स्थिति में नहीं होता है । इस पद पर फिलहाल नियमित नियुक्ति होने तक एक तदर्थ नियुक्ति पदधारक के अनुभव के आधार पर कर दी गई है । नियमित नियुक्ति होने के बाद यह नियुक्ति या तो नियमित हो जायगी या समाप्त हो जायगी । इस समय इस नियुक्ति के लिये किसी की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता है ।

*51—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[2रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

देवरिया जिले में छितौनी बांध के निर्माण एवं मरम्मत पर खर्च की गयी धनराशि का विवरण

*52—श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में बने छितौनी बांध पर 1 अप्रैल, 73 से 31 अगस्त, 1976 तक निर्माण तथा मरम्मत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन और साधनों पर अलग-अलग कितने रुपये खर्च हुये ? छितौनी बांध पर नियुक्त कौन-कौन से अधिकारियों के लिये कहां-कहां अवासीय व्यवस्था है और वह छितौनी बांध से कितनी दूरी पर है ?

श्री लोकपति—

देवरिया जिले में बने छितौनी बांध पर 1 अप्रैल, 1973 से 31 अगस्त, 1976 तक निर्माण तथा मरम्मत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन और साधनों पर अलग-अलग निम्न व्यय हुआ था :

	लाख रु0
1—निर्माण	372.99
2—मरम्मत	9.82
3—अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन	18.53
4—महंगाई भत्ता	7.00
5—यात्रा भत्ता	4.15

छितौनी बांध पर नियुक्त अधिशासी अभियन्ता गंडक नहर निर्माण खंड 5, देवरिया का आवासीय व्यवस्था देवरिया में है जो छितौनी बांध से 100 कि0 मी0 दूर है तथा उपरोक्त खंड के सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ को आवासीय सुविधा खड्डा में है। जो छितौनी बांध से 5 कि0 मी0 दूर है।

गोंडा, बहराइच, बलिया, बांदा व हमीरपुर में नदियों के पुलों पर उतराई के ठेके की नीलामी

*53—श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

क्या कृपया सरकार बतायेगी कि लखनऊ से गोंडा-बहराइच जाते समय घाघर नदी, बलिया में उजियार घाट तथा बांदा व हमीरपुर में नदियों पर पुल बनाकर उतराई के ठेके वर्ष 1973-74, 1974-75 व 1975-76 में किन-किन व्यक्तियों या संस्थाओं को कितने-कितने रुपये पर दिये गये ? क्या यह ठेके बिना नीलाम के टेन्डर द्वारा दिये गये और क्या इन ठेकों के नीलामी व टेन्डर में मल्लाह, केवट या उनकी किन्हीं संस्थाओं ने भी भाग लिया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सम्बन्धित अधिकारियों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

देवरिया जिले के श्री दुर्गा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गबन के आरोपों की जांच

*54—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के श्री दुर्गा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खोटही के गबन एवं धन के दुरुपयोग की कितनी शिकायतें माह अप्रैल एवं मई, 76 में शासन को प्राप्त हुईं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अम्मार रिजवी—

केवल एक शिकायती पत्र मई, 1976 में प्राप्त हुआ जिसमें आर्थिक अनियमितताओं के साथ प्रबन्ध समिति के चुनाव के संबंध में शिकायतें थीं। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जांच हो गई है तथा आडिट भी हो गया है। अब शिक्षा निदेशक को निदेश दे दिये गये

हैं कि निरीक्षक की आख्या का परीक्षण करें और यदि प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की आवश्यकता हो तो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें ।

बांसी, जिला बस्ती के स्वर्णकार ब्रदर्स की चीनी व गल्ले की दुकान के विरुद्ध दर्ज मुकदमा

*55--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की तहसील बांसी के अन्तर्गत टाउन एरिया बांसी में स्वर्णकार ब्रदर्स के नाम कोई चीनी और गल्ले की दुकान थी जिसे सरकारी लाइसेंस प्राप्त था और भ्रष्टाचार के आरोप में दुकान निरस्त कर दी गई ? यदि हां, तो क्या उस दुकान से सम्बन्धित कोई मुकदमा बांसी थाने में दर्ज कराया गया है ? यदि हां, तो मुकदमा कब दर्ज कराया गया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी हां ।

बांसी थाने में 29 जुलाई, 1975 को एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी है ।

*56--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[माननीय सदस्य के त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

देहरादून की श्रीमती भाग्यवती ढौंडियाल का निरस्त किया गया इण्टरमीडिएट परीक्षाफल

*57--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती भाग्यवती ढौंडियाल, व्यक्तिगत परीक्षार्थिनी देहरादून, अनुक्रमांक 339989 की 1973 की इन्टरमीडिएट परीक्षा निरस्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या यह सही है कि वर्ष 1964 में वे संस्थागत परीक्षार्थिनी के रूप में इन्टरमीडिएट की परीक्षा में देहरादून से सम्मिलित हुई थीं और उनका अनुक्रमांक वर्ष 1964 में 3703 था और उस परीक्षा में वे असफल घोषित की गयी थीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमती भाग्यवती ढौंडियाल ने इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश हेतु अपने आवेदन-पत्र के साथ विद्याविनोदिनी परीक्षा पास होने का जो प्रमाण--पत्र प्रस्तुत किया था वह जांच के उपरान्त सही नहीं पाया गया । अतः माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने परीक्षा में प्रवेश की अर्हता के प्रतिबन्ध की पूर्ति न होने के कारण उसकी 1973 की परीक्षा निरस्त कर दी । 1964 की परीक्षा के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

परिवार नियोजन सम्बन्धी लक्ष्य दम्पत्ति कार्ड धारकों का रोका गया राशन

*58--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सरकारी गल्ले के दुकानदारों को यह आदेश दे रखा है कि नसबन्दी का प्रमाण--पत्र न दाखिल करने वाले परिवारों को पूरी चीनी न दी जाय ? यदि हां, तो ऐसा आदेश कब किया गया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी हां, 13 अक्टूबर, 1976 को यह आदेश हुए थे कि लक्ष्य दम्पत्ति श्रेणी में आने वाले कार्ड-धारकों को परिवार नियोजन का प्रमाण-पत्र न प्रस्तुत करने पर अधिकतम 4 (चार) यूनिट का राशन दिया जायगा । यह आदेश भी निरस्त हो चुके हैं ।

श्री सरस्वती विद्यालय इण्टर कालेज, हापुड़ के प्रधानाचार्य की अनियमित नियुक्ति एवं प्रबन्धक समिति के चुनाव की मांग

*59-60—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य, श्री देवी कृष्ण गोयल, श्री सरस्वती विद्यालय इन्टर कालिज, हापुड़ की अवैधानिक व अनियमित नियुक्ति तथा अन्य शिकायतें श्री सन्तोषकुमार व श्री शिव कुमार, सदस्य, शिक्षा प्रसार समिति तथा अन्य सदस्यों की दिनांक 21 जुलाई, 1975 ; 6 दिसम्बर, 76; 14 दिसम्बर, 1976 तथा अन्य तिथियों को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सरस्वती विद्यालय, हापुड़ की प्रबन्धक समितियों का वर्तमान कार्यकाल जो 23 सितम्बर, 1975 को समाप्त हो गया है और अभी तक नये चुनाव नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो नये चुनाव कराने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

टिहरी बांध परियोजना में निम्न वेतनभोगी कर्मचारियों में टिहरी निवासियों की संख्या

*61—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना में कार्यरत 500.00 मासिक से कम वेतन भोगी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और इनमें से टिहरी जनपद के स्थायी निवासी कितने हैं ?

श्री लोकपति—

टिहरी परियोजना में नियमित तथा कार्य प्रभारित अधिष्ठान में 500 रुपये मासिक से कम वेतन भोगी कर्मचारियों की कुल संख्या व इनमें से टिहरी जनपद के स्थाई निवासियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

टिहरी जिले में		देहरादून जिले में	
कुल संख्या	टिहरी के स्थाई निवासी	कुल संख्या	टिहरी के स्थाई निवासी
271	130	161	34

टिहरी बांध परियोजना के मलवे को भागीरथी नदी में गिराए जाने से बाढ़ का खतरा

*62—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री को यह विदित है कि टिहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत टिहरी नगर में भागीरथी पुल के पास व्यावर्तन सुरंग बनाने में जो मलवा भागीरथी नदी में गिर रहा है उससे भागीरथी का जल-प्रवाह अवरुद्ध हो गया है जिसके कारण कभी भी बाढ़ का भयंकर खतरा हो सकता है ? यदि हां, तो इसके बचाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री लोकपति—

जी हां । टिहरी नगर से भागीरथी पुल के पास व्यावर्तन सुरंग का जो मलवा भागीरथी नदी में गिराया जा रहा है उससे नदी के बहाव में कुछ अवरोध अवश्य उत्पन्न हो गया है किन्तु इससे बाढ़ आ जाने की कोई आशंका नहीं है ।

*63—श्री काली चरण यादव—
[उरे बुधवार के लिये स्थगित ।]

*64—श्री राम मूर्ति—
[माननीय सदस्य के त्याग पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में आं० सु० का० बंदियों की चिकित्सा में उपेक्षा एवं चिकित्सा अधीक्षक की योग्यता के विरुद्ध शिकायत

*65—श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध आं० सु० का० बन्दियों की ओर से उनके चिकित्सा सम्बन्धी मामलों में जेल अधिकारियों की ओर से की जानेवाली घोर उपेक्षा के विरुद्ध प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक 1-10-76 को शासन को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं ? इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

शिकायती पत्र शासन में आया हुआ प्रतीत नहीं होता है । अभी भी इस मामले की छानबीन कराई जा रही है ।

*66—श्री गजाधर प्रसाद आर्य—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध आं० सु० का० बन्दियों की ओर से कारागार के चिकित्सा अधीक्षक की अयोग्यता के प्रति कोई शिकायती-पत्र, जिसकी सम्पुष्टि कारागार अधिकारियों द्वारा भी की जा चुकी है, क्या शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

शिकायती पत्र शासन में आया हुआ प्रतीत नहीं होता है और उपलब्ध नहीं हो रहा है किन्तु इस मामले की छानबीन कराई जा रही है ।

जिला जेल, सुल्तानपुर के कर्मचारी पर हमले के फलस्वरूप बन्दियों को दिए गए दण्ड

*67—श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुरखीरी)—

द्वितीय सत्र 1976 के 1 ले सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 57 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जेल मैनुअल के किस नियम के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों को क्या-क्या दंड दिये गये ? क्या इस घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच भी कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला कारागार, सुल्तानपुर के चिकित्सालय के कम्पाउन्डर पर बन्दीगण नईम उद्दीन व मकसूद ने प्रहार करके प्रिजन्स ऐक्ट की धारा 45 में उल्लिखित अपराधों में से एक अपराध [जिसका उल्लेख खंड (2) पर है] किया । इसके फलस्वरूप उक्त ऐक्ट की धारा 46 की उपधारा (4) में उपबंधित दण्ड बंदियों को देते हुए उनके तीन-तीन सौ दिन के अर्जित परिहार जब्त कर लिये गये थे ।

बंदियों को जेल अधीक्षक की पेशी में ले जाते समय बंदी नईम उद्दीन के पेड़ पर चढ़ जाने तथा बन्दी मकसूद के पेड़ पर चढ़ने के असफल प्रयास, जो प्रिजन्स ऐक्ट की धारा 45 में उल्लिखित अपराधों में से एक अपराध, [जिसका उल्लेख खंड (4) पर है,] के सम्बन्ध में, उन्हें उक्त ऐक्ट की धारा 46 की उपधारा (7) के अनुसार तनहाई का दण्ड दिया गया ।

उक्त बन्दीगण के अतिरिक्त बन्दी रक्षक रंजित राम को भी दोषी पाकर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के परिणाम स्वरूप उनके वेतन का एक-चौथाई भाग का अर्थ दंड दिया गया था।

इस घटना के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने के आदेश दिए गए। मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में संस्तुति की थी कि विभागीय जांच के आधार पर कार्यवाही किए जाने के आदेश हों।

जिला जेल, सुल्तानपुर द्वारा दवाइयों की खरीद

*68—श्री मन्ना लाल—

द्वितीय सत्र 1976 के 1 ले सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 56 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो दवायें विज्ञप्ति के अधीन नहीं खरीदी गई थीं क्या उनकी जेल मैनुअल के पैरा 1357 के अन्तर्गत स्वीकृति शासन से प्राप्त की गई थी? यदि नहीं, तो किन कारणों से?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वर्ष 1974–75 में केवल रु0 1211.39 पैसे की दवाइयां विज्ञप्ति के अधीन क्रय नहीं की गईं थीं क्योंकि यह दवाइयां भिन्न-भिन्न तिथियों में अधीक्षक के आदेशानुसार तथा उनके अधिकार क्षेत्र की धनराशि से ही खरीदी गई थीं। वर्ष 1975–76 में रु0 18,414.79 पैसे की दवाईयां विज्ञप्ति के अधीन क्रय नहीं की गई थी, जिसमें रु0 9224.00 की दवाइयों को क्रय करने के लिये जेल मैनुअल के पैरा 1357 के अनुसार उद्योग निदेशालय, कानपुर से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी। शेष धनराशि की दवाइयां भिन्न–भिन्न तिथियों में अधीक्षक के आदेशानुसार तथा उनके अधिकार क्षेत्र की धनराशि से ही खरीदी गईं थीं।

जिला जेल, लखनऊ के बन्दी रक्षकों के वेतन का भुगतान

*69—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या कारागार मंत्री को इसकी जानकारी है कि जिला जेल, लखनऊ, स्थित बाल सुधार विद्यालय में कुछ ऐसे भी अस्थाई बन्दी रक्षक (अपरेन्टिस वार्डर) हैं जिनको 9 माह से वेतन नहीं दिया गया? यदि हां, तो वेतन न देने का कारण क्या है? इन बन्दी रक्षकों को वेतन कब तक दे दिया जावेगा?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ज़िला जेल, लखनऊ स्थित बाल सुधार विद्यालय के अस्थायी बंदी रक्षकों को 31–1–77 तक के वेतन का भुगतान दिनांक 2–3–77 को कर दिया गया है।

जिला कारागार, बस्ती के बन्दी, श्री शामुल्ला के भागने की घटना की जांच

*70—श्री दशरथ सिंह—

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि बस्ती जिला कारागार से कोई बंदी 1 जनवरी, 76 और 1 दिसम्बर, 76 के मध्य भाग गया है और भागने में उसने जेलर द्वारा रखे हुए उपकरणों का सहारा लिया था? और उक्त घटना के सम्बन्ध में जेलर, बस्ती ने कुछ छोटे निर्दोष कर्मचारियों को प्रशासकीय दन्ड दिया है? यदि हां, तो क्या शासन कृपया बतलायेगा कि उक्त घटना में जेल के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। जिला कारागार बस्ती में निरूद्ध विचाराधीन बंदी, शामुल्ला, दिनांक 16–9–76 को कारागार से भागने में सफल हुआ। इस घटना में प्रारम्भिक जांच करागार विभाग के अधिकारियों द्वारा करी गई और उसमें एक प्रधान बंदी रक्षक तथा एक बंदी रक्षक

जो मुख्य रूप से उत्तरदायी पाये गये उनको निलम्बित कर दिया गया। इस घटना की मैजिस्टीरियल जांच रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है अतः यह स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं हो पाया है कि पलायन किन परिस्थितियों में हुआ तथा उसके लिये कौन-कौन अन्य कर्मचारी दोषी है।

*71—श्री मोती लाल देहलवी—

[1ले सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बाराबंकी जेल की सतर्कता विभाग द्वारा जांच एवं कर्मचारियों का निलम्बन

*72—श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त सन् 1975 में कारागार व सतर्कता विभाग के सचिव को जिला बाराबंकी जेल में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र मिला था और जिसके आधार पर सतर्कता विभाग द्वारा जेल में छापा मारकर भ्रष्टाचार को पकड़ा गया था? यदि हां, तो कौन-कौन सी अनियमितताएं पकड़ी गयीं तथा किन कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, अगर नहीं की गई, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। सचिव, गृह (कारागार) एवं सतर्कता विभाग को दिनांक 5 अगस्त, 1975 को बाराबंकी जेल में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, एक शिकायती पत्र सम्बोधित किया गया था। इसमें मुख्य शिकायतें, जेलर द्वारा एक एप्रेन्टिस वार्डर के वेतन का स्वयं आहरण, अन्य एप्रेन्टिस वार्डरों के वेतन वितरण के समय उत्कोच ग्रहण (तथा शिकायत करने वाले कर्मचारियों को भयभीत करना), हरिजनों के साथ अत्याचार, बन्दियों से घरेलू काम तथा जेल हेतु क्रय की गई सामग्री, जैसे दूध, आटा व दवाइयों में गोलमाल करने से सम्बन्धित थीं।

उक्त के संदर्भ में सतर्कता विभाग तथा कारागार विभाग के अधिकारियों द्वारा जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण 6 अगस्त, 1975 को किया गया और इस निरीक्षण के फलस्वरूप सतर्कता अधिष्ठान के माध्यम से खुली जांच के आदेश दिए गये। जांच के आदेश दिए गये। जांच के दौरान श्री जे0 एस0 शुक्ला, जेलर, श्री एच0 एन0 मिश्रा, व श्री बी0 क0 रायजादा, सहायक जेलरों तथा श्री महफूज अली, वार्डर को निलम्बित कर दिया गया।

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच रिपोर्ट से निम्न तथ्य प्रकाश में आये :—

(1) माह नवम्बर, 1974 में एक अस्थायी वार्डर का 22 दिनों का वेतन गलत तरीके से बरामद किया गया जबकि वह वेतन एक अन्य अस्थायी वार्डर के नाम बरामद करना चाहिये था।

(2) 4 अप्रैल, 1975 को गेट पर तैनात वार्डर ने 10 बोरा आटे की आमद जेल गेट बुक में समय से इन्दराज नहीं करी, जो बाहर से पिसकर आया था।

(3) जेल के अन्दर चक्की-घर में बन्दियों का राशन अनधिकृत रूप से संदिग्ध अवस्था में रखा हुआ मिला। गल्ला गोदाम में चेकिंग पर कम व अधिक मात्रा में कुछ सामग्रियों को पाया गया और अभिलेख ठीक से नहीं भरे गये थे।

अन्य आरोप पुष्ट नहीं हुए।

इन अनियमितताओं के लिये निम्न के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिए गये हैं :—

(1) श्री जे0 एस0 शुक्ला, जेलर
(2) श्री एच0 एन0 मिश्रा, सहायक जेलर

(3) श्री बी0 के0 राजादा, सहायक जेलर
(4) श्री रमा कांत शर्मा, सहायक जेलर
(5) श्री महफूज अली, वार्डर ।

इसके अतिरिक्त प्रथम आरोप के सम्बन्ध में अंश कालिक कारागार अधीक्षक के उत्तर-दायित्व निर्धारित करने के लिये भी आदेश हो गए हैं ।

अतारांकित प्रश्न

वाराणसी की भुपौली-बलुआघाट-चहनियां सड़क को पक्का किए जाने की मांग

1—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भुपौली से बलुआ घाट से चहनियां, तहसील चन्दौली, जिला वाराणसी की कच्ची सड़क को पक्का करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो 8 किलोमीटर की यह सड़क जो भुपौली पम्प कैनाल से बलुआघाट पम्प कैनाल तक जाती है, यह कब तक पक्की सड़क में परिवर्तित हो जायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

इलाहाबाद के बरौत-बिठौली मार्ग को पक्का किए जाने की मांग

2—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या सा0 निर्माण मंत्री यह बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में बरौत-बिठौली रोड खराब होने के कारण बरसात के दिनों में बसों का आना-जाना बन्द रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को पक्का बनाकर जनता को सुविधा प्रदान करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह सही है कि वर्षा ऋतु में इस मार्ग पर यातायात में कठिनाई होती है । यह मार्ग जिला परिषद् का है । धनाभाव के कारण इस समय इसको सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाने का प्रस्ताव नहीं है ।

उप विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

3—हाजी मोहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6–4–76 को एक पत्र प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश की शाखा मुरादाबाद के अध्यक्ष का माननीय मंत्री जी को प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ प्राप्त हुआ था ? जिसमें प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक क्षेत्र अमरोहा, मुरादाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के गम्भीर आरोप लगाये थे ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा शासन द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फूलपुर एवं हंडिया तहसील, इलाहाबाद में आपरेटर विहीन नलकूप

4—श्री अठई राम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में फूलपुर एवं हंडिया तहसील में कितने ऐसे नलकूप हैं जिन पर कोई आपरेटर नहीं है ? और अब कब तक इन नलकूपों पर आपरेटर नियुक्त कर दिये जायेंगे ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

इलाहाबाद के नलकूप विभाग के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

5—श्री अठई राम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में कितने ऐसे कर्मचारी नलकूप विभाग में अर्सा पांच वर्ष से कार्यरत हैं जिनको रगुलर (स्थायी) नहीं किया गया ? क्या यह सही है कि पुराने आदमियों को स्थायी न करके नए व्यक्तियों को स्थायी कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

इलाहाबाद जनपद में नलकूप विभाग के अन्तर्गत 1-10-76 को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 389 कर्मचारी पांच वर्ष से कार्यरत हैं जो अपने वर्तमान पद पर स्थायी नहीं हैं। दो वरिष्ठ कर्मचारियों की चरित्र पंजियां उपलब्ध न होने के कारण उनके स्थायीकरण पर अभी तक विचार नहीं किया जा सका। चरित्र पंजियां उपलब्ध होने पर उनके मामलों में भी शीघ्र विचार किया जायगा।

6—श्री ऊदल—

[1ले मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बांदा जिले की कन्या प्राइमरी पाठशालाओं के भवन एवं अध्यापिका विहीन पाठशालाएं

7—श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद में कितनी प्रा0 कन्या पाठशालायें हैं, जो कार्यरत हैं, उनकी संख्या क्या है ? उक्त पाठशालाओं में कितनों के पास भवन शासन के हैं, कितने विद्यालय किराये पर व कितने विद्यालय मंगनी इमारतों पर चल रहे हैं और क्या कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जो अध्यापिकाओं की अनुपस्थिति से जुलाई, 76 से ही बन्द पड़े हैं तथा अध्यापिकाओं को वेतन बराबर दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अम्मार रिजवी—

बांदा जनपद में कुल 243 कन्या प्राइमरी पाठशालायें हैं जिनमें से 227 पाठशालायें कार्यरत हैं। उक्त पाठशालाओं में से 166 विद्यालय शासकीय भवन में हैं, 5 किराये के भवन में तथा 56 मंगनी के भवन में चल रहे हैं। यह सही है कि कुछ विद्यालय उनमें नियुक्त अध्यापिकाओं के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण बन्द हैं किन्तु अध्यापिकाओं को वेतन नहीं दिया जा रहा है।

बहराइच-बाराबंकी के बीच घाघरा घाट में घाघरा नदी पर पुल निर्माण की मांग

8—श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच बाराबंकी के बीच घाघरा घाट के पास घाघरा नदी पर यातायात की सुविधा को ध्यान में रखते हुये अस्थाई पीपों के पुल के स्थान पर पक्के स्थायी पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई सर्वे कराया है ? अनुमानित कितनी लागत आयेगी ? सर्वे कराने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी ? पुल का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं।

भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय, नैनीताल को स्वीकृत अनुदान

9—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय, नैनीताल को सरकार द्वारा अनुदान तथा आर्थिक सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। यह संस्था एक सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है और शासन द्वारा उसे उतना अनुदान दिया जाता है जितना वेतन वितरण अधिनियम के प्राविधानों के अधीन उसके अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन वितरण हेतु आवश्यक होता है।

जिला पूर्ति कार्यालय, बहराइच के विरुद्ध गल्ला व शकर के कोटा आवंटन सम्बन्धी शिकायती-पत्र

10—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1976 में वजीरबाग, शहर बहराइच के अनेकों हरिजनों ने सरकारी सस्ता गल्ला व शकर के कोटा आवंटन में जिला पूर्ति अधिकारी, बहराइच के कार्यालय में घपला किये जाने के संबंध में कई शिकायती पत्र फरवरी, 1976 से 1 दिसम्बर, 1976 के बीच प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

11—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

देवरिया जिले की पडरौना-मंसा छापर सड़क को पक्का किए जाने की मांग

12—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जनपद में गंडक नहर समादेश योजना के अन्तर्गत विशुनपुरा विकास खंड के कार्यालय (मंसा छापर बाजार स्थित) तक जाने-वाली इस विकास खंड की प्रमुखतम-पडरौना मंसा छापर सड़क को गंडक कमान्ड एरिया के अन्तर्गत पक्का बनाने की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो इस मार्ग को पक्का बनने की कब तक आशा है ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री पुरुषोतम कौशिक—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

इंडस्ट्रियल इण्टर कालेज, लखनऊ के कर्मचारियों के मेडिकल अवकाश का वेतन

14—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1975-76 में इंडस्ट्रियल इंटर कालेज लखनऊ के किन-किन कर्मचारियों की स्वीकृत मेडिकल अवकाश का वेतन अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और अवशेष वेतन का कब तक भुगतान करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जिन कर्मचारियों को प्रबन्धाधिकरण द्वारा मेडिकल अवकाश स्वीकृत किया गया उनके वेतन का भुगतान किया जा चुका है अतः दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

उप सचिव, शिक्षा विभाग की राजाज्ञा

15—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतावेंगे कि उ0 प्र0 शिक्षा विभाग के उप सचिव के पत्रांक शिक्षा(1) अनुभाग संख्या 6052(1)/15(1)-3(20)-76, दिनांक 19 अगस्त, 76 के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन आदेशों की अवज्ञा की गयी है ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री अम्मार रिजवी—

राजाज्ञा दिनांक 19 अगस्त, 1976 में कोई आदेश नहीं दिया गया था । इस मामले में अवज्ञा का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि निजी संस्थान में नियुक्ति शासन के आदेश से नहीं की जाती । प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश मंडल के राजकीय इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों की पेंशन व ग्रेच्युटी

16—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतावेंगे कि वर्ष 75–76 में उत्तराखंड मंडल के राजकीय इन्टर कालेजों के कितने अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्यों के पेंशन व ग्रेच्युटी के मामले विचाराधीन हैं? क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस सम्बन्ध में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ के पांच प्रधानाचार्यों के मामले विचाराधीन हैं, जिनमें से चार महालेखाकार को भेजे जा चुके हैं और केवल पिथौरागढ़ का एक प्रकरण महालेखाकार को भेजा जाना शेष है । अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जा रहा है । प्रश्न नहीं उठता है ।

नलकूप निगम द्वारा राज्य में नलकूप लगाने का लक्ष्य

17—श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1975–76 में नलकूप निगम ने कितने नलकूप राज्य में लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था तथा चालू वित्तीय वर्ष में कितने नलकूप लगाये जायेंगे ? जिलेवार कहां–कहां नलकूप लगेंगे तथा इससे कितनी सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी ?

श्री लोकपति—

वर्ष 1975–76 में नलकूप निगम द्वारा राज्य में नलकूप लगाने का कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया था । वर्ष 1976–77 में 36 नलकूप लगाए जायेंगे जिनमें से आगरा और मथुरा प्रत्येक जिले में 18–18 नलकूप होंगे । इनसे लगभग 10,800 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी ।

प्रदेश के बेकार एच०टी०सी०, बी०टी०सी०, जे०टी०सी० अध्यापक

18—श्री अनवार जमील—

क्या यह सच है कि प्रदेश में इस समय 60,000 (साठ हजार) एच0 टी0सी0, बी0 टी0 सी0 व जे0 टी0 सी0 ट्रेन्ड अध्यापक बेकार हैं ? यदि हां, तो इनको नौकरी दिलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

अनुमानतः ऐसे अध्यापकों की संख्या 40,000 है। मितव्ययिता के दृष्टिकोण से बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों में नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है। फिर भी आगामी शैक्षिक सत्र में इन विद्यालयों में लगभग 10,000 अध्यापकों की नियुक्तियों के किये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले गये विद्यालयों के लिये स्वीकृत पदों पर तथा शासकीय जूनियर हाई स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भी इन अध्यापकों की नियुक्तियां जारी रहेंगी।

प्रदेश में उर्दू अध्यापकों के रिक्त पद

19—श्री अनवार जमील—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने उर्दू अध्यापकों के स्थान वर्तमान समय में रिक्त हैं तथा सरकार द्वारा कितने उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

6 स्थान रिक्त हैं जिन्हें प्रशिक्षित उर्दू अध्यापक मिलते ही भर दिया जायेगा।

सिंचाई विभाग में जूनियर इन्जीनियरों के रिक्त पद

20—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में लगभग 500 जूनियर इन्जीनियरों के स्थान काफी समय से रिक्त हैं और तमाम जूनियर इन्जीनियर डिप्लोमा लिये हुये उसी विभाग में अपरेन्टिस या वर्क चार्ज में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो इन स्थानों की बाकायदा पूर्ति न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री लोकपति—

प्रशासनिक व्यय में अधिकाधिक मितव्ययिता लाने के शासन के आदेशों के अनुपालन में प्रश्नगत जूनियर इंजीनियर के रिक्त पदों को नहीं भरा गया था। किन्तु अक्टूबर, 1976 में शासन ने जूनियर-इन्जीनियर के समस्त रिक्त पदों को भरने के आदेश मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को दिये जिसके अनुपालन में उन्होंने इन पदों को नई नियुक्तियों द्वारा भरने की कार्यवाही कर दी है।

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977†

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 3-9-(2)/76(175), दिनांक 19 फरवरी, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तरप्रदेश साहूकारी विनियमन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड) नियमावली, 1977†

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत् अनुभाग-3 की अधिसूचना सं0 468/पी0-3-77-23, दिनांक 24 फरवरी, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दंड) नियमावली, 1977 को, उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गई।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 1976†

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कार्मिक अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0 12/1-1974–कार्मिक 1, दिनांक 3 नवम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 1976 को, 'संविधान' के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1976††

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कार्मिक अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0 24/16–1976–कार्मिक 1, दिनांक 15 नवम्बर, 1976, द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1976 को, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 7 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (ऋण लेने की) नियमावली, 1972 तथा उसका शुद्धि-पत्र†

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवास अनुभाग–2 की अधिसूचना सं0 1404/37–2–28 (एच0 बी0)–65, दिनांक 11 मार्च, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (ऋण लेने की) नियमावली, 1972 में जारी किये गये शुद्धि पत्र सं0 1678(1) 37–2–28 (एच0 बी0)–65, दिनांक 4 अक्तूबर, 1972 को, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 94 की उप धारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (सातवां संशोधन) नियमावली, 1976††

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 5314/1–1–(101)/75–यू0 पी0 ए0–1/15 नियम–52 ए0 एम0 (7)–76, दिनांक 19–1–77 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था (सातवां संशोधन)नियमावली, 1976 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 344 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (आठवां संशोधन) नियमावली, 1977††

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 213/1–12(33) 76–यू0 पी0 ए0–1/51–नियम 52 ए0 एम0 (8)–77, दिनांक 9 मार्च, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (आठवां संशोधन) नियमावली, 1977 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 344 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया ।
††छापी नहीं गई ।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976†

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्रम अनुभाग (3) की अधिसूचना संख्या 4257 (वि)–36–3–728 (एस)–76, दिनांक 3 नवम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग—2 की विज्ञप्ति †

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त (बिक्री–कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0–2–4831/दस–9(117)–75–उ0 प्र0 अधि0–15/40–आदेश–77, दिनांक 11 मार्च, 1977 को, उत्तर प्रदेश बिक्री–कर अधिनियम, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1977†

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 8478–टी/तीस–4–9–पी–76, दिनांक 17 जनवरी, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री–कर) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1977 को, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री–कर) अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1976–77 का अनुपूरक) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत मैं सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1976–77 का अनुपूरक) विधेयक, 1977, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 मार्च, 1977 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 26 मार्च, 1977 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत मैं सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 मार्च, 1977 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 26 मार्च, 1977 को वापस प्राप्त हो गया है।

---

†छापी नहीं गई।

कतिपय सदस्यों द्वारा सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे एक सूचना देनी है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 279(2) के अनुसार सदन को निम्न सूचना देनी है—

"मैंने संविधान के अनुच्छेद 190 के खंड (3) के उपखंड (ख) के अन्तर्गत सदन की सदस्यता से श्री राममूर्ति का त्यागपत्र 25 मार्च, 1977 से, श्री राम लाल राही तथा श्री मुल्तान सिंह के त्याग-पत्र 26 मार्च, 1977 से, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा का त्यागपत्र 27 मार्च, 1977 से, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री रामप्रकाश त्रिपाठी तथा श्रीमती शान्ति देवी के त्याग-पत्र 28 मार्च, 1977 से और श्री शिव सम्पत्ति राम का त्याग पत्र 30 मार्च, 1977 से स्वीकार किये हैं।"

लोकतांत्रिक कांग्रेस दल के पदाधिकारियों तथा दल को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

लोकतांत्रिक कांग्रेस, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री नारायण सिंह ने अपने दिनांक 25-3-77 के पत्र द्वारा उक्त दिनांक को विधान सभा के लोकतांत्रिक कांग्रेस दल की बैठक में सर्व सम्मति से किये गये प्रस्ताव की प्रतिलिपि संलग्न करते हुये यह प्रार्थना की है कि उक्त दल को मान्यता प्रदान की जाये। उक्त पत्र के अनुसार लोकतांत्रिक कांग्रेस विधायक दल के पदाधिकारी निम्नलिखित हैं:—

1—श्री राजमंगल पांडेय—नेता।

2—श्री दीपनारायण पांडेय—मुख्य सचेतक।

3—श्री राम औतार सिंह मदौरिया—महा मंत्री।

मैं लोक तांत्रिक कांग्रेस दल को विधान सभा में एक मान्यता प्राप्त दल के रूप में स्वीकार करता हूं।

कतिपय सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन एवं कार्यवाहक नेता विरोधी दल के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को यह सूचित करना है कि विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों ने निम्न प्रकार से अपने दल परिवर्तन की सूचनाएं दी हैं :—

सदस्य का नाम	जिला	दल जिसे छोड़ा	दल, जिसमें सम्मिलित हुये
1—श्री अबुल फैज शाह	गाजीपुर	कांग्रेस (शासन)	लोक तांत्रिक कांग्रेस
2—श्री आगा जैदी	जौनपुर	,,	,,
3—श्री आबिद अली	सीतापुर	,,	,,
4—श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव	जौनपुर	,,	,,
5—श्री कन्हैया लाल सोनकर	इलाहाबाद	,,	,,
6—श्री क्रांति कुमार	बिजनौर	,,	,,
7—श्री खयाली राम शास्त्री	मुरादाबाद	,,	,,
8—श्री गोरे लाल शाक्य	इटावा	,,	,,
9—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला	टेहरी गढ़वाल	,,	,,

1	2	3	4
10—श्री गोविन्द सिंह मेहरा	अल्मोड़ा	कांग्रेस (शासन)	लोकतांत्रिक कांग्रेस
11—श्री गौरी शंकर	इटावा	,,	,,
12—श्री जंग बहादुर	अतरौलिया (आजमगढ़)	,,	,,
13—श्री जगदीश मिश्र	आजमगढ़	,,	,,
14—श्री जागेश्वर	फतेहपुर	,,	,,
15—श्री दीप नारायण पांडेय	गोंडा	,,	,,
16—श्री देवी सिंह	मुरादाबाद	,,	,,
17—श्री धर्मचन्द्र मिश्र	फैजाबाद	,,	,,
18—श्री नारायण सिंह	मुजफ्फरनगर	,,	,,
19—श्री प्यारे लाल	अलीगढ़	,,	,,
20—श्री प्रकाश नारायण गुप्ता	आगरा	,,	,,
21—श्री बृजपाल सिंह यादव	बदायूं	,,	,,
22—श्री भगवती चरण निर्मोही	पौड़ीगढ़वाल	,,	,,
23—श्री भारत सिंह	पौड़ीगढ़वाल	,,	,,
24—श्री माता प्रसाद	जौनपुर	,,	,,
25—हाजी मोहम्मद हयात	मुरादाबाद	,,	,,
26—श्री मोहम्मद महमूद अली खां	सहारनपुर	,,	,,
27—श्री रफी उल्लाह	बलिया	,,	,,
28—श्री राजमंगल पांडेय	देवरिया	,,	,,
29—श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया	आगरा	,,	,,
30—श्री राम औतार सिंह भदौरिया	कानपुर	,,	,,
31—श्री रामजीलाल सहायक	मेरठ	,,	,,
32—श्रीमती रामरती देवी	फैजाबाद	,,	,,
33—श्री रामस्वरूप भारतीय	प्रतापगढ़	,,	,,
34—श्री रेवती शरण मौर्य	मेरठ	,,	,,
35—श्री शिव चरण लाल	आगरा	,,	,,
36—श्री शिवानन्द नौटियाल	पौड़ी गढ़वाल	,,	,,
37—श्री श्याम मिश्रा	कानपुर	,,	,,

37 माननीय सदस्यों ने जिनका नाम अभी मैंने आपको सुनाया उन्होंने कांग्रेस शासन से लोकतांत्रिक कांग्रेस में प्रवेश किया। माननीय त्रिवेणी सहाय, गोंडा ये निर्दलीय से लोकतांत्रिक कांग्रेस में, माननीय रघुनाथ सिंह, ललितपुर, निर्दलीय से लोकतांत्रिक कांग्रेस में, माननीय हरीश कुमार गंगवार, बरेली, निर्दलीय से लोकतांत्रिक कांग्रेस में, माननीय सत्यपाल मलिक, मेरठ, निर्दलीय से कांग्रेस शासन में, माननीय आशाराम यादव, मिर्जापुर, निर्दलीय से जनता पार्टी में प्रवेश किया। इस तरह से 40 तो लोकतांत्रिक कांग्रेस में, एक कांग्रेस शासन में और एक जनता पार्टी के सदस्य हुए।

माननीय सत्य प्रकाश मालवीय, कार्यवाहक नेता विरोधी दल के रूप में कार्य करेंगे।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष जी, जो आपने अभी पढ़ कर सुनाया है क्या ये लोग एकमत होकर आपको बताया या इन लोगों ने अपनी-अपनी अलग-अलग दरख्वास्तें आपको दीं ?

श्री अध्यक्ष--

अलग-अलग दरख्वास्तें और एक आदमी नहीं, एक समूह में ये लोग मेरे कार्यालय आये ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, क्या यह आवश्यक नहीं है कि हाउस के फ्लोर पर माननीय सदस्य इस बात की घोषणा करें कि मैं शासक दल से इस दल में जाता हूं । अध्यक्ष महोदय, संसदीय प्रणाली यह है कि माननीय सदस्य को सदन में घोषणा करनी चाहिए क्योंकि वह कांग्रेस शासक दल से चुनकर आये हैं । वह इस दल को बदलते हैं तो उनको बाकायदा यहां घोषणा करनी चाहिए । क्या बगैर घोषणा किए हुए आप उनको मान्यता देते हैं ?

(शोरगुल--व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संख्या मुझे नहीं मालूम है, पहले लगभग 9 सदस्यों ने या कुछ सदस्यों के नाम मैंने सुनाया था, जो दूसरे दलों से कांग्रेस में सम्मिलित हुए उस समय आपने कुछ नहीं उठाया कि यह नहीं कहना चाहिए ।

(व्यवधान--शोरगुल)

(कई सदस्यों द्वारा--मिश्रा जी आप घोषणा करके चले आओ ।)

श्री अध्यक्ष--

आज तक जो प्रक्रिया है, वह यह है कि कोई माननीय सदस्य अपना नाम, अगर कहीं से त्यागपत्र देकर दूसरी जगह वह प्रवेश का इच्छुक होकर, देता है, तो परम्परा तो यह है कि जिस दल को छोड़े उस दल के नेता को सूचना और जिस दल में शरीक हो, उस दल की स्वीकृति से उसे त्याग-पत्र देना चाहिए । मैं तीन दिन तक प्रतीक्षा करता हूं और तीन दिन तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त मैं उसके त्याग-पत्र की घोषणा करता हूं । यही एक ढंग है । और अगर कोई बेहतर ढंग माननीय काशीनाथ जी मिश्र या और कोई मुझको बतायेंगे, तो मैं उस ढंग पर विचार करूंगा ।

सर्वश्री अन्नपूर्णा आयल ऐंड जनरल मिल, अलीगढ़ के सेवायोजकों द्वारा तालाबन्दी करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त)--

अध्यक्ष महोदय, श्री भीखालाल जी ने सर्वश्री अन्नपूर्णा आयल ऐंड जनरल मिल, अलीगढ़ के सेवायोजकों द्वारा मिल की ताला-बन्दी के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया । इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है --

2--सर्वश्री अन्नपूर्णा आयल ऐंड जनरल मिल, अलीगढ़ एक साझेदारी फर्म थी इस फर्म के दो भागीदार बताए जाते हैं सर्वश्री ओम प्रकाश अग्रवाल व जगदीश प्रसाद वार्ष्णेय । जिस इमारत में आयल मिल स्थित है, वह और मशीनें इत्यादि इस फर्म ने सर्वश्री टीकाराम ऐंड सन्स, अलीगढ़ से वर्ष 1969 में पांच वर्ष के लिए पट्टे पर ली थी । पट्टे की अवधि 12-2-1974 को समाप्त हुई, किन्तु यह दिसम्बर, 1975 तक बढ़ा दी गई । आपसी निहित समझौते के अनुसार सर्वश्री अन्नपूर्णा आयल ऐंड जनरल मिल के प्रबन्धक इसे जून 30, 1976 तक चलाते रहे । सेवायोजकों का यह कथन था कि मिल की इमारत और मशीनरी पर 30-6-1976 के अपराह्न से सर्वश्री टीकाराम ऐंड सन्स, अलीगढ़ ने कब्जा वापस ले लिया व पट्टा समाप्त कर दिया इसलिए वे मिल को आगे नहीं चला सकते थे । सर्वश्री अन्नपूर्णा आयल ऐंड जनरल मिल, अलीगढ़ के भागीदारों ने यह दलील ली कि

[श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त]

सर्वश्री टीकाराम ऐंड सन्स के साथ उनका यह करार था कि पट्टे की समाप्ति होगी उसके बाद टीकाराम ऐंड सन्स ही श्रमिकों के साथ आगे मिल को चलावेंगे। सर्वश्री टीकाराम ऐंड सन्स का यह कथन है कि चूंकि उनको इमारत और मशीन पर कब्जा मिला ही नहीं है अतः वे श्रमिकों के देयों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। श्रमिकों का यह कथन है कि चूंकि उनकी सेवाएं समाप्त करने अथवा प्रतिष्ठान की बन्दी का कोई कानूनन आदेश नहीं प्राप्त हुआ है अतः वे प्रतिष्ठान में अपने को नियोजित ही मानते हैं। श्रमिकों की संख्या 64 है।

3—भिन्न-भिन्न उद्योगों के सेवायोजकों और श्रमिकों के विवादों को यथासम्भव समझौते से निपटारा करने के लिए सेवायोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की विशेष उद्योग से सम्बन्धित द्विदलीय समितियां स्थापित हैं जिनका उद्देश्य यह है कि पंचायती तौर पर आपसी समझौते से विवादों के निस्तारित करने का प्रयास करें। इस इकाई से सम्बन्धित विवाद 'वनस्पति तथा तेल उद्योग की द्विदलीय समिति' के समक्ष मेरठ में 25-8-76 तथा 8-9-1976 को प्रस्तुत हुआ। समिति ने इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुति शासन को अग्रसारित की। द्विदलीय समितियां सेवायोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों का शीर्षस्थ समिति अर्थात् स्टेट अपेक्स बाडी की समिति के रूप में कार्य करती है। अतः द्विदलीय समिति की संस्तुति स्टेट अपैक्स बाडी की 10-10-1976 की बैठक में विचारार्थ आई। संक्षेप में द्विदलीय समिति ने यह राय व्यक्त की कि श्रमिकों की देय धनराशि के भुगतान का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से मेसर्स अन्नपूर्णा आयल एन्ड जनरल मिल, अलीगढ़ के प्रबन्धकों का है। इस निष्कर्ष की पुष्टि स्टेट अपैक्स बाडी द्वारा भी की गई। किन्तु इस निष्कर्ष के विरुद्ध सर्वश्री अन्नपूर्णा आयल ऐंड जनरल मिल के प्रबन्धकों ने एक प्रत्यावेदन दिया था जिसमें उन्होंने उपरोक्त तर्कों को दुहराया।

4—स्टेट अपैक्स बाडी या उसके द्वारा गठित द्विदलीय समितियों के निर्णयों का कोई कानूनी आधार नहीं है। वे सेवायोजकों और श्रमिकों के बीच समझौते से कार्यवाही कराने के आधार पर कार्य करती हैं। चूंकि इस मामले में श्रमिकों के पावने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी, अतः नियमानुसार यह पावने दिलाने के लिए श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही और प्रयास किया जा रहा है। 30-10-1976 को श्रमिकों द्वारा जून और जुलाई, 1976 के वेतन के लिए मजदूरी संदाय अधिनियम के अन्तर्गत दो विवाद अलीगढ़ के अतिरिक्त (नगर) मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिनकी सुनवाई चल रही है।

5—दिनांक 28-11-1976 को उभयपक्षों में हुए एक समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि अब कथित मिल के मेसर्स टीकाराम ऐंड सन्स (प्रा0) लिमिटेड चलायेंगे। दिनांक 1-12-1976 को जिलाधिकारी तथा क्षेत्रीय श्रम विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में मिल की इमारत तथा मशीनरी का चार्ज मेसर्स टीका राम ऐंड सन्स (प्रा0) लिमिटेड, अलीगढ़ को स्थानान्तरित कर दिया गया।

6—उभयपक्षों में यह प्रश्न विवादग्रस्त रहा कि जून, 1976 से दिसम्बर, 1976 तक कथित मिल पर किसका कब्जा रहा और श्रमिकों को देय भुगतान का उत्तरदायित्व किस पर होगा। विचार करने के पश्चात् शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस विवादग्रस्त विषय को किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण को अभिनिर्णय हेतु अभिदिष्ट कर दिया जाय। तदनुसार दिनांक 19-3-1977 को श्रमायुक्त को यह आदेश दिए गए हैं कि विवादग्रस्त विषय को अभिनिर्णय हेतु भेज दिया जाय और सर्वश्री अन्नपूर्णाजी आयल ऐंड जनरल मिल, अलीगढ़ तथा मेसर्स टीकाराम ऐंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड दोनों को ही पक्ष (पार्टी) बना लिया जाय।

7—इस मिल की बिजली भुगतान न होने के कारण 1-7-76 से कट गई थी। टीका राम ऐंड सन्स को बिजली का नया कनेक्शन मिलने पर 26-3-77 से कारखाना चालू हो गया।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मन्त्री जी ने इस वक्तव्य में स्वीकार किया है कि 30 जून सन् 76 के पश्चात् यह मिल बन्द रही है और 64 इम्पलाइज बेकार हुए। अब माननीय मन्त्री जी ने घोषित किया है कि यह औद्योगिक न्यायाधिकरण को निर्णय के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह मिल आपत्कालीन स्थिति के दौरान बन्द हो गयी तो इन मिल मालिकों के विरुद्ध डी0आई0आर0 या मीसा की कार्यवाही हो सकती थी? मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कार्यवाही इन मिल मालिकों के विरुद्ध क्यों नहीं की गयी? 64 श्रमिकों की रोजी रोटी को रोक करके ऐसा किया जाना किस तरह से उचित है?

श्रम मन्त्री (डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)—

माननीय अध्यक्ष जी, जब सरकार की नोटिस में यह बात आयी और श्रमिकों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हुआ तो उसके बाद दोनों पक्षों को, जिनके बीच में विवाद था उनको बुलाया गया, कई मीटिंग्स हुयीं। इसमें सर्वश्री टीकाराम यह बराबर कहते रहे कि हम मिल चलाने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अन्नपूर्णा मिल वालों का कहना था कि हमने उनको दे दिया है। तो इसमें बार-बार मीटिंग्स होती रहती थीं। अन्त में जब हमने पूरी तरह से धमकी दी कि हम मीसा में बन्द कर देंगे आप लोग फैसला करिए। हमने यह भी कहा कि जब तक आप फैसला नहीं करेंगे आप कमरे से बाहर नहीं जा सकते। तो बहुत कड़ाई करने पर मिल मालिकों ने एक फैसला कर लिया तो फिर आगे और कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ी। बात यह सही है कि जो लेबर है उनको मालिकों के आपसी झगड़े के कारण तकलीफ उठानी पड़ी। यह जो बीच का गैप है, उसका कौन वेतन दे? यह झगड़े का विषय बना हुआ है। हमने कहा कि इसके लिए जल्दी निर्णय कर दीजिए। बिजली आदि के जो मामले थे उनको हल कराया गया। वेतन के मामले को औद्योगिक न्यायाधिकरण को दिया गया जिससे यह तय हो जायगा कि वह बरडन किसके ऊपर पड़ेगा। तो श्रमिकों के इंटरेस्ट को बराबर ध्यान में रखकर सरकार इसमें पड़ी।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मन्त्री जी को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिनियम जो है उसमें स्पष्टतः दिया है कि जो इंडस्ट्री का ओनर है, इंडस्ट्री इंक्विजस्ट करती है और ओनरशिप का झगड़ा है तो वेजेज के सम्बन्ध में श्रमविभाग निर्णय दे ताकि कोई कठिनाई न हो। अब आप कहते हैं कि मिल चालू कर दी गयी है। तो क्या दिक्कत है कि जून, 76 से मार्च, 77 तक, जब चालू हुई है, तो वेजेज को देने में कौन सी कठिनाई है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कठिनाई यह है कि मेसर्स टीकाराम, मिल चला रहे हैं उनका कहना है कि मेसर्स अन्नपूर्णा को देना चाहिए। दोनों में विवाद है। जो यह बीच का गैप है उसका वेतन कौन दे यह विवाद का विषय है। इस चीज को तय करने के सम्बन्ध में कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस चीज को दोनों आपस में नहीं तय कर सकते हैं तो थर्ड पार्टी तय करेगी और निर्णय के बाद वेजेज को दिला दिया जायगा।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह मिल 26-3-77 से चालू हुआ है और इसके पहले 1-7-76 से बिजली कट गयी थी इसलिए मिल बन्द हो गयी थी। पिछले साल मैंने आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कि कारखाना बन्द है तो उस समय जिसकी मिल्कियत में यह कारखाना रहा काम के दौरान उन्होंने वतन का

[श्री देव कुमार यादव]

भुगतान नहीं किया था। लेकिन अब उसको औद्योगिक न्यायाधिकरण को जिम्मेदार बना दिया गया है। अब पता नहीं उन श्रमिकों को कब तक बेरोजगार रखा जायगा। इस लिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी कृपा करके जिस भी मालिक का काम कराने का दायित्व रहा हो उससे श्रमिकों के मजदूरी का पेमेन्ट कराने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, जहां तक श्रमिकों के बेरोजगार होने का सवाल है तो वह मिल के चालू हो जाने से हल हो गया है। दूसरे पेमेन्ट का दायित्व किसके ऊपर होना चाहिए उसका निर्णय करने के लिए यह मामला न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है और फैसला होने के बाद उनको भुगतान दिलाया जायगा।

श्री देव कुमार यादव—

श्रीमन्, 64 श्रमिक पहले थे तो मिल के चालू होने के बाद उनको रखा जायगा या निकाल दिया जायेगा ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। इसलिए इसको मैं मालूम करूंगी।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के 5 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, 1973), जैसाकि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974) द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (xv) के अनुसार विधान सभा के 5 सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, 1973), जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974) द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के 5 सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

इस सम्बन्ध में यह सूचना दी गयी है कि जैसा कि और समितियों का निर्वाचन घोषित है, उसी प्रकार और उसी रीति से यह भी चुनाव करा लिया जायगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

पहली सूचना श्री श्रीनारायण द्वारा देवरिया जिले के थाना नेबुआ नौरंगिया के नायब दरोगा तथा पहलवान कांस्टेबुल के विरुद्ध शिकायत की है। तो इस पर आपको मौका मिलेगा।

दूसरी सूचना श्री पुरुषोत्तम कौशिक और श्री कृपाशंकर आर्य की प्रदेश में जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य में असाधारण वृद्धि से उत्पन्न संकट पर है। इस प्रश्न पर भी बोलने का मौका राज्यपाल के अभिभाषण में आ सकता है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, इस समय करोड़ों उपभोक्ताओं के सामने असाधारण समस्या उत्पन्न हो गयी है। यह कोई साधारण बात नहीं है। तिलहन और रबी की फसल की आवक इस समय है लेकिन तेलों में तेजी है। दूसरी तरफ भारतीय खाद्य निगम में लाखों टन गेहूं सड़ रहा है और बाजार में 180 रुपए क्विंटल गेहूं बिक रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि यह एक असाधारण स्थिति है जो कि सुरसा के मुंह तरह बढ़ती जा रही है। कनाडा से तेल आयात करने के बावजूद तथा नई फसल के बावजूद भी तेलों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। जीवनोपयोगी वस्तुएं नहीं मिल रही हैं और जनता पार्टी पीटी जा रही है तथा शासन चुपचाप बैठा हुआ है। मेरी प्रार्थना है कार्य स्थगन प्रस्ताव आप स्वीकार करें।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष जी, देवरिया जिले के थानेदार वहां बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। वह बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। वहां पर गुन्डों ने आतंक मचा रखा है....

श्री अध्यक्ष—

गवर्नर के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो चर्चा आपको सुलभ और उपलब्ध करा दी गयी है, इसे आप उसमें कह सकते हैं।

श्री अठई राम—

चुनाव के सिलसिले में वहां कुछ गुंडे और डाकू पकड़े गए थे। तमाम हथियार पकड़े गए लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया जिससे जनता में बड़ा असन्तोष है। बहुत से जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया है। मैं चाहूंगा कि इस पर वक्तव्य जरूर हो और इसे मंजूर किया जाय। घोर अन्याय हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

यह स्थानीय सवाल है, कार्य-स्थगन का नहीं है और गवर्नर के अभिभाषण में चर्चा के समय आपको मौका मिल सकता है।

श्री अठई राम—

आपका जिला है। प्रस्ताव नहीं मान रहे हैं लिहाजा सदन का त्याग करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव कोई नहीं है। गवर्नर के अभिभाषण के सम्बन्ध में चर्चा के समय जो बात आप कहना चाहते हैं, प्रतापगढ़ के बारे में, गुन्डों के बारे में, उसको कहते क्यों नहीं बाहर जाने से क्या फायदा ?

श्री अठई राम—

जब तक सदन में रिपोर्ट नहीं आ जाती कि गुंडों को क्यों छोड़ा गया, कार्यवाही क्यों नहीं की गयी, हम उस पर क्या बोलें ?

श्री अध्यक्ष—

सदन में आप प्रश्न करेंगे। स्थानीय महत्व का सवाल है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो बिजली की कटौती हो रही है यह केवल आजमगढ़ का ही सवाल नहीं है सम्पूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्दर इस समय बिजली चौबीस घंटों में केवल एक-दो घंटे आ रही है। सारी गन्ने की बोआई बन्द है। खलिहान पड़ा हुआ है। मान्यवर,

[श्री राम अधार]

मुझे तो यह कहते हुए दुख हो रहा है कि जब से दिल्ली में जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार बनी है तब से विद्युत् में कटौती और हो रही है। मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और विद्युत् परिषद् आज पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को कम बिजली देकर केन्द्रीय सरकार को बदनाम करना चाहती है। माननीय विद्युत् मन्त्री जी यहां पर मौजूद हैं और माननीय मुख्य मन्त्री जी भी मौजूद हैं। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार बतावे कि क्या कारण है कि आपने पिछले दो महीने में सम्पूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश में चौबीस घंटों में केवल एक-दो घंटे बिजली दी ?

श्री अध्यक्ष—

आप तो भाषण कर रहे हैं। आप ने जो लिख कर दिया है उससे यह भिन्न है।

श्री राम अधार—

मान्यवर, मैं इस पर वक्तव्य चाहता हूं सरकार की ओर से कि आखिर इस बिजली की कटौती का क्या कारण है ? माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर विद्युत् मन्त्री जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वह स्पष्ट करें कि कटौती कब से बन्द होगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप प्रश्न कर देते और उनसे पूछ लेते।

श्री राम अधार—

लेकिन विद्युत् मन्त्री जी हैं. . . . .

श्री अध्यक्ष—

वह जवाब दे सकती हैं, लेकिन कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं होगा।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, जैसा अभी आपने कहा कि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा है और उसके विषय में माननीय नेता विरोधी दल बोलेंगे उसमें बिजली पर भी चर्चा हो सकती है और अन्य विषयों पर भी चर्चा हो सकती है तो उसका हम भी उत्तर देंगे। जैसी कि विधान सभा की परम्परा और परिपाटी है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दिन कटौती का प्रस्ताव या संशोधन का प्रस्ताव रखने का अवसर है और इन सारे विषयों पर आप बोल सकते है और उनका उत्तर भी दिया जा सकता है।

श्री राम अधार—

बिजली कटौती का एक सवाल हम अलग से चाहते हैं कि बिजली कटौती कब से बन्द होगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह जो चौथी और पांचवी सूचना है इसलिए मैं अस्वीकार करता हूं कि यहीं संशोधन आए हैं, आज राज्यपाल का अभिभाषण है उस सम्बन्ध में, इसलिए यह अग्राह्य है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, पिछले दिन जब अविश्वास के प्रस्ताव पर इस सदन में चर्चा हुई थी तो मुख्य मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव या संशोधनों पर जब मतदान होगा और यदि उनकी सरकार अल्पमत में हो जायगी तो उस सूरत में वह त्याग-पत्र दे देंगे तो यह भ्रम है कि यह अभिभाषण पर जो

धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है और उससे सम्बद्ध जो संशोधन प्रस्तुत किए जायेंगे तो उनको किसी भी प्रकार से मान्यवर, अविश्वास के प्रस्ताव से सम्बद्ध न समझा जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह जो संशोधन हैं, वह संशोधन भी यही हैं कि वर्तमान सरकार में आपका पूर्ण विश्वास नहीं है तो यह आप न भी कहें तो यदि आपके संशोधन जीत जायेंगे, तो यह संशोधन ही अविश्वास का काम पूरा करते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

वह मान्यवर, गलत है किसी भी सरकार पर अविश्वास प्रकट करने के लिए विधान सभा नियमावली में नियम है। परन्तु मान्यवर, इस समय कोई अविश्वास का प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारणीय नहीं है तो यही स्पष्टीकरण हम चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

हमारे पास इस वक्त कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है। जब आएगा तो देखेंगे।

श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

प्रश्न केवल इतना ही हैं कि अविश्वास का प्रस्ताव आपकी अनुमति से वापस ले लिया गया है और इसके बावजूद भी हम लोगों को भ्रम है तो हम यह निवेदन करते हैं कि अविश्वास के प्रस्ताव को गवर्नर के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, उससे सम्बद्ध न किया जाय। बस केवल इतना ही चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

हो गया, मालूम पड़ता है कि अब आपका भ्रम दूर हो गया।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

हमें भी कोई भ्रम नहीं है कि आपका अविश्वास हमारे ऊपर है।

एक सदस्य—

इसी भ्रम में तो सरकार चला रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हमें ऐसा भ्रम करने का कोई कारण नहीं है।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

आपका अविश्वास सदन के इधर से इतना नहीं है जितना कि उधर (शासन पक्ष) से।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हमें आप पर भी पूरा विश्वास है।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को दिनांक 25 मार्च, 1977 को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करता है।

मान्यवर, जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है, 1952 से लेकर आज तक इतने तत्वों से भरा हुआ छोटा और जिसमें बहुत सी बातें बड़ी खूबसूरती के साथ संक्षिप्त रूप में कही गयी हैं, इस प्रकार का प्रस्ताव मान्यवर, इससे पहले नहीं आया है। चुनावों के बाद यह बात सही है जैसा कि महामान्य राज्यपाल जी ने निवेदन किया है कि इस वक्त सरकार को इतना मौका नहीं मिलने पाया क्योंकि नीतियों के द्वारा या चुनावों के बाद किसी तरीके से समय की कमी के कारण पूरे तरीके से जहां तक इसकी व्यापकता का सम्बन्ध है, इसे

[श्री धर्म सिंह]

पूरा करते, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें इस अभिभाषण में कही गयी हैं। चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में बनने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार यह उम्मीद करती है कि जिस तरह से पहली पंचवर्षीय योजना से पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक सहायता केन्द्र से अब तक मिलती रही है उसी प्रकार से वह सहायता केन्द्र से मिलती रहेगी और जो आस्था केन्द्र की पहले इस प्रदेश पर थी वही अब भी रहेगी।

योजना आयोग के द्वारा अब तक जो धन प्रदेशीय सरकार को दिया गया है सभी को विदित है वह इसी आधार पर दिया गया कि यह सरकार भी अपने रिसोर्सेज Collect करेगी और उसी के आधार पर इस प्रदेश को भारत सरकार से बहुत बड़ी धनराशि सहायता के रूप में मिली है। इस वित्तीय वर्ष के लिए जैसा अभिभाषण में कहा गया है 675 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए हैं और चालू वित्तीय वर्ष में 540 करोड़ रुपए के लगभग प्राप्त हुए थे। योजना आयोग द्वारा जो धन इस प्रकार दिया गया है उसमें से 488 करोड़ रुपए हमारे प्रदेश की मुख्य समस्याओं पर, गरीबों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि, विद्युत् तथा सिंचाई पर खर्च होगा। इसी तरह से बाढ़ जब आती है तो यह सरकार अच्छी तरह से जानती है कि प्रदेश में चारों ओर त्राहि-त्राहि मच जाती है, जनता को बहुत परेशानियां होती हैं और उस परेशानी को दूर करने के लिए उसे काफी सहायता दी जाती है लेकिन उन तकलीफों का निवारण नहीं हो पाता है। इसी तरह से अनेक समस्याएं अन्न की, दवाओं की जो बीसियों वर्ष से प्रदेश के सामने रही हैं, उनके निवारण के लिए इस सरकार ने काफी प्रयत्न किए हैं। जैसा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है; इस योजना के अन्तर्गत 18 लाख हेक्टर से अधिक क्षेत्र में बाढ़ के फलस्वरूप पानी भरा रहता था, फसल बरबाद होती थी, परेशानियां होती थीं उनके समाधान के लिए इस सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया है जो 1980 तक पूरा हो जायगा। इसी के साथ-साथ यह प्रदेश अच्छी तरह से जानता है कि यहां बिजली की कमी रही है। मैं सदन का ध्यान 1952 की ओर ले जाना चाहता हूं जब 1 किलोवाट बिजली तक के लिए परेशानी होती थी। जहां तक बिजली का सम्बन्ध है चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1400 मेगावाट बिजली हमारे पास थी लेकिन इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक वह बढ़ कर लगभग ढाई हजार मेगावाट तक हो जायगी और जो योजना इस सम्बन्ध में है बिजली बढ़ाने के लिए उसके आधार पर 1978 तक बिजली का उत्पादन 3010 मेगावाट तक हो जायगा।

जहां तक और बातों का सम्बन्ध है जैसे सीरदारी का सम्बन्ध है प्रदेश की जनता जानती है उससे प्रदेश के किसानों का बहुत बड़ा लाभ हुआ है। लगभग 1 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। इस तरह से सीरदार लोगों को अधिकार दिया गया। जो गरीब हैं, छोटे किसान हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है, साधनहीन हैं उनको लाभ होगा। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस तरह की बात कहीं है।

मान्यवर, आपको याद होगा पिछले सत्र में इसी सदन में जब हम बैठे हुये थे तो किसानों के ऊपर लगान लगाया गया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने महसूस किया कि यह ठीक नहीं, अतः इस लगान को उसने आधा कर दिया और साथ ही साथ एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बिठा दी जो यह देखेगी कि इसके क्या रेट्स होने चाहिये। साथ ही साथ हम यह महसूस करते हैं और सरकार भी महसूस करती है कि उत्पादन और सिंचाई के सम्बन्ध में आपस में मेल-मिलाप नहीं है। रेट कहीं बहुत ज्यादा है और कहीं कम हैं। इसके लिये अभिभाषण में इस बारे में जिक्र किया गया है। इसके लिये हम राज्यपाल को धन्यवाद देते हैं। प्रदेश की जनता जानती है कि यहां पर एक अध्यादेश हुआ था जिसके जरिये से यहां पर

भूमिहीनों खेतिहर मजदूरों, कृषकों को साहूकारी कर्ज से मुक्ति दिलाई गई है। हजारों वर्षों से यह परम्परा चली आ रही है। गरीबों से हजारों रुपये सूद के ये लोग वसूल कर लेते थे। यह सूद देने की परम्परा ऐसी थी कि परदादा ने लिया दादा ने दिया, बाबा ने दिया. . . . . किन्तु इस अध्यादेश के द्वारा जो कि आग चलकर कानून बन जायेगा, वह माफ हो गया। इसके अतिरिक्त एक एकड़ से कम जमीन जिसके पास है उनका लगान पूरे तरीके से समाप्त किया गया है।

जहां तक लैंडलेस लोगों को जमीन देने का सम्बन्ध है इस बारे में प्रदेश की जनता जानती है कि प्रदेशीय सरकार अब तक 15 लाख एकड़ भूमि तथा एक लाख एकड़ सीलिंग की भूमि 18 लाख भूमिहीनों को बांट चुकी है। इसके लिये हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके साथ ही हम एक सुझाव भी सरकार को देना चाहते हैं कि वह अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति के आधार पर भूमिहीनों को उस जमीन पर कब्जा दिलावे, यह हमारा सुझाव है।

उद्योगों के बारे में भी अभिभाषण में जिक्र किया गया है और सरकार की नीति रही है कि नये उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय। बहुत सी नयी चीनी मिल आगे कामयाब होंगी। कुछ मिलें बढ़ी भी हैं और कुछ का आधुनिकीकरण किया गया है।

जहां तक शिक्षकों का सम्बन्ध है इस बारे में समाज . शिक्षकों की दशा बहुत खराब थी। उनकी दशा में सुधार किया गया है, उनको पेंशन तथा मकान आदि बनवाने के बारे में प्राविधान किया गया है।

जहां तक हरिजनों का सम्बन्ध है, एक पुराने जमाने से लकर अब तक तो उनमें काफी सुधार हुआ है किन्तु इधर जो रिजर्वेशन्स और छात्रवृत्तियां उन्हें दी गई हैं वह इस सरकार का एक प्रशंसनीय कदम है। अल्प संख्यकों के लिये बहुत से काम किये गये। उर्दू एकाडमी के नाम से काम किये गये जिससे उर्दू को प्रोत्साहन मिले। मैं समझता हूं कि इस तरीके से अभिभाषण में बहुत सी बातें की गई हैं उसके लिये सरकार ने बहुत से काम किये हैं।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में इतना बड़ा कुम्भ का मेला हुआ। तमाम हिन्दुस्तान से लोग आये उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई और बड़े अच्छे तरीके से वहां काम होता रहा। मान्यवर, इन चन्द शब्दों के साथ जो मैंने प्रस्ताव पेश किया है बहुत सी बातें कटौती प्रस्ताव के द्वारा इस सदन में आयेंगी उनका उत्तर सरकार की तरफ से दिया जायेगा।

*श्री नजीर अहमद (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल ने जो मिलेजुले एवान में खिताब किया उस पर अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। महामहिम राज्यपाल ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जनता के लिये काम किये और उनको जो राहत पहुंचाई है उनकी तरफ इशारा किया है। हमारे धर्म सिंह जी ने जो उस पर शुक्रगुजारी का प्रस्ताव रखा है उसका मैं पूरे तौर पर समथन करता हूं। एक शेर में अर्ज करना चाहता हूं—

हमारे नर्मरो कासिद बयाने जिन्दगी लाया,
खबर देती थी जिनकी बिजलियां वे बेखबर निकलीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नजीर अहमद]

अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि कृषि के सवाल पर सिंचाई और बिजली को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का फैसला किया गया है इसी तरह से जरायात के दूसरे साधनों को भी प्राथमिकता देने का फैसला किया गया है।

किसानों के हितों की रक्षा करने के लिये 75 लाख खातों में करीब एक करोड़ खातेदारों को भूमिधर बनाने का कदम उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, ग्राम समाज की 16 लाख एकड़ जमीन को 18 लाख 36 हजार लोगों में तकसीम किया गया है। यह सरकार की बड़ी भारी जद्दोजहद का फल है।

तालीम के सिलसिले में जो कदम उठाये जा रहे हैं उसमें अध्यापकों की तनखा, पेंशन, रिहायसी भत्ता आदि देने की बात कही है। मुझे इस मामले में एक हकीकत की तरफ भी तवज्जो दिलानी है। उत्तर प्रदेश में ऐसी भी संस्थायें हैं या लोग हैं जो बिना फीस लिये लोगों को तालीम देते हैं जिससे शिक्षा विभाग के हाथ मजबूत होते हैं। मगर उनके साथ सौतेली मां का सलूक किया जाता है। उनको उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से कोई सहायता नहीं मिलती है। उनको भी वही सहूलियतें मिलनी चाहियें जो दूसरे लोगों को मिली हैं, सरकारी स्कूलों को मिलती हैं। हमारे प्रदेश में बहुत से अरबी के मदरसे हैं। अंग्रेजों के जमाने से जो कानून बने थे वही अभी भी चले आ रहे हैं उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। उन अरबी स्कूलों में मुंशी, कामिल, मौलवी, आलिम और फाजिल की डिग्री मिलती है। जैसा कि संस्कृत पास शुदा विद्यार्थियों को जो अंग्रेजों के जमाने में सुविधा प्राप्त थी उसमें तरमीम कर दी गई है। तो इसी प्रकार से उर्दू और फारसी वालों के लिये भी होना चाहिये। इन मदरसों के विकास के लिये ज्यादा ग्रांट मिलनी चाहिये और इनके अध्यापकों को भी पेंशन आदि मिलनी चाहिये। दीगर सहूलियतें हाईस्कूल के मास्टरों की बढ़ा दी जानी चाहिये।

माननीय राज्यपाल ने अपने खिताब में बुनकरों का जिक्र किया है, उनकी सहायता के लिये सरकार विशेष प्रयास करेगी, यह उसमें बताया गया है। उसमें यह बताया गया है कि--'उपक्रमियों को वित्तीय तथा अन्य सहायता देने हेतु कई निगम स्थापित किये गये हैं। बुनकरों की सहायता के लिये सरकार विशेष चेष्टा करेगी तथा गोरखपुर-बस्ती प्रोजेक्ट की तरह नये प्रोजेक्ट चालू कराने का प्रयास करेगी।' इस प्रदेश में स्माल स्केल इंडस्ट्री जो किसी भी देश व प्रदेश के लिये एक बड़ी महत्व की इंडस्ट्री है और जिस पर पूरे मुल्क की तरक्की मुनस्सर करती है, वह बहुत पिछड़ी हुई दशा में है, उसे देखते हुए यह जो कदम उठाया गया है, उसमें बुनकरों को बहुत लाभ पहुंचाने की कोशिश की गयी है। इसके लिये यह सरकार और राज्यपाल काबिले तारीफ और मुबारकवाद के मुस्तहक हैं। गुजिस्तां सालों में इन गरीब बुनकरों को तमाम मसायल का सामना करना पड़ा है। उनके सामने माफिक सूत मिलने की एक बड़ी परेशानी थी, जिसके लिये उन्हें तमाम जद्दोजहद करनी पड़ी है। उनके सामने केमिकल आदि की भी परेशानी थी। इन चीजों के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं, ये चीजें इन लोगों को मुनासिब कीमत पर नहीं मिली हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ है और कभी भी रोटी रोजी छिन जाने का खतरा भी पैदा हुआ है। इसलिये सरकार को खास तवज्जो बुनकरों की तरफ देनी होगी। बुनकरों ने रिक्शा चलाकर, सब्जी फरोशी करके अपने और अपने घरवालों का पेट किसी तरह से पाला है। जहां मैं कई सुझाव रख रहा हूं, इनसे मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं। इसमें जो बिजली के बारे में स्कीमें हैं, वे बड़ी अच्छी हैं। इसमें कोई शुबहा नहीं है कि बिजली और पानी की हमारी कृषि को अति आवश्यकता है। हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान है। इसके लिये ये चीजें बहुत जरूरी हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

*श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

मान्यवर, माननीय धर्म सिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है और जिसका समर्थन माननीय नजीर अहमद जी ने किया है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात की चर्चा नहीं की कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हाल ही में हुए लोक सभा के चुनाव में प्रदेश की समस्त सीटों पर कांग्रेसी प्रत्याशियों को हराकर, जिसमें प्रधान मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के सभी केन्द्रीय मंत्री भी सम्मिलित हैं, वर्तमान प्रदेशीय सरकार पर पूर्ण रूप से अविश्वास प्रकट कर दिया है।"

(शेष संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'ड़' आगे पृष्ठ. 184–205 पर।)

मान्यवर, जनतन्त्र में कुछ मान्यताएं होती हैं, जनतन्त्र में कुछ नैतिक आधार होते हैं। पिछली बार जो लोक सभा के सामान्य निर्वाचन हुए, वह कुछ विशेष मुद्दों, कुछ विशेष उसूलों पर हुए थे। इसके पहले कि मैं इस चर्चा में अपनी बात शुरू करूं, मैं अपनी बात लोकनायक जयप्रकाश जी के राष्ट्र के नाम दिए गये संदेश से प्रारम्भ करना चाहता हूं। लोक सभा चुनाव के ठीक पूर्व उन्होंने राष्ट्र के नाम अपना संदेश दिया था। वह इस प्रकार है :— "तीन वर्षों का इतिहास सरकारी दमन और राष्ट्रीय अपमान का इतिहास है, इस बात का इतिहास है कि किस तरह सत्ता के नशे में चूर एक व्यक्ति और उसके पिछलग्गू एक स्वतन्त्र देश की जनता के अधिकारों को छीन सकते हैं, न्यायालयों को पंगु बना सकते हैं, संविधान को फाड़कर फेंक सकते हैं और देखते-देखते लोकतन्त्र को समाप्त कर तानाशाही थोप सकते हैं और यह सब वह व्यक्ति कर सकता है जो हमारा प्रधान मंत्री है, वे लोग कर सकते हैं जिन्हें वोट देकर हमने अपना प्रतिनिधि बनाया था। इतिहास की यह एक अनोखी घटना है।" श्रीमन्, पिछले जो लोक सभा के चुनाव हुए, उसमें इस प्रदेश से 85 सीटें थी और इन 85 सीटों में से जो वर्तमान सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जो उनके सहयोगी दल हैं, उनका एक भी प्रतिनिधि दिल्ली में नहीं पहुंचा है। इतना ही नहीं पिछली केन्द्रीय सरकार के 14 मंत्री, जिनमें स्वयं प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी शामिल हैं, तेल मंत्री श्री केशवदेव मालवीय, उर्जा मंत्री, श्री कृष्णा चन्द्र पन्त, इस्पात मंत्री, श्री चन्द्रजीत यादव, स्वास्थ्य मंत्री, श्री रामसेवक चौधरी, कृषि मंत्री श्री शाहनवाज खां, उद्योग मंत्री बी० पी० मौर्य, विदेश मंत्री, श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, उप तेलमंत्री श्री जियाउर्रहमान, उप इस्पात मंत्री, सुखदेव प्रसाद, उप वित्त मंत्री श्रीमती सुशीला रोहतगी, उप कृषि मंत्री श्री केदारनाथ सिंह, व्यापार मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा उप श्रम मंत्री श्री बाल गोविन्द वर्मा सब के सब परास्त कर दिए गये। जनतन्त्र का तकाजा है कि जो वर्तमान मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश का है उसको स्वयं त्यागपत्र दे देना चाहिये। प्रदेश की जनता ने मत के अधिकार का प्रयोग करके पहली बार शान्तिपूर्ण तरीके से इस देश में गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना की है। कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ता का दल हो या विरोध पक्ष का हो, जब जनता के बीच मत मांगने के लिये जाते हैं, तो जनता ने जो राय दिया उसका आदर वर्तमान माननीय मुख्य मंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी को करना चाहिए था।

मुझे यह जानकारी हुई है कि माननीय नारायणदत्त जी ने जनता की आकांक्षाओं को देखते हुए अपने पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के पास आपनी सरकार का त्यागपत्र भेजा था लेकिन जो लोग तीस साल तक सत्ता में बैठे हुए थे उन्होंने जनतन्त्र की मान्यताओं की पूर्ण रूप से हत्या की और आज भी जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसकी इच्छाओं के विरुद्ध जनतन्त्र की हत्या करके कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रदेश और इस विधान सभा में मौजूद है। वह दिन बड़ा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

अच्छा होता यदि जनता की आकांक्षाओं का आदर करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी सरकार का त्यागपत्र दे देते। मैं समझता हूं कि अब भी देर नहीं हुई है माननीय मुख्य मंत्री जी आज ही इस सदन में अपनी मंत्रि परिषद् के त्याग पत्र की घोषणा करेंगे।

पिछले 19 महीने में इस देश में आपतकालीन स्थिति के नाम पर जो कुछ भी किया गया वह वास्तविक रूप में जनतन्त्र की हत्या थी। 12 जून, 1975 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें इस बात की घोषणा की गयी कि रायबरेली से जो चुनाव हुआ उसमें श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी जी प्रत्याशी थीं, उनको भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया। दो मुद्दों पर उनके विरुद्ध सीधा-सीधा भ्रष्ट आचरण साबित हुआ। माननीय जगमोहन लाल सिन्हा ने निर्णय दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द है और आगे आने वाले छः वर्षों तक इस देश के किसी चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। जनतन्त्र का तकाजा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री के पद से त्याग पत्र दे देतीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25 जून, 1975 को इस देश में आपत्कालीन स्थिति लगा दी गयी। देश के शीर्षस्थ राजनीतिक नेता लोकनायक जय प्रकाश, वर्तमान माननीय प्रधान मंत्री मोरारजी भाई, श्री राजनारायण, श्री जार्ज फर्नांडिस, श्री अटल बिहारी बाजपेई, नानाजी देशमुख और ऐसे पचासों हजार राजनीतिक कार्य कर्त्ता इस देश में जेलों के अन्दर ठूंस दिये गये। यही नहीं हुआ। प्रेस सेंसराशिप लगा दी गयी। अखबारवालों का मुंह बन्द कर दिया गया। रेडियो और टेलिविजन का दुरुपयोग इस देश की प्रधान मंत्री अपने लिए और अपने पुत्र श्री संजय गांधी के लिये करने लगीं। जिस तरह से प्रेस सेंसरशिप लगा दी गयी उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं मिलेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

यह सब जानते हैं जो आप बता रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इसीलिए उसका परिणाम भी भुगत लिया। लेकिन फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रहा था कि जनता के मौलिक अधिकारों पर कुठार-घात किया गया। न्यायालय के अधिकार भी छीने गये। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं रहा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

जब आपने डायनामाइट केस वापस लिया तो आपने भी तो छीन लिया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

न्यायालय के अधिकार भी छीन लिये गये। यही नहीं हुआ। उच्च न्यायालय में उस वक्त के अटार्नी जनरल नीरेन डे ने कहा बहस में यह पक्ष रखा कि यदि पुलिस की गोली से इस देश का कोई भी नागरिक बिना कारण मार दिया गया तो पुलिस के अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि जनता के जीने का अधिकार जो था उसको भी इन्दिरा गांधी की सरकार ने छीन लिया था और सारे संविधान में संशोधन कर दिया गया और यह कर दिया गया कि प्रधान मंत्री तथा अन्य उच्च पदों पर के व्यक्तियों के विरुद्ध चुनाव याचिका नहीं हो सकती है लेकिन देश की जनता ने इस सिलसिले में अपना मत दे दिया और श्रीमती इन्दिरा गांधी को 55 हजार वोटों से पराजित कर दिया। मुझे खुशी होती यदि वह चुनाव का परिणाम जानते ही अपने पद से इस्तीफा देतीं लेकिन उन्होंने 48 घंटे के बाद त्याग-पत्र दिया। उन्होंने शीघ्र इस्तीफा न देकर एक बार फिर देश की प्रधान मंत्री के पद से जाते-जाते फिर जनतंत्र की हत्या की और जनतंत्र का जो मूल था उस पर कुठाराघात किया।

कल दिल्ली में अमेठी से जो विजयी हुए हैं, उनका एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ था। संजय गांधी को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है। संजय गांधी जहां पर ठहराये जाते थे वहां पर बहुत रुपया व्यय हुआ है। उनके ठहराने पर डेढ़ लाख रुपया का व्यय हुआ। संजय गांधी जो सरकारी पद पर नहीं थे जब कभी भी वह इस प्रदेश में आते थे तो सरकारी प्लेन और अन्य सभी सरकारी सुविधायें उपलब्ध करायी जाती थीं। सुलतानपुर में जहां पर वह ठहरते थे, जितने भी निरीक्षण भवन होते थे वह आरक्षित कर दिए जाते थे और वह सब निरीक्षण भवन श्री राज बहादुर सिंह के नाम पर किए जाते थे और संजय गांधी वहां पर ठहरते थे। वहां के जिला अधिकारी अफसर हुसेन और वहां के जो पुलिस अधीक्षक थे वह श्री संजय गांधी के टेन्ट के पास ही अपना टेन्ट लगाते थे। यह बताया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया कि चूंकि वह मुख्य मंत्री के साथ दौरा करते थे इसलिए सरकारी सुविधा का प्रयोग किया जाता था। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि श्री संजय गांधी को लेकर इस प्रदेश की सरकारी मशीनरी का गलत ढंग से प्रयोग किया गया। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह इसकी जांच कराने का आश्वासन दें। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो एक बार फिर वह देश की जनता के हित के साथ कुठाराघात करेंगे।

परिवार नियोजन के नाम पर सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर और बस्ती में गोलियां चलीं। मेरी जानकारी है कि 75 व्यक्तियों की जानें गयीं उनमें से बहुत से व्यक्ति अस्पतालों में और बहुत से घर पर इलाज करा रहे हैं। जो व्यक्ति अस्पतालों में भरती हैं उनका इलाज ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। उनके इलाज कराने की व्यवस्था ठीक नहीं है। परिवार नियोजन को जबरदस्ती से अपनाया गया और जनता को परेशान किया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इतनी ज्यादतियों के उपरान्त उन्हें एक क्षण भी यहां रहने का अधिकार नहीं है। मैं मांग करना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु परिवार नियोजन के नाम पर इस प्रदेश में हुई है, उनके आश्रितों को समुचित मुआविजा मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज अब भी चल रहा है, उनके परिवार को और उनको भी उनके इलाज के लिए समुचित पैसा मिलना चाहिए। साथ ही साथ चूंकि उनके शरीर को क्षति पहुंची है, इसलिए भी उनको समुचित मुआविजा मिलना चाहिए।

मीसा और आन्तरिक सुरक्षा के नाम पर इस प्रदेश के लगभग 25 हजार लोगों को प्रदेश के विभिन्न कारागारों में बन्द रखा गया है। यही नहीं जब ये जेल में बन्द कर दिए गये तो इनके परिवार के सदस्यों को परेशान किया गया और मकानों पर कुर्की की गई और बहुत से ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि बहुत से लोग जेलों में ही मर गये हैं। लखनऊ के ही एक हिदायतुल्ला साहब थे। उनकी आयु लगभग 90 वर्ष की थी। मीसा में बन्द करके उन्हें जिला कारागार में रखा गया। उनके ऊपर यह आरोप था कि बिजली के खम्भे पर चढ़कर वे तार को काटने जा रहे थे। वे पकड़े गए और मीसा में बन्द हुए। इसके बाद वे जेल में बीमार हुए गम्भीर रूप से लेकिन उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की गई और जेल के अन्दर ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया।

विधान परिषद् के माननीय राम सागर मिश्र को मीसा के अन्दर गिरफ्तार किया गया और बीमार होने पर बलरामपुर अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां पर उनका इलाज चल ही रहा था कि वहां के डाक्टर एस0 बी0 खरे ने यह कह कर कि माननीय राम सागर मिश्र ने स्वास्थ्य लाभ कर लिया है कारागार को वापस कर दिया। 23 सितम्बर, 1976 को उनकी मृत्यु हो गयी। जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है, मैं चाहूंगा कि उसकी जांच की जानी चाहिए क्योंकि माननीय राम सागर मिश्र को बलरामपुर अस्पताल से जबरदस्ती जेल में वापस कर दिया गया और वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार हसनगंज का एक लड़का जिसका नाम मुझे स्मरण नहीं है, गिरफ्तार किया गया। उसकी भी मृत्यु यहां लखनऊ जेल में हुई है। इसी प्रकार इलाहाबाद में हिन्दुस्तान एकेडमी के डाक्टर सत्यव्रत सिन्हा

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

जो जय प्रकाश जी के आन्दोलन में शामिल थे और बराबर साहित्यिक कार्य किया करते थे। उनको भी मीसा में बन्द कर दिया। बीमार होने पर इलाहाबाद मेडिकल कालेज में रखे गये जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। इनके परिवार में इनकी पत्नी और 2 छोटे बालक हैं। इसी प्रकार से खलील साहब को भी इलाहाबाद की जेल में मीसा में बन्द करके रखा गया।

आजमगढ़ में एक मल साहब थे उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको इलाहाबाद केन्द्रीय कारागार में नैनी जेल में रखा गया। वहां वे बीमार पड़े और उनकी भी मृत्यु हो गई। यही नहीं उनके शव को देने में भी रुकावटें डाली गयीं। जब इलाहाबाद की जनता ने मेडिकल कालेज का घेराव किया तब जिलाधीश ने ऊपर से आदेश लेकर उनके शव को उनके परिवार वालों को दिया। मेरी प्रार्थना है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी सदन में इस बात की स्पष्ट घोषणा करें कि कितने लोगों को मीसा के तहत विभिन्न जेलों में रखा गया और उन सब को मुआविजा दिए जाने की घोषणा करें। जितने लोग मर गए हैं, उनके आश्रितों को जिनका भरणपोषण करते थे, किसी प्रकार से उनका पेट पालते थे उनको भी मुआविजा दिया जाय।

तो माननीय मुख्य मन्त्री जी से मैं यह अपेक्षा करूंगा कि जितने लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों के लिए समुचित मासिक भत्ता और उसके साथ-साथ एक मोटी रकम मुआवजे के रूप में घोषित करें।

यही नहीं हुआ, इस प्रदेश में जेल के अन्दर जितने भी लोग रखे गए उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसी सदन के कितने ही भूतपूर्व माननीय सदस्य, जैसे बसन्तलाल जी लखनऊ से होते थे, राधेश्याम कपूर थे, रामसागर मिश्र और अनेक व्यक्ति जो लखनऊ जेल में बन्द थे उनको उच्च श्रेणी नहीं दी गयी बल्कि जो साधारण कैदी, क्रिमिनल होते हैं उनके साथ निम्न श्रेणी में रखा गया। जब जेल में जो कैदी बन्द थे उन्होंने सत्याग्रह किया और सरकार को नोटिस दिया, माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास भी सूचना भेजी गयी कि जेलों मे अगर उचित व्यवहार नहीं होगा, जिनको मिलनी चाहिए उनको उच्च श्रेणी नहीं दी जायगी तो बन्दी वहां पर अनशन करेंगे, तो जहां तक मुझे याद है अपनी गिरफ्तारी से 4–4, 5–5, 6–6 महीने के बाद इस विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों को उच्च श्रेणी दी गयी है।

इसी प्रदेश में गुंडा ऐक्ट है। उसके अन्तर्गत इसी लखनऊ जेल में और विभिन्न जेलों में ऐसे छात्रों को जो कानून की शिक्षा प्राप्त करते थे, जो एम०ए० की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, उनको गुंडा ऐक्ट के नाम पर जेल में बन्द कर दिया गया और जब जेल में बन्द थे तो उनके साथ अत्याचार किया गया। उनको उच्च श्रेणी नहीं दी गयी, उन छात्रों को क्रिमिनल्स के साथ रखा गया और चाहे वह इलाहाबाद की जेल रही हो, बनारस की, गोरखपुर की, चाहे लखनऊ की आदर्श जेल या जिला जेल हो, चाहे इटावा की, चाहे मेरठ की रही हो, जितनी भी जेलें थीं करीब-करीब 20 जेलों में लाठी चार्ज किया गया और जितने भी राजनीतिक बन्दी थे उनके साथ मानवता का व्यवहार नहीं किया गया। आज ही इस सदन में जेल के सम्बन्ध में माननीय मधुकर दिघे का प्रश्न था जिस पर माननीय देहलवी जी ने अपने विचार प्रकट किए तो उससे जानकारी हुई कि जेल के अन्दर भी मानवता का व्यवहार नहीं किया गया है। तो जितने राजनैतिक बन्दी थे उनके साथ जो अत्याचार किया गया, जो दुर्व्यवहार किया गया, मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में जांच करें, और जांच ही न करें, बल्कि जो दोषी अधिकारी पाये जायं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें और ऐसे अधिकारियों को कम से कम जांच के दौरान तत्काल निलम्बित तो कर ही दें।

जब आपात्कालीन स्थिति लगायी गयी तो उस समय एक कानून पास किया गया जिसके जरिए से इस विधान सभा की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी गयी और यह निर्णय लिया गया कि जो श्री फिरोज गांधी ऐक्ट है उसका जो प्रभाव प ेगा उसको भी निरस्त कर दिया गया और विधान सभा के अधिकार को इस प्रकार से छीन लिया गया। तो मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी तत्काल कम से कम इस कानून को समाप्त कर दें और निरस्त कर दें। क्योंकि आज भी प्रेस वालों के मन में उस कानून के होते हुए कुछ डर है, कुछ भय व्याप्त है। भारत सरकार ने सेंसर को अवश्य समाप्त कर दिया है लेकिन जब तक वह कानून समाप्त नहीं होता है तब तक विधान सभा की कार्यवाहियों को समाचार-पत्रों में निष्पक्षता से प्रकाशित करने में रोक लगी रहेगी और तब तक संवाददाताओं और प्रेस के भाइयों के मन में भय व्याप्त करेगा जिससे ठीक प्रकार से विधान सभा की कार्यवाही प्रकाशित नहीं हो सकेगी और इस प्रदेश की जनता को, इस विधान सभा के अन्तर्गत क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं हो सकेगी।

मान्यवर, आपातकालीन स्थिति लगते ही टेलीविजन की क्या हालत हो गयी और आल इंडिया रेडियो का नाम तो "आल इंदिरा" उसी दौरान में जो केन्द्र के सूचना मन्त्री थे श्री विद्याचरण शुक्ल, उनका भी पदार्पण लखनऊ में हुआ था और उनके पदार्पण का नतीजा यह हुआ कि लखनऊ के अनेक प्रतिष्ठित और सम्भ्रांत प्रेस वालों को बुला कर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं उन्हें फटकारा और मीसा का भी डर दिया कि आप लोग अगर इसी प्रकार के विचार जैसा कि समाचार-पत्रों के जरिए कर रहे हैं यदि करते हैं तो मीसा के अन्तर्गत आप लोगों को जेल में बन्द कर दिया जायगा। यही नहीं, श्री विद्याचरण शुक्ल जी ने कुछ प्रेस वालों का हस्तान्तरण भी लखनऊ से दूसरे जिलों में करवा दिया। तो जो कुछ भी इमरजेंसी के नाम पर इस प्रदेश में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने किया है उसकी जितनी भी निन्दा की जाय वह कम है। मैं यह भी जानना चाहूंगा माननीय मुख्य मन्त्री जी से, शायद 21 जनवरी, 1975 को उन्होंने मुख्य मन्त्री पद की शपथ ली थी, तो 21 जनवरी, 75 से फरवरी, 1976 तक मुख्य मन्त्री महोदय कितने दिन लखनऊ में रहे और कितने दिन इस प्रदेश का शासन लखनऊ से बाहर रह कर दिल्ली से चलाया। क्योंकि जब मैं जेल से बाहर निकला, जेल के अन्दर जब तक हम लोग थे ब तक तो इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात की जानकारी जहां मुझे हुई माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी हुई होगी वह मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं उस शब्द का प्रयोग यहां पर करूं लेकिन चूंकि मैं समझता हूं कि उनको स्वयं उसकी जानकारी है इसलिए कहने में कोई हर्ज नहीं है, इस प्रदेश की जनता ने माननीय नारायण दत्त तिवारी का नाम न ी दिल्ली तिवारी या न्यू दिल्ली तिवारी रख दिया था।

श्री राजेंद्र कुमार गर्ग—

आप भी अपना नाम बदल लीजिए नहीं तो यह सरकार आपकी हो जायगी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

प्रदेश की जनता ने प्रदेश के मुख्य मन्त्री को ऐसा खिताब क्यों दिया, उसके पीछे क्या राज है, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी स्वयं इस बात को समझते हैं। लेकिन इतना तो है ही, हमारे प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री माननीय बहुगुणा जी ने एक मर्तबा वक्तव्य दिया था कि उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण सरकार ने ऐबडिकेट कर दिया है और दिल्ली से वह प्रशासन को चला रहे हैं। तो यह बात किसी भी सरकार के लिए भर्त्सना का विषय है और मैं समझता हूं कि इस विषय में माननीय तिवारी जी अपना स्पष्टीकरण देने की कृपा करेंगे।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों और अध्यापकों के वेतन रोके गए और यह कहा गया कि इन लोगों ने नसबन्दी का कोटा पूरा कर के सरकार को नहीं दिया।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

यही नहीं, इस प्रदेश के नागरिक को चाहे वह राशन कार्ड बनवाए, चाहे परमिट बनवाए या बन्दूक का लाइसेन्स या बच्चों का स्कूल में दाखिला या बच्चों की फीस माफी करानी हो, जितने भी सरकारी कर्मचारी या अध्यापक या ऐसे लोग थे जिनको सरकार मे किसी सम्बन्ध में सहायता लेनी होती थी उन्हें एक सर्टिफिकेट देना पड़ता था और इस सिलसिले में इस प्रदेश की जनता के साथ बहुत अत्याचार किया गया है और जो भी एक्सेसेज हुई हैं जनतंत्र का तकाजा है कि उनकी जांच की जानी चाहिए और मैं आशा करता हूं कि मुख्य मन्त्री जी स्पष्ट रूप में आज इस सदन में घोषणा करेंगे ।

जहां तक प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम का सम्बन्ध है आज भी सचिवालय में चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे मन्त्री हो उनके कमरों के अन्दर बोर्ड लगे हुए हैं 'प्रधान-मन्त्री का 20 सूत्री कार्यक्रम' । आज इस देश के जो प्रधान मन्त्री हैं उनका कोई भी 20 सूत्री कार्यक्रम नहीं है । जो इस देश की प्रधान मन्त्री थीं उनका जो 20 सूत्री कार्यक्रम था या उनके सुपुत्र श्री संजय गांधी का जो 5 सूत्री कार्यक्रम था उसके सम्बन्ध में जो चित्र या साइनबोर्ड वगैरह सरकारी अधिकारियों के कमरों में या माननीय मुख्य मन्त्री या अन्य मन्त्रियों के कमरों में लगे हुए हैं .....

श्री रामनारायण पाठक (जिला कानपुर)--

क्या माननीय नेता, विरोधी दल इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम को वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

जो चनाव अभी हुए वह चनाव ही आपातस्थिति और 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर हुए हैं । सारे प्रदेश की जनता ने अपना निर्णय दे दिया है ।

श्री रामनारायण पाठक--

आप यह स्पष्टीकरण दें कि क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं । क्या आपकी केन्द्रीय सरकार ने उसे वापस ले लिया है ?...(व्यवधान)

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा 5 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में जो भी साइन बोर्ड या पोस्टर जगह-जगह लगे हुए हैं, सरकारी दफ्तरों में भी लगे हैं और उनके लिए आज जो भी प्रचार किया जा रहा है, मैं चाहता हूं उसे बन्द किया जाय । आज जगह-जगह दीवालों पर और मंत्रियों के कमरों में उनके पोस्टर लगे हैं । उस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसे तत्काल बन्द होना चाहिए । आज के प्रधान मन्त्री का कोई 20 सूत्रीय कार्यक्रम है ही नहीं । यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो डर है कि कहीं ऐसा न हो कि जनता के बीच विद्रोह की भावना फैले और जनता स्वयं कानून को अपने हाथों में लेकर उन पोस्टरों को उखाड़ फेंके ।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण पाठक--

आप जनता और मौजूदा प्रधान मन्त्री के बीच लडाई करवाना चाहते हैं । मौजूदा प्रधान मन्त्री ने अभी कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है कि उनको उखाड़ फेंका जाय ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा । आप बीच में डिस्टर्ब न करें ।

मैं मान्यवर, इस बात को कह रहा था कि आज जनता में बड़ा भारी आक्रोश है । उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जब 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रचार के लिए कोई काम किया जाता है तो उससे जनता में भ्रम फैलता है । कहीं ऐसा न हो कि जनता कानून को ही अपने हाथ

में ले ले। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में जो मैं आज सुझाव दे रहा हूं उसे माननीय मुख्य मन्त्री जी मानें।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की कुछ नीतियों की चर्चा की है। इस वक्त प्रदेश की पांचों नगर महापालिकाओं—कानपुर, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद—का कार्यभार शासन के हाथों म ह। अन्य नगरपालिकाएं और जिला परिषदें भी निलम्बित हैं। जनतंत्र में जो कर का सिद्धान्त है उसके अनुसार 'देयर शुड बी नो टैक्सेशन विद आऊट रिप्रेजेन्टेशन"। अतः इन सबके चुनाव शीघ्र कराने चाहिए। सब जगह जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठना चाहिए। इसलिए प्रदेश की सरकार ने पूर्व में भी इसी विधान सभा में इस बात का अनेक बार आश्वासन दिया है कि जो जो महापालिकाएं भंग हैं, जो नगरपालिकाएं भंग हैं या जो जिला परिषद भंग है वहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठाए जायं। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी निर्णय लेंगे और इन भंग नगरपालिकाओं और नगर महापालिकाओं का चुनाव करायेंगे।

मान्यवर, प्रदेश में जो बिक्री-कर अनेक प्रकार का लागू हुआ है, इस बिक्री-कर से जो प्रदेश की जनता और व्यापारी वर्ग है, वे बहुत कष्ट में हैं। उनकी वसूलयाबी के सिलसिले में बहुत ही भ्रष्टाचार हैं, चाहे छोटे व्यापारी हों, चाहे बड़े व्यापारी हों, एक प्रकार से बिक्री-कर कार्यालय में कुछ दलाल होते हैं। उन कार्यालयों में पैसा देकर ही उनका काम हो पाता है और जो इस भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होते हैं, उनके ऊपर लम्बे-लम्बे टैक्स लगा दिए जाते हैं और उसका भार केवल व्यापारी पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि इस प्रदेश की जो साधारण जनता है, उन पर पड़ता है। बिक्री-कर की जो वसूलयाबी है, इसमें भी धांधली है।

जनता पार्टी ने, मान्यवर, अपना जो चुनाव घोषणा-पत्र दिया है 1977 का, इसमें उसने इस बात का आश्वासन इस देश की जनता को दिया है कि बिक्री-कर पूरा का पूरा समाप्त होना चाहिए और वह जनता पार्टी आवेगी प्रदेश में तो बिक्री-कर पूरा-पूरा समाप्त कर देगी। उसके स्थान पर यथोचित उत्पादन शुल्क लगाया जायगा। तो मान्यवर, मैं चाहूंगा जो प्रदेश की जनता ने जो अपनी राय दी है और जिस चुनाव घोषणा-पत्र के आधार पर अपना वोट दिया है, उसकी कम से कम एक बात तो माननीय तिवारी जी मानें और माननीय तिवारी जी आज घोषणा करें कि बिक्री-कर पूरा का पूरा आज समाप्त किया जाता है और बिक्री-कर के स्थान पर किस प्रकार का उत्पादन शुल्क लगाया जायगा, इस सम्बन्ध में विरोधी दल के नेताओं से बात करके करें।

मान्यवर, इस प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद जिले में तथा और भी सभी जिलों में पीने के पानी का भी संकट है। मान्यवर, सिंचाई के पानी का तो संकट है ही, लेकिन पीने के पानी का भी संकट है। आप कहीं पर भी चले जाइए, नगरपालिकाओं और महापालिकाओं की टोंटियों में 9, साढ़े 9 बजे के बाद पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यह कैसे संकट उत्पन्न हो गया है, इस बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी को तो कम से कम जांच करानी चाहिए। मान्यवर, लखनऊ में गनेशगंज एक मोहल्ला है, हुसैनगंज एक मोहल्ला है उदाहरण स्वरूप बता देता हूं कि इन मोहल्लों के नागरिकों को जो नगरमहापालिका को टक्स भी देते हैं, 9—साढ़े 9 बजे के बाद बम्बे की टोंटी से एक बून्द भी पानी नहीं मिलता है, जब कि पिछले वर्ष यहां के नागरिकों को पानी मिला करता था। माननीय प्रभु नारायण जी यहां पर बैठे हुए हैं। वह स्वास्थ्य मन्त्री हैं, परिवार नियोजन के मन्त्री भी हैं। अस्पताल में दवा तो मिलती ही नहीं है। पहले अस्पतालों में 10 पैसे का पर्चा बनता था।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

प्रभुनारायण जी यहां हो गए, इनके गुरुभाई वहां हो गए। उन्होंने अपना नाम बदल दिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

ये भी नाम बदल दें अपना।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, जब अस्पतालों में जाते थे, तो 10 पैसे पर्चे का पड़ता था। उन दस पैसों को बढ़ा कर बाद म 50 पैसे किया गया और फिर 50 पसे को बढ़ा कर आपातकालीन स्थिति के दौरान एक रुपया किया गया। और वहां दवा मिलती नहीं। इसलिए माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि कम से कम उसको वे समाप्त चाहे न करें लेकिन जो 10 पैसा शुरू में लगता था उस 10 पैसे के सम्बन्ध में निश्चय ही एक निर्णयात्मक कदम उठावें और इस सम्बन्ध में घोषणा करें। क्योंकि आप किसी भी अस्पताल में चले जाइये, आज अस्पतालों में बहुत ही कुव्यवस्था है। अस्पतालों में दवा नहीं मिलती है, अस्पतालों में डाक्टर भी समय से उपलब्ध नहीं रहते। एक रुपया देने के बाद भी वहां इस प्रदेश की गरीब जनता को न तो वहां कोई कड़वी गोली मिलती है और न लाल पानी मिलता है। इसलिए माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से मैं आशा करूंगा कि वे एक रुपए को हटा कर 10 पैसा कर दें।

इलाहाबाद में एक कमला नेहरू अस्पताल है। आज मुझे इसी सदन में एक तार प्राप्त हुआ है। वहां के कर्मचारी पिछले 16 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उनमें से एक कर्मचारी की हालत अत्यन्त ही गम्भीर है। तो मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कमला नहरू अस्पताल के जितने भी कर्मचारी हैं वे पिछले 16 दिनों से अपनी मांगों के सिलसिले में क्यों अनशन कर रहे हैं? इसकी जांच जल्दी से न करा सकें तो कम से कम ऐसी व्यवस्था अवश्य करें जिससे वहां के कर्मचारी अपना अनशन अति शीघ्र समाप्त कर दें। उनकी जो मांगें हैं उनमें से कुछ महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में हैं और इसके साथ ही साथ बोनस वगैरह जो उनको नहीं मिलता है उनको बोनस का अधिकार दिलाने के सम्बन्ध में है। जिस तरह से ट्रेड यूनियन्स वगैरह का राइट हुआ करता है कि मजदूरों को बोनस मिले, बोनस का वह पैसा अब उनको नहीं मिलता है। तो माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि वे इस सम्बन्ध में जानकारी कर लें और कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे वहां के कर्मचारियों को राहत मिले। इसी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में फरवरी, 1976 में एक दुर्घटना घट गयी। आदर्श कारागार, लखनऊ में कुछ राजनैतिक बन्दी थे, जिनमें इसी सदन के माननीय सदस्य श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी और माननीय वीरेन्द्र सहाय भी थे। इसके अलावा रतनेश जी थे। उन सब को मीसा के अन्तर्गत आदर्श कारागार, लखनऊ और जिला कारागार, लखनऊ में धर दिया गया था। जो नाम मैंने बतलाये उनका तथा कुछ और बन्दियों को लेकर जो कि बलरामपुर अस्पताल में भर्ती थे, डाक्टरों को बगैर राय के 25 फरवरी को पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पी0ए0सी0 की 8–10 ट्रकों में ठूंस दिया गया और जबरदस्ती उन राजनीतिक बन्दियों को जल में भेज दिया गया। इस सम्बन्ध में शिकायती-पत्र माननीय स्वास्थ्य मन्त्री के पास और माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास भी भज गए लेकिन उस पर क्या कार्यवाही हुई, इसकी जानकारी आज तक नहीं हो सकी। यह जो दुर्घटना हुई इसमें श्री केसरी लाल भी थे, इसके अलावा कुछ अन्य राजनीतिक बन्दी थे जिनको चोटें भी आयीं। आदर्श कारागार, लखनऊ तथा जिला कारागार, लखनऊ पहुंचने पर उनका डाक्टरी मुआयना भी किया गया लेकिन मुझे दुख है कि इस पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। इसका सम्बन्ध इस प्रदेश की सरकार के स्वास्थ्य विभाग से है इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार निर्णय ले और जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे मैजिस्ट्रेट हों, चाहे पुलिस अधिकारी हों, चाहें जेल अधिकारी हों, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

इसी तरह से इलाहाबाद में एक श्री एम0 आर0 शेरवानी हैं जिन्होंने इस साल एटा से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा था, उनकी जीप फ्लैश लाइट नाम की एक फैक्टरी है।

आपात्कालीन स्थिति के दौरान जब वहां के मजदूरों ने अपनी कुछ मांग की तो वहां के साधारण मजदूरों पर गोली चलवाई गयी जिससे 4–5 मजदूरों की मृत्यु हो गयी और अनेकों मजदूर घायल हो गए। कहा जाता है कि श्रम और विद्युत् मंत्री डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी का भी इस काण्ड में हाथ था। यह अत्यन्त ही दुख का विषय है कि श्री शेरवानी जो जीप फ्लैश लाइट फैक्टरी के मालिक हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इस साल लोक सभा का चुनाव लड़ा और वे बुरी तरह से पराजित हुए, उनकी तरफ से मजदूरों पर गोली चलाई गयी जिनमें बहुत से मजदूर आहत हुए। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाय, जितनी भी निन्दा की जाय, वह कम है। लेकिन फिर भी अभी भी देर नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितने लोग आहत हो गए हैं इसका पता लगाना चाहिए। वहां की यूनियन के लोगों ने एक विस्तृत रिपोर्ट माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय श्रम मन्त्री जी को भेजी है। मेरा निवेदन है कि उस रिपोर्ट के आधार पर जितने लोग आहत हो गए हैं या जितने लोगों की मृत्यु हुई है उनको या उनके आश्रितों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। जो लोग मर गए हैं उनके परिवार के आश्रितों को रहने के लिए और जीने के लिए उचित रूप से सरकारी स्तर पर मुआविजा देने की घोषणा की जानी चाहिए।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय मुख्य मन्त्री जी से और जिस मंत्रि परिषद का वह नेतृत्व कर रहे हैं उसके त्याग-पत्र की मांग करते हुए मैं अपना संशोधन पेश करता हूं और आशा करता हूं कि वह माननीय सदन इस संशोधन को स्वीकार करेगा।

*श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय धर्म सिंह जी द्वारा रखे गए धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, क्षमा करेंगे, मैं इस अवसर पर अपने आदरणीय बड़े भाई चौधरी चरण सिंह जी को याद किए बगैर नहीं रह सकता। उनकी वाणी तो मधुर होती थी उसके मुकाबले में आज मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मिमिया रहा है।

(हंसी)

अध्यक्ष जी, याद आ गया, मैं किसी का अनादर करने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। साथ ही साथ मेरी शिकायत है कि उनको जो उन्होंने हिदायतें दीं वह स्पष्ट नहीं थीं शायद इसीलिए वह पढ़ने में नहीं आ रही हैं। मैं जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है और जो संशोधन पेश किया गया है उसी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने जो अपने विचार रखे हैं मैं उस सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारे विरोधी दल के नेता श्री मालवीय ने सबसे पहला प्वाइंट उठाया कि चूंकि लोक सभा के चुनावों में कांग्रेस इस प्रदेश में हार गयी है लिहाजा इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और सदन में भी अपने को अल्पमत में मान लेना चाहिए। मैं यह जानता हूं कि वह एक कानून दां हैं। उन्होंने भारत का संविधान भी पढ़ा होगा कि लोक सभा का अस्तित्व और विधान सभा का अस्तित्व बिल्कुल अलग-अलग संविधान में स्वीकार किया गया है। संविधान में ऐसी कोई धारा नहीं है कि अगर लोक सभा में किसी को मत ज्यादा मिल गए हैं तो वह विधान सभा में भी शामिल किए जायेंगे। (शोर)

मैं आपसे संविधान की चर्चा कर रहा हूं, भावनाओं की नहीं। संविधान में इस प्रकार की कोई धारा नहीं है कि इसलिए यह मांग करना कि संविधान सभा में बहुमत दल को इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई संविधान के अनुसार नहीं है और न कोई न्याय संगत बात है, और न इससे कोई विशेष लाभ होता है। मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि केन्द्र में किसी पार्टी का कोई स्पष्ट बहुमत नहीं है। वह पार्टी की बहुत चर्चा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र में कोआलीशन मिनिस्ट्री है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

केन्द्र में जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत है ।

श्री ईश्वरी सिंह—

आपके मंत्रिमंडल म अकाली दल का मंत्री शामिल है। कांग्रेस फार डेमोक्रेसी का मंत्री शामिल है ।

(शोर)

श्री सत्य प्रकाश—

वह सब एक ही चुनाव निशान पर चुने गए हैं ।

श्री ईश्वरी सिंह—

इसको आप किसी एक पार्टी की सरकार नहीं कह सकते हैं। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र की बुनियादी बात ह कि जब तक कोई सरकार अपने स्थायी बने रहने का आश्वासन नहीं देती है तब तक उसका भविष्य उज्जवल नहीं माना जा सकता है और उस सरकार का कोई निर्णय और आदेश स्थायी नहीं माना जा सकता है।

आज श्री मोरार जी देसाई जो भारत के प्रधान मन्त्री हैं उन्होंने स्वयं वक्तव्य में स्वीकार किया है कि हमारी यह संयुक्त सरकार है। हमारी अकेले पार्टी की मिनिस्ट्री नहीं है। आज जो भारत सरकार बनी है उसके भविष्य का स्वयं पता नहीं है क्योंकि उसके अन्दर प्रजातंत्र को चलाने के लिए एक विचार नहीं है। सरकार केवल सत्ता के लिए नहीं बनाई जाती बल्कि प्रजातंत्र सरकार की नीतियों को अमल में लाने के लिए एक विचारधारा का होना जरूरी है। सारा भारतवर्ष जानता है कि आज भारत सरकार में कोलीसन मिनिस्ट्री बैठी है। उसके अन्दर एक विचार नहीं है और न उसके अन्दर एक पार्टी ही है। आप स्वयं जानते हैं भारत सरकार मे कई पार्टियां जनता पार्टी के नाम से शामिल हैं और उनकी अलग-अलग नीतियां हैं तथा अलग-अलग पार्टियां हैं जैसे—जनसंघ, बी0के0डी0, सोशलिस्ट आदि और इसलिए उनका अस्तित्व भी अलग-अलग है। कांग्रेस फार डिमोक्रेसी का अभी तक कोई न विधान है और न कोई झंडा है तथा न कोई नियम बने हैं। इस प्रकार भारत सरकार जो गठबन्धन की सरकार हो तो हमारी प्रदेश सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि उस गैर चुनी हुई सरकार की रक्षा करे। हम यह पद के लालच से नहीं कह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के अन्दर हमेशा परम्परा रही है और रहेगी कि जहां शासक शासन चला सकते हैं वहीं विरोधी दल की हैसियत से भी हम अच्छे हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हुल्लड़बाजी से इस्तीफा दे देंगे, यह नहीं होगा। विरोधी दल का यह अधिकार नहीं है कि वह हमसे इस्तीफा मांगे। इस्तीफा देने का हमारा अधिकार है। हमने अपना नेता चुना है। इसलिए हमारा अधिकार है कि जब तक हमारी इच्छा है, हम उनको रखेंगे ।

श्रीमन्, केन्द्र में जो गठबन्धन के नाम से मिनिस्ट्री बनी है और जिसकी विदेश नीति स्पष्ट न हो तथा देश मे क्या कार्य करेंगे यह स्पष्ट न हो। इसके अलावा देश के तरक्की के बारे मे, खेती के तरक्की के बारे में तथा उद्योग धंधों की तरक्की के बारे में आपकी कोई योजनाएं नहीं हैं। हमारे विरोधी दल के नेता बोल रहे थे तो मुझे शक था कि वह कैसे बोल रहे हैं। संसार में कोई भी ऐसी सरकार नहीं है कि जो सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को खत्म करके चले। इस प्रकार की कोई भी सरकार नहीं चला सकता है। आप जब तक दूसरे उपाय न बतायें कि सरकार साधनों को किस प्रकार बढ़ाएगी तब तक गलत कहना ठीक नहीं है। आपकी पार्टी लोगों को खुश करना चाहती है इसलिए नं0 दो का पैसा जोकि मिला हुआ है तथा विदेशों से जो पैसा मिला हुआ है उसको खर्च करेंगे। आप कहते हैं कि बिक्री-कर समाप्त करेंगे तो यह सिद्ध करता है कि आपको इस क्षेत्र में ज्ञान नहीं है कि किस तरह से देश के उत्पादन को मजबूत किया जा सकता है। जबतक आप देश के सामने और कोई तरीका न रखें तब तक मोटे तौर पर कहना कि सेल्स टैक्स को समाप्त करेंगे

यह तर्क संगत बात नहीं है। इस तरह आपका दिमाग कन्सट्रक्टिव नहीं है, आपका दिमाग डिसट्रक्टिव है। आपको विदेशों से अन्धाधुन्ध पैसा मिला है।

श्री सत्य प्रकाश—

आप साबित करें कि विदेशों से पैसा मिला है।

श्री ईश्वरी सिंह—

इस बात में प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है. . . .

(व्यवधान)

हमारे एक भाई बहुत बोल रहे हैं। उनका अर्थ मैं जानता हूं। उनकी परिभाषा जनता के माने हैं व्यापारी . . . . . .

(व्यवधान)

इस तरह की बात करना और मांग करना, मैं समझता हूं, माफ कीजिए, आप सब शासक दल में नहीं बैठ पायेंगे। जब तक हम जनता के प्रतिनिधि जिन्दा हैं, मुश्किल है, आप सब शासक दल में नहीं बैठ सकते। मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सही या गलत तरीके से केन्द्र में शासक दल की हैसियत से बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ अपनी नीति की घोषणा कीजिए। आपको इस तरह गलत-सलत तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए जैसा आपने कहा कि हम तो सेल्स टैक्स तुरन्त खत्म कर देंगे। आप स्पष्ट बतायें कि सेल्स टैक्स की जगह पर हमारी इस प्रकार की योजना है, इस प्रकार के साधन हैं नहीं तो आपका एकदम यह कहना कि हम सेल्स टैक्स खत्म कर देंगे, एक्साइज ड्यूटी खत्म कर देंगे, इनकम टैक्स खत्म कर देंगे यह गैर जिम्मेदारी है। जितनी गैर जिम्मेदारी की बात चुनाव के दौरान आपने की थी हम अच्छी तरह जानते हैं। भारत का हर एक आदमी जानता है, नागरिक जानता है कि बिना साधन के कोई भी हुकूमत नहीं कर सकता, बिना साधन के देश की तरक्की नहीं हो सकती। अभी हमारे भाई ने एक बात की चर्चा की. . . .

(शोर) बात सुनिए।

मैं आपकी चिल्लाहट से बैठने वाला नहीं हूं. . . हमारे भाई विरोधी दल ने चर्चा की कि उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को आवेदन-पत्र दिया था, जिसमें उनकी कुछ मांगें थीं लेकिन उन मांगों पर गौर करने के बजाए उन्होंने इस देश में 25 जून, 1975 को इमरजेंसी लागू कर दी, उनके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और जेलों में उन्होंने यातनाएं-सहीं। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को जेल में तकलीफें हुयीं मैं भी इससे सहमत हूं और आश्वासन देता हूं कि मुख्य मन्त्री जी जिनको जानबूझकर तकलीफें दी गयी है गलत तरीके से उनकी जांच करके इस मामले में आपका साथ देंगे। आप नहीं जानते हैं कि 25 जून को रामलीला के मैदान में वहां पर सारे नेता विरोधी दलों ने फौजों को भड़काने की कोशिश की, पुलिस को भ काने की कोशिश की और विद्यार्थियों को भड़काने की कोशिश की परन्तु आप याद रखियेगा कि कोई भी प्रधान मन्त्री देश में ऐसा होने नहीं दे सकता है। मोरारजी भाई देसाई के प्रधान मन्त्री रहते हुए भी यदि कोई फौजों, पुलिस और विद्यार्थियों को भड़काने की कोशिश करेगा या सरकारी कर्मचारियों को काम न रने की सलाह देगा तो वह भी इसी प्रकार के तरीके काम में लायेंगे और इस तरह की हरकत करने वालों को जेल में डाल देंगे। कोई भी शासन कमजोर हाथों से नहीं चल सकता है।

हिन्दुस्तान या किसी भी देश के प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए या इस देश में अमन कायम रखने के लिए या इस देश की अखंडता को बचाने के लिए या सीमा की सुरक्षा के लिए मजबूत हाथ होना आवश्यक है। कमजोर हाथों से सुरक्षा नहीं हो सकती

[श्री ईश्वरी सिंह]

है। आपने चुनाव लड़ा और आप बहुत गौरवान्वित हैं कि आपने विजय प्राप्त की। इस सदन मे रह करके आपके बड़े भाई भी भ्रष्टाचार और सरकारी अधिकारियों के दुरुपयोग की चर्चा करते थे और आज आप भी वही कर रहे हैं। सारा उत्तर भारत जानता है कि आपने सरकारी कर्मचारियों का किस तरह से दुरुपयोग किया।

(शोर)

सत्य यह है कि सरकारी कर्मचारियों को आपने भड़काया है। यह तो चुनाव की चर्चा थी साथ ही साथ नेता विरोधी दल ने 20 सूत्री कार्यक्रम की चर्चा की (चिल्लाहट की आवाजें आने पर), अरे श्रीमान जी, जरा आप सुन लीजिए और उन्होंने यह कहा कि यह सब बेकार था। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, मान्यवर, आपके द्वारा, कि क्या हिन्दुस्तान की कोई ऐसी पार्टी है जो एलानिया यह कहे कि हम भूमिहीनों को भूमि नहीं देंगे या यह कहे कि गरीब लोगों को ऊपर नहीं उठायेंगे। यह 20 सूत्री कार्यक्रम कोई इंदिरा जी का निजी कार्यक्रम नहीं था, यह भारत सरकार का कार्यक्रम था। यह राष्ट्र का कार्यक्रम था और मैं यह जानता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के एक भी सूत्र का आप में से कोई विरोध कर सके ऐसी ताकत किसी मे नही है। इलेक्शन के दौरान खूब शिकायतें आयीं और परिवार नियोजन का विरोध किया गया परन्तु इस समय आपके बड़े भाई भी वही कर रहे हैं जो हमने इलेक्शन के पहले किया था। आपके आदरणीय बड़े भाई ने कहा था कि हम कानून बनायेंगे परन्तु आप याद रखियेगा जो देश के हित में कार्यक्रम होंगे चाहे वह कोई भी सरकार हो देश की तरक्की की जो योजनायें होंगी, उनको उसे चलाना होगा।

देश की हुकूमत को साधन इकट्ठा करने होंगे और आप थोड़ी सी क्षणिक जीत की खुशी में बहिए मत। यह संसदीय परम्परा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में आगे के लिए नीति को स्पष्ट किया जाता है, उसका आप जवाब दें। लेकिन धन्यवाद का प्रस्ताव पास करना जरूरी होता है और उसमें आप किसी सिद्धान्त की बात को मत मिलाइए। कोई जजबाती बात मत लाइए जैसे मास मीटिंग में कही जाती हैं, वह उचित नहीं होगा। आपके कन्धों पर भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी है हालांकि वह 4, 6 महीने से ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है लेकिन जब तक है तब तक आपको उसे महसूस करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि विरोधी दल इस धन्यवाद के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करेगा।

(जमुना प्रसाद बोस का नाम पुकारने पर।)

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय सदस्य ने अभी कहा कि माननीय सदस्य इस तरह से बोल रहे थे जैसे मिमया रहे हों। ये शब्द अपमानजनक हैं और इन पर मैं आपत्ति करता हूं। इन शब्दों को वापस लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आपको उसी वक्त खड़े होकर टोकना चाहिए था। आप बहुत विलम्ब से यह सवाल उठा रहे हैं।

श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)—

अध्यक्ष महोदय, जो धन्यवाद का प्रस्ताव धर्म सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं और आपके सामने एक ऐसी बात रखना चाहता हूं जिसको सुन कर यह सदन शर्म से झुक जायगा। जब चुनाव हो रहे थे तो एक मन्त्री, जिनका नाम लक्ष्मी शंकर यादव है, ने मऊ में भाषण देते हुए कहा कि जय प्रकाश जी ने फौज को बगावत के लिए ललकारा था और उसके लिए उनको चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए थी।

आज सारे देश ने जय प्रकाश जी का साथ दिया है, न कि उनको चौराहे पर गोली मार देने की हिमायत की। फिर इस प्रदेश में आज जो हो रहा है उसका जिक्र हमारे राज्यपाल जी ने नहीं किया है। आप देखें कि क्या रहा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो पेपर है जिसे नेशनल हेराल्ड कहते हैं उसमें 3, 4 दिन हुए यह छपा था कि कानपुर में पुलिस के दरोगा ने एक लड़की को रिकवर किया जिसे कलकत्ते मे भगा कर लाया गया था। उसके साथ एक पुलिस दरोगा ने बलात्कार किया, फिर दूसरे दरोगा ने बलात्कार किया, फिर तीसरे दरोगा के मित्र को उसे दे दिया गया। इसी तरह लखनऊ शहर में दो तीन दिन के अन्दर जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है वहां औरतों को मारा गया। आज के अखबार में छपा है कि लखनऊ में पुलिस के लोग पेट्रोल पर थे, ड्यूटी पर थे उन्होंने एक नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश की। एक व्यक्ति जो वहां मे जा रहा था उसकी घड़ी छीनी और साथ में 350 रुपए छीने। जिस सरकार के रहते हुए ऐसी घटनाएं आये दिन हो रही हों उसमें अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो उसे किसी तरह भी इस प्रदेश की सरकार कहलाने का हक नहीं है।

(इस समय 2 बजकर 5 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

आज इस देश में क्या हो रहा है यह मैं आपको बताना चाहता हूं। अपनी बात आपको बताऊं कि जब मैं सोसलिस्ट पार्टी में था तो मैं नैनी सेंट्रल जेल में बन्द था। मैंने अक्टूबर, 75 में माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा कि मेरी नस में ट्यूमर हो गया है लिहाजा मुझे अस्पताल में भेजा जाय क्योंकि मैं सो नहीं पाता हूं। लेकिन न तो मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया न स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया और न मेरे इलाज की ही कोई व्यवस्था हुई साथ ही हमारे अधिकारों के रक्षक माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी हमारी कोई परवाह नहीं की। सी0 पी0 एम0 के बाबा रामनाथ जी, माधव प्रसाद जी और मैं नैनी सेंट्रल जेल में बन्द थे, हमारे एक भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 थे हमसे जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने मिलाने से इनकार कर दिया। इस तरह का हाल इस कांग्रेस सरकार ने विधायकों का कर दिया है और तब यह सरकार चाहती है कि उसके द्वारा प्रस्तावित राज्यपाल का अभिभाषण हम पारित करें। यह कैसे हो सकता है? मैं समझता हूं कि कांग्रेस के विधायक भी यह चाहेंगे कि वे इस प्रस्ताव को पारित न होने दें। यह उनका भी उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे इसे गिरा दें।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डा0 रघुवंश हैं, जिनको नैनी सेंट्रल जेल में बन्द किया गया था डी0 आई0 आर0 और मीसा में, उनके दोनों हाथ नहीं हैं। उनके ऊपर इस कांग्रेस सरकार का यह चार्ज था कि ये तार काट रहे थे। जब कि डा0 बनवारी लाल शर्मा, उसी विश्वविद्यालय के लेक्चरर उनको सोचाते, नहलाते, धुलाते थे। इसके आलावा जैसा कि माननीय मालवीय जी ने कहा है कि नैनी सेन्ट्रल जेल में 4 व्यक्ति जो मीसा में बन्द थे वे मर गये। एक व्यक्ति के लिये डाक्टर नैथानी ने कहा कि ये आपरेशन टेबल में ही मर जायेंगे। इस्लामियां कालेज के प्रोफेसर शकील अहमद को 6 बार अस्पताल ले जाया गया। न अस्पताल जिम्मेदारी लेना चाहता था और न जेल ही जिम्मेदारी लेना चाहता था लिहाजा वे जेल में ही मर गये। इस तरह की हत्यायें इस कांग्रेस की सरकार ने की हैं। एक डाक्टर सत्यवृत्त सिन्हा हैं जो कि जेल में बन्द थे जिनके लिये कहा गया कि इनको 'अस्पताल में भेजा जाय, लेकिन उनको न भेजा गया वे 6 महीने से बीमार थे। 6 महीने पहले ही उन्हें अस्पताल भेज दिया जाता तो वे न मरते। यह उनकी मौत नहीं बल्कि हत्या की गई। इस हत्या का बदला अब जनता पार्टी की सरकार लेगी। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस सरकार को हम सब लोग ठुकरायें। इसके साथ ही मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि आज बांदा जिले में क्या हो रहा है? वहां पर इमरजेंसी काल में एक व्यक्ति कामता प्रसाद मिश्रा हैं न तो वह कोई डाकू था और न कातिल। अगर वह डाकू

[श्री जमुना प्रसाद बोस]

होता तो उसे बंदूक का लाइसेंस नहीं दिया जाता। उसकी बंदूक को पुलिस छीनना चाहती थी ताकि वह उनको रुपया दे। वह एक बुड्ढा आदमी था उसने बंदूक देने से इनकार कर दिया। उसे पुलिस वालों ने मारा और मारते मारते उसे नरैनी थाना ले आये। उसकी बुड्ढी औरत उसको बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन इमरजेंसी थी उसे कोई नहीं बचा सका और उस आदमी को इतना मारा कि वह मर गया। मर जाने के बाद जब वहां के बार एसोसियेशन ने प्रस्ताव पास किया कि उन दरोगा को जेल भेज दिया जाय और हत्या का मुकदमा चलाया जाय, लेकिन वह नहीं किया गया और वे दोनों दरोगा बरकरार हैं। इस प्रकार इस सरकार का प्रशासन चल रहा है।

आज राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम अध्यापकों का, शिक्षकों का उद्धार करना चाहते हैं। आप किस तरह उद्धार करना चाहते हैं? उनको महीनों से तनखाह नहीं दी गई है। बांदा में दिसम्बर में तीन हजार अध्यापकों का 8 लाख रुपया अल्पबचत योजना में जमा कर दिया गया। जब मैं मीसा से 26 जनवरी को छूट कर आया तो हम लोगों ने कहा कि तमको तनखा देनी पड़ेगी। लेकिन दिसम्बर का पूरा वेतन नहीं दिया गया और उसे अल्पबचत में जमा कर दिया गया। उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वहां के लोगों ने यहां के शिक्षा मंत्री को लिखा, राज्यपाल को लिखा लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अगर वहां कोई सरकार होती, कोई ऐडमिनिस्ट्रेशन होता तो तीन हजार अध्यापकों का वेतन कैसे नहीं दिया जाता? अधिकारियों का चुप रहना बताता है प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं है। इसके बावजूद भी ये लोग कहें कि प्रदेश में वैधानिक सरकार है। तो सरकार कहां है? जनता ने आज उत्तर प्रदेश में 85 व्यक्तियों को कांग्रेस वालों को हरा कर साबित कर दिया है कि इन पर विश्वास नहीं है। उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ लोग, यहां का चप्पा-चप्पा आज सरकार के खिलाफ है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है कि नैतिकता के नाम पर, वैधानिकता के नाम पर शासन कर सके। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के इस भाषण के प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव धर्म सिंह जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बार-बार दुहाई दी जाती है कि जनता का फैसला जनता पार्टी के हक में हुआ इसलिये सरकार नहीं चलनी चाहिये, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये। 1971 में भी ऐसा ही फैसला हुआ था तब टी० एन० सिंह की सरकार ने त्यागपत्र नहीं दिया, पंजाब में बादल सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया इसी तरह चरण सिंह सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया। 1971 में बी० एल० डी० वाले बाहर क्यों नहीं चले गये क्यों सदन में बने रहे? यह एक ढकोसला मात्र इनका है। अपने गरेबां में भी देखो तुमने कब नैतिकता का पालन किया। प्रजातन्त्र की दुहाई देते हो लेकिन काश्मीर में कांग्रेस का बहुमत होते हुए सारे नियमों को बालाए ताक रख कर विधान सभा भंग कर दी गई है। तो क्या यह प्रजातंत्र है? किस मुंह से प्रजातंत्र की दुहाई देते हो? आपके जार्ज फर्नान्डीज ने कहा है पार्टी में नेता का चुनाव लोकतान्त्रिक तरीके से नहीं हुआ है, प्रजातान्त्रिक तरीके से होना चाहिये और उस तरीके से नहीं होना चाहिये, जिसके लिये हम लोग कांग्रेस की आलोचना किया करते थे, आकाशवाणी का हमने भी अपने लिए इस्तेमाल किया है, उसका जिस ढंग से इस्तेमाल हुआ है, उससे लोकतन्त्र देश में नहीं रह सकता है। तो आप जब अपने नेताओं की बात नहीं मानते हैं और उसको काट देते हैं तो फिर आप किस लिए प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं और उसका दिखावा करके उसका ढोंग क्यों रचते हैं? आप कितने लोकतन्त्रीय हैं, यह मुझे तथा देश की जनता को सब अच्छी तरह पता है। बार-बार कहा

जाता है कि अस्पताल का पर्चा 10 पैसे का एक रुपये का कर दिया गया है, हम उसे ठीक कर देंगे और सेल्स टैक्स को खत्म कर देंगे। यह खाली सस्ती लोक प्रियता हासिल करने की बातें हैं, यह कुछ होना नहीं है। यह सारी शेखचिल्ली की बातें हैं। असल बात यह है कि नसबन्दी के नाम पर जनता हमसे कुछ नाराज हो गयी थी, जिसका खूब बढ़ाचढ़ा कर प्रचार किया गया, उछाला गया और जब ग्रामीण औरतें व सीधे सादे बिना पढ़े लिखे व्यक्ति वोट डालने गये तो उनके हाथों से पेपर छीनकर उन पर जनता पार्टी वाले खाने का ठप्पा लगा दिया गया। अभी आप लोग कह रहे थे कि नसबन्दी जुड़वाये सरकार।

श्री राजनारायण जी और देसाई जी से आप लोग जुड़वाइये अब तो आपकी सरकार हैं। आपकी सरकार नसबन्दी की कोई बात न करें, उसके लिये कोई अपील न करें, उस पर कोई जोर न दे, तो मैं समझूं आपकी सरकार जो कहती है, वह करती है। लेकिन आपकी सरकार भी वही सब करेगी, जिसके लिये आप हमें दोष देते हैं, आपके नेता कहते हैं कि तीन के बाद बच्चा पैदा होता है तो उसका राशनकार्ड में नाम नहीं होगा, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा वह बच्चा अवैध होगा। थोड़ी नौकरशाही हमसे नाखुश थी और थोड़ी नसबन्दी की बात थी, वरना हम आपकी हिम्मत देखते कि आप कैसे इस कांग्रेस सरकार को हरा पाते। देखते आपकी सरकार कैसे सेन्टर में बनती? विरोधी दल वाले ज्यादतियों की बात करते हैं लेकिन जब उनकी सरकार थी और चौधरी साहब मुख्य मंत्री थे उन्होंने कौन कम हैरत अंगेज अत्याचार अपने समय में किये हैं। सन् 57 में जो व्यक्ति चौधरी चरणसिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उसका नाम सरदार प्रीतम सिंह था, उसे बाद में उनके द्वारा मरवा दिया गया था और उनके हत्यारों को हाईकोर्ट से इन्हीं ने छुड़वा दिया था। अबकी बार ही इसी चुनाव में राजेन्द्र शर्मा यूथ कांग्रेस के छोटे भाई श्री रमेश चन्द्र शर्मा को इनके ही आदमियों ने गोली मार दी। पहले उसके घर को 20 लोगों ने घेर लिया और उसके छोटे भाई से राजेन्द्र शर्मा के बारे में पूछा और उसके न मिलने पर उन्होंने उसको ही गोली से मार दिया और चार-पांच को जख्मी कर दिया। इस बार क्या कम अत्याचार हुए? 21-3-77 को राणा गांव में एक लाश मिली, 23-3-77 को भी एक लाश लूम में मिली। ग्राम तिलवाड़ा में 6 साल की एक लड़की को कुछ आदमी पकड़ कर ले गये, क्योंकि उसके घर पर कांग्रेस का झण्डा लगा था। उसकी लड़की को पकड़ कर लाया गया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया आज भी वह लड़की प्यारे लाल शर्मा अस्पताल में भर्ती है। .....(व्यवधान).....फिर भी आप जनतन्त्र की बात करते हैं। आप कुछ दिन इन्तजार कीजिए, जनता आपको पहचान रही है, वह ऐसा सबक सिखाएगी कि आप सारे जीवन याद कीजिएगा। श्रीमन्, यह तो मैंने इनकी हुल्लड़बाजी का जवाब दिया है। मैं तो हुल्लड़बाजी में विश्वास नहीं करता हूं, न ही मेरा दल। (व्यवधान)। मैं आपसे कम दलबदलू हूं। मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं थीं, उनको लेकर मैंने इस्तीफा दिया था और जब वह पूरी हो गयीं, तो मैंने वापस ले लिया और कांग्रेस में ही हूं। इस बीच न तो मैंने कोई बयान दिया न किसी पार्टी का कार्य किया और न ही कुछ कांग्रेस के विरोध में कहा। आप गलत कहते हैं। असत्य बात कहना आपका पेशा हो गया है, यह हमारा पेशा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो कहा है, वह इस प्रदेश की साल भर की तरक्की का एक रास्ता है। उन्होंने जो अपने भाषण में कहा, उसे पहले से ही अध्यादेश के द्वारा लागू करवा दिया है। आप यह भी कहते थे कि सरकार ने प्राइवेट कर्जे तो माफ करवा दिये, सरकारी नहीं, अपने सरकारी कर्जे माफ करें तो हम जानें। इसी पर गम्भीरता पूर्ण विचार कर सरकार ने निर्णय लिया और प्राइवेट लोगों को कर्जे से मुक्ति दिलाई, गरीबों को और सरकार ने अपना कर्जा भी माफ किया। एक एकड़ तक के किसानों और भूमिहीनों पर सरकारी कर्जा माफ कर दिया है। इसके साथ प्राइमारी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल के मास्टरों को पेंशन जो 60 से 65 रुपये मिलती थी अब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के बराबर करने का फैसला किया है और अब 400रु0

[श्री प्यारे लाल]

तक पेंशन मिलेगी। 17 लाख आदमियों को जमीन दी गयी खेती के लिये। लाखों आदमियों को मकान बनाने के लिये जमीन दी गयी है। यह हम देश और प्रदेश की तरक्की के लिये किये हैं जिनका आप सब बैठ विरोध कर रहे हैं, इसका विरोध करके आप जिन्दा नहीं रह पाएंगे। (व्यवधान) हम सही बोल रहे हैं। असत्य बोलना तो विपक्ष के जिम्मे सौंप दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, ये जो काम हैं, देश और प्रदेश की तरक्की के काम हैं, ऐसे काम हैं जो बुनियादी काम हैं जिससे गरीब देश तरक्की कर सकता है और करेगा भी तो हमने गरीबों को जमीन दे कर, कर्जा माफ करके, गरीबों को कर्जा दिलाकर, कुटीर उद्योग खोलने के लिये, अध्यापकों की तनख्वाह बढ़ा कर, छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा कर, उनकी पेंशन बढ़ा कर हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे देश और प्रदेश की तरक्की होती है। (व्यवधान) 1971 के चुनाव में चौधरी चरण सिंह की बी0 ए0 डी0 समस्त प्रदेश में केवल एक सीट जीत पायी थी और वह भी हिन्दू मुसलमानों का घिनौना झगड़ा कराकर (व्यवधान तथा शोर) सत्तारूढ़ पार्टी के पास (व्यवधान और शोर) सी0 आई0 ए0 का पैसा आपने लिया। सी0 आई0 ए0 का पैसा नहीं लिए तो पचासों तरह के चमचमाते पोस्टर कहां से लगाये? सी0 आई0 ए0 के लोगों और इन कर्मचारियों के बल पर, इन दो फैक्टर्स से जीत गये तो समझते हैं कि तीसमार खां बन गये। सीमेन्ट, लोहा व अनाज की कीमत बढ़ गयी है। जो जीवन के लिये जरूरी चीजें हैं उनकी कीमतें बढ़ गयी हैं। आपने ब्लैकमार्केटिंग करने वालों और रिश्वतखोरों से पैसा लिया। आप समझते हैं कि क्या ये त्यागी हैं जितना दिया है उसका सौगुना कमाएंगे व गरीबों का शोषण करेंगे। जो इस देश को गड्ढे में गिरायेगा। अगर आपकी सरकार एक साल भी चल गयी तो देश पांच साल के लिये पिछड़ जायगा। इन्दिरा गांधी ने देश को उन्नत कर आसमान की सतह तक पहुंचा दिया। जब आप उससे ऊपर उठा देंगे तब देखेंगे। कभी नहीं इस से ज्यादा उठा पाएंगे। आप अमेरिका की गोद में बैठे है, बैठेंगे और पंजीवाद कायम करेंगे, समाजवाद को रसातल में पहुंचायेंगे, साम्प्रदायिकता को बढ़ाएंगे और गंदे झगड़े कराएंगे, अमीर को और अमीर व गरीब को और गरीब बनाएंगे व शोषण कराएंगे गरीबों का। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि धर्मसिंह जी के प्रस्ताव को यह सदन भारी बहुमत से पास करेगा।

*श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री ईश्वरी सिंह जी ने विधान सभा के विरोधी दल के नेता को जो मिमियाने की बात कही है मैं समझता हूं कि ईश्वरी सिंह जी भी भौंक रहे थे, यह बात कही जाय तो उपयुक्त होगी। माननीय ईश्वरी सिंह जी दल बदल कर गये हैं। कम से कम उनको नैतिकता की बात नहीं करनी चाहिये क्योंकि वह पार्टी छोड़ कर गये हैं।

माननीय प्यारेलाल जी शर्मा ने लोकतन्त्र की बात कही है। मैंने भी कुछ दिन पहले सुना था कि वह जनता पार्टी में आ गये हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

बैठिए, बैठिए, आप बोलने दें।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

मुझे को यह पता लगा (शोर) माननीय उपाध्यक्ष जी आप राय दें। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय ईश्वरी सिंह बैठने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

अभी श्री चन्द्र जीत यादव के यहां जो बैठक हुई उसमें मांग की गयी है कि श्री संजय गांधी को त्याग पत्र दे देना चाहिये और बंसी लाल त्याग पत्र दें। यह कांग्रेस वालों ने मांग की है और यह लोक तंत्र की मांग करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में 85 सीटें हार गये। एक भी विधायक नहीं जीता है। इस नैतिकता के आधार पर कांग्रेसी सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिये, लेकिन इनकी यह पुरानी परम्परा रही है। कोई भी कांग्रेसी विधायक नहीं जीता है। इसलिये इन सबको त्याग पत्र दे देना चाहिये। आज लोक तंत्र की बात करते हैं। मान्यवर, आज रुपय पैसे की बात की जाती है। एक-एक क्षेत्र में कांग्रेस वालों ने 18–18 जीपें दीं। संजय गांधी के चुनाव में एक करोड़ रुपया और इन्दिरा गांधी के क्षेत्र में एक करोड़ रुपया खर्च किया गया। यह सारे देश में जो 40 करोड़ रुपया खर्च किया गया है वह कहां से आया। यह लोक तंत्र की बात करते हैं। नसबन्दी के अन्तगत सरकारी कर्मचारियों के तबादले किये गये उनके वेतन रोके गये कि जो कोटा निर्धारित किया गया है वह पूरा होना चाहिये।

मैं कहना चाहता हूं कि आपने शहरों को सुन्दर बनाने के लिये एक योजना बनायी जिसके अन्तर्गत 200–200 वर्ष पुराने मकान गिरा दिए गये और उनको मुआविजा तक नहीं दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि उनको मुआविजा मिलना चाहिये। वह किसके आदेश से गिराये गये इसकी जांच होनी चाहिये और जो जांच हो उसको इस सदन के पटल पर रखा जाना चाहिये। तमाम लोगों को मीसा और डी0 आई0 आर0 में बन्द किया गया। तमाम सरकारी कर्मचारियों को मीसा में बन्द किया गया और उनकी सर्विस समाप्त कर दी गयी, लेकिन आज तक उनको दुबारा सर्विस में नहीं रखा गया। मीसा और डी0 आई0 आर में बन्द लोगों के परिवारों का कोई भत्ता नहीं दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि फैजाबाद जिले में एक डिग्री कालेज है जो लड़कियों का है जो 5 वर्ष से चल रहा है और उसका रिजल्ट शत प्रतिशत आता है लेकिन उसको मान्यता नहीं दी गयी है।

मान्यवर, यह किसानों के हमदर्द बनते हैं। आज 15 रु0 प्रति हार्स पावर नल कूपों पर चार्ज किया जा रहा है और आज वह बेचारा किसान मर रहा है, लेकिन इनको कोई दर्द नहीं है। जनता पार्टी ने साफ कह दिया है कि हम सेल्स–टैक्स हटायेंगे तो उसे उत्पादन के आधार पर हटायेंगे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि फैजाबाद नगरमहापालिका 3 वर्ष से जब्त पड़ी हुई है और यह प्रजातंत्र की बात करते हैं। क्यों नहीं यह चुनाव करवाते हैं? उसको सुपरसीड किए हुए हैं। फैजाबाद में जो सड़क के लिये अनुदान मिला हुआ है उसको युटिलाइज नहीं किया गया है और सरकार अपने लोगों को पाल रही है।

फतेहगढ़ की जेल एशिया में सबसे बड़ी जेल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे रद्दी और भ्रष्टाचार से भरा केन्द्रीय कारागार है। वहां का डाक्टर उन लोगों से जो बीमार भी नहीं होते हैं 20–20 रुपया लेकर अस्पताल में भर्ती करवा देता है और जो वहां पर राजनीतिक कैदी बन्द हैं उनके उपचार के लिये 8–8 घंटे तक भी उपलब्ध नहीं होता है। इस केन्द्रीय कारागार में दवाइयां भी उपलब्ध नहीं हैं। यही नहीं जिस कैदी को वहां से छुट्टी मिलती है न उनको रास्ते का व्यय मिलता है न भोजन के लिये पैसे ही दिए जाते हैं लेकिन रजिस्टर पर 2–2 रुपये लिख दिए जाते हैं, जब कि एक पैसा भी उनको नहीं दिया जाता है। अभी हाल में 27 मार्च को कुछ कैदी 6 बजे शाम को छुटे लेकिन उन्हें कोई मार्ग व्यय नहीं दिया गया। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करा लें।

हमारा शहर ही नहीं अपितु जिला भी बहुत पिछड़ा हुआ है। शहरों और देहातों की एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिन पर आदमी चल सके। मैं चाहूंगा कि सरकार को हमारे जिलों की सड़कों का नवीनीकरण कराना चाहिये। माया से श्रृंगीऋषि, माया से दिलासीगंज और माया से दलपतपुर को जो सड़कें जाती हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा है। मैं चाहूंगा कि

[श्री वेदप्रकाश अग्रवाल]

सरकार उनकी ओर ध्यान देकर उन्हें ठीक करावे। हमारे जिले में अयोध्या में राम नवमी के अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें 10 लाख लोग के करीब लोग इकट्ठे होते हैं। वहां पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी लगता है लेकिन सरकार की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी यह भी प्रार्थना है कि सरकार अयोध्या के मेले का राष्ट्रीयकरण करे और इसको अपने हाथों में लेकर इसके काम को ठीक से चलावे।

इसी प्रकार से हमारे शहर में गुसाईगंज क्षेत्र है। उसमें बहुत बड़ा बाजार है लेकिन वहां पर कोई चिकित्सालय नहीं है। फैजाबाद जो एक कमिश्नरी भी है उसमें जो अस्पताल है उसमें विधायकों तक के लिये दवा नहीं है। मैं बीमार रहता हूं लेकिन जब भी वहां से दवा लेने गया वह उपलब्ध नहीं हो पाती है।

इन शब्दों के साथ मैं पूरे सदन से आशा करता हूं कि माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण सदन में हुआ है, उस पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव को अस्वीकृत करें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अभी उस पक्ष से प्रजातंत्र की दुहाई दी गई और बहुत सी बातें भी कहीं गईं। हमारी तरफ से माननीय ईश्वरी सिंह जी ने नेता, विरोधी दल के बारे में कुछ कहा तो यह संज्ञा दी गई कि वे भौंक रहे हैं। यह खीज के अलावा और कोई बात नहीं है। माननीय ईश्वरी सिंह ने सही ही कहा कि पिछले 3 वर्षों में हमें जो नेता, विरोधी दल के भाषण सुनने को मिले उनकी तुलना में यह इतना कमजोर था कि उसमें कोई तथ्य ही नहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी के भाषण में जो कमी है, उसको आप पूरा कर देंगे, काहे को उनके बीच में पड़ते हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

श्रीमन्, नेता विरोधी दल है ही नहीं, वे तो उनकी कार्बन कापी हैं, जो उधर बोल रहे थे। उधर से बहुत सी बातें कही गईं। जहां तक प्रजातंत्र की दुहाई की बात है। मैं बहुत साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि, यह हो सकता है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री, इन्दिरा गांधी जी चुनाव में परास्त हो गई हों लेकिन हमारी वे नेता हैं, सदैव रहेंगी और भारत के प्रजातांत्रिक तत्वों का नेतृत्व हमेशा करती रहेंगी क्योंकि इस देश में उनसे बड़ा प्रजातंत्र का रक्षक दूसरा है नहीं और जनता का फैसला ..... (व्यवधान) आप सुनने का कष्ट करें। बदकिस्मती यह है कि जब हम बोलते हैं तो आप सुनना पसन्द नहीं करते हैं और जब आप बोलते हैं तो आप चाहते हैं कि हम सुनें। भारत की नेता इंदिरा गांधी ने जनता के उस फैसले को मानते हुए एक क्षण भी नहीं लगाया और गरिमा के साथ और हिम्मत के साथ वह पद से अलग हो गयीं और सत्ता जनता पार्टी के हाथ में दे दी। इससे बड़ा प्रजातंत्र का रक्षक और कौन हो सकता है, उसकी मिसाल इतिहास में मिलती नहीं है। और आप प्रजातंत्र के रक्षक कब से हो गये? मुझे याद है, 1970 में जब संविद सरकार की तरफ से त्रिभुवन नारायण उसके मुख्य मंत्री थे और मनीराम से आम चुनाव लड़ रहे थे तो उनके मुकाबले में इंदिरा जी के एक सिपाही श्री रामकृष्ण द्विवेदी खड़े हुए और उन्होंने 16 हजार वोटों से आपके मुख्य मंत्री को हरा दिया। फिर भी उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था और जनता की राय को ठुकराया था और अब आप प्रजातंत्र के हिमायती बनते हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शाक्य जी, बैठ जायं। बैठ कर बात करें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मैं बहुत नम्रता से कहना चाहता हूं कि आपकी बात में जोश हो सकता है, लेकिन कोई तथ्य कभी भी नहीं रहा। आप भ्रष्टाचार को रोकने की बात कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त भारत की जो मिली जुली जनता पार्टी की सरकार है वह सबसे बड़ा सबूत है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया गया है। बीजू पटनायक साहब जब कांग्रेस में थे तो आपकी तरफ से बड़े जोरों से कहा जाता था कि वे भ्रष्टाचारी हैं, उनकी जांच की जाय और जब सी0 बी0 आई0 की जांच के आधार पर उनको कांग्रेस से अलग कर दिया गया तो आज वह आपके मंत्री बने बैठे हैं और आप भ्रष्टाचार के विरोध की बात करते हैं। श्री प्रकाश सिंह बादल ..... (व्यवधान) आप सुनते नहीं हैं यह बदकिस्मती है। श्री प्रकाश सिंह बादल जो अकाली दल के नेता हैं और आपके मंत्री हैं पंजाब से, उनके खिलाफ भी एक कमीशन बैठा था और उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध हुआ। आज वे केन्द्रीय सरकार के मंत्री बने बैठे हैं। जार्ज फर्नांडिस की बात सुनें.....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी, आपको माननीय सदस्यों की बातों का ही उत्तर देना चाहिये और उन्हीं के सम्बन्ध में कहना चाहिये जो सदन में आकर स्पष्टीकरण दे सकें, कुछ कह सकें। किन्ही केन्द्र के मंत्रियों पर आरोप लगाना कहां तक उचित है ?

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

आप भूल गये.... आप भूल गये.....

(किसी सदस्य के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री गंगा प्रसाद जी, बैठने की कृपा करें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

आप भूल गये कि फर्नांडिस साहब ने जब रेल की हड़ताल करायी थी वह ऐसा समय था जब गुजरात और महाराष्ट्र में अकाल पड़ रहा था और मजबूती के साथ जब हड़ताल नहीं होने दी गयी तो जार्ज फर्नांडिस ने माउत्से तुंग को एक पत्र लिखा था। क्या रिश्ता था माउत्सेतुंग का हिन्दुस्तान से ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मेरी घोर आपत्ति है कि माननीय सदस्य बिलकुल तथ्यों के विरुद्ध भाषण कर रहे हैं और उनको बिलकुल किसी बात की जानकारी नहीं ..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठने की कृपा करें। आपको अगर कहना है तो आपको समय मिलेगा, उस समय जवाब दीजियेगा। आप किसी को बोलने से रोक नहीं सकते।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मैं जानता हूं कि सत्य कटु होता है, उसको सुनने में तकलीफ होती है, उसको सुनने की कृपा करें..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठ जायं। यह अच्छा नहीं लगता।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

जार्ज फर्नांडिस साहब ने माउत्से तुंग को पत्र लिखा था। माउत्सेतुंग का हिन्दुस्तान से अगर कोई रिश्ता है तो यही है कि चीन न लद्दाख और नेफा की वादियों में हमारे बेगुनाह

[श्री विमल प्रसाद तिवारी]

जबानों का खून बहाया। भारत का यदि कोई रिश्ता है माओ के चीन से तो वह यह कि हम उस खून का बदला लेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

इस सदन में इस प्रकार से.....

श्री उपाध्यक्ष —

जब समय आपको मिलेगा, तो आप जवाब दे दें। यह मुनासिब नहीं लगता कि किसी के बोलने के बीच में आप हस्तक्षेप करें। जब आपको वक्त मिले, तो आप अपनी बात कह दें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

ये अपनी कटु से कटु बात को भी हमें सुनाना चाहते हैं और हमारी सत्य बात को भी सुनना नहीं चाहते। यही इनका प्रजातांत्रिक नमूना है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

हम भाषण सुनना चाहते हैं, बकवास सुनना नहीं चाहते।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

आप सुनें कृपा कर के और जब आप का नम्बर आये, तो जवाब दें।

नेता, विरोधी दल ने बड़े जोर से न्यायपालिका की रक्षा की बात कही। न्यायपालिका की हत्या की सब से पहली बात प्रधान मंत्री मोरार जी भाई ने डायनामाइट के मुकदमें को वापस कर के की।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय बाबू लाल जी, बैठने की कृपा करें। जब आपका वक्त आये, तब आप जवाब दे लीजियगा। अभी आप शान्ति से सुनें।

श्री बाबू लाल वर्मा—

अनर्गल भाषणों को सुनने के लिये हम तैयार नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप से सीख कर तो वह भाषण देंगे नहीं। अपनी बुद्धि विवेक से जो वह बोल रहे हैं, बोलने दीजिये।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

हम लोग जो इधर बैठे हैं उनकी बदकिस्मती यह है कि हमारे ऊपर कटु से कटु आरोप लगाये गये, हमने सुना, लेकिन हमारी बात वह सुनने को तैयार नहीं है। जब-जब यहां सवाल उठे हैं आपने माग की है कि सी0 बी0 आई0 से जांच की जाय। यानी जिस सी0 बी0 आई0 की निष्पक्षता पर आपको विश्वास था उसी सी0बी0आई0 ने जांच करके जब फर्नांडीस साहब पर मुकदमा चलाया तो उस मुकदमे को उठा कर आप न्यायपालिका की रक्षा करना चाहते हैं। आपको न्यायपालिका के फैसले का इन्तजार करना चाहिये था। लेकिन आपने मुकदमा वापस ले कर न्यायपालिका को पंगु बना दिया।

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

यह माननीय गवर्नर साहब के भाषण पर बहस हो रही है या..... (व्यवधान)

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मैं चुनौती देना चाहता हूं बहुत नम्रता के साथ कि कांग्रेस के 30 साल के शासन में एक वभी ि साल नहीं बता सकते कि जब अदालत में मुकदमा चल रहा हो और वह इस तरह से ापस लिया गया हो जिस तरह से फर्नांडीज साहब के खिलाफ मुकदमा वापस लिया गया है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

एक नहीं, सैकड़ों मुकदमे वापस लिये गये।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

चूंकि फर्नांडीस साहब को सजा हो जाती इसलिये मुकदमे को उठा लिया गया।

श्री मधुकर दिघे—

इटावा में 302 का मुकदमा वापस लिया गया।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

वह तो संयुक्त विधायक दल के जमाने में हुआ था, कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ था। (लालबत्ती) जलने पर मुझे इतना टोका गया है कि मुझे एक मिनट का समय और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आपके 2 मिनट और हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

प्रजातन्त्र की रक्षा की दुहाई दी जा रही है। और प्रजातन्त्र के रक्षक कौन हैं? अभी-अभी कश्मीर में क्या हुआ? बहुमत स्पष्ट हमारा था 76 के सदन में। लेकिन फिर भी आपने विधान सभा को भंग कर के प्रजातन्त्र की कब्र खुदवा दी और आप कहते हैं कि प्रजातन्त्र के दुश्मन हम हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1967 में भारत की प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी थीं और माननीय श्री द्वारका प्रसाद मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और उसी वक्त द्वारका प्रसाद का बहुमत समाप्त हुआ। उन्होंने राज्यपाल को कहा कि विधान सभा भंग कर दी जाय। लेकिन प्रजातन्त्र की महान रक्षक इन्दिरा गांधी ने द्वारका प्रसाद की मांग को ठुकरा कर श्री गोविन्द नरायन सिंह को संविद की सरकार बनाने को कहा। आप बिक्री कर को समाप्त करने की बात करते हैं। जब आपकी संविद सरकार आयी थी तो आपने उसे क्यों नहीं समाप्त किया..... (व्यवधान) जय प्रकाश नारायण जी के आप बड़े समर्थक हैं? ..... (व्यवधान—शोर) जय प्रकाश नारायण जी जो कुछ चाहते हैं उसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं..... (व्यवधान)

एक सदस्य—

जेल में जय प्रकाश नारायण जी के दोनों गुर्दों को खराब कर दिया गया।

(व्यवधान)

श्री बिमल प्रसाद तिवारी—

इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं और इस विश्वास के साथ करता हूं कि आप चाहें जितनी भी तोड़-फोड़ कर लें, मगर कांग्रेस दल के विधायक चट्टान की तरह अपनी जगह पर अडिग हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे शान्ति के साथ एक दूसरे की बातों को सुनने की कृपा करें। आखिर प्राइमरी स्कूल के मास्टरों की तरह मैं यह कहूं कि कैसे आप बैठिये, कैसे बोलिये, तो यह मुनासिब नहीं है। इस तरह से बड़ी परेशानी हो जाती है। माननीय सदस्यगण, आप कृपया हमारी मदद करें। माननीय बाबू लाल वर्मा जी जैसे लोग एक-एक मिनट में जब खड़े होने लगे तो बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप हमारी मदद करें और शान्तिपूर्वक कार्यवाही चलने दें। माननीय सदस्य जो बोलते हैं, वे अपने दिमाग और विचारों के अनुसार ही तो बोलते हैं, उनको सुनना चाहिये। अगर बार-बार हस्तक्षेप किया जायेगा, तो कैसे सदन चलेगा?

श्री बाबू लाल वर्मा—

सदन की मर्यादा के विपरीत जब ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जायेगा तो कहना ही पड़ेगा। आप सत्ता पक्ष के लिये भी तो कुछ कहिये। वे भी तो संयम से काम लें। जनता के बीच तो बोल नहीं पाये, यहां खुमारी उतार रहे हैं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, काफी गर्मी सदन के अन्दर पैदा हो गयी। वह स्वाभाविक भी है। जनता पार्टी के भाई इतने भारी बहुमत से जीते हैं, इसलिये यह गर्मी स्वाभाविक है। उनके अन्दर एक जोश है। चुनाव के अन्दर जो भाषण हुये कुछ उनका भी असर है।

यह सही है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इतने बड़े चुनाव में जनता ने जो निर्णय दिया उसका कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, यह एक बहुत बड़ी राजनैतिक घटना है। शासक दल तो गया ही, साथ ही पोलियों को भी ले डूबा। इतनी बड़ी हार के बाद राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई जिक्र तक उसका न हो, यह उचित नहीं है। जो जो खामियां रही हैं, गलतियां रही हैं, उनका जिक्र भी उसमें आना चाहिये था। किन्तु गलत नीतियों को आज जनता ने ठुकरा दिया है। यह आश्चर्य की बात है। मान्यवर, सन् 1971 का चुनाव था, आज इधर के माननीय सदस्यों की जो हालत है 1971 के चुनाव के बाद इधर के माननीय सदस्यों की हालत वही है। मान्यवर, जनता ने उतने वोटों से जिताया जितने वोटों से आज जनता पार्टी को जनता ने जिताया। समाजवाद के बारे में जो आपने वायदे किये थे, उनके बारे में जनता की आशाएं थीं कि शायद बड़े-बड़े लोगों पर चोटें होने लगेंगी, शायद गरीब लोगों का ध्यान दिया जायगा। मान्यवर, यह सही है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम को किसी दल को विरोध नहीं करना चाहिये। कमजोर वर्ग को मदद मिलनी चाहिये, हरिजनों को मकान मिलना चाहिये। लेकिन बीस सूत्रीय कार्यक्रम के बावजूद भी आपने कोई निर्णय निकाला है कि क्यों इस जनता ने आपको ठुकरा दिया है।

मान्यवर, रातों रात चंडीगढ़ के अन्दर एक सितारा उनका है, वह सितारा चल पड़ता है उत्तर प्रदेश के अन्दर और चल पड़ता है बिहार के अन्दर, चल पड़ता है उड़ीसा के अन्दर, चल पड़ता है मध्य प्रदेश के अन्दर, चल पड़ता है राजस्थान के अन्दर, अश्वमेध घोड़ा जिसे कहते हैं और अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया। मान्यवर, सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से एक ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति का संविधान के अन्दर कोई पद न हो, जिस व्यक्ति का संगठन के अन्दर कोई पद न हो, उस व्यक्ति के ऊपर इतना सब कहा जा रहा है। हमारे प्रदेश के अन्दर हमारे मुख्य मंत्री, हमारे मंत्रियों ने अपने पद की गरिमा नहीं देखा।

(शेम-शेम की आवाजें)

9 करोड़ की जनता के मुख्य मंत्री हो, केवल कांग्रेस के मुख्य मंत्री नहीं हो। पूरे प्रदेश के अंग हो। किस तरह से देहरादून के अन्दर, जब वह नव जवान गया, बीस सूत्रीय कार्यक्रम चलाया, पांच सूत्रीय कार्यक्रम रह गया और पांच सूत्रीय में परिवार नियोजन, हमारे परिवार नियोजन के मंत्री प्रभुनारायण जी, तमाम प्रदेश उनको परिवार नियोजन सिंह के नाम से जानता है। मालूम हो गया होगा जब वोट मांगने गये थे। सरकारी कर्मचारी परेशान, स्कूल के मास्टर परेशान, किसान परेशान, पटवारी परेशान। पूरे सरकारी कर्मचारी को आपने परेशान किया।

मान्यवर, एक छोटी सी घटना मैं बता देना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे जिले के अन्दर एक कुंवारी महिला मेरे पास आयी, फूट-फूट कर रोने लगी। मैंने कहा कि क्या हुआ। उसने कहा कि पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। बड़े मुश्किल से एक आदमी को नसबन्दी के लिये तैयार कर पायी थी, वह आदमी आया, उसको रास्ते का खर्च

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया, साथ लाई, होटल में खाना खिलवाया। वह जब अस्पताल गया, वहां पर एक ओवरसियर मिल गया,। उसने उसे 50 रुपया भी देने के लिये कहा था, ओवरसियर ने 150 रुपया दे दिया और वह बेचारी नसबन्दी का केस नहीं दे सकी। वह बेचारी रोती रही। बीस सूत्रीय कार्यक्रम चलाइये। सुन्दरीकरण के नाम पर बुलडोजर लगाइये। छोटी-छोटी झोपड़ियों को तोड़वाइये। जिनके मकान तोड़े गये उनको मोआविजा नहीं दिया गया। यह सब पाप हैं सारे जो आपके सामने आये हैं। इससे आपको सबक लेना पड़ेगा। आपने बिजली की दरें बढ़ा दीं, पानी की दरें बढ़ा दीं ऊपर से आपने मालगुजारी बढ़ा कर थोप दी। हमारे पहाड़ों के अन्दर मालगुजारी बढ़ा दी। मैं तो आज भी कहता हूं अपने मित्रों से, कांग्रेसजनों से, अब भी समय है, सबक लीजिए। अब भी समय है, समझ लीजिये। आपसे भी कहना चाहता हूं मित्रों, आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा न हो कि जो हाल इनका हुआ, अगली दफा आपका भी वही हाल हो जाय। (व्यवधान) अच्छी बात है लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके, कहीं ऐसा न हो कि कोई दूसरा ध्रुवतारा पैदा हो जाय और वह आपको नचाने लगे मैं आज भी कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके कांग्रेस के अन्दर जो ऐसे लोग हैं उनकी घुलाई नहीं करते और अगर एक व्यक्ति भी ऐसा निकला जो ध्रुवतारे का पुच्छल तारा बन कर उसके पीछे घूमने लगे तो मैं समझता हूं कि देश का भविष्य अशावान नहीं है।

कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस ने सब को एक साथ लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी और मुल्क को आजाद कराया। इसमें इधर के और उधर के लोग भी थे। उसकी एक परम्परा थी, उसकी एक नीति थी। उन परम्पराओं और नीतियों को आपने छोड़ दिया, और इसीलिये इस चुनाव में जनता ने आपको जवाब दे दिया। लेकिन आज भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आजादी की लड़ाई में आपने अंग्रेजों की गोलियों और बन्दूकों का मुकाबला किया था तो आज भी उन गलत नीतियों का मुकाबला कर सकते हैं। आप हमारे साथ चलिये और मजदूरों के अन्दर काम करें, किसानों के अन्दर काम करें, खेतिहर मजदूरों के अन्दर काम करें और जो गलत नीतियां आपकी रही हैं उन गलत नीतियों को छोड़ें और गरीबों के प्रति जो पाप आप कर चुके हैं उन पापों को धोये। जो मालगुजारी आपने बढ़ाई है उस माल गुजारी को खतम करो, आधा काम करने से काम नहीं चलेगा। चुनाव के दौरान जो कुछ भी रियायतें आपने की, उसे जनता ने समझा कि यह रिश्वत और घूस है। आपको चाहिये कि जो गलतियां आपने अब तक की हैं, उन गलतियों को जनता के सामने जा कर स्वीकार करें। जो मालगजारी बढ़ी हैं उसे खतम करो, ट्यूबवेल पर जो कमांड टैक्स लगाया है उसे खतम करो। इस तरह से किसानों को आपने अपने खिलाफ किया, मजदूरों को बोनस देने की बात न मान कर मजदूरों को अपने खिलाफ किया, स्कूल की फीस बढ़ा कर विद्यार्थियों को आपने खिलाफ किया। आखिर कौन सा तबका ऐसा था जो आपके साथ था? यहां तक कि जो हरिजन थे वे भी आपके खिलाफ थे। मुसलमान भी आपके खिलाफ थे। आखिर कार इसके क्या कारण है? इन कारणों पर आपको सोचना पड़ेगा और अगर आप नहीं सोचेंगे तो इस देश का भविष्य अन्धकारमय है।

आप लोग स्वयं जानते हैं कि इस सरकार की शुरूआत जो हुई वह किस तरह से हुई। लड़ाई इस पर हुई कि प्रधान मंत्री कौन बनेगा। इस तरह से आगे चलकर नीतियों के प्रश्न पर झगड़ा आयेगा। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि जार्ज फर्नान्डीज, मधु दंडवत जैसे समाजवादी लोग जो हमेशा मजदूरों के हकूक के लिये लड़ते रहे, जो बोनस की मांग को लेकर बराबर लड़ते रहे—(एक आवाज, मजदूरों को रिइन्सटेट करा दिया?) वह तो ठीक है। लेकिन अब बोनस के मामले को लेकर मजदूरों के लिये क्या करने जा रहे? हैं तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस चुनाव के बाद जो नयी परिस्थति पैदा हुई है, इस नयी परिस्थिति में फिर आपको सोचना पड़ेगा, मेरे कांग्रेस के मित्रों को भी सोचना पड़ेगा और जो दम्भ हो गया था उस दम्भ को छोड़ना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो नतीजे चुनाव के दौरान मिले और जो नयी परिस्थितियां पैदा हुईं उसको जोड कर ही पूरे देश के बारे में यह चर्चा की जाय। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने पूरे हिन्दुस्तान में क्या नतीजा हासिल किया और श्री संजय गांधी साहब ने पूरे हिन्दुस्तान में जिस तरह का जवाब अपनी आंखों के सामने पाया वह सबके सामने हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस विधान सभा के तहत इस सूबे की जिम्मेदारी है और अभी माननीय नेगी जी यह समझा रहे थे कि सत्ता कांग्रेस के लोग सबक ले और जनता पार्टी के लोग सबक लें। मुझे थोडी सी हंसी आ रही थी कि यह कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आखिर कब से देश के लोगों को सबक सिखाने लगे। सन् 1942 में जो आपका योगदान रहा और 1975 में जो रोल रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। जहां पूरे देश में कांग्रेस की हार हुयी और जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उसमें जनता पार्टी के इठलाने की बात भी नहीं है। क्योंकि सन् 71 में श्रीमती इन्दिरा गांधी को सब पार्टियों से ज्यादा जनमत मिला। अपार बहुमत मिला, अपार वोट मिले और सन् 77 आते-आते क्या नतीजा हुआ वह सबकी आंखों के सामने है।

एक सदस्य—

मोरार जी की सरकार जनसंघ की कठपुतली सरकार है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

तो जनता पार्टी भी अगर जनता की उपेक्षा करेगी तो उसका भी वही हाल होगा। आज की स्थिति को देखकर गुस्से में आकर खिसियानी बिल्ली की तरह खम्भा नोचने की बात नहीं है। आज सवाल यह है कि जो लोकतंत्र की मर्यादायें हैं, जो आदमी के पेट का सवाल है वह किस तरह से हल होगा? 19 महीनों तक इस देश में गरीबी को दूर करने के लिये, विकास करने के लिये आदमी की जबान को रोक लिया गया। सारा बल लगा दिया गया, मौलिक अधिकार छीन लिये गये, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य छीन लिया गया। मौलिक अधिकारों के लिये मोरार जी देसाई, राजनारायण जी के चलते इस देश में जो प्रतिक्रिया वाद जन्म ले रहा था उस पर अंकुश लगा दिया गया। अबकी चुनाव में काशीनाथ मिश्र जी आपने भी देख लिया, उत्तर प्रदेश में 85 में से एक भी सीट जनता पार्टी ओर सी0 एफ0 डी0 के अलावा कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं मिली। हो सकता है कि वह आपके लिये यह छोटी सी मिसाल है, लेकिन मैं समझता हूं कि सन् 47 के बाद यह बहुत बड़ा नतीजा सामने आया है।

माननीय राज्यपाल जी ने जो अपना अभिभाषण रखा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक भी शब्द इसके बारे में उन्होंने नहीं कहा। आज उत्तर प्रदेश की सरकार कब तक रहेंगी या कब तक नहीं रहेगी यह तो भविष्य ही बतलायेगा लेकिन सबसे बडी बात यह है कि आज देश की जनता ने अपनी इच्छा को जाहिर कर दिया कि जबरदस्ती नसबंदी नहीं चलेगी। बुलडोजर के जरिये नगरों का सौदर्यीकरण नहीं चलेगा। जबरदस्ती आदमी की जबान को नहीं बंद किया जा सकता है। मीसा या डी0 आई0 आर0 के बल पर कोई सरकार या हुकूमत नहीं चलेगी, आज यह जनता ने साबित कर दिया है। इस पर भी यदि यह कहा जाता है कि जनता का फैसला गलत है, वह माननीय नहीं है तो मैं समझता हूं कि इनका भगवान ही मालिक है। इससे इनको सबक लेना चाहिये। आज पूरे 19 महीनों के दौरान जेलों के अन्दर जो अत्याचार हुये, राजनीतिक बंदियों के साथ जो दुर्व्यहार किया गया उसके बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं कहा। आज मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी जेलें है, जितने भी कारागार हैं उनकी हालत इतनी खराब हो गयी है कि यदि कोई भी

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजनैतिक या सभ्य व्यक्ति वहां जाय तो रोज के जिन्दगी की चीजें वहां पूरी नहीं हो सकती हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि नहाने के लिये, टट्टी जाने के लिये, सोने के लिये और बैठने के लिये कोई भी स्थान नहीं है। वहां के अधिकारियों ने कितना खराब सलूक किया इसकी चर्चा तो अलग है लेकिन पूरी की पूरी व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है। 1947 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो जनता ने लड़ाई लड़ी थी और जेलों में जो बन्द किये गये थे तो वहां की व्यवस्था याद है। लेकिन इन 19 महीनों में केन्द्रीय सरकार में मंत्री हैं वह लोग जेलों में बन्द थे उनके सामने वहां की व्यवस्था का नक्शा साफ हुआ है। इसलिये जेलों की व्यवस्था को ठीक रखना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इमरजेन्सी में श्री संजय गांधी और इन्दिरा गांधी दो ही इस देश के मालिक बनाये गये थे और जो विधायक रहे उनके अस्तित्व की जगह नहीं रह गयी थी। उत्तर प्रदेश में संजय गांधी न तो अधिकारी थे और न मंत्री थे। इसलिये उनकी यात्राओं के संबंध में जो पैसा खर्च हुआ है, उनके कार्यक्रमों और सभा के संबध में, उसका पूरा हिसाब इस प्रदेश की सरकार को जनता के सामने और माननीय सदन के सामने रखना चाहिये। यह हिसाब 1975 से लेकर 18 जनवरी, 1977 तक होना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि 16 अक्तूबर, 1976 को श्री संजय गांधी बनारस गये थे और जेल के अन्दर जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्होंने जेल की सीमा के बाहर जाकर उनका स्वागत किया था। मैंने विधान सभा में सवाल किया कि किस हैसियत से उनका स्वागत किया गया? तो मेरी बात को दबा दिया गया। फिर नवम्बर, 1976 में दिवाली में जेल के अन्दर लाठियां चलाई गयीं और मेरे सहित कई लोगों को मारा गया। कानपुर, इलाहाबाद, देवरिया और बनारस में जहां-जहां संजय गांधी गये हैं वहां-वहां यहां के मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गयी थी कि वहां जाकर सभा का आयोजन करें। मुख्य मंत्री ही श्री संजय गांधी के साथ नहीं रहे बल्कि अन्य मंत्री भी रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने कानून को तोड़ा है। खेल मंत्री यहां इस समय नहीं हैं। कानून बना दिया गया कि स्टेडियम में किसी राजनैतिक पार्टी की सभा नहीं होगी लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 13 अप्रैल, 1976 को प्रधान मंत्री बनारस गयी थीं तो स्टेडियम में सभा की गयी। इस प्रकार उन्होंने ही कानून का उल्लंघन किया है।

मान्यवर, इमरजेन्सी में महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा कम्पनी से लगभग जहां तक मेरी जानकारी है 250 जीपें ली गयीं और यह कह कर ली गयी कि वह सरकारी अधिकारियों को चाहिये। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि वे जीपें कांग्रेसी उम्मीदवारों के लिये चुनावों में उपयोग की गयीं। सरकार के लिये जीप ली गयी लेकिन उनका उपयोग कांग्रेसी उम्मीदवारों के लिये किया गया, उनको जिताने के लिये किया गया। इसकी जांच होनी चाहिये। अभी हाल में एक किस्सा सुनने को मिला जो सही घटना है। उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का, सरकार का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के दौरान यह कहा गया कि कारखाने चलने वाले हैं, मिल चलने वाली हैं, मजदूरों की शिरकत की जायगी। गोंडा में नारंग डिस्टलरी है वहां पर मजदूरों को बैठा दिया गया, ले आफ कर दिया गया। मजदूरों ने जब मालिकों के खिलाफ आवाज उठाई तो संजय गांधी के ससुर ने टेलीफोन किया कि मजदूरों को डांटो कि उन्हें मीसा में बंद कर देंगे। इस प्रकार मुख्य मंत्री जी श्री संजय गांधी के ससुर के कहने पर काम करते हैं। इस सरकार का अस्तित्व कितना रह गया। यह बात पूरी जनता के सामने आ गयी है, इस प्रकार की मिसालें जनता के सामने आ गयी हैं।

एक बात की बड़ी खुशी है कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं या दूसरे माननीय सदस्यों ने जो विचार यहां पर रखे हैं आज उनके विचारों को सदन के चार दिवारी के अन्दर कैद नहीं किया जा सकेगा। वह प्रदेश की दस करोड़ जनता के सामने आयेंगे। आज तानाशाही के जरिये, मीसा के जरिये, आप हमारी आवाज बंद नहीं कर सकते। आज आदमी अपनी

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

बात खुल कर कर सकता है। मुख्य मंत्री के खिलाफ आप कह सकते हैं। इसी विधान सभा में, उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री के खिलाफ बात करने पर, प्रधान मंत्री के खिलाफ तकरीर करने पर धमकी दी गयी थी कि मीसा में बंद कर दिया जायगा।

एक बात और कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार त्याग-पत्र नहीं देना चाहती तो चुनाव करा लिये जायं हालांकि केन्द्रीय सरकार क्या नीति अख्तियार करे किन्तु मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूं कि चुनाव का फैसला वही होगा जैसा अभी हुआ है तथा यदि यह सरकार चुनाव के मैदान में आ जाय तो इसका भी फैसला तीन-चार महीने में आ जायगा।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव जो माननीय धर्म सिंह जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। दोनों पक्षों की बात हो रही है और तीखे-तीखे कटाक्ष भी हो रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि मौलिक सुझाव दिये जाते तो अच्छा था।

उपाध्यक्ष महोदय, यह चुनाव की जीत जो हुई है और इसकी जो दुहाई दी जा रही है, हमको भी कुछ स्वीकार करना चाहिये, हमारी भी कुछ भूलें रही हैं और वे भूलें इन्कारी नहीं जा सकती। हमने समय को नहीं समझा। लगान बढ़ा दिया था, नसबंदी में ज्यादती की गयी थी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ चीजों का उल्लेख करना चाहिये था। जैसे लगान पूर्ववत् कर देना, सिंचाई कर में सुविधा देना, बिजली में रियायत देना। मुझे उम्मीद है कि इस संबंध में एक कमेटी बनी है और इस कमेटी के सुझाव पर हमारी सरकार उक्त सुविधाएं तत्काल देगी। हम को सारी जनता को आश्वासन देना है।

उपाध्यक्ष महोदय, दो रोज पहले मैंने कुछ लोगों की आपस की चर्चा सुनी। एक कह रहा था कि ट्रान्जिस्टर लेना है, जरा समाचार सुनें, तो दूसरे ने कहा कि क्या जल्दी है अब तो दुबई से स्मगल माल बिकेगा। जनता पार्टी के राज्य में स्मगलिंग का सामान देश में दुगुना हो जायगा सस्ता खरीद लिया जायगा। यह तो धारणा बन रही है। इन भावनाओं को भी सोचना पड़ेगा।

आज बिक्री-कर और टैक्स के न लगाने का जो हवाला दिया जा रहा है यह खुशी की बात है। मैं ऐसे राज्य का स्वागत करूंगा जिसमें कोई टैक्स न हो और डेवलपमेंट हो, जिसमें बेरोजगारों को भत्ता दिया जाय और कोई टैक्स न लगाया जाय। नहरें बनें लेकिन जमीन पर न हों ऐसा राज्य अद्भुत जादूगरों का होगा तो कौन खुश नहीं होगा। ऐसे राज्य के पास अलादीन का जादुई चिराग होगा जिसको कि छू करके छूमंतर कर देंगे और सारा देश का विकास हो जायगा। माननीय सदस्यों को विवेक की बात करनी चाहिये, मौलिक सुझाव देने चाहिये। मैं माननीय आगा जैदी साहब को देखता हूं और गौर करता हूं तो उन पर तरस खाता हूं कि वे कहां जाकर जनसंघ के फंदे में फंस गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोकनायक की बात की जाती है किन्तु उनके जीवन में लोकतंत्र मर रहा है। कहा जाता है कि न्यायपालिका को बरबाद कर दिया गया तो वहीं एक पोलिटिकल का नहीं बल्कि एक हाईकोर्ट के चीफ जज का यह विचार है कि डाइनामाइट कांड उठा लिया गया कहां इज्जत की गयी न्यायपालिका की, कहां विश्वास रहा न्यायपालिका पर? किस मुंह से कहते हैं। हमारी जो कमियां हैं हमें उनको अपने विवेक से दूर करना चाहिये. . . .

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, डायनामाइट कांड कांग्रेसी खल नायकों द्वारा कराया गया, नकली कांड था।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह—

आज काश्मीर में बहुमत का राज्य कायम नहीं करने दिया गया वह प्रजातंत्र की क्षा कैसे कर सकते हैं और फिर कहते हैं कि आज वहां प्रदेश सरकार गिरा देंगे, आज यहां गिरा देंगे तो यह प्रजातंत्र की गरिमा नहीं हो सकती है। अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो हमारी कमियों का फायदा उठा करके आज जहां पहुंचे है फिर उसी गार में गिरेंगे जहां हम पहुंचे हैं। हम अपनी कमियों को सुधार करके ठीक जगह पर पहुंच सकते हैं। आप चोरबाजारी की हिफाजत कर रहे हैं आप बिक्री-कर टैक्स की माफी का सवाल करते हैं तो आप कहां से डेवलपमेंट करेंगे। जब नौजवान बेरोजगार दिघे साहब से मांगेंगे कि बेरोजगारी का भत्ता दो, तो कहां से देंगे? आप रुपया कहां से लायेंगे क्या सी0 आई0 ए0 से लेंगे अगर ऐसा है तो इसके बल पर राज्य कहां तक चल सकता है? अतः दोनों पक्षों को यह चाहिये कि बुद्धि से काम लें और मौलिक चीजों को सोचें। माननीय नेगी साहब ने बहुत सी बातें बतायीं जो हमारी कमियां थीं और उन कमियों को हमें सोचना पड़ेगा। जनता पार्टी की शुरुआत ही गलती पर हुई है। माननीय मोरार जी भाई की नीति घपले में है। माननीय अटल बिहारी बाजपेयी कौन सी पालिसी चलायेंगे क्या उससे काश्मीर पर वीटो नहीं होगा। आज अमरीका और योरोप के मुल्क बहुत खुश हैं क्योंकि अब भारत इनका बाजार होने जा रहा है। हिन्दुस्तान के लिये बाजार अरब देश और एशियाई देश थे अब वह उनका बाजार होने जा रहा है। यहां पर समाजवादी लोग भी बैठे हैं वह सोचें कि हम किस खोह में घुसने जा रहे हैं। मान्यवर, हमको संतुलन रखना होगा और सोचना होगा कि क्या होने जा रहा है। माननीय ईश्वरी सिंह जी की बातों का बहुत बुरा भला कहा गया लेकिन यह कोलीशन सरकार है जिसमें जनसंघ हैं, सोशलिस्ट हैं, जिसमें अकाली कहने वाले लोग हैं कांग्रेस फार डेमोक्रेसी है। यह सब कोलीशन कैसे टिकाऊ रहेगा, कैसे यह सब चलेगा? भविष्य बतायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इससे क्या कोई लाभ उठाना चाहते हैं? आपसे क्या वास्ता है?

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह—

यह सब मैंने इसलिये कहा कि जहां उनके लिये आत्म संयम, सोचने और विवेचना की बात है वहां हमारे लिये भी है। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुख के साथ जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। दुख इस बात का है कि मैं कांग्रेस टिकट पर चुना गया था। और इस सदन में दर्जनों बार कांग्रेस के सदस्य के रूप में भाषण किया और आज पहली बार कांग्रेस फार डेमोक्रेसी की ओर से बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान) मैंने महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा तो अफसोस यह हुआ कि जो सरकार पिछले 19 महीने से इस सदन में कोई भी कागज पेश करते समय 20 सूत्री कार्यक्रम का हवाला देते थकती नहीं थी, कोई प्रश्न भी अगर सदस्य करते थे उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम को जोड़ दिया जाता था। आज राज्यपाल के अभिभाषण में 20 सूत्री कार्यक्रम का हवाला नहीं है। मुझ से पूर्व एक भाई आज जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इन्दिरा जी आज भी उनकी नेता हैं लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने इन्दिरा जी को खारिज कर दिया और 20 सूत्री कार्यक्रम को अपनी ओर से समाप्त कर दिया और राज्यपाल के अभिभाषण से भी यही जाहिर होता है कि कांग्रेस ने 20 सूत्री कार्यक्रम को छोड़ दिया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे एक आध साथी ने कहा कि विधान सभा और लोक सभा का अलग-अलग अस्तित्व है। इसमें कोई ऐसी कानूनी बात नहीं आती कि प्रदेश की सरकार इस्तीफा दे दें। लेकिन पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

प्रजातांत्रिक सरकार की हर मान्यताओं को हमने खत्म कर दिया। ऐसी स्थिति में आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। माननीय नारायण दत्त और उनके मंत्रिमंडल को अपनी जगह पर बने रहने का। इसी चुनाव के दर्मियान माननीय नारायण दत्त जी ने गोरखपुर में भाषण किया था। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे सरकारी अफसर पुराने कानूनों को लागू करके सरकार का विरोध कर रहे हैं। जो प्रजातंत्र की मर्यादाओं की बात करने वाले लोग हैं वे अपनी खामियों के लिये अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते इसमें सरकारी अफसरों की क्या गलती है? जो कानून आपने बना रखा है उसे रिपील कर सकते थे, उसे खत्म कर सकते थे। लेकिन अब जब आपके सामने मुसीबत आई तो आप कहते हैं कि सरकारी अफसर हमारा विरोध कर रहे हैं। जो नसबन्दी की बात कही गयी तो परिवार नियोजन का जहां तक सम्बन्ध है, राष्ट्रीय नीति के नाते हम उसे मानते हैं लेकिन जिस तरह की ज्यादतियां पिछले 19 महीनों में परिवार नियोजन के नाम पर की गयीं जो कांग्रेस पार्टी में लोग बैठे हैं वे सभी जानते हैं। जो भी विधायक अपने क्षेत्र में गया होगा इन 19 महीनों के दर्मियान सैकड़ों की तादाद में शिक्षक, हरिजनों के 15, 20 वर्ष के लड़के उनको घेर लेते थे कि उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाय ताकि उनकी फीस माफ हो सके। इसको आप जरा सोचें कि पिछले 19 महीनों में आपने क्या किया? कांग्रेस की जो मान्यतायें थीं, जो परम्परायें थीं उनको आपने छोड़ दिया है, उनको आपने रिजेक्ट कर दिया है इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज आप समझते हैं कि हमारा बहुमत है, यह कब तक रहेगा, फिर आपको भी जनता के सामने जाना पड़ेगा जनता आपके बहुमत का जवाब देगी।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। हम लोग प्रसन्न मन से इधर क्यों चले आए? हम लोग अपनी मर्यादा पर रहे। जब श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा यहां पर मुख्य मन्त्री थे तो उनके बारे में, उनके खिलाफ जिले-जिले में, कस्बे-कस्बे में गाड़ियां दौड़ाई गयीं, मोटरें दौड़ाई गयीं प्रधान मन्त्री की ओर से, किन्तु एक भी विधायक नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि इनको हटा देना चाहिए। एक आदमी के कहने पर, बहुमत होते हुए भी आपने उनको हटा दिया। आपको याद रखना चाहिए कि देश की बागडोर जनता के हाथ में है। आपने बागडोर नारायण दत्त तिवारी के हाथों में दे दी, केवल एक व्यक्ति के कहने पर। मेरा नारायण दत्त जी से 26-27 वर्षों का साथ रहा है लेकिन जहां-जहां वे गए, जहां-जहां उन्होंने भाषण दिया और जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया श्री संजय गांधी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है मैंने तो उन्हें अभी नजदीक से भी नहीं देखा है। जब वे 4 जनवरी को हमारे जौनपुर में गए तो मैं बम्बई चला गया। उसको क्या सुनूं। 29 साल की उम्र है। हमने 27 साल जेल में काटे। सीधे-सीधे यह चेष्टा होने लगी कि भाई-भतीजे सास-ससुर-बहू सभी राजनीति में आगे आयें। उसका परिणाम आज आपके सामने है।

20 सूत्री कार्यक्रम के विरोध की बात नहीं है लेकिन चण्डीगढ़ के कांग्रेस के अधिवेशन में तीन भूतपूर्व मंत्रियों को घसीटा गया और उनके पैर टूट गए और एक के कालर को पकड़कर खींचा गया। ये उन लोगों के हालात हैं जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सा लिया है और वह भी एक लड़के के लिए ऐसा किया गया। इस बात को जनता माफ नहीं करेगी। इससे पहले के चुनावों में जनता ने इस आशा से आपको वोट दिया था कि आप गरीबों के लिए कुछ काम करेंगे। बोनस की बात कही गई। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 19 महीनों में कितने मजदूर निकाले गए। मेरे छोटे से जिले में बीड़ी मजदूरों की छटनी कर दी गई और उनके ऊपर भी मीसा और डी0 आई0 आर0 का इस्तेमाल किया गया। यही हाल हर जगह किया गया। मैं समझता हूं कि राज्यपाल जी का जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है वह रात में बैठकर किसी ने दो कलम लिख दिया है। आप कहते हैं कि लगान आधा कर दिया है लेकिन और इसे कम करने की जरूरत है। जिस दिन आप पार्टी में लगान

बढ़ाने के बिल पर बहस कर रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम वोट मांगने जनता के सामने कैसे जायेंगे ।

आपको याद होगा श्रीमन्, राजस्व मन्त्री जी ने बिल पेश नहीं किया बल्कि राजस्व सचिव सदस्यों को समझा रहे थे कि लगान कैसे बढ़ाया जायगा। कांग्रेस के सदस्य अपनी बात नहीं कह सके और उसका नतीजा यह हुआ कि जनता ने उसका उत्तर दे दिया। मैं कहूंगा कि आज जनता पार्टी की हुकूमत जिन बातों को लेकर आई है 42वें संशोधन, सेंसरशिप आदि तमाम चीजों को खत्म करने वाली है। उसमें आप अगर सहायक होंगे तभी यह सदन चलेगा नहीं तो सदस्यों को कहना पड़ेगा कि यह जो काले कानून आपने बनाए हैं उनको खत्म करने के लिए एसेम्बली को भंग करना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि जनता की राय ली जाय। इन शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी श्री अम्बिका प्रसाद सिंह जी बोल रहे थे। तस्करों के बारे में याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ने जो सबसे अनैतिक काम किया कि जिस दिन इंदिरा जी देश से अलग होने लगीं उन्होंने जितने तस्कर थे, जितने डाकू थे उनको एक दिन पहले रिहा करने के आदेश दे दिए। तो यह तोफा इंदिरा गांधी ने जनता को दिया, डाकुओं और गुंडों को छोड़ दिया गया और अब जो नई सरकार केन्द्र में आई है उसके सामने समस्या है कि उनको कैसे भीतर किया जाय। मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि वे अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें। आप इस तरीके से कांग्रेस को फिर नहीं उठाने वाले हैं। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद ।

*श्री राजेंद्र कुमार गर्ग—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर प्रश्न पर यह सदन विचार कर रहा है। बात 1971 की कही जाती है तो 1977 में उसका ओई औचित्य नहीं है। 1971 में हमने देखा एक टकराव था प्रगतिशील शक्तियों में और प्रतिक्रियावादी शक्तियों में और देश की जनता ने निर्णय भी साफ दिया। आज 1977 के चुनाव में इस देश के भविष्य को बचाने के बारे में चुनाव हुआ। आज इस देश में प्रजातन्त्र रहेगा या नहीं रहेगा देश की जनता को इस बात का निर्णय करना था। मैं इस सदन से गम्भीरता से, नम्रता से निवेदन करूंगा कि आप इस आदर्श को सामने रखिए कि यदि कांग्रेस होती वह हारती नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार बनती, विरोधी दल वाले एक होकर कांग्रेस को हराने में कामयाब नहीं होते तो देश में संजय गांधी की सरकार कहलाती और डी0 आई0 आर0 लगा रहता और दुकानदार सोचता कि सुबह दुकान खोलेंगे और सायं घर जायगे या नहीं या जेल जायेंगे, मास्टर सोचता इस महीने तनखा मिली है अगले महीने तनखा मिलेगी नहीं, पुलिस वाला सोचता कि झूठी रिपोर्ट दर्ज कर फलां को पकड़ना है और उसके लिए झूठी गवाही बनानी पड़ेगी। आज जान बचा कर आए हैं और मालूम नहीं कल क्या होगा? कितना गुस्सा हरिजनों में था, कितना गुस्सा मुसलमानों में था, कितना गुस्सा दुकानदारों, सरकारी कर्मचारियों म था। तो इन सब बातों का श्रीमती इंदिरा गांधी कहती हैं कि उनको आभास नहीं हुआ। हम लोग कहने जाते थे तो कोई सुनने वाला नहीं।

माननीय सदस्यों को याद होगा मैंने जब यह बातें कही थीं तो मुझ से कहा गया कि तुम संजय गांधी के खिलाफ आवाज उठा रहे हो इससे हरिद्वार को कलंकित करते हो। तो मैंने कहा था कि कलंकित आप कर रहे हैं इस प्रदेश की 10 करोड़ जनता के सामने संजय गांधी को अपने कन्धों पर घुमा रहे हो। मैंने यह भी कहा था जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस पर पंडित पन्त बैठे, डा0 सम्पूर्णानन्द बैठे और सी0 बी0 गुप्ता बैठे हैं। लेकिन आज आपको लज्जा नहीं महसूस होती कि आज लखनऊ में संजय गांधी को लेकर आते हो और कहते हो कि धृतराष्ट्र को संजय महाभारत का नक्शा बता रहे हैं और दक्षता से देश की राजनीति को चला रहे हैं। तो मैं सोच नहीं सकता था कि माननीय तिवारी जी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्रकुमार गर्ग]

मुख्य मन्त्री होते हुए यह हो कि मुझे श्री संजय गांधी के लखनऊ में आगमन से 5 दिन पहले रात में 11 बजे माननीय तिवारी जी को एक पत्र लिखना पड़ेगा। उसमें मैंने लिखा था कि आज सी0बी0आई0 के आफिसर घूम-घूम कर इस बात की गवाही तैयार करने में जुटे हैं कि मैं श्री संजय गांधी के कत्ल के लिए तैयारी कर रहा हूं। मैंने तिवारी जी को लिखा था कि यदि दिल्ली से ऐसे आदेश आए हैं कि गर्ग को संजय गांधी के कत्ल के मामले म फंसा दीजिए तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाइएगा और आप बनारस जा रहे हैं, जहां प्रधान मन्त्री जी पधारेंगी, आप उन्हें मेरा पत्र दिखाकर उनसे आदेश ले लीजिएगा कि गर्ग जी पर कत्ल का मुकदमा चलाया जायगा, तो उस पर जनता और विधायकगण विश्वास नहीं कर सकगे। इससे आपकी सरकार की इज्जत जायगी और साथ ही में श्रीमती इंदिरा गांधी का मुंह भी काला हो जायगा।

(व्यवधान)

जार्ज फर्नांडिज के बारे में मै नहीं जानता हूं और आप हमसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं अपने बारे में अवश्य जानता हूं कि मैंने श्री संजय के बारे में कोई साजिश नहीं की, किन्तु मैंने श्री संजय गांधी के खिलाफ विद्रोह अवश्य किया और वह इसलिए किया। मरे उस पत्र का जवाब न तो तिवारी जी ने दिया और न इंदिरा गांधी जी ने दिया। मैंने तिवारी जी को यह भी लिखा कि आपको इस लिखे गए पत्र की एक प्रतिलिपि इंदिरा गांधी को भी भेज रहा हूं। उसमें मैंने यह लिखकर दिया है कि हिटलर ने मि0 डिमीट्राफ के खिलाफ यह इल्जाम लगाया था कि उसने जर्मन की पार्लियामेंट को आग लगा दी है। लेकिन हिटलर के उस इल्जाम को जर्मन की अदालतों ने नहीं स्वीकार किया। आपके यहां यह अवश्य हुआ है कि इस सरकार के कुछ साजिश करने वालों के इशारे पर श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा की सरकार को अप्रजातांत्रिक ढंग से हटा दिया गया है। फासिस्ट विरोधी सम्मेलन के मौके पर मुझे इस बात का सौभाग्य मिला और तीन मिनट में मैंने कहा कि 10 करोड़ जनता का क्या गुनाह था कि उनकी चुनी हुई सरकार उनसे छीनली गयी। वह इसलिए छीन ली गयी कि वह श्री संजय गांधी के इशारों पर नहीं चलना चाहते थे। आपने महसूस किया कि आर0 के0 गर्ग को यदि कत्ल के मुकदमे में फंसा दिया गया तो प्रदेश की जनता, वकील समुदाय और आप लोग, जिनका विश्वास और प्रेम हमें प्राप्त है, उस पर कतई विश्वास नहीं करेंगे और प्रदेश में एक नाजुक स्थिति पैदा हो जायगी।

फर्नान्डीज के बारे में आप कह सकते हैं, मुझे पता नहीं कि वह सही है या नहीं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा था कि आप गोहाटी जायेंगे, लेकिन लौटेंगे नहीं अर्थात् वहां ये कांग्रेस नहीं लौटेगी, गुण्डा कांग्रेस लौटेगी, इस देश से कांग्रेस चली जायेगी और गुण्डा कांग्रेस जायेगी। कांग्रेस की मर्यादा आपके ही हाथ में नहीं थी, उसके लिए हमन भी खून बहाया था। सन् 37 के आन्दोलन में मैं शामिल हुआ था, जबकि मैं केवल सातवें क्लास में था। महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू के नाम को मिटाने का काम इधर से नहीं हुआ है, उधर से हुआ है और उसके लिए पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू के परिवार में एक कलंक पैदा हुआ था, जिसने इतिहास से उनके नाम को पोत दिया है।

(व्यवधान)

सन् 42 में जब मैं केवल 14 साल का था, आन्दोलन में भाग लिया था और उस समय मेरे नाम वारंट था। जेल भी गया था और इस 19 महीने में मैं भी जेल गया हूं। आज श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के विरुद्ध जो संशोधन सत्यप्रकाश मालवीय जी ने रखा है, उनका भाषण बहुत सरल था, उसम तथ्य दिए गये थे। शायद उनके भाषण में वह गरिमा नहीं थी, जो चौधरी साहब के भाषण में होती थी। लकिन माननीय तिवारी जी आप उन तथ्यों का जवाब दीजिए। एक शिकायत माननीय मालवीय

जी से मेरी यह है कि उनको भाषण का विरोध नहीं करना चाहिए। उनको धन्यवाद करना चाहिए। अगर वे यह काम न करते तो आपको दिल्ली की गद्दी नसीब न होती। मैं आशा करता था कि कांग्रेस के सदस्य जिनको मिटा दिया गया आज कम से कम वह माननीय तिवारी जी से हिसाब मांगेंगे कि तिवारी जी क्या इस जनता का भविष्य आपके हाथ में इस लिए सौंपा गया था कि इंदिरा गांधी का नाम उत्तर प्रदेश से मिटा दें? मैं आज कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि आज यह सवाल नहीं है कि माननीय तिवारी जी की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, कांग्रेस के लोगों को अपने से पूछना होगा कि कांग्रेस रहेगी या नहीं? कांग्रेस को मिटाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरा कर दिया है श्री संजय गांधी ने पूरा कर दिया है। उनके समय में एक बात हुई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम हिन्दुस्तान से हटा दें, उस काम को पूरा करने के लिए बीड़ा उठाया।

मैं आपसे दुख के साथ कहना चाहता हूं कि 24 दिसम्बर को श्रीमती इंदिरा गांधी ने मेरी पार्टी का विरोध किया। मैंने जवाब दिया। मैंने कहा कि अगर उम्र का सवाल होता तो हमने 48 वर्ष की इंदिरा गांधी को मोरारजी के खिलाफ सपोर्ट किया, 28 वर्ष के श्री संजय गांधी यदि हरिद्वार में जनरल शाहनवाज की जमीन बटवाने के लिए आते जिसका वादा राजस्व मन्त्री ने किया था तो मैं उनको माला पहनाता। लेकिन वह वर्कर्स से यह कहने गए थे कि पांच सूत्री कार्यक्रम को लागू करो। उसमें जबरदस्ती नसबन्दी करो। माननीय वीरेन्द्र वर्मा बैठे हैं। जिस समय मजफ्फरनगर में गोली काण्ड हुआ तो चौधरी साहब का भाषण नहीं हुआ था। मैंने श्री वीरेन्द्र वर्मा से कहा कि आप बता दीजिए कि मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? उन्होंने कहा बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए। आपने कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं लेकिन माननीय तिवारी जी को एम्बैरेसमेंनट होगा।

अनेक सदस्य—

आज दे दें।

श्री राजेंद्र कुमार गर्ग—

मैंने इसके बाद एक पत्र लिख कर दिया। उनकी कृपा है कि उन्होंने वह पत्र माननीय तिवारी जी के पास पहुंचा दिया। मैंने लिखा था कि मुजफ्फरनगर में काण्ड ऐसा काण्ड है यह आप की विल जनता के सामने जाने को नष्ट कर देगा। इट विल डेस्ट्राय योर विल टू गो बिफोर दि पीपुल। उसका जवाब माननीय तिवारी जी ने नहीं दिया। माननीय तिवारी जी दिल्ली गए और जब इंदिरा गांधी और श्री संजय गांधी ने इजाजत दे दी मुजफ्फरनगर में जाओ लोगों को पांच हजार रुपया दो तब उसके बाद वहां से आने के बाद खत लिखा कि हमने इनक्वायरी बिठाई है। जो अपराधी होंगे उनको दंड दिया जायगा। आपको कोई कदम उठाने की इजाजत नहीं।

24 तारीख को जो हमने भाषण दिया, आपने उसके जवाब में दो हरिजन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वह मीटिंग का तखत बिछा रहे थे। रावली महदूद के प्रधान सदानन्द और ज्वालापुर के प्रधान ब्रह्मानन्द को जो हरिजन नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जर्रार अहमद एक मुसलिम नेता को गिरफ्तार कर लिया। मैंने पत्र लिखा कि हरिजन नेताओं, मुसलमानों के नेता, मजदूरों के नेता गिरफ्तार होंगे तो माननीय तिवारी जी चुनाव में इंदिरा गांधी को वोट कौन देगा? माननीय तिवारी जी ने कहा कि अब तो आप को मालूम हो गया कि इंदिरा गांधी और श्री संजय गांधी एक हैं। आप श्री संजय गांधी को नेता मान लें। मैंने कहा कि मुझ से यह नहीं होगा। मैंने पोस्ट स्क्रिप्ट लिख कर लगा दिया इंदिरा गांधी को भज दो कि आर0 के0 गर्ग से सजय गांधी को नेता मानने के लिए कहा था वह लेकिन एसा नहीं कर सकते। चुनाव का ऐलान हो गया और उसके बाद जनता का जो निर्णय हुआ वह आपके सामने है और उसे आपने देखा। हमारी जनता पार्टी के नेता खूब जानते हैं। यह कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ पड़ा है। मैं जानता

[श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग]

हूं कि अगर यह गलत फहमी दूर न होती तो मधु दंडवते अपने कमचारियों को काम पर वापस न भेज पाते। समाजवाद का वादा यह करके आए हैं और समाजवाद का वादा झूठा हुआ और अमेरिका का वादा सही निकला तो फिर यह नहीं आने वाले हैं। आपने इसको मिटाया है और इस सरकार ने मिटाया है उस दिन से मिटाया है जिस दिन से बहुगुणा जी को हटाया गया है। आपने साजिश करके बहुगुणा को हटाया है। आप देखते हैं कि चारों तरफ यही हो रहा था कि इंडिया इज इंदिरा इंदिरा इज इंडिया। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*कुंवर बहादुर मिश्र (जिला हमीरपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी दोनों पक्षों की ओर से जो चर्चा हुई उस चर्चा से ऐसा लगता है कि जो मूल विषय है उस विषय के बाहर जाकर माननीया इंदिरा गांधी और संजय गांधी और चुनाव पर चर्चा केन्द्रित हो गयी है। ऐसा मैं समझता हूं और जब चर्चा यह हुई तो स्वभावतः सभी सदस्यों का ध्यान पिछली बातों की ओर जाता है और बिना कहे नहीं रहा जाता है। चुनाव का दौर आया और उस दौर में चर्चा हुई। आप सभी जानते हैं एक आंधी का दौर आया। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि यह दौर जो आया है वह पागलपन की आंधी का है। मेरी समझ में नहीं आता है कि वह समझदारी का था या पागलपन का था। यह तो इतिहास बतायेगा। लेकिन मैं यह जानता हूं कि वह दौर अफवाहों का दौर था वह दौर झूठी बातों को कहकर जनता को गुमराह करने का था और ऐसी झूठी बातें कह कर गुमराही का वातावरण पैदा करके जो चुनाव जीता गया उसकी डींग हांकना कहां तक वाजिब है इसको आप समझें और सोचें। मैं इसको खूब समझता हूं। चुनाव के बाद वह दौर आया सिद्धान्त विहीन गठबन्धन का। और देश की गिरावट का दौर आया। हम और आप सब जानते हैं कि जनता पार्टी के नाम जो सरकार गठित हुई है, वह सरकार कितने दिन चलने वाली है। इसको हम जानते हैं। इस सरकार के गठन को लेकर और आंधी के वातावरण को लेकर बार-बार यहां चर्चा होती है कि यह सरकार इस्तीफा दे। क्योंकि हम जानते हैं कि विरोधी पक्ष यह महसूस करता है कि आंधी का दौर ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, इसलिए उनको चिन्ता है कि आंधी के दौर में जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो। देश में संविद की सरकारें, काम चलाऊ सरकारें बनें जिससे देश में अनिश्चय का वातावरण पैदा हो। लेकिन आज भी कांग्रेस संगठन ऐसी स्थिति में है और आज भी इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। आज कितनी बेकायदगी हो गई है कि लोग कायदे और कानून को बालायेताक रखकर नाइन्साफी का वातावरण इस देश में पैदा कर रहे हैं, अलोकतंत्रीय वातावरण इस देश में पैदा कर रहे हैं। आज विरोधी पक्ष वालों में काश्मीर की विधान सभा को भंग कराकर जो वातावरण देश में पैदा किया है वह अच्छा नहीं है। आज हमारे यहां भी चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को खत्म किया जायगा। सारे प्रदेशों की सरकारों को खत्म करके फिर राष्ट्रपति का चुनाव कराना, यह कोई लोकतंत्र की परम्परा का पालन हो रहा है, इसको आप देखें और समझें? इन चुनावों के बाद जो विजय के जुलूस, जो खुशियां मनाई गयीं, उनमें हर जगह पर, हर कस्बे में एक गुण्डे-गर्दी का वातावरण आया, जो भद्दी गालियां दी गयीं, जो नारे लगाए गए, जो मार-पीट का वातावरण पैदा किया गया, वह जाहिर करता है कि देश में अनुशासनहीनता आई है और व लोग अनुशासन को ठुकरा रहे हैं।

आज अखबारों में आपने देखा होगा कि छात्रों की मांग आई है कि समय पर परीक्षाएं नहीं होंगी, उनका काल बढ़ाया जाय। आज एक-एक करके ऐसे उदाहरण सामने आने लगे हैं, जो जाहिर करता है कि किस प्रकार नियंत्रण समाप्त हो रहा है, किस प्रकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से प्रबन्ध में खराबी आने वाली है। यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों ने कांग्रेस संगठन के बनने और बिगड़ने की चर्चा की। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस संगठन के बनने और बिगड़ने की उन्हें क्या चिन्ता है? यह एक ऐसा संगठन है कि जब जैसी आवश्यकता समझता है, तब वैसा ही कदम उठाता है। इसका इतिहास भी आपने देखा होगा कि कामराज योजना के अन्तर्गत सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों ने अपने-अपने त्यागपत्र दे दिए थे। अभी माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा कि माननीय बहुगुणा जी का बहुमत होते हुए भी उनसे त्यागपत्र दिलाया। संगठन जब त्यागपत्र दिलाता है तो उसके पीछे कुछ विचार होता है, संगठन का कुछ इन्साफ होता है, तभी ऐसा होता है। मैं समझता हूं कि संगठन के बहुत ही संगठित कार्यकर्ता होने चाहिए और जो भी पदाधिकारी चाहे वह सरकार में हो या सरकार के बाहर हों, उसको वही काम करना चाहिए जो संगठन उसे देना चाहता हो। माननीय बहुगुणा जी ने संगठन के बाहर जाकर और खासकर ऐसे मौके पर जबकि कांग्रेस जटिल स्थितियों से जूझ रही थी और जब हम चुनाव मैदान में कूद पड़े हों, संगठन को धोखा देकर ऐसा किया तो संगठन और देश का इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता . . . .

एक सदस्य—

क्या आपने नहीं दिया उनको धोखा ?

श्री कुंवर बहादुर मिश्र—

जब वे हटाए गए तो उसके पीछे कुछ कारण थे। माननीय श्री बहुगुणा दूसरे राजनीतिक दलों की गोद में जाकर बैठ चुके थे और इस संगठन को बेचने में लगे हुए थे। कोई भी संगठन इस स्थिति को बरदाश्त नहीं कर सकता। उनके जमाने में जो कथनी और करनी में अन्तर आया उसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता था। ये विरोधी दल की बेंच उनका विरोध करते थे और कहते थे कि उनकी कथनी और करनी में अन्तर आया है। जिस प्रकार से झांसी के डिग्री कालेज के विद्यार्थियों और प्रोफेसर्स पर लाठी चार्ज वहां के अधिकारियों ने कराया उसके लिए झांसी की विधायिका माननीया बेनीबाई जी ने और पार्लियामेन्ट के मेम्बर डा० रिछारिया ने जिस तरह से बहुगुणा जी से कहा और जिस तरह से उन्होंने लफ्फाजी की बात उनसे की, यह उदाहरण है जिसकी वजह से उनकी भर्त्सना की गयी। ऐसे उनके अनेकों कार्य थे जिनकी वजह से संगठन ने फैसला लिया। यह कांग्रेस संगठन इतना विशाल है और इतनी बड़ी ताकत है कि वह किसी दूसरे राजनीतिक दल को अपने को बेचना पसन्द नहीं कर सकते थे। इसलिए उनको आदेश हुआ कि एक सिपाही की हैसियत से काम करें, लेकिन बड़े दुख की बात है कि उन्होंने सिपाही की तरह से काम करना पसन्द नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष —

समाप्त करने की कृपा करें।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र—

देश में जो प्रगति हुई है उसकी चर्चा विरोधी दल के लोगों ने नहीं की, यह आश्चर्य का विषय है। किसानों को ऋण मुक्त किया गया, एक करोड़ किसानों को सीरदार बनाया गया. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मिश्र जी, समय समाप्त हो गया।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र—

मैं इन शब्दों के साथ जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री मामी (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सरकार के द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके विरोध में और हमारे विरोधी दल के नेता, मालवीय जी द्वारा जो संशोधन उसमें प्रस्तुत है उसके समर्थन में मुझे निवेदन करना है। अपनी बात कहने से पहले, श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं सरकारी दल को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो दुर्दशा की है उसी का नतीजा यह है कि आज हम लोग अपने शरीर से इतने कमजोर और इतनी दुर्दशा हम लोगों की हो रही है। श्रीमन्, इन्सान को अपनी इन्सानियत की जिन्दगी बसर करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है यह सब लोगों को मालूम होना चाहिए। यह किसी से छिपा नहीं है कि आज 30 साल की इस कांग्रेसी सरकार में आज भी इन्सान को भर-पेट भोजन नहीं मिल रहा है, पहिनने को कपड़ा नहीं मिल रहा है, रहने को मकान नहीं है, बीमार पड़े तो दवा का इन्तजाम नहीं है और बच्चे की पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम नहीं है।

सब लोगों को विदित है कि चाहे आदमी अमीर हो या गरीब हो, इस स्वतंत्र मुल्क में 30 साल के बाद भी जो मुख्य जरूरत की चीजें हैं वह तक पूरी नहीं हो सकीं, फिर सोचना पड़ेगा कि आखिर जरूरत की चीजें कैसे पूरी होंगी? उसके लिए सभी जानते हैं कि आमदनी की जरूरत होती है। फिर सोचना पड़ेगा कि आमदनी कैसे होती है? मुल्क में आमदनी का पहला जरिया खेती है, दूसरा नौकरी और तीसरा उद्योग धंधे हैं। लेकिन हाय री कांग्रेस की सरकार, इतना नहीं खयाल आया कि आज जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है उनसे लेकर बेसहारा मजदूरों के लिए जमीन की व्यवस्था नहीं की गयी। इस अभिभाषण में जिन जमीनों का तजकिरा किया गया है भूमिहीनों के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा कि इन जमीनों से उनकी आमदनी का जरिया बढ़ जायगा, क्या उनका पेट भर जायगा? यही नहीं, जो जमीनें भूमिहीनों को दी गयी है उन तमाम जमीनों पर अभी मुकदमा चल रहा है और उन भूमिहीन हरिजनों को अभी भी उन पर कब्जा नहीं मिल सका है लेकिन इस किताब में उसका वर्णन कर दिया गया है। यही नहीं, आवास के लिए जो भूमि दी गयी है उसका आपके कागज में तो इन्दराज हो गया लेकिन अभी भी वे गरीब आदमी उस जमीन पर मकान बनाने के लिए कब्जा नहीं पा सके हैं। आज बड़ी जमीन वाले लोग भूमिहीन कृषक मजदूरों के हक को मार कर बैठे हैं। यही नहीं, आज का तनख्वाह पाने वाले छोटे कर्मचारियों के हक को बड़ी-बड़ी तनख्वाहें पाने वाले अफसर लोग मारे बैठे हैं और मन्त्री लोग सारी सुविधाओं को ले कर बैठे हुए हैं।

बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों वाले उद्योगपति आज छोटे उद्योग-धन्धे वालों के हक को मार कर बैठे हुए हैं। इसलिए छोटे उद्योग-धन्धों को प्राथमिकता देनी होगी, उनकी आमदनी के जरिए को बढ़ाना होगा और बड़े उद्योगपति को जो प्राथमिकता दी जाती है उसको कम करना होगा। जो देश में हो रहा है वह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। आज कौन नहीं जानता है कि विद्यार्थियों की फीस बढ़ा दी गयी है जबकि बार-बार हम लोग कहा करते थे, डाक्टर लोहिया बराबर कहा करते थे कि हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। लेकिन हाय रे कांग्रेस सरकार 30 साल में भी हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क नहीं हुई बल्कि फीस और बढ़ा दी गयी। इतना ही नहीं, किसानों पर भूमि विकास कर लगाया गया और लगान बढ़ाया गया जबकि इसी विधान सभा में सवा 6 एकड़ तक का लगान हम लोगों ने माफ किया और तमाम लोगों ने उसका स्वागत किया। जिस खेती से मुनाफा न हो उसके लगान को माफ करना पड़ेगा। सरकार ने जो आज लगान आधा किया है उससे कम नहीं चलेगा। 5 रुपए की जगह 20 रुपए लगान कर दिया और इलेक्शन के जमाने में कह दिया कि लगान आधा कर दिया है। तो 5 रुपए की जगह 10

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपए लगान कर दिया। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। बढ़े हुए लगान को माफ करना पड़ेगा, हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क करनी पड़ेगी। यही नहीं, जो बिजली की दरें बढ़ी हैं, जो सिंचाई की दरें बढ़ी हैं अगर कोई भी जनता की बनाई हुई सरकार इन बढ़ी हुई दरों को समाप्त नहीं करेगी तो जनता एक क्षण भी उसे कुर्सी पर बैठने नहीं देगी।

कांग्रेसी सरकार ने जबर्दस्ती नसबन्दी करा कर अनेकों लोगों को मार डाला है। इसकी जांच करानी होगी और दोषी अधिकारियों को सजा देनी होगी, नहीं तो जनता बख्शने वाली नहीं है। आपात स्थिति के दौरान प्रदेश के नागरिकों पर किए गए भीषण अत्याचारों की जांच होनी चाहिए। इसको जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती यह नतीजा सामने आ चुका है। सन् 71 में श्रीमती इंदिरा गांधी का यह नारा था कि हम गरीबी मिटा देंगे, बेकारी मिटा देंगे, समाजवाद ला देंगे। तब जनता ने यह समझा था कि उनका यह नारा ईमानदारी का है और उनके पक्ष में फैसला दिया। लेकिन जब जनता ने देखा कि यह सरकार गलत वायदा करती है और तमाम अत्याचारों को देखकर उसने ईमानदारी का निर्णय लिया उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और 85 सीटों में से एक भी कांग्रेस को नहीं मिली। चाहे इधर के लोग हों, चाहे उधर के लोग हों गरीबों के साथ ईमानदारी से काम करना होगा, केवल बात करने से काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री भार्गी —

इन्कलाबे हस्तिए फानी से अब,
हो गए कुछ और सामाने दिगर।

इन शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव प्रस्तुत है उसका मैं घोर विरोध करता हूं और विरोधी दल के माननीय नेता के प्रस्ताव का हृदय से स्वागत करता हूं।

*बाबा रामनाथ—

अध्यक्ष महोदय, चुनाव की गर्मी अभी है। इसलिए जनता पक्ष की तरफ से और सरकारी पक्ष की तरफ से भी जो भाषण हुए उसमें एक दूसरे पर आक्षेप आदि ही हुए। किसी ने भी यह नहीं कहा कि जनता का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश का कैसे विकास हो सकता है, कैसे बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है और कैसे भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। उसके लिए न तो इस डाकमेन्ट में कोई शब्द छपा है और न ही किसी माननीय सदस्य ने कोई सुझाव दिए हैं। श्री सजय गांधी और इंदिरा गांधी के ही कार्य कलापों का जिक्र होता रहा।

मान्यवर, प्लेटों ने कहा था कि राज्य में जो संरक्षक हो उसका कोई परिवार नहीं होना चाहिए, यदि उसका कोई परिवार होगा तो निश्चय ही वह भ्रष्टाचार पनपेगा। आज के नेताओं को रहने के लिए बड़ी-बड़ी कोठियां चाहिए, कूलर और एयरकन्डीशन बंगले चाहिए। एसी स्थिति में चाहे इंदिरा गांधी जी हों या मोरारजी देसाई जी हों, यह पारिवारिक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। यह पारिवारिक धन्धा चलता रहेगा। आज भी हम देखते हैं माननीय राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के लड़के और माननीय बहुगुणा जी के लड़के में दोनों में यह होड़ लगी हुई है कि कौन आगे निकलता है। आज यह होड़ है कि किस का बच्चा आगे जाता है। आज जनता के सारे अधिकारों को दबा कर, जनता की सारी अकांक्षाओं को मिटा कर, लोग अपने-अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। यदि इस पारिवारिक नेपोटिज्म को नहीं रोका गया तो देश का भला होने वाला नहीं है। चाहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[बाबा रमनाथ]

मोरारजी देसाई हों, चाहे जार्ज फर्नान्डीज हों, इस पारिवारिक भ्रष्टाचार को रोकना होगा। अगर उनका बच्चा कृषि के लायक है तो उसको कृषि में लगाना होगा, राजनीति के लायक है तो उसको राजनीति मे आने दीजिए। श्री संजय गांधी कभी देहात में गांव की जनता के बीच गए नहीं, एक दम से राजनीति में आ गए।

मान्यवर, मौलिक तरीके से मैं फेमिली प्लानिंग का विरोधी हूं। आखिर जब इस देश की जनता 10 करोड़ थी, या 20 करोड़ थी तब क्या भुखमरी नहीं थी? तब भी तो लोग भूख से मरते थे। आज सवाल तो यह है कि इनकम कैसे बढ़ाई जाय। आबादी को कैसे कम किया जाय। हमारे देश में तो डेन्सिटी आफ पापुलेशन जापान के मुकाबले कहीं अधिक कम है। जापान में कहीं फेमिली प्लानिंग नहीं अपनाई गयी। और देशों में भी इसको नहीं अपनाया गया। उनकी इनकम भी हमसे कहीं ज्यादा है। भारत में रिसोरसेज की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि उनको कैसे काम में लाया जाय। भूमि भी हमारे यहां इतनी है कि एक अरब आदमी खपाए जा सकते हैं। श्री राजनारायण जी जो फेमिली प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, उनको देखना चाहिए कि हमारे यहां के रिर्सोसिज का ठीक तरह से इस्तेमाल हो, जो खाली लोग हैं उनको कैसे काम पर लगाया जाय बजाय इसके कि जनता पर बड़े-बड़े आक्रमण किए जायं। अब मैं पिछले तीन पंचवर्षीय योजनाओं का हवाला माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को देना चाहता हू। जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की स्पीच हुई थी, तब मैंने बताया था कि दूसरे प्रान्तों से इस प्रान्त पर कम खर्च किया गया है। अगर इस प्रान्त के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तो जो आज कांग्रेस शासन का हस्र हुआ है, वही हस्र जनता पार्टी का होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार की यह रिपोर्ट थी कि मैनपुरी के अन्दर इतना ऊसर पड़ा हुआ है, जिसको बना कर काम में लाया जा सकता है और उससे इस देश की तरक्की हो सकती है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने सारा पैसा ले जा कर रायबरेली में ठूंस दिया। अगर वह पैसा मैनपुरी के अन्दर में लगाया जाता तो वह अच्छा बन जाता और उससे पूरे देश की भलाई हो जाती और वह मैनपुरी से खड़ी होतीं, तो वह जीत भी जातीं। जो आज तक हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, जो हमारे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जो अपने को अर्थशास्त्री कहते हैं, चाहे इंदिरा गांधी हों, चाहे मोरारजी देसाई हों, पंचवर्षीय योजना का जो हिसाब-किताब है, उसके अन्दर उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में हम 500 आदमी बेकार पैदा कर रहे हैं। अगर प्लानिंग कमीशन ने पैसा नहीं दिया तो माननीय मुख्य मन्त्री जी का दिवाला पिट जायगा। आज हमारा रोना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है। हमारे प्रदेश में 65 प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं। मैं उत्तर प्रदेश को जब देखता हूं यहां की गरीब जनता को देखता हूं, यहां के हरिजन भाइयों को देखता हूं, तो मुझे बड़ा क्षोभ आता है। यहां पर हरिजन भाइयों पर अत्याचार होता है। यहां पर फडामेंटल राइट्स की दोहाई दी जाती है। इस देश के अन्दर कांग्रेस सरकार अपने 30 साल के शासन काल में समाजवाद नहीं ला पाई। इस देश की जनता को जेल के अन्दर बन्द किया गया, लेकिन समाजवाद के नाम पर गद्दी पर बैठे हुए हैं। 6 महीने के अन्दर, साल भर के अन्दर अगर काम नहीं किया तो वही हस्र आपका भी होगा जो इंदिरा गांधी और उनके परिवार का हुआ है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, यहां की खेती के विकास के लिए, यहां की बिजली के विकास के लिए, यहां के बड़े-बड़े उद्योगों के विकास के लिए आपको ध्यान देना होगा। आप हमें बता दीजिए कि 1952 के बाद कौन सी उत्तर प्रदेश की बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है। कानपुर में वही इंडस्ट्रीज कायम हैं, जो पहले थीं। मैनपुरी जिला पिछड़ा हुआ है। मैनपुरी जिला मोमफली का केन्द्र है, धान का केन्द्र है। वहां पर धान का अच्छा कारखाना लग सकता है। रायबरेली में सब कुछ ले जाकर रख दिया, इलाहाबाद में सब कुछ रख दिया। बचा-खुचा लखनऊ में रख दिया, कानपुर में रख दिया। इस तरीके से उत्तर

प्रदेश के अन्दर जो पिछड़े जिले हैं, पिछड़ी हुई आबादी है, उनके विकास के लिए आपको प्लानिंग कमीशन से और केन्द्रीय सरकार से मदद लेनी होगी। इस ओर माननीय मुख्य मन्त्री जी को ध्यान देना है। आज अगर उत्तर प्रदेश को न भूलें होते तो आज यह दशा न होती। केन्द्र में सरकार बन चुकी है। माननीय मुख्य मन्त्री जी उत्तर प्रदेश के विकास की तरफ ध्यान दीजिए, तभी उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास प्राप्त हो सकेगा। जय हिन्द।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करते हुए मैं अपने विचार आपके माध्यम से सदन के सम्मुख रखना चाहती हूं। ऐसा महसूस होता है कि अभी जो चुनाव हुआ है उसका जोश आप लोग अपने क्षेत्र से यहां तक ले आए हैं और अभी तक आप लोग से भूले नहीं है उस कहानी को। जैसे हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार को डिग्निफायड तरीके से मंजूर किया है और जनता के वरडिक्ट को सर आंखों पर रखा है वैसे ही मैं उम्मीद करती हूं कि जो विरोधी दल के लोग हैं वे सौम्यता के साथ इस बात को मानेंगे कि यह हार कोई इंदिरा गांधी की हार या कांग्रेस पार्टी की हार नहीं है। हार और जीत तो हुआ ही करती है। जो हारा है वह कल जीत कर भी आ सकता है लेकिन यह हार कांग्रेस पार्टी की हार नहीं है बल्कि यह हार हिन्दुस्तान की गरीब जनता की हार है। यह हार जितनी पीड़ित और शोषित जनता की है और वह भी हिन्दुस्तान के अन्दर की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की यह उनकी हार है। यह हार हमारे विकास योजनाओं की है। यह उनकी हार है इसलिए मुझे दुख होता है। जो लोग तानाशाही की बात करते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी तानाशाही का समर्थन करती या इंदिरा जी तानाशाह होतीं तो क्या वे आपको यह अधिकार देतीं कि आप कांग्रेस पार्टी को गिरा दीजिए और उनको उनकी गद्दी से हटा दीजिए? इंदिरा जी हार गयीं या कांग्रेस पार्टी हार गयी, यह इस बात का सबूत है कि कांग्रेस पार्टी हार और विजय से घबड़ाती नहीं है। वह कुरुक्षेत्र में सामना करने के लिए जब चाहें प्रस्तुत है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी उस कुर्बानी को देने के लिए तैयार है।

जहां तक इमरजेंसी की बात की गयी, वह किन सरकमस्टेंसेज में लागू की गयी? अगर इमरजेंसी न लागू की गयी होती तो उस पर आपको गौर करना पड़ेगा कि यहां की हालत क्या हो गयी होती? क्या आप भूल गए कि जब आर्मी के लोगों से, सिपाहियों से यह कहा गया कि बगावत कर दीजिए? क्या कोई भी सरकार बगावत होने की बात कहना बर्दाश्त कर सकती है? अगर मैं आज यह कहूं कि इस सरकार के खिलाफ बगावत कर दी जाय तो क्या मोरार जी भाई इसको बर्दाश्त कर सकेंगे? कोई भी सरकार आर्मी के लिए बगावत की बात कहना बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर इमरजेंसी न लागू की गयी होती तो आज हिन्दुस्तान का वही हश्र होता जो बंगला देश का हुआ। अगर चुनाव न कराया गया होता तो यहां जनता पार्टी की सरकार न बनी होती बल्कि यहां होती तानाशाही और हिटलरशाही। समझ लें आप। ठीक वक्त पर इमर्जेन्सी लागू की गयी, ठीक वक्त पर चुनाव की घोषणा की गयी और उसी का नतीजा है कि आज जनता पार्टी की हुकूमत है। लेकिन यह जनता पार्टी क्या है, इस पर आप गौर कर लीजिए। मेजारिटी किसकी होती है, पार्टी की मेजारिटी होती है लेकिन यहां पर पांच पार्टीज को मिला कर मेजारिटी की गयी है। यह जो मेजारिटी है वह फिक्टिशस है। ये जो पांच पार्टीज हैं उनके पांच आदर्श हैं, इनके पांच चेहरे हैं, घोड़ा एक ही है लेकिन सवार पांच हैं। अभी तो "इबतदाये इश्क है, रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या"। अभी तो प्राइम मिनिस्टर शिप के लिए ही झगड़ा हुआ जब नीतियों के प्रश्न सामने आयेगा तो क्लीयर करना पड़ेगा,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी]

साफ करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं जनता पार्टी ने शुरुआत में ही इसका सबूत दे दिया है। यह तो अभी शुरुआत है। अब तो मांग की जा रही है कि फिर से चुनाव कराया जाय। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य शांति बनाए रखें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं आपको बता दूं, आप कहते हैं कि गल्तियां हुई हैं, ठीक है गल्तियां हुई हैं। नसबन्दी की जो यह शुरुआत की गयी है। नसबन्दी के बारे में हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह ने इसी हाउस में कहा था कि नसबन्दी कम्पलसरी होनी चाहिये। अब मैं चैलेंज करती हूं कि आप नसबन्दी को कम्पलसरी करें और फिर जनता को फेस करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहती हूं कि इस हार का कारण नसबन्दी नहीं है। नसबन्दी और इमरजेंसी की वजह से यह हार नहीं हुई है। इस हार के पीछे एक बड़ा भारी इण्टरनेशनल षडयन्त्र है जो इस हार का कारण है।

(शोर)

आप मेरी बात सुनें फिर आपको जो कहना होगा कहियेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जबसे पूरे विश्व को शोषित, पीड़ित जनता का नेतृत्व लिया है, आप भूल गए, कोलम्बो में जो उन्होंने नेतृत्व किया, पीड़ित अरब कन्टरीज के बारे में नेतृत्व लिया, न्यूज पूल बनवाया था उस दिन से पूरे समस्त विश्व में साम्राज्यवादी और पूंजीवादी शक्तियों ने कोलोनियल पावर्स ने उनके खिलाफ षडयन्त्र करना शुरू कर दिया। हम भलीभांति जानते हैं कि भोली-भाली जनता को इसका शिकार बनाकर श्रीमती इंदिरा गांधी को हरा दिया गया है। यह श्रीमती गांधी की हार नहीं है। समस्त विश्व की शोषित, पीड़ित जनता की हार है। पहले आप अपनी फारेन पालिसी को लाइए। बताइए कि काश्मीर का क्या हाल होगा? काश्मीर की विधान सभा को भंग करके आपने एक भारी संकट उत्पन्न किया है। काश्मीर के बारे में आपकी क्या नीति है, बताइए? साम्राज्यवाद को खत्म करने के बारे में आपकी क्या नीति है, इन सबको स्पष्ट कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समाप्त करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आप अपनी नीतियों को तो पहले स्पष्ट करें। एक बात मैं और कहना चाहती हूं चुनाव में हमने जितना पैसा खर्च किया उससे कहीं ज्यादा आपने खर्च किया है। हमारी 18 जीपें थीं और आप लोगों की 50 जीपें थीं। हमारा बैनर खादी का था और आपका रेशमी बैनर था। कहां से आया इतना पैसा? हमारे बूथ पर 4 लड़के थे और आपके बूथ पर 40 लड़के हुआ करते थे। इतना पैसा कहां से आया? इसके पीछे एक बड़ा भारी षडयन्त्र है चाहे उसको सी0आई0ए0 मान लीजिए या कुछ, मैं नाम नहीं देना चाहती।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं अपील करती हूं कि जो हमसे गल्तियां हुई हैं हम उनको सुधारें, जो कुछ भी हम को अपने देश की गरीब जनता की भलाई के लिए करना है करें। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने लगान को आधा कर दिया। हमारा यह फर्ज

है कि हम गरीबी को खत्म करें। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम जितने भी हैं एक हैं आप इस स्वप्न को न देखें कि आप हमको भंग कर देंगे। ऐसे हम भंग होने वाले नहीं हैं। आप इस बात को समझ कर सोचिए।

यहां पर बिक्री-कर की बात आई। बिक्री-कर के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि इसको बन्द कर देंगे तो सरकार कैसे चलेगी? सरकार को चलाने के लिए रिर्सोसेज कहां से आयेंगे?

(बहिन जी बैठ जाइए की आवाजें।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें, मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

क्या आप चाहते हैं कि आपकी हुकूमत अमेरिका की तरह से चलेगी। टैक्सेज बन्द कर देंगे तो अमेरिका से आपको सहायता लेनी पड़ेगी। हम ऐसा सहारा लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे अपने रिर्सोसेज हैं।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका विरोध करने और जो संशोधन आया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी तथा अन्य और सरकारी पक्ष के वक्ता थे सभी ने करीब-करीब इस बात को माना है कि कांग्रेस ने गल्तियां की हैं। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी कांग्रेस के टिकट से चुनकर आया और कुछ दिन पूर्व तक सरकारी बेंच पर बैठता था। जो हमने गल्तियां कीं जनता ने उसका उत्तर लोक सभा के चुनाव में दिया इसलिए आज प्रायश्चित करने के लिए और यह अनैतिक तरीके से बैठी हुई सरकार को गिराने के लिए इस तरफ आया हूं। और अपने कांग्रेसी भाइयों का आवाहन करता हूं और सलाह देता हूं कि असंवैधानिक तरीके से बैठी हुई सरकार को गिराने और प्रायश्चित करने के लिए इस तरफ आवें।

मान्यवर, मैं जनपद अल्मोड़ा से चुनकर आया हूं। यह जिला नैनीताल से क्षेत्रफल में कहीं बड़ा है। इस जनपद की जनसंख्या लगभग 7 लाख है। लेकिन आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि केवल अल्मोड़ा जिला ही नहीं इसके साथ-साथ पिथौरागढ़ जिला भी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोणों से नैनीताल जिले के पेट में समा गए हैं। आर्थिक दृष्टि से कैसे हैं इसके लिए आप विश्वास करें कि जैसे लखनऊ की या प्रान्तों की अन्य जनता जैसे सरसों के तेल के लिए त्रस्त है उसी प्रकार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की जनता तेल के लिए ही नहीं बल्कि चावल और गेहूं तथा दाल के लिए भी त्रस्त है। माननीय सदन जानता है कि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जनपद की मंडियां. रामनगर, हल्द्वानी और टनकपुर आदि हैं। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जनपदों का एरिया ऐसा है जहां कि लोगों के गुजर कर सकने का अन्न नहीं पैदा होता है। इसलिए तराई भावर पर उन लोगों को निर्भर करना पड़ता है। लेकिन तराई भावर पर हल्द्वानी से कुछ दूर जूलीकोट स्थान पर पुलिस चेकिंग लगा दी गयी है जिससे कोई अन्न न ले जाने पावें। इसी प्रकार रामनगर से कुछ दूर पर भतरौज खान नामक स्थान पर पुलिस चेकिंग लगा दी गयी है जिससे अन्न न ले जाने पावें। यहां तक कि मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के जो काश्तकार तराई भावर में खेती करते हैं वह अपने परिवार के गुजर के लिए अन्न नैनीताल से अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए वहां की जनता त्रस्त है और सरकार का कभी इस ओर ध्यान नहीं गया है।

मान्यवर, अब मैं राजनैतिक दृष्टि से बताना चाहता हूं। कुमायूं मंडल से जो भी मंत्री हैं वह नैनीताल जिले के हैं और अल्मोड़ा से कोई मंत्री नहीं है। इसके अतिरिक्त पार्टी के

[श्री गोविन्द सिंह मेहरा]

जो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं तथा इक्जीक्यूटिव में जो आते हैं वह भी नैनीताल जिले से आते हैं। इसके साथ-साथ कुमायूं मंडल से जो विधान परिषद और राज्य सभा की जो नियुक्तियां होती हैं तो वह भी नैनीताल जिले से होती हैं। अधिष्ठाता मंडल में जो सदस्य चुने जाते हैं वह भी नैनीताल जिले से ही आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सारा अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिला नैनीताल के पेट में समाया हुआ है। इन बातों से सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

मान्यवर, आर्थिक तथा राजनैतिक प्रश्नों से ही सामाजिक जीवन जुड़ा हुआ है। अब मैं विकास कार्यों का सिंहावलोकन सदन को करा देना चाहता हूं।

श्रीमन्, आज से तीन साल, साढ़े तीन साल पहले एक राजकीय महाविद्यालय इस सरकार द्वारा काशीपुर के लिए स्वीकृत हुआ और इससे पहले एक राजकीय महाविद्यालय जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत के लिए स्वीकृत हुआ और इसके साथ-साथ एक महाविद्यालय जनपद अल्मोड़ा में बागेश्वर के लिए भी स्वीकृत हुआ। इन दोनों महाविद्यालयों के बाद जो महाविद्यालय स्वीकृत हुए थे उनके भवन करोड़ों रुपए लगा कर निर्मित हो गए हैं। आप को सुनकर आश्चर्य होगा कि आज चार साल व्यतीत हो गए रानीखेत का महाविद्यालय और बागेश्वर का महाविद्यालय आज भी जिला परिषद् के डाक बंगले में चल रहे हैं। इनके भवनों के लिये कोई नींव तक नहीं पड़ी है। इसका क्या कारण है? बावजूद इसके मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप चुनावों के नतीजों का सिंहावलोकन करेंगे तो कांग्रेसी प्रत्याशी माननीय उर्जा मन्त्री श्री के0 सी0 पन्त को पांच विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से सब से कम वोट काशीपुर से मिले हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी चुनाव लड़ें तो आगे आने वाले चुनाव में तिवारी जी की काशीपुर से जमानत जब्त होनी निश्चित है।

थोड़ी सी विभाग की चर्चा करना चाहूंगा। पहले मैं पर्वतीय विकास परिषद् लेता हूं और पर्वतीय विकास परिषद् के जो आयुक्त और सचिव हैं वे सैर सपाटे के बहुत ही शौकीन हैं। हिमांचल प्रदेश में डा0 परमार के नेतृत्व में भ्रमण करते हैं। माथा पच्ची करें भगवती चरण निर्मोही, गोविन्द सिंह मेहरा और वर्ल्ड टूर पर जाते हैं बाल कृष्ण सनवाल जी श्री नारायण दत्त तिवारी जी के निकटतम मित्र हैं। दूसरे विधायक विधान परिषद् के सदस्य हैं श्री एस0एस0 भंडारी जो हमारे पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी के निकटतम मित्र हैं। इस प्रकार का पक्षपात जिस राज्य में चल रहा हो उसका हमें विरोध करना ही चाहिए।

मेरी पहले यह धारणा थी कि हर विभाग का सचिव, आयुक्त Technocrat होना चाहिए। अब हमारे वन विभाग के सचिव को देखिए और उनसे मुझे जो अनुभव हुआ, 14–15 महीनों में, मैंने देखा कि उनको विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के गुनाहों को ही छिपाने से ही फुर्सत नहीं है, तो मेरी टेक्नोक्रेट सचिव होने की भावना गलत साबित हुई और मैं अब इस धारणा का हो गया हूं कि Technocrat नहीं ब्यूरोक्रैट ही सचिव होना चाहिए।

इसलिए मैं यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है इसका घोर विरोध करता हूं और इसमें जो संशोधन आया है इसका समर्थन करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में उसका प्रबल विरोध और माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन पेश किए हैं उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मेरी यह अभिलाषा थी और अपेक्षा थी कि सदन में भाषणों का स्तर भी अच्छा होता। राजनीति में धूल चाटने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बाद मुझे विश्वास था कि यहां के बड़े भाइयों को सद्बुद्धि आ गयी होगी और वास्तविकता को समझकर और उसके अनुसार वे श्री राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन करेंगे। वे प्रदेश को एक नयी दिशा देंगे। परन्तु मुझे उनकी मनःस्थिति की जानकारी है वे मन से टूटे हुए हैं और विक्षिप्तावस्था में हैं। वह आज शासन में हैं कल रहेंगे या नहीं रहेंगे यह उनको मालूम नहीं है। इसलिए उनका उत्तरदायित्व था कि प्रदेश को एक नयी दिशा देते लेकिन हमारे भाई ईश्वरी सिंह ने हमारे नेता विरोधी दल के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया उससे विवेक का स्तर बहुत घिनौना हो गया है। मैं उनका जवाब देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिन बातों की तरफ इन्होंने इशारा किया है जिन बातों की दुहाई दी है वह सब बिल्कुल अनर्गल हैं। वह बेवकूफी जसी दशा में विचरण कर रहे हैं ऐसा मैं मानता हूं। जनता पार्टी एक पार्टी है इसका अपना निशान है और उसने चुनाव जीता है उसका अपना एक मेनीफेस्टो है और इस मेनीफेस्टो में उसने सारी बातें सफाई से पेश की हैं। माननीय नेगी जी ने श्री मोरारजी की तरफ इशारा किया मैं उनको बताना चाहता हू कि जो बजट पेश हुआ है। उस बजट में दंडवते साहब ने एक घोषणा की है जोकि उन लोगों का दिमाग साफ कर देगी जो लोग यह समझते हैं कि पुराने लोग जनता पार्टी में आए हुए हैं और वे प्रतिक्रियावादी लोग हैं तथा देश को पीछे ले जाना चाहते हैं जैसे कि दंडवते साहब ने कहा कि कोई टैक्स नहीं लगाया जायगा।

पिछले 30 सालों से देख लीजिए कोई ऐसा बजट नहीं आया जिसमें टैक्स न लगाए गये हों आजाद हिन्दुस्तान का यह पहला बजट है जिसमें कि कंज्यूमर को टच नहीं किया गया है। बहादुराना लड़ाई के लिए 1 लाख मजदूरों को जिनके अधिकारों का हनन किया गया था, उनको बहाल किया गया है और मैं समझता हूं कि इससे माननीय नेगी जी का दिमाग साफ हो जाना चाहिए। यह दल जनता पार्टी है और इसमें एक ही नेता है वह है लोकनायक जय प्रकाश। उनकी इन्टेग्रिटी के सम्बन्ध में, उनकी विचारधारा के सम्बन्ध में, उनकी देशभक्ति के सम्बन्ध मे किसी के मन में 2 बातें नहीं हो सकती हैं। यह बिल्कुल गलत है कि यह मिली-जुली पार्टी है यह सच्चाई पर पर्दा डालने की बात है वास्तविकता से मुकरने की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में काश्मीर का सवाल उठाया गया। काश्मीर के मुख्य मन्त्री को जिसको आपने काश्मीर का लाडला बनाया था विशेष कर्जा लेकर के और आपको आश्चर्य होना चाहिए कि अभी हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने फ्लोर आफ दी पार्लियामेंट में यह घोषणा कर दी कि हम वेट नहीं करेंगे और 3 महीने के अन्दर चुनाव करेंगे। कभी आपने किया है ऐसा काम? बाजपेयी जी के सम्बन्ध में लोगों के कान खड़े हो गए कि पुराने जनसंघी हैं। आर्टिकल 370 के सम्बन्ध में जो लोगों के अलग-अलग विचार थे जिसके अनुसार कि काश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था उसको उन्होंने वापस लेने का हवाला ही नहीं दिया जब तक कि वहां की जनता नहीं कहती है। हिन्दुस्तान की यह पहली पार्टी है जिसने यह घोषणा-पत्र में लिखा है कि राइट आफ प्रापर्टी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया जायगा। राइट आफ इम्प्लायमेंट की हम गारंटी देते हैं।

(व्यवधान)

आप हमारे पुराने दोस्त हैं। हमारे इलेक्शन मेंनिफेस्टो को पढ़ा होगा। हमने उसमें लिखा है उसे आप पढ़ लें और अगर उसका पालन नहीं किया जायगा तो हमारा भी वही हश्र होगा जो आपका हुआ है। मैं अपने समाजवादी दोस्तों से अपील करता हूं अगर वह हमारे इलेक्शन मेनिफेस्टो के कायल हैं तो इसको लाग कराने में वह हमारी मदद करें। कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, वह नसबन्दी से हुई है, उसकी नीति की वजह से हुई है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शान्ति बनाए रखें।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

जो बुद्धिजीवी थे, प्रोफेसर थे उनकी जबान पर ताला लगा दिया गया था। लोगों को मीसा में बन्द कर दिया गया। इसके लिए जांच आयोग बिठाया जाय। मैं बतलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के इतिहास में, 30 साल के इतिहास में, विश्व के इतिहास में, जनतंत्र को बचाने के लिए टोटल पापुलेशन ने इतनी बड़ी क्रांति नहीं की। यह पूर्ण रूपेण क्रान्ति की गयी और उस क्रान्ति के द्वारा 30 साल से जमे हुए भ्रष्टाचार को, जातिवाद के नाम पर और भेदभाव के नाम पर जमी हुई कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। हमको सी0आई0ए0 का एजेंट कहा जाता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप ध्यानपूर्वक सुनें। आपस में बातचीत कर रहे हैं मर्यादा रखनी है, इस सदन की या नहीं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

दो-तीन बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया। कहा गया कि जार्ज फर्नान्डीज के खिलाफ जो डायनामाइट केस चल रहा था उसे वापस ले लिया गया। वापस इसलिए ले लिया गया कि पिछले 19 महीनों से जार्ज फर्नेन्डीस को 302 का मुल्जिम बनाने की साजिश की जा रही थी और जार्ज फर्नान्डीज की उभड़ती हुई तस्वीर को धूमिल बनाने की नापाक कोशिश की गयी। माननीय तिवारी जी ने कहा कि जार्ज फर्नान्डीज ने माओ-त्से-तुंग को चिट्ठी लिखी थी कि आप हमारे देश पर हमला करें। और उन्होंने विदेश से पैसा भी मंगाया था। जार्ज फर्नान्डीज को जापान ने मजदूरों के लिये 67 हजार रुपया भेजा था जिसे रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने व्हाइट मनी माना था और आल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के पास वह रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन वाकयात के खिलाफ जो भी प्रोपोगेंडा आप करना चाहते थे, करते थे। दूसरे जार्ज फर्नान्डीज ने माओत्सेतुंग को यह लिखा था कि यहां मजदूरों की सरकार नहीं है, उनका दमन होता है लेकिन तुम्हारे यहां भी मुझे आश्चर्य होता है शंघाई में मजदूरों का दमन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ ? इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने माओत्सेतुंग को कंडम किया, उनकी मजदूर विरोधी नीति को कंडम किया। इस प्रकार इंदिरा गांधी ने 19 महीने तक रेडियो पर जो प्रचार किया, वह सफेद झूठ था। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अभी भी समय है कि आप वास्तविकता को स्वीकार कीजिए। इधर बैठने की भी हिम्मत कीजिए। 30 साल तक हम भी बैठे हैं वास्तविकता का पता चल जायगा। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि हमने जनतंत्र को जिन्दा रखा है, तानाशाही का खात्मा किया है। इन शब्दों के साथ जो संशोधन हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने धन्यवाद के प्रस्ताव पर पेश किया है, उसका जोरदार समर्थन करता हूं।

*श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारी ओर से माननीय राज्यपाल जी का जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में पेश किया गया है, उसका समर्थन करने के लिए और उस पर विरोध पक्ष की ओर से जो संशोधन पेश किया गया है उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष जी, जनता पार्टी और चुनाव का माहौल इस सदन में है। मुझे अफसोस है कि उधर के बैठने वाले लोगों ने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ने की कोशिश नहीं की है और उस पर अपने विचार, अपने रचनात्मक सुझाव देने की चर्चा नहीं की। मुझे अफसोस है कि विरोधी दल के नेता और उनके सभी लोगों ने उसी पथ का अनुसरण किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष जी, यदि आप अभिभाषण को देखेंगे तो पिछले कार्यों के साथ-साथ अग्रिम कार्यों की संक्षिप्त विवेचना भी उसके अन्दर की गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि सन् 67 में और सन् 69 में जब यहां पर संविद सरकार थी और चौधरी साहब मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने हरिजनों को आवास देने की क्या व्यवस्था की थी, खेतिहर मजदूरों को भूमि देने की क्या व्यवस्था की थी? श्रीमन, आपको याद होगा सन् 57 में एक ऐक्ट पास किया गया था इसी विधान सभा में और उस समय चौधरी चरण सिंह माल मन्त्री थे तो अकिंचन किसानों को जमीन सुपुर्द की गयी थी। जब दस गुना लगान वसूल हुआ तो उन्होंने क्या-क्या नहीं किया? मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के सामने कई नई-नई योजनाएं हैं। 12 लाख आदिवासियों को जमीन दे दी गयी है जिसकी ओर गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र भी किया है। प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की पेंशन आदि की सुविधा भी उन्हें प्रदान की गई है। वे सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप ही कर दी गई है। यही नहीं अनेकों सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। जमीन की सिंचाई का प्राविधान किया गया है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाए बैठे हैं। सदन को याद होगा 1948 में तो राम अवार राय जी की पैदायश भी यहां नहीं हुई होगी उस समय आचार्य नरेन्द्र देव ने कांग्रेस छोड़ दी थी और उस समय पन्त जी मुख्य मन्त्री थे उन्होंने उनसे कहा था कि इस्तीफा न दीजिए। सदन की सेवा कीजिए लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सदन में नहीं रहूंगा कांग्रेस के निशान से जीतकर आया हूं, इसलिए वोट से जीतकर आने पर ही सदन की सेवा कर सकूंगा। मैं आज उन्हीं भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे ही लोकतंत्र चलेगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो परिपाटी यह अपनाने जा रहे हैं यह आपके लिए भी घातक सिद्ध होगी। इस वक्त आप उछल-कूद भले ही कर लें लेकिन 6 महीने बाद आप धराशायी हो जायेंगे। मैं उपाध्यक्ष जी, आपसे पूछना चाहता हूं, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता लेकिन कांग्रेस का विघटन कैसे हुआ उसके इतिहास को हम पढ़ें....

श्री उपाध्यक्ष—

यह विघटन का इतिहास जब कांग्रेस का सम्मेलन हो तब पढ़ें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मुझे माफ करें उधर से बातें कही गयीं इसलिए कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उस कमी को क्यों दोहरा रहे हैं?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

उपाध्यक्ष जी, आज के प्रधान मन्त्री को पूंजीपतियों का दलाल कहा था 1967-69 में जिन लोगों ने संविद की सरकार को जहर की सुई कहा था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को देश में अराजकता फैलाने वाला कहा था वहीं आज इकट्ठा हो गए हैं। लोकतांत्रिक कांग्रेस के नेता श्री जगजीवन राम जी जब बिहार में बलिया निर्वाचन क्षेत्र में गये तो लोगों ने उनका घेराव किया। अभी जब कुर्सी का बटवारा हो रहा था तो क्या हुआ। हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनियां के किसी इतिहास में बताइए जहां लोकतांत्रिक सरकारें बनी हैं 7 दिन के अन्दर मंत्रि मंडल न बना हो। यही एक लड़ाई थी कि कौन मन्त्री बनेगा—कौन प्रधान मन्त्री बनेगा जनता पार्टी द्वारा देश को चलाना बहुत ही मुश्किल है। हमको सोचना होगा, समझना होगा। दिल्ली की सरकार ने जिन्होंने अपने घोषणा-पत्रों में बहुत वायदे किए हैं गेहूं के दाम बढ़ाने का फैसला किया, खाद की कीमत कम करने का निश्चय लिया था, आपने कहा था कि एक हजार से ज्यादा तनख्वाह किसी की नहीं होगी, देश में ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने गेहूं की कीमत में कितनी कमी की है, खाद की कीमत कितनी गिराई है आपने कहा था कि आई0ए0एस0 आफिसरों की तनख्वाहें

[श्री राम सुन्दर पांडेय]

कम करेंगे तो वह कितनी की है ? तो यह सब बातें जनता को धोखा देकर वोट लेने की बात थी। 6 महीने के अन्दर यह सब बातें सामने आ जायेंगी। आपका चुनाव घोषणा-पत्र पूरा नहीं होगा। जिस प्रकार इस समय हुआ है उसी प्रकार आपको भी हटाया जायगा। तरह-तरह की बोली बोलने वाले समाजवाद नहीं ला सकते हैं। जनता पार्टी जो समाजवाद की दुहाई देती है उसमें श्री अटल बिहारी बाजपेयी समाजवाद नहीं लाने वाले हैं, श्री मोरारजी देसाई समाजवाद नहीं लाने वाले हैं। इनका सिद्धान्त और आचरण अलग-अलग है। यह एक साथ नहीं चल सकते हैं। इस वक्त जेलखाने की वजह से हो या कुर्सी की वजह से हो आप इकट्ठा हो गए और एक बोली बोल रहे हो लेकिन ये कुछ ही समय बाद अलग-अलग हो जायेंगे। 6 महीने में एक दूसरे की खींचातानी करेंगे। उपाध्यक्ष जी, यह जो प्रस्ताव आया है उसमें हारने पर सरकार इस्तीफा यह कहते हैं नहीं देगी। तो त्रिभुवन नारायण सिंह भी इसी तरह हारे थे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया उस वक्त चौधरी चरण सिंह ने कहा था इस्तीफा मत दीजिए। आपकी इस तरह की परम्परा कायम रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का बहुमत था आपने वहां राष्ट्रपति शासन कर दिया।

यह सारे कार्यक्रम अलोकतंत्रीय हैं और यह कार्यक्रम शुरू करके देश के समझदार लोगों के साथ एक मजाक किया गया है, लोगों को धोखा दिया गया है। आपने अपने चुनाव में जातिवाद का नारा दिया है। किन्तु यह नारा आपका ज्यादा दिन चलेगा नहीं। जल्दी ही जनता वास्तविकता को समझ जायगी, तब आपकी केन्द्र में सरकार धराशायी हो जायगी। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव धन्यवाद का हमारे सामने है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री राम अधार—

पाण्डेय जी ने मेरा जिक्र किया कि सन 48 में राम अधार राय पैदा नहीं हुए थे, उन को पता नहीं मैं कब पैदा हुआ था, जैसे कंस को पता नहीं चला कि श्री कृष्ण कब पैदा हुए थे।

*श्री सत्यप्रकाश—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, क्योंकि उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं है जो इमरजेंसी के दौरान जनता पर गुजरी है।

श्री उपाध्यक्ष—

10 मिनट का समय, श्री सत्यप्रकाश जी के भाषण तक बढ़ाया जाता है।

श्री सत्य प्रकाश—

मुझे आशा थी कि जो पुस्तिका छपी है, उसमें कहीं भी, इमरजेंसी में जो तमाम ज्यादती की गयी है, उसका जिक्र होगा। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि 27 जून, 75 को दो बजे रात्रि में इमरजेंसी लागू की गयी, तो तमाम लोगों को रातों-रात गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें कोई कारण गिरफ्तारी का नहीं बताया गया। महीनों तक किसी को चार्जशीट नहीं दी गयी और किसी को उसका जुल्म नहीं बताया गया। दो बजे रात्रि को मेरे घर पर पुलिस आई और पकड़ कर ले गयी। वे पुलिस वाले कोई कारण नहीं बता सके। पूरे प्रदेश में हजारों लोग रातों-रात जेल में डाल दिये गये। आज हमें लोकतन्त्र का सबक सिखाया जा रहा है, चुनाव में जनता ने यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सबक आपको अच्छी तरह से सिखा दिया है । जिसे आप नहीं आपकी औलादें भी याद रखेंगी। आप कहते हैं कि सरकार में हमें बने रहने का हक है । आप जनता को सबसे बड़ा मानते हैं, तो उसका आदर भी कीजिए। जनता न अपना मैनडेट दे दिया है, तब भी आप कहते हैं कि सरकार में हमें बने रहने का हक है। आप दलील देते हैं कि पहले के लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया था, इसलिए नहीं दूंगा। लेकिन वह दिन दूर नहीं जबकि आपको इन कुर्सियों से हटना पड़ेगा और जनता आपको हटाएगी। आपने कहा था कि बिक्री-कर नहीं हटायेंगे, लगान नहीं घटायेंगे। जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में जो बिक्री-कर को हटाने का जिक्र किया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तिवारी जी ने जिसे सन् 74 से संभाला है, तबसे बिक्री-कर जनता पर सबसे बड़ा बोझ बन गया है। कोई चीज नहीं है, जिसपर 7 से 12 परसेंट तक बिक्री-कर न लगा हो। यही नहीं यह कार्यालय भी भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। वहां कोई काम बिना पैसा लिए नहीं होता है। वहां पर सताए हुए लोग अपील करते हैं और अपील की तारीख लेने के लिए 100-100 व 200-200 रु.ए क्लर्क रिश्वत के ले लेता है। आज यह हालत इन कार्यालयों की हो गई है, फिर कहा जाता है कि बीस सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाओ। इन कार्यालयों में और इस प्रणाली में कोई सुधार नहीं हो सकता है। दफ्तरों के भ्रष्टाचार को कोई सरकार खत्म नहीं कर सकती है। इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि—

श्री उपाध्यक्ष—

आप दिल्ली से उतर कर लखनऊ में आइए, यहां के बारे में कोई विचार रखिए।

श्री सत्य प्रकाश—

मान्यवर, मैं यह बता रहा हूं कि पूरे प्रदेश में जितने उपभोक्ता हैं और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने दिन-दहाड़े इतनी लूट मचा रखी है, इसी बात पर चुनाव करा लें तो जिस प्रकार लोक सभा के चुनाव में आपको 85 में 85 सीटों में सफाया कर दिया गया, उसी प्रकार आप को इस प्रश्न पर जनता सफाई कर देगी। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। कर लीजिए इस प्रश्न पर चुनाव। इस दौरान में इस सरकार ने विधान सभा के सदस्यों को जेल में बन्द किया। उनके घर में किसी को बीमारी हो गयी, किसी की मृत्यु हो गयी। पैरोल के लिए माननीय मुख्य मन्त्री के पास गए कि दस-पन्द्रह दिन के लिए छोड़ दीजिए। पहली बात तो यह कि माननीय मुख्य मन्त्री यहां रहते ही नहीं थे। उत्तर प्रदेश का मुख्य मन्त्री राजधानी से गायब। हमेशा दिल्ली में तशरीफ रखते थे। मैंने हिसाब लगाया कि दो वर्ष में एक-एक महीने, बीस-बीस दिन प्रदेश से बाहर रहे। कहते रहे कि मैं जनता की सेवा कर रहा हूं लेकिन अपने मुख्य मंत्रित्व को बचाने के लिए बराबर दिल्ली में बैठे रहे और उत्तर प्रदेश की जनता को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया।

अनेकों विधायकों को बन्द कर दिया। उनके प्रार्थना-पत्र आपके पास पहुंचते रहे। आपके पास समय नहीं था देखने के लिए। बरेली जेल में एक चेतराम कार्यकर्ता बन्द था। वह अचानक बीमार हो गया। यह मांग की गयी कि उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाय, लेकिन उसको अस्पताल जाने का आदेश जारी नहीं किया। बहुत कोशिश करने के बाद, लोगों ने जेल के दरवाजे तक पहुंचा दिया। वह जेल के दरवाजे पर ही मर गया। इतना ही नहीं। इस प्रदेश में लम्बी चौड़ी लिस्ट है। मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। श्री गिरिजा शंकर पाठक, उन्नाव, डा0 इन्द्रजीत सिंह, बुलन्दशहर, जीवनसिंह बुलन्दशहर, कान्ति प्रसाद गर्ग, बुलन्दशहर, बोलीराम, अलीगढ़, डा0 सत्यव्रत सिंह, प्रयाग, रामबक्ष यादव, बस्ती, बंशराज यादव, गोंडा, स्वामी रामानुजचार्य, फैजाबाद, बैली सिंह, उतरौला, चेतराम लोधी, राजपूर, विशनलाल मित्तल, सहारनपुर, डा0 सत्यपाल पुरंग, मैनपुरी, राम सागर, लखनऊ, हिदायत अली, लखनऊ आदि अनेक व्यक्ति जेलों में ही मर गए। मेरे पास इतने हैं। इनके अलावा न मालूम कितने और लोग मौत के शिकार हो गए। इतने लोग मौत के शिकार हो गये और आप कहते हैं कि सरकार को बने रहने दीजिए। अगर

[श्री सत्य प्रकाश]

आपमें जरा भी नैतिकता बाकी ह, महात्मा गांधी और जवाहरलाल का नाम लेते हैं तो आप को सदन से जाने से पहले इस्तीफा दे कर जाना चाहिए। आपको अधिकार नहीं है कि आप सरकार में बने बैठे रहें।

मान्यवर, परिवार नियोजन में जो कुछ भी किया गया उसका पता ही ह। परिवार नियोजन के कारण प्रदेश में अनेकों काम रुके पडे हैं। राशन कार्ड लेना चाहते हैं तो परिवार नियोजन का सर्टिफिकेट लाइए। बिना सर्टिफिकेट के आज भी राशन नहीं देते हैं। गरीब रिक्शे वालों और मजदूरों की बहुत जोर जबरदस्ती की गयी हैं। कम से कम आप अब आदेश बिदड्रा कर लीजिए आपका वेतन न देने का आदेश आज भी कायम है। उसको तुरन्त वापस ले लीजिए। जिन लोगों का गलती से परिवार नियोजन कर दिया गया है, जबरदस्ती नसबन्दी कर दी गयी हैं, जो कुंवारें हैं, बेसहारा हैं, जाने से पहल आप उनकी नस जुड़वा दें वरना चुनाव में प्रदर्शन करेंगे कि हमारी जबरदस्ती नसबन्दी करवा दी गयी है। मुझे बताया गया है कि वह फिर से ठीक हो सकते हैं।

आपको चाहिए कि उनको इकट्ठा करें और उनकी नस को दुबारा जुड़वाइए।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सत्य प्रकाश जी आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सत्य प्रकाश—

तो जो नीतियां केन्द्र की सरकार ने स्वीकार की हैं उन पर आप चले नहीं तो आप चल नहीं सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं जो प्रस्ताव इधर से रखा गया है उसका समर्थन करता हूं और उनका विरोध करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत केवल तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक श्री राम सजीवन, श्री रघुनाथ और श्री ऊदल ने प्रदेश के बिजली मजदूरों द्वारा हडताल करने का निर्णय, दूसरी श्री जमुना प्रसाद बोस ने लखनऊ में तथाकथित जन-जीवन की सुरक्षा एवं इज्जत खतरे में होने से जनता को कष्ट और तीसरी सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने पंजाब शुगर मिल घुघली, जिला गोरखपुर के ऊपर मजदूरों का बकाया वेतन के सम्बन्ध में दी है।

इन सब पर माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के सन्दर्भ में पर्याप्त समय चर्चा का है। इसलिए इनको अस्वीकार किया जाता है।

अब हम कल 11 बजे प्रातः तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
30 मार्च, 1977।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 87 पर।]

तालिका

विद्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति का कारण
1	2	3
1—राजकीय कन्या इन्टर कालेज, लैंस डाउन।	1 (प्रवक्ता)	सम्बन्धित विषय में छात्राओं का अभाव।
2—राजकीय कन्या इण्टर कालेज, बलिया।	1 (,,)	तदैव
3—राजकीय कन्या इण्टर कालेज, बुलन्दशहर।	1 (,,)	,,
4—राजकीय कन्या इण्टर कालेज, पौड़ी	1 (,,)	,,
5—राजकीय कन्या इण्टर कालेज, हल्द्वानी।	1 (,,)	,,
6—राजकीय कन्या इण्टर कालेज, रामनगर, वाराणसी।	1 (,,)	,,
त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत सृजित पंजाबी/बंगाली/आसामी तथा उर्दू के पद		
1—राजकीय इण्टर कालेज, हस्तिनापुर, मेरठ।	1 (सहायक अध्यापक)	सम्बन्धित विषय में छात्रों का अभाव।
2—राजकीय इण्टर कालेज, लोहाघाट, पिथौरागढ़।	1 (,,)	,,
3—राजकीय इण्टर कालेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा।	1 (,,)	--
4—राजकीय इण्टर कालेज, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल।	3 (,,)	,,
5—राजकीय इण्टर कालेज, बिजनौर	1 (,,)	,,
6—राजकीय इण्टर कालेज, भीमताल	1 (,,)	,,
7—राजकीय इण्टर कालेज, मंसूरी, देहरादून।	1 (,,)	,,
8—राजकीय इण्टर कालेज, देवरिया	1 (,,)	,,
9—राजकीय इण्टर कालेज, समथा, झांसी।	1 (,,)	,,
10—राजकीय इण्टर कालेज, पिपरी, मिर्जापुर।	1 (,,)	,,
11—राजकीय कन्या इण्टर कालेज, ज्वालापुर (सहारनपुर)।	1 (सहायक अध्यापिका)	सम्बन्धित विषय में छात्राओं का अभाव।
12—राजकीय कन्या इण्टर कालेज, प्रतापगढ़।	1 (,,)	,,
13—राजकीय कन्या इण्टर कालेज, ऋषीकेश, देहरादून।	1 (,,)	,,

नत्थी 'ख'

[देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 91 पर।]

(अ) जिला कारागार, लखनऊ :

(1) श्री आनन्द नारायण राय, जेलर—

इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी दो शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे। उप कारागार महानिरीक्षक ने रिपोर्ट दी कि आरोप पुष्ट नहीं हुए।

(2) श्री कमला प्रसाद श्रीवास्तव, जेलर—

इनके विरुद्ध एक शिकायती-पत्र, शिकायत कर्ता की हत्या कराने की साजिश का आरोप लगाते हुए प्राप्त हुआ। जांच से आरोप असत्य पाया गया।

(3) श्री उदय नारायण सिंह, जेलर—

इनके विरुद्ध चार शिकायती-पत्र प्राप्त हुए जिनमें रिश्वत लेने, जेल के लिए क्रय-सामग्री का अनियमित उपभोग करने, बन्दियों को पीटने व धमकी देने तथा एक महिला बन्दी के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गये थे। इन पत्रों की जांच या तो विभागीय रूप से या सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कराई गई और प्रायः सभी निराधार पाये गए जिनमें महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी शामिल है।

(4) श्री गंगा सरन शर्मा, जेलर—

इनके विरुद्ध पांच शिकायती-पत्र प्राप्त हुए जिनमें रिश्वत खोरी तथा जेल हेतु क्रय सामग्री के व्यक्तिगत उपभोग के आरोप लगाए गये थे। इन सभी आरोपों की विभागीय जांच कराई गई और शिकायत या तो निराधार पाई गई या प्रमाणित नहीं हुई। कुछ शिकायत कर्ताओं ने तो शिकायत-पत्र देने से इनकार किया।

(ब) आदर्श कारागार, लखनऊ :

श्री राधा मोहन सिंह, जेलर—

इनके विरुद्ध एक गुमनाम शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ जिसमें रिश्वत, बन्दियों से निजी कार्य कराने तथा उनसे अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए गये थे। इस शिकायती-पत्र में क्षेत्रीय उप कारागार महानिरीक्षक द्वारा जांच कराये जाने के आदेश दे दिए गये हैं।

———

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 99 पर)

1—यह कि समस्त विद्यार्थियों से मैगजीन की फीस ली जाती है परन्तु कभी भी मैगजीन छापी नहीं जाती है ।

2—यह कि समस्त विद्यार्थियों से स्वीमिंग पूल फीस ली जाती है लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है ।

3—यह कि समस्त विद्यार्थियों से पंखा फीस ली जाती है परन्तु अब तक कोई पंखा किसी भी कक्षा में नहीं लगा है जिससे छात्रों को पठन-पाठन में असुविधा और कठिनाई होती है ।

4—यह कि कालेज में प्रवेश लेने के साथ प्रवेश शुल्क लिया जाता है और यदि किसी सत्र में विद्यार्थी का नाम कट जाता है तो फिर से प्रवेश लेने पर दोबारा प्रवेश शुल्क लिया जाता है जो कि विधानतः विरुद्ध है ।

5—यह कि कालेज में प्रवेश लेते समय विद्यार्थियों से काशनमनी लिया जाता है परन्तु वह छात्रों को वापस कभी नहीं की जाती है ।

6—यह कि छात्रों से प्रतिवर्ष मेडिकल फीस लिया जाता है परन्तु उसका उपयोग कभी भी छात्रों के मेडिकल इक्जामिनेशन में नहीं किया जाता है ।

7—यह कि छात्रों को डिग्री प्राप्त करने के लिए 25 रु0 प्रति छात्र वसूल किया जाता है कि कन्वोकेशन आयोजित करके उन्हें डिग्री प्रदान की जायगी परन्तु कालेज में अभी तक कभी भी कोई कन्वोकेशन आयोजित नहीं हुआ परन्तु 25 रु0 की वसूली बराबर होती रही ।

8—यह कि मार्कशीट हेतु प्रत्येक बी0ए0 के विद्यार्थी से 20 रु0 तथा बी0एड0 के विद्यार्थी से जोकि स्थानीय है 42 रु0 और बाहरी छात्रों से 100 रु0 प्रति विद्यार्थी वसूल किया जाता है जो बिल्कुल नियम के विरुद्ध है ।

9—यह कि बी0एड0 की मान्यता उप महाविद्यालय को सन् 1973 ई0 में मिली और बी0एड0 के प्रवेश के सम्बन्ध में हजारों का नहीं बल्कि लाखों रुपया अनुचित ढंग से वसूल किया गया है । चूंकि विद्यालय में बी0एड0 विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित है इससे कई गुना अधिक लगभग 600 विद्यार्थियों को प्रवेश करके नाजायज रुपया वसूल किया गया है ।

10—यह कि बी0एड0 में स्थानीय छात्रों को प्रवेश न देकर बाहरी जैसे मेरठ, दिल्ली, चंडीगढ़, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, जैपुर आदि दूर-दूर के स्थानों के छात्रों को उनसे हजारों रुपया लकर प्रवेश दिया कि वे कालेज की कक्षाओं में उपस्थित भी नहीं रहें बल्कि अपने-अपने स्थानों पर किसी पद पर या व्यवसाय में कार्यरत रहें ह । कुछ उसी महाविद्यालय के प्रवक्तागण तथा लिपिक उसी कालेज में बी0एड0 के छात्र भी रहे और पूरा वेतन भी कालेज से लेते रहे। श्री त्रिसूलधारी राय प्रवक्ता, अर्थशास्त्र, रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी, राम बिलास शर्मा, हेड क्लर्क, रतन सेन डिग्री कालेज, श्री गणेश दुबे, कनिष्ठ लिपिक जो प्राचार्य श्री वाचस्पति मिश्र की ससुराल के व्यक्ति हैं। उक्त कालेज में कार्यरत रहते हुए और वेतन लेते हुए भी बी0एड0 के छात्र रहे ।

11—यह कि श्री त्रिसूलधर राय प्रवक्ता उक्त महाविद्यालय के प्राचार्य श्री वाचस्पति मिश्र के विशेष कृपापात्र ह और उनके सारे उचित व अनुचित कार्यों के निकटतम सहयोगी हैं। राज्य बांसी में रजिस्टर्ड पावर आफ एटार्नी के आधार पर 600 रु0 मासिक वेतन भी लेते हैं। फलतः महाविद्यालय में अध्यापन कार्य नहीं के बराबर है ।

12—यह कि उक्त प्राचार्य स्थानीय षड्यन्त्रों में इतना भाग लेते हैं और आतंक फैलाए हुए हैं कि उनके प्रतिकूल स्थानीय जनता आवाज उठाने से भयभीत है ।

13—यह कि प्राचार्य महोदय बांसी की स्थानीय राजनीति में बुरी तरह से उलझे रह कर स्वयं महाविद्यालय के अपने गुट के प्रवक्ताओं सहित प्रायः बाहर ही रहा करते हैं तथा अनुचित रूप से महाविद्यालय से भत्ता और टी0 ए0 लेते रहते हैं।

14—यह कि गत वर्ष विश्वविद्यालय के बी0एड0के विद्यार्थियों के प्रवेश पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया था उसकी कोई परवाह न करके अनुचित ढंग इस प्रकार से अपनाए हुए हैं कि चुने हुए विद्यार्थियों को सूचना न देकर वेटिंग लिस्ट के विद्यार्थियों से अनुचित रुपया लेकर उनका प्रवेश किए तथा प्राचार्य के निकटतम राजनीतिक सहयोगी श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, केमिस्ट को तथा कथित डाक्टर बताकर बी0 एड0 के विद्यार्थियों का मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट देते हैं और श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी उन्हीं विद्यार्थियों का फिटनेस सर्टीफिकेट देते ह जो प्राचार्य जी को अनुचित धन देकर उनसे टोकेन प्राप्त करके उक्त तथा कथित डाक्टर को देता है जबकि बांसी में सरकारी अस्पताल है और तीन-तीन एम0बी0बी0एस0 डाक्टर हैं।

15—यह कि कालेज के माध्यम से प्राचार्य श्री वाचस्पति मिश्र ने बहुत अनुचित धन लाखों मे प्राप्त करके अपना निजी गृह बहुत विशाल रूप में बनाया है।

16—यह कि उक्त प्राचार्य ने गत 2–3 वर्षों से एक कार जिसका नम्बर यू0एस0बी0 9360 है टैक्सी के रूप में अपने निजी प्रयोग के लिए रखे हुए हैं तथा एक स्कूटर भी रखे हुए हैं तथा तीन-तीन रिक्शे विद्यालय के व्यय से निजी प्रयोग के लिए रखे हैं।

17—यह कि प्राचार्य जो अपने साथ-साथ 3–4 बन्दूकधारी अपनी तथा अपने सहयोगी श्री डी0डी0 राय, श्री अवधराज सिंह, श्री हरि प्रसाद सिंह की बन्दूकें महाविद्यालय और उसके बाहर सदैव अपने साथ रखते हैं जिससे लोग आतंकित और भयभीत रहें। प्राचार्य जी अपना एक लाख का जीवन बीमा भी कराए हैं।

18—यह कि उक्त कारणों से महाविद्यालय में पठन पाठन का कोई वातावरण ही नहीं रह गया है बल्कि कूटनीति का अखाड़ा हो गया है गैर अध्यापकों तथा छात्रों में गुटबन्दी करके एक दूसरे से लड़ाते रहते हैं।

19—यह कि इन सारी बातों को ओर प्राचार्य जी का ध्यान भी आकर्षित किया गया और उनसे महाविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होने के लिए कहा गया परन्तु वे बहुत उदण्डतापूर्वक व्यवहार करके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिसका सबब है कि महाविद्यालय दिन प्रति दिन बदनाम होता जा रहा है तथा अवनति पर जा रहा है। इस वर्ष भी वे बी0एड0 के फार्मों का 4 रु0 की जगह पर 20 रु0 प्रति छात्र वसूल कर रहे हैं। जब कि फार्म बेचने का कोई अधिकार नहीं है। पता नहीं कैसे यूनिवर्सिटी से फार्म प्राप्त कर लिए हैं।

———

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 102 पर।)

23 फरवरी, 1975 को माध्यमिक शिक्षक संघ, कानपुर द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों की सूची

1—प्रदेश के समस्त सरकारी गैर-सरकारी तथा पब्लिक स्कूल आदि माध्यमिक विद्यालय एक राज्य माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत लाए जाये जो विश्व विद्यालयों को भांति स्वायत्तशासी हों।

2—उक्त परिषद् में अध्यापकों का बहुमत हो और जो शिक्षा की नीति निर्धारित करें तथा उनका क्रियान्वयन करें।

3—शिक्षा में अमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए यह आवश्यक है कि उक्त परिषद् की स्थापना अविलम्ब की जाय।

4—माध्यमिक शिक्षा का सम्पूर्ण वित्तीय दायित्व शासन का ही रहेगा।

5—पेंशन, ग्रेच्युटी, आवासीय तथा नगरीय भत्ता एवं चिकित्सा सुविधा अध्यापकों को अविलम्ब प्रदान की जायं।

6—कोठारी कमीशन की संस्तुति के अनुसार अध्यापकों का सेव काल 65 वर्ष किया जाय तथा अनिवार्य स्थानान्तरण की व्यवस्था को समाप्त किया जाय।

7—माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विभिन्न वेतन-क्रमों में कार्य करने वाले अध्यापकों का पुनः वेतन निर्धारण किया जाय जिसके कि अभी हाल में लागू किए गए डिग्री कालेजों के अध्यापकों के नवीन वेतन-क्रमों से उनका अन्तर का अनुपात पहले की स्थिति में आ जाय।

8—शिक्षकों के नागरिक अधिकारों को अक्षुण रख कर उनको राजनैतिक चेतना और शैक्षिक क्षमता का स्तर ऊंचा उठाकर उनको सृजनात्मक प्रवृत्तियों का उपयोग करके शिक्षा में गुणात्मक विकास हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई राष्ट्रीयकृत व्यवस्था के द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

9—इस सम्बन्ध में शिक्षा सेवा आयोग का गठन भी किया जाय जिससे कि उत्तम शिक्षकों का चयन हो और राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त हो सके।

10—राष्ट्रीयकृत व्यवस्था से अलग अल्प संख्यकों आदि के नाम पर किसी भी संस्था को मुक्ति न दी जाय क्योंकि उन संस्थाओं में कार्यरत अध्यापक इसी व्यवस्था के अन्तर्गत अपना हित मानते हैं और वे समझते हैं कि उनकी भाषा संस्कृत या धर्म आदि स्वतंत्रत पर राष्ट्रीयकृत व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है।

11—उक्त व्यवस्था के आधार पर ही हम यह मांग करते हैं कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करके राष्ट्रीय वेतनमान लागू किए जाय और शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त क्षेत्रीय या अन्य प्रकार की असमानतायें, उक्त व्यवस्था लागू क के, दूर की जायं।

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 133 पर)

धन्यवाद के प्रस्ताव में संशोधन जो उपस्थित किए हुए माने गए

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :—

(1) प्रदेश में सम्पूर्ण शिक्षा का राष्ट्रीयकरण ।

(2) प्रदेश में अधिकांश बुराइयों की जड़ शराब पर प्रतिबन्ध ।

(3) जीवनोपयोगी वस्तुओं की अहर्निश असाधारण मूल्य वृद्धि को तत्काल रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही ।

(4) बोनस के प्रश्न पर औद्योगिक तथा अन्य श्रमिकों में व्याप्त तीव्र असन्तोष का समाधान ।

(5) कृषि उत्पादन तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों के कल्याण हेतु प्रभावी योजना ।

(6) बड़े-बड़े शहरों में सुपर मार्केट पर करोड़ों व्यय किया जाता है किन्तु ग्रामीण हाटों की दयनीय दशा में सुधार की योजना का अभाव ।

(7) बड़े शहरों का सुन्दरीकरण पर किसानों की गाढ़ी कमायी का दुरुपयोग किया जाता है किन्तु ग्रामों की दशा सुधारने की योजना का अभाव ।

(8) देवरिया जनपद में बड़ी गन्डक तथा सरयू के अन्तराल में पावापुरी (पडरौना), छुसीनारा (कुसीनगर), खुखुन्दू, पपऊर, फाजिलनगर, कुवेरनाथ रविन्द्रनगर, घूस तथा सैकड़ों पुरातत्व के महान केन्द्रों में पुरातत्व सम्बन्धी अन्वेषण की योजना का अभाव ।

(9) देवरिया जनपद के 14 चीनी के कारखानों में पिछले दो वर्षों में श्रमिकों तथा गन्ना किसानों पर किए जा रहे जुल्म-जोर, शोषण व अत्याचार तथा छितौनी मिल के श्रमिकों का पिछले दो वर्षों का वेतन न मिलना ।

(10) आपात काल के दौरान पुलिस द्वारा की गयी मनमानी तथा हजारों परिवारों के उत्पीड़न की निष्पक्ष न्यायिक जांच ।

(11) भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक राजनीतिक, ऐतिहासिक, प्रशासकीय, तर्कसंगत, न्यायसंगत तथा युक्तिसंगत रूप में पडरौना को पृथक जनपद बनाने की आवश्यकता ।

(12) देवरिया जनपद में पडरौना विकास खंड तथा विशुनपुरा विकास खंड में गंडक नहर विभाग द्वारा किसानों पर किए जा रहे बेमिसाल जुल्मों की जाच न कराया जाना ।

(13) पडरौना तहसील में गण्डक नहर की खजुरिया शाखा, चापशाखा, मठिया शाखा, खसरारी शाखा तथा उससे निर्गत रसूलपुर माइनर, कल्याण राजवाहा, जमुनिया राजवाहा, हरपुर राजवाहा, जोगिया माइनर, चन्दरपुर माइनर, गायघाट माइनर, पिपरा माइनर, बरहुज माइनर, शाड़ी माइनर, बदरोना माइनर, कोदौना माइनर, मिसरौली माइनर,

कठकुईयां माइनर, बहेरा राजवाहा, हदौराजवाहा, माधी माइनर, किन्नर पट्टी माइनर, मन्सा माइनर, सिगापट्टी ब्रेन, बलकुड़िया ड्रेन, करेहिया हजारी पट्टी ड्रेन, मनकौरा ड्रेन, मंगलपुर ड्रेन, नादाह ड्रेन आदि पर पुल पुलिया, साइफन रेगुलेटर आदि के अभाव से किसानों में व्याप्त घोर असन्तोष का निराकरण न किया जाना ।

(14) पडरौना तहसील में विशुनपुरा विकास खंड के अन्तर्गत कउवा सारताल, रोहुवाताल, रोवारीताल, अरनहुवां ताल, कटेरा मंगलपुर ताल, माधी विशुनपुरा ताल, गोइतीताल, बिरइठे ताल, बलचनही ताल, सिरसिया दीक्षित ताल, कोरघटिया ताल, कठकुईयां ताल, सिकटाबदन पट्टी ताल आदि चवर की जमीन से हजारों एकड़ फसल प्रतिवर्ष नष्ट होती है। इन स्थानों से जल निकास नालों के निर्माण की व्यवस्था का अभाव ।

(15) विशुनपुरा विकास खंड में पडरौना चीनी मिल के उत्तरी छोर से मन्शा छापर बाजार स्थित विकास खंड मुख्यालय तक आजादी के तीस वर्षों बाद भी पक्का मार्ग न होने से सम्पूर्ण विकास खंड में विकास की गतिपूर्ण रूप से अवरुद्ध है। अतः पक्का मार्ग बनाने तथा धोत्री घटवा के जीर्ण-शीर्ण पुल के पुनर्निर्माण की योजना का अभाव ।

(16) विशुनपुरा विकास खंड में रोवारी, पटेरा मंगलपुर, नौगांवा, सखुईबाज़ार, सखुईमिश्र, माधी मठिया, परगन छपरा, बधपरना, मुडमुडवां, मोतीपुर, भईसौरा, बेलवा बाबूराम, कुकरहां, बसडिल्ला , भुजौली, पिपरा जवाहिर राम नगर सरगतिया, घोरही जरहां, मिठहा माफी, पटेरा खुर्द खजुरिया, नाहर छपरा, गायकाट, कुरमौल, इनरही, बिरइठे बलकुरिया, डिबनी, घूर छपरा, पखनहां, पकहां, जटहा, कन्डी झपरा, किन्नर पट्टी माधी कुठिलवां, खरसा, अरनहवां, चिरवहिया चैती पुसैहरी, बनुईया हरपुर, मनिकौरा, पडरी पिपरासी सोनवल, धौरहरा, पचपेड़ा, त्रिलोकपुर, जंगलखिड़किया, जानकी नगर, गम्भीरिया, सिगांपट्टी, महादेवा, मुजैहिदा, बेतिया, डमरी, विशुनपुरा, चिरगोडा, खेसिया, अकबरपुर, सेवक छपरा, नन्दलाल छपरा आदि ग्रामों में तथा पडरौनाविकास खंड में जंगल शाहपुर धरमपुर, बनवीरपुर, सेमरिया, हनुमानगंज, पिपरा सोमल, कठकुइयां, सिधवा, लीलापटटी, चकिया, घोरघटिया, गुनागर पटटी, सिकटा बड़ागांव, सेमरा हरदो, लक्ष्मीपुर, गांगरानी, चौराखास, बांसगांव, सांडीखुर्द, सांडीबुजुर्ग, हरैया, हुरलापुर, मोतीललहा, रसादपुर, रसूलपुर, हरका,अजनहां, मिलकी, बेलहीशुक्ल, टडवां, पिपरासी चौबे, बड़वलिया, शिवपुर गंगौली, कल्याण छापड, बतरडेरा, सेखवनियां, सांखौपार, पिपरा तिवारी, धिक्खू, छपरा जिगना, जिगनी, दुर्गवलिया, कोहड़ा, बैजनाथपुर, रम्भवलिया, नर्सर, डुम्मरमार, नांदा मठिया खुर्द, करैहिया, नटबलिया, सिसवामठिया, सुगही, भिसवां, गनेशीपटटी, देवरिया पाण्डेय, माधी विशुनपुरा, मझरहा, रतनवां, कांटी,, अहिराली, बलुचहां, सहुवां डीई, सुसुवलिया, भटवलिया, भरवलिया, बडहरा, बहादुरगंज, सिरसिया, दादापुर, बरकन्टी, पकड़ीरयान, आदि ग्रामों से लिंक रोड की व्यवस्था का, जबकि यह क्षेत्र अत्यत पिछड़े हुए हैं, अभाव ।

(17) पडरौना तहसील में सभी सम्भावनाओं के बावजूद कुटीर उद्योग की स्थापना की योजना का अभाव ।

(18) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु किसी प्रभावी योजना का अभाव ।

(19) खेतिहर मजदूरों के कल्याण हेतु योजना का अभाव ।

(20) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की किसी खास योजना का अभाव ।

(21) देवरिया जनपद में चालू सीजन वर्ष 1976–77 में प्रति गन्ना टायर की गयी पांच रुपया कटौती धन जो गन्ना समितियों में जमा है, तत्काल गन्ना किसानों को वापस दिलाने की योजना का अभाव ।

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

(22) पडरौना तहसील के किसानों पर पिछले 22 महीनों में भू–राजस्व वसूली, सिंचाई वसूली, बिजली की वसूली, ब्लाक तथा कोआपरेटिव की वसूली में किये गये रोमांचकारी अत्याचारों तथा गोल-माल की न्यायिक जांच की योजना का अभाव ।

(23) विशुनपुरा के विकास खंड के लाखों किसान दूषित गन्दा जल पीकर रोगग्रस्त हैं । उन्हें पेय जल की आपूर्ति की योजना का अभाव ।

(24) निरंकुश नौकरशाही को नियंत्रित करने हेतु तथा सार्वजनिक व सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा व भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु ठोस प्रभावी कार्यवाही का न किया जाना ।

(25) आयुर्वेद के उत्थान, प्रसार, प्रोत्साहन व राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बनाने के सम्बन्ध में ।

(26) हिन्दी को राष्ट्र भाषा के अनुरूप समस्त सरकारी काम काज में उसके प्रयोग की बात नहीं कही है तथा उत्तर प्रदेश राज्य बिदयुत परिषद् द्वारा हिन्दी की घोर उपेक्षा के विरूद्ध कार्यवाही न किया जाना ।

(27) विद्युत परिषद् में एक भी आई0 ए0 एस0 अधिकारी के न रहने से प्रशासकीय व्यवस्था के पंगु हो जाने के सम्बन्ध में,

(28) संस्कृत के प्रचार–प्रसार की ठोस योजना ।

(29) प्रदेश में ललित कलाओं कुल कमागत संगीत कला, तथा मल्ल विदया आदि को तथा अन्य खेल–कूद के प्रोत्साहन तथा देवरिया जनपद में स्टेडियम की स्थापना की योजना का अभाव ।

(30)पडरौना तहसील में बबुहया न्यायपंचायत, सिसवा गाहती न्याय पंचायत, सरपतही, बड़हरां, सेमरा, हरदों नादह, जटहा, बलकुड़ियां, पिपरा न्याय पंचायत तथा बकुलहा न्याय पंचायत क्षेत्रों में राजकीय नलकूपों की स्थापना की योजना का अभाव ।

(31) कृषि के मूलाधार पशुओं के चरागाह तथा पशुपालन की ठोस योजना का अभाव ।

श्री राम अधार राय—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं है :—

(1) आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गोपालपुर विधान सभाई क्षेत्र के चेंवता पोलिंग स्टेशन पर दिनांक 16–3–77 को शासन पार्टी के लोगों ने जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री राम बदन सिंह को गोली मार दी थी किन्तु सरकार द्वारा कातिलों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

(2) आजमगढ़ जनपद में ब्लाक महराजगंज में महाराजगंज से शंकरपुर देवारा की सड़क पक्की की जाय ।

(3) आजमगढ़ जनपद में ब्लाक बिलरियागंज में बनकट बाजार से जगह होते हुए जयराजपुर कन्धरापुर रोड को पक्का किया जाय ।

(4) ब्लाक बिलरियागंज में सियरहा से गौरी नरायनपुर होते हुए ढड़सन तक रोड पक्की बनायी जाय ।

(5) आजमगढ़ में महराजगंज व सरदहा के पास छोटी सरजू नदी पर पुल बनाया जाय।

(6) गोपालपुर निर्वाचन क्षेत्र में उन सभी प्राईमरी पाठशालाओं के भवन बनाये जाये जहां पर कि भवन नहीं हैं।

(7) आजमगढ़ जनपद में इमरजेंसी के दौरान नसबंदी में हुई ज्यादती की जांच करायी जाय।

श्री चन्द्र भान आजाद--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये।

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया :--

1--बढ़े हुये बिजली सिंचाई की दरों को कम करने के संबंध में।

2--सरकार द्वारा निर्धारित कृषि जन्य वस्तुओं की कीमत दिलाने की उचित व्यवस्था के सम्बन्ध में।

3--देहाती क्षेत्र में लड़कियों को शिक्षित करने की समुचित व्यवस्था के संबंध में।

4--अल्पसंख्यकों को सरकारी सेवाओं में उचित संरक्षण देने के सम्बन्ध में।

5--ग्रामीण स्कूलों में उर्दू पढ़ाये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

6--मुस्लिम अल्पसंख्यकों एवं अत्यन्त निर्धन समुदाय के लोगों को अनुसूचित जातियों के समान सुविधाएं देने के सम्बन्ध में।

7--नौकरशाही द्वारा मनमानी करने और विशेषतया पुलिस द्वारा जनता को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में।

8--सिंचाई की सुविधा हेतु और अधिक नलकूपों की व्यवस्था के संबंध में।

9--नलकूप तथा पम्पिंग सेट एजेन्टों द्वारा सरकारी ऋण पर किसानों को बेचे गये इन्जनों के मूल्यों में गड़बड़ी करने के सम्बन्ध में।

10--किसनों को उत्पादन का प्रोत्साहक मूल्य एवं खाद, बीज, पानी सुलभ एवं सस्ते दर पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

11--बांदा जनपद के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में।

12--बांदा जनपद के अतर्रा नगर पालिका में उच्च शिक्षा हेतु कन्या इन्टरमीडिएट कालेज खोलने के सम्बन्ध में।

13--बांदा जनपद के जिला परिषद् द्वारा संचालित नगर पालिका अतर्रा अस्पताल को राजकीय करने के सम्बन्ध में।

14--बांदा जनपद में नरैनी तहसील के बागे नदी के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र सूखे से प्रभावित होने तथा उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये लिफ्ट इरीगेशन, नलकूप एवं बांधों द्वारा सिंचाई के सम्बन्ध में।

15--बांदा जनपद में बदौसा फतेहगंज रोड, देवरार अनपुआ रोड, बहेरी गुखिया रोड, कालीजर भारतपुर मसौनी रोड बनिया ताला (नहवाई) वाया नंदवारा कल्हरा रोड के सम्बन्ध में।

16--बांदा जनपद के केन कैनाल अतर्रा, ब्रांच दायीं पट्टी में पनगरा कोठी से अतर्रा रोड को पक्का कराने के संबंध में।

[श्री चन्द्र भान आजाद]

17—बांदा जनपद के दूर-दूर फैले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में ।

18—बांदा जनपद में चीनी मिल खोलने के सम्बन्ध में ।

19—बांदा जनपद के विकास खंड नरैनी में बरौधानाला का पानी पंचमपुर बांध में डालने के सम्बन्ध में ।

20—बांदा जनपद के विकास खंड नरैनी के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के सूखे से निपटने के लिये रासिन बांध के संबंध में ।

21—बांदा जनपद के नरैनी तहसील के सूखे क्षेत्रों के लिये पीने के पानी के सम्बन्ध में ।

22—बांदा जनपद में महिलाओं के अस्पताल खोलने के संबंध में ।

23—बांदा जनपद के महुआ विकास क्षेत्र का दक्षिणी क्षेत्र, जो अक्सर सूखे से प्रभावित रहता है, में केन नदी से लिफ्ट इर्रीगेशन प्लान्ट लगाने के सम्बन्ध में।

24—बांदा जनपद में यातायात की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये कालीजर तथा करतल रोड पर बसों के बढ़ाने के सम्बन्ध में ।

25—बांदा जनपद में केन नदी पर ग्राम बरई मानपुर सूवड़ा कुलाल रायपुर के पास लिफ्ट इर्रीगेशन योजनाओं के सम्बन्ध में ।

26—बांदा जनपद के ग्राम बरछा के पास बागे नदी पर पुल बनाने संबंध में।

27—बांदा जनपद में नरैनी विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कालीजर राजकीय हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध म ।

28—बांदा जनपद के फतेहगंज ग्राम में स्थायी पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में ।

4—श्री फजलुर्रहमान अंसारी—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित प्रस्ताव जोड़ दिया जाय :—

खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है :—

(1) नानपारा तहसील में सहकारी चीनी मिल के शीघ्र निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में ।

(2) विधानसभा चुनाव क्षेत्र 149 नानपारा में डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में ।

(3) विधानसभा चनाव क्षेत्र 149 के ग्राम लौकाही राय बोझा, भगवानपुर, कर्मियाना, विश्वनाथ गांव आम्बा, दौलतपुर, रामपुर, घोबियाहार असरफा तथा कस्बा नानपारा एवं टेपरी में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में ।

(4) पूरे नानपारा तहसील में बहदगरी व बेकारी है, उसे दूर करने के सम्बन्ध में ।

(5) ग्राम सभा शाहपुर कलां, चफरिया बाजार उर्रा, पौन्डा, माधी, सर्रमुदरी, दौलतपुर, गायघाट, तहसील नानपारा में जूनियर हाई स्कूल एवं इन्टर कालज खोले जाने के सम्बन्ध में ।

(6) पूरे तहसील में अधिकांश ऐसे जूनियर हाईस्कूल एवं प्राइमरी स्कूल हैं जहां कोई भवन नही है बच्चे वृक्षों के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैसे भगवानपुर, भदरिया, पकड़िया, दिवान, विददीनगर, चितलहवां, मंझरा ।

(7) पूरे क्षेत्र में जहां बहुत ही कम प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में ।

(8) नानपारा कस्बे में गन्दगी एवं सड़कों के न होने से दयनीय दशा, पूरे कस्बें में विद्युतीकरण न होने तथा कस्बे की दशा सुधारे जाने के सम्बन्ध में ।

(9) कस्बा नानपारा, जिसकी आबादी करीब पैंतीस हजार के होगी और जहां एक भी राजकीय अस्पताल नहीं है, शीघ्र अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में।

(10) तहसील नानपारा में जहां कोई भी कारखाना नहीं है, पेपर मिल खोल जाने के सम्बन्ध में ।

(11) विकास खंड मिहिनपुरवा से ग्राम सभा लौकाही तक सड़क एवं पुल के निर्माण के सम्बन्ध में ।

(12) विधान सभा क्षेत्र नानपारा से जो आसाम रोड गुजरती है उससे जुड़े हुए गांवों में लिंक रोडों के सम्बन्ध में ।

(13) नानपारा एवं मिहिनपुरवा में महिला इन्टरकालेज खोले जाने के सम्बन्ध में ।

(14) नानपारा को नगरपालिका तथा मिहिन पुरवा बाजार को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में ।

(15) नानपारा तहसील सबसे पिछड़ी तहसील है जिसमें आने–जाने के लिये केवल एक सड़क है, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, डिग्री इन्टर कालेज, पेपर, चीनी मिल शीघ्र खोले जाने के सम्बन्ध में ।

5—श्री तीरथ राम कोहली—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय.—

किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया.—

(1) लोक सभा चुनाव में पूरी कांग्रेस के पराजित होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने के सम्बन्ध में ।

(2) प्रदेश के अन्दर पुलिस द्वारा स्थान-स्थान पर गोली चलाई जाने और उसमें लोगों का मारे जाने, जैसे इलाहाबाद में जीप फ्लशलाईट, फैक्ट्री के अन्दर मालिकों द्वारा कर्मचारियों के ऊपर गोली चलाने, जिसमें कई कर्मचारी मारे गये, की जांच आदि न करवाने के सम्बन्ध में ।

(3) आपातकालीन स्थिति में बेगुनाह लोगों को जेलों में ठूंसना, उनके घर का सामान आदि जब्त करने और उनके परिवार को पारिवारिक भत्ता आदि न दिये जाने के सम्बन्ध में।

(4) आपातकालीन स्थिति में जो बेगुनाह लोग जेलों में शहीद हुए, उनके प्रति कोई सहानुभूति प्रकट करने और उनके परिवार के पालन-पोषण की व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

(5) प्रदेश के पिछड़े जिलों में सड़क, सिंचाई के साधन जैसे–इलाहाबाद जिले की तहसील चायल में सड़कों का निर्माण, सरकारी नलकूप आदि के बनाने के सम्बन्ध में ।

[श्री तीरथ राम कोहली]

(6) सेल्स टैक्स और अन्य इसी प्रकार के करों की वसूली में सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली ज्यादती की जांच करवाने के सम्बन्ध में ।

(7) आपातकालीन स्थिति में जिन सरकारी अधिकारियों ने बेगुनाह लोगों के ऊपर नसबन्दी के नाम पर या किसी और प्रकार के अत्याचार किये, उनकी जांच करवाने के सम्बन्ध में ।

(8) जेल के अन्दर नजरबन्द लोगों पर जेल अधिकारियों द्वारा किये गये अत्याचार आदि की जांच करवाने के सम्बन्ध में ।

6—श्री हरिकेवल प्रसाद—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में निम्न बातों के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं किया गया है :—

(1) दस बीघे तक के किसानों की मालगुजारी माफ हो तथा बढ़ी हुई मालगुजारी समाप्त की जाय । विकास कर वापस हो ।

(2) अनिवार्य सिंचाई कर माफ हो तथा ट्यूबवेल की कमांड एरिया 100 एकड़ किया जाय या प्रतिबन्ध हटा दिया जाय ।

(3) दसवें दर्जे तक मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो तथा खर्चीले विद्यालयों को बन्द कर समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाय ।

(4) शिक्षा में विकास हेतु विद्यालयों को मान्यता दी जाय ।

(5) बेरोजगार शिक्षित नवयुवकों को काम दिया जाय तथा काम की व्यवस्था न होने तक बेकारी का भत्ता दिया जाय ।

(6) समान काम के लिये समान वेतन निर्धारण किया जाय । मजदूरों को बोनस दिया जाय । राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाय ।

(7) सरकारी फार्मों, ट्रस्टों, मन्दिरों एवं संस्थाओं के नाम जो जमीन हड़प ली गयी है, उसे निकाल कर भूमिहीनों में वितरित की जाय । भूमिहीनों में वितरित पट्टे की जांच हों ।

(8) परती–बंजर की जमीन तोड़ने के लिये भूमि सेना की भरती की जाय ।

(9) खाद्य तथा बिजली का दाम घटाया जाय ।

(10) मिल से बने सामानों का दाम लागत खर्च के ड्योढ़े से अधिक न हो ।

(11) पुलिस परिषद् के बर्खास्त कर्मचारियों को पुन: सेवा में लिया जाय तथा उनका बकाया वेतन जोड़कर दिया जाय ।

(12) प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन डिग्री कालेज के अध्यापकों के वेतन के अनुपात में किया जाय ।

(13) अल्प संख्यकों तथा समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा हेतु एक आयोग का गठन किया जाय ।

(14) परिवार नियोजन में जो धांधली की गयी है । जनता तथा अधिकारियों व कर्मचारियों की मौतें हुई हैं उसके लिये न्यायिक जांच हो तथा मरे हुए लोगों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाय ।

(15) प्रदेश में श्री संजय गांधी के दौरे पर करोड़ों रुपये जो खर्च किये गए हैं उस रुपये को सत्ताधारी कांग्रेस दल से सरकारी खजाने में जमा कराया जाय।

(16) मीसा के तहत बन्द लोगों में जिनकी मृत्यु जेलों में हुई उसकी जांच हो तथा उनके परिवर वालों को मुआवजा दिया जाय। जिन मीसा राजबन्दियों को परिवार भत्ता नहीं दिया गया है उन्हें परिवार भत्ता दिया जाय।

(17) प्रदेश के कृषि विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग के हजारों कर्मचारियों को आपात्काल के दौरान निकाला गया है, उन्हें पुनः नौकरी में बहाल किया जाय।

(18) आपात्काल के दौरान जो जुल्म, ज्यादती तथा अत्याचार हुए हैं, उनकी जांच के लिये एक आयोग की स्थापना की जाय।

(19) देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में हो रहे नहर निर्माण कार्य को तत्काल बन्द किया जाय।

(20) छोटी गंडक, खनुवा नदी, हाहानाला, सियाही नाला, कोइलाड़ नाला को मुख्य नहर बनाया जाय तथा इन नदियों से निकलने वाले नाले को शाखा नहर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय।

(21) देवरिया जनपद में भागलपुर में चुनाव के दौरान पीपा पुल बना है लाखों रुपया खर्च हुआ, वह पुल अब धंस रहा है, आवागमन बन्द हो गया है, इस सम्बन्ध में जांच करायी जाय तथा पीपे के पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाया जाय।

(22) नदावर घाट पर बन रहे पक्के पुल का काम तत्काल पूरा कराया जाय तथा भटनी, चनकी और केरवनियां घाट पर पुल बनाया जाय।

(23) बाढ़ कटाव से नदावर को बचाया जाय। चुनकी पिंडी तकिया धरहरा-भागलपुर तक बांध का निर्माण हो।

(24) देवरिया जिले के सलेमपुर में कागज का कारखाना खोला जाय। भाटपाररानी, बनकटा, भटनी, लारभागलपुर, बरहज, भलुअनी में उद्योग स्थापित किया जाय।

(25) देवरिया जिले में महिला राजकीय डिग्री कालेज खोला जाय।

(26) सलेमपुर, भाटपाररानी, लार में महिला चिकित्सालय की व्यवस्था की जाय।

7—श्री जफर आजमी—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में—

(1) प्रदेश के बुनकरों की दयनीय हालत सुधारने में लिये रंग, सूत तथा बैंकों से कर्जा दिलाने की घोषणा व तैयार माल को उचित दामों पर बिकवाने की घोषणा नहीं की गयी है।

(2) उर्दू जबान को प्रदेश में इलाकायी जबान का दर्जा देने की घोषणा नहीं की गयी है।

(3) अल्प संख्यकों को सरकारी नौकरियों में आबादी के अनुपात से संरक्षण देने की घोषणा नहीं की गयी है।

(4) मुस्लिम मेहतर नद्दाफ, भर, नुनिया आदि को हरिजनों की भांति सुविधायें व संरक्षण देने की घोषणा नहीं की गयी है।

[श्री जफर आजमी]

(5) खाद, पानी, बिजली आदि की दरों पर कमी करने की घोषणा नहीं की गयी है ।

(6) किसानों द्वारा उत्पादित गल्ला आदि की सरकारी खरीद व उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को समान स्तर पर रखने की घोषणा नहीं की गयी है ।

(7) ट्यूब वेलों व नहरों के कमान्ड एरियाज पर लगाये जाने वाले टैक्सों को रद्द करने की घोषणा नहीं की गयी है ।

(8) विद्यार्थियों की बढ़ी हुई फीस वापस लेने की घोषणा नहीं की गयी है।

(9) शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की घोषणा नहीं की गयी है ।

8—श्री कालीचरण यादव, श्री लक्ष्मण सिंह तथा श्री शारदा प्रसाद रावत—

प्रस्ताव के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाय—

किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित नहीं है —

(1) प्रदेश की जनता को स्वच्छ प्रशासन देने एवं राजनीतिक तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार खत्म करने के संबंध में ।

(2) लोकसभा के सामान्य निर्वाचन में प्रदेश की जनता द्वारा कांग्रेस दल के प्रति पूर्ण रूप से अविश्वास प्रकट करने के बावजूद भी सरकार को तत्काल त्याग- त्र देने के निर्देश के सम्बन्ध में ।

(3) प्रदेश की जनता के समक्ष उपस्थित आर्थिक संकट को दूर करने के सम्बन्ध में ।

(4) किसानों के लिए सस्ती खाद, सिंचाई की दर में कमी एवं बिजली की व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

(5) आत्म निर्भर बनाने वाली तथा रोटी, रोजी दिलाने वाली शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

(6) प्रदेश के कृषि विभाग के अमीनों की सेवाएं (जिनमें से बहुत से दसियों वर्षों से अधिक वर्षों से कार्यरत थे) समाप्त कर दी गयी और उन्हें कहीं काम पर नहीं लगाया गया ।

(7) आपातकालीन स्थिति के दौरान गाजीपुर जिले के सैदपुर थाने के अन्तर्गत मुरावर (मड़इया) ग्राम में एक ही रात में एक ही स्थान पर छः व्यक्तियों की हत्याएं की गयीं तथा सादात, शादियाबाद भुड़कुडा एवं आजमगढ़ जिले के तरवा थाने के अन्तर्गत अनेक डकैतियां हुयीं और डकैत थानाध्यक्षों के साथ घूमते रहे ।

(8) आपातकालीन स्थिति के दौरान नसबन्दी के मसले पर मुजफ्फरनगर एवं सुल्तानपुर में सरकार द्वारा गोली चलवा कर सैकड़ों हत्यायें की गयीं । अन्य स्थानों पर भी विभिन्न प्रकार के जुल्म किए गये । छोटे सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों के स्थानान्तरण हुए, उनके वेतन रोके गए, कितनों को निलंबित किया गया ?

9—श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री आशाराम यादव, डा० जितेंद्र कुमार अग्रवाल, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री दशरथ सिंह तथा श्री शारदा भक्त सिंह —

प्रस्ताव के अन्त में अधोलिखित जोड दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—(1) आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रदेश के नागरिकों पर किए गए भीषण अत्याचारों की जांच करने, (2) उसके

लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दंडित करने, (3) हजारों की तादाद में निर्दोष व्यक्तियों पर फर्जी मुकदमें कायम करने के लिए शासन की भर्त्सना करने, और (4) शासन के अत्याचारों के कारण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने की घोषणा नहीं की तथा (5) इस बात का उल्लेख नहीं किया कि लोक सभा के चुनाव में प्रदेश की जनता ने वर्तमान मंत्रि मंडल एवं सत्तारूढ़ दल में पूर्ण अविश्वास एवं अनास्था व्यक्त कर दी है, अतएव वर्तमान मंत्रि मंडल को शासन में कायम रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है।"

10—बाबूलाल वर्मा—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में :—

(1) लखनऊ से गोंडा जाने वाली सड़क पर घाघरा घाट के पास घाघरा नदी पर स्थायी पक्का पुल बनवाने की घोषणा नहीं की।

(2) जरवल रोड चीनी मिल में लाखों रुपया मजदूरों और किसानों का जो गन्ना मूल्य बकाया है, उसे तत्काल अदा करने की घोषणा नहीं की।

(3) प्रदेश में किसानों का भूमि विकास कर समाप्त करने व 6 1/2 एकड़ तक जोत वाले किसानों की लगान माफ करने की घोषणा नहीं की।

(4) बिजली रेट 15 रु0 प्रति हार्स पावर के स्थान पर 10 रु0 प्रति हार्स पावर करने की घोषणा नहीं की।

(5) प्रदेश में सरकारी ट्यूब वेल व नहरों के पानी का रेट घटाने की घोषणा नहीं की।

(6) परिवार नियोजन में की गयी ज्यादती, जोर जबरदस्ती तथा पुलिस प्रशासन द्वारा आम जनता को इसी बहाने लूटने व आतंकित करने की घटनाओं की जांच कराने की घोषणा नहीं की।

(7) जेल में बन्द राजनीतिक बन्दियों पर किए गए अत्याचारों की जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों को सजा देने की घोषणा नहीं की।

(8) बहराइच जिले में कुण्डासर से हुजूरपुर, कैसरगंज से हुजूरपुर व हुजूरपुर से पयागपुर की अधूरी सड़क तत्काल बनवाने की घोषणा नहीं की।"

11—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा—

प्रस्ताव के अन्त में अधोलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि भाषण में हरदोई जिले की तहसील संडीला में सरकार द्वारा वर्ष 1967 में जो सड़कें बनवाने का निर्णय लिया गया था, उन्हें बनवाने की घोषणा नहीं की गयी।

12—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

प्रस्ताव के अन्त में अधोलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

(1) "आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रदेश में किए गये बर्बरतापूर्ण व्यवहारों तथा परिवार नियोजन के क्रियान्वयन में की गई जबरदस्ती की जांच कराकर दोषी पाए गए व्यक्तियों को दंडित किया जायगा।

[श्री कमला प्रसाद वर्मा]

(2) पाण्डेपुरवा से सेमरी पिहानी होते हुए इकौना व इकौना से लक्ष्मणपुर बाजार, जोखवा होते हुए सिरसिया व सिसवारा से गोठवा होते हुए भिनगा व तेदुआ रतनपुर से उधोपुरवा तथा सिरसिया से पंडवलिया होते हुए लक्ष्मणपुर बाजार तक पक्की सड़क बनाई जायगी ।

(3) भिनगा नोटिफाइड एरिया द्वारा लगाए जा रहे अवैधानिक गृह कर को स्थगित कर नियमानुसार उचित देखकर लगाया जायेगा तथा नोटिफाइड एरिया का चुनाव तीन महीने के अन्दर करा दिया जायेगा ।

(4) सेमरी, तरहर व कोला भार मजगवां व हरिहरपुर रानी, परसाडेहरिया व गोठवा में अस्पताल भवन बनाए जायेंगे तथा भिनगा अस्पताल को राजकीय अस्पताल घोषित किया जायेगा ।

(5) अर्द्ध निर्मित प्राइमरी पाठशाला भवनों को प्राथमिकता देकर भवन निर्माण कराए जायेंगे तथा नागरिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमवां व नए खोले गए हाई स्कूल खरगौरा तथा सेमरी पिहानी को पिछड़ा क्षेत्र होने के नाते मान्यता प्रदान की जायगी ।

(6) तराई एवं दोआब में बाढ़ नियंत्रण कार्य को प्राथमिकता देकर सिंचाई साधनों को विकसित किया जायगा ।

(7) सभी बेरोजगारों को काम दिया जायेगा अथवा बेकारी भत्ता दिया जायेगा ।

(8) तराई एवं दोआब में उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर नए-नए उद्योग धंधे खोले जायेंगे और बिजली क्षेत्र के बड़े-बड़े गांवों में 6 माह के अन्दर पहुंचा दी जायेगी ।

13—श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल—

प्रस्ताव के अन्त में अधोलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में—

(1) बरेली के रेलवे क्रासिंग पर ओवर हेड ब्रिज बनाने का कोई जिक्र नहीं किया गया है ।

(2) बरेली में टेलीवीजन केन्द्र स्थापित करने का कोई जिक्र नहीं है ।

(3) बरेली को 'बी' क्लास शहर घोषित करने का कोई जिक्र नहीं है ।

(4) बरेली में राजकीय महिला कालेज बनाने का कोई जिक्र नहीं है ।

(5) बरेली के इंदिरा नगर क्षेत्र को रेगुलेटेड एरिया घोषित करने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है ।

(6) बरेली—बदायूं रोड पर नेकपुर रेलवे क्रासिंग पर ओवर हेड ब्रिज बनाने का कोई जिक्र नहीं है ।

(7) बरेली में मेडिकल कालेज स्थापित करने के बारे में कोई जिक्र नहीं है ।

(8) बरेली में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का कोई जिक्र नहीं है ।

(9) बरेली में पर्यटन केन्द्र स्थापित करने का कोई जिक्र नहीं किया गया है ।

14—श्री अवधेश कुमार—

प्रस्ताव के अन्त में अधोलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि "राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में—

(1) अवक्रमित (सुपरसीडेड) महापालिकाओं और नगरपालिकाओं तथा टाउन एरियाओं के चुनाव कराए जाने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है ?

(2) गोरखपुर में धोबी घाट बनवाकर धोबियों को कपड़े धोने हेतु स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की बात अपने अभिभाषण में नहीं कही है ।

(3) गोरखपुर में लघु एवं कुटीर उद्योगों, जैसे–चमड़ा उद्योग और प्लाईउड और हार्ड बोर्ड के छोटे कारखाने कायम करने के ब रे में कोई चर्चा नहीं की है।

(4) गोरखपुर में पक्का श्मशान घाट एवं शव यात्रा में सम्मिलित होने वालों के लिए विश्राम गृह बनाने के बारे में कोई चर्चा नहीं की है।"

15––श्री श्रीनारायण––

प्रस्ताव के अन्त में जोड़ दिया जाय :––

किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :––

(1) वर्तमान सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए श्री नारायण दत्त तिवारी के मंत्रि मंडल को तत्क ल बर्खास्त करने के सम्बन्ध में।

(2) गन्ना मिलों द्वारा किस नों के गन्ने के दाम तथा मजदूरों के वेतन का तत्काल भुगतान करने के सम्बन्ध में।

(3) देवरिया जिले के छितौनी चीनी मिल का प्रबन्ध तत्काल अपने ह थ में लेकर मजदूरों के एक वर्ष से अधिक बकाए वेतन तथा किसानों के गन्ने के दाम को तत्काल भुगतान करने के सम्बन्ध में।

(4) सरकारी कर्मचारियों की, की गयी छटनी में निकाले गए मजदूरों को तत्काल बहाल करने के सम्बन्ध में।

(5) देवरिया जिले के छितौनी बांध के सुदृढ़ीकरण का कार्य तत्काल प्रारम्भ करने तथा गंडक योजना को मास्टर प्लान का रूप देने के सम्बन्ध में।

(6) देवरिया जिले के नरायनी नदी (ब ड़ी गंडक) के धार में विलीन हुए गांवों के उजड़े हुए लोगों को स्थायी रूप से बसाने तथा उनके रोजी-रोटी की व्यवस्था करने और जो लोग जहां बसाए गए हैं या आबाद हो गए हैं, उस भूमि को आबादी के सम्बन्ध में दर्ज करने।

(7) एक एकड़ तक के जोत वाले समस्त खेतिहर मजदूरों एवं भूमिहीनों को समस्त प्रकार के सरकारी ऋणों से मुक्त कराने तथा उनके रोजी-रोटी की जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक उनको बेकारी का भत्ता देने के सम्बन्ध में।

(8) देवरिया जिले का उत्तरांचल नैपाल सीमा में संलग्न सामरिक महत्व के क्षेत्र की समस्त सड़कों, पुलों, पुलियों आदि का आधुनिकतम ढंग से निर्माण कराने तथा इस क्षेत्र के औद्योगीकरण एवं आधुनिकतम विकास की स्थायी योजनायें लागू करने के सम्बन्ध में।

(9) देवरिया जिले में छोटी गंडक नदी पर गुर्ली, रास्ता जोड़, बेलवा घुघली, (बैकुन्ठी) कप्तानगंज, रग ंगंज, देवडार, पिपरा महुआपाटन, भटनी आदि घाटों पर पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में।

(10) छोटी गंडक नदी को गहरी कराकर उसके टूटे हुए किनारों को बंधवा कर उसके किनारे पड़ने वाले देवरिया जिले की हजारों एकड़ भूमि को बाढ़ से बचाने, उसकी सिंचाई की स्थायी व्यवस्था कराने, गोरखपुर व देवरिया के जिले को जोड़ने वाली सड़कों पर पुलों का निर्माण कर मछली पालन आदि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(11) शिक्षा को अनिवार्य तथा उपयोगी, व्यवसायी, स्वावलम्बी एवं प्रभावी बनाने तथा एकरूपता लाने के लिए एक स्वायत्तशासी एवं प्रभावी बोर्ड के स्थापना के सम्बन्ध में।

(12) प्रदेश के जूनियर एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों जिनके क्षात्र पे ों के नीचे मैदानों में पढ़ते हैं, उनके आधुनिकतम भवनों के निर्माण एवं आधुनिकतम साज-सज्जा एवं शैक्षिक उपकरणों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(13) हिन्दी में सर्वांगीण विकास एवं समस्त न्यायालयों सहित उच्च न्यायालय तक हिन्दी का उपयोग तथा फै ले हिन्दी में लिखे जाने के सम्बन्ध में।

[श्री श्रीनारायण]

(14) देवरिया जिले में बन्द खड्डा के ट्यूबवेल को तत्काल चालू कराने–अथवा दूसरा ट्यूबवेल लगवाने के सम्बन्ध में ।

(15) बड़ी गंडक नहर में निकाले गए खेतों का मुआवजा तथा नहरों के पानी में डूबे हुए किसानों के खेतों की क्षतिपूर्ति तत्काल कराने के सम्बन्ध में ।

(16) सवा छः एकड़ तक के अलाभकर जोतों को लगान मुक्त कराने तथा बिजली पानी व खाद के बढ़े हुए दरों को समाप्त करने तथा बिक्री-कर पर लगे कर तथा कृषि विकास-कर समाप्त करने के सम्बन्ध में ।

(17) बस सेवाओं पर पालिकाओं के करों को तत्काल समाप्त करने के सम्बन्ध में ।

(18) देवरिया जिले के खड्डा विकास खंड के रेता क्षेत्र का "री सर्वे" कराकर समस्त भूमि अभिलेखों को सेहत कराने के सम्बन्ध में ।

(19) सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर कराने के सम्बन्ध में ।

(20) गरीबों एवं हरिजनों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को तत्काल बन्द कराने के सम्बन्ध में ।

(21) भूमि आवन्टन में व्याप्त मनमानेपन तथा भ्रष्टाचार की जांच कराकर सही भूमिहीनों के नाम से ही भूमि आवन्टन कराने तथा फर्जी पट्टे रद्द कराने के सम्बन्ध में ।

(22) सरस्वती शिशु मंदिर को तत्काल मुक्त कराने तथा उनकी क्षतिपूर्ति कराने के सम्बन्ध में ।

(23) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं अन्य प्रतिबन्धित संस्थाओं के कार्यालयों को तत्काल उन्हें सौंपने तथा उनकी क्षतिपूर्ति कराने के सम्बन्ध में ।

(24) राजनीतिक व मीसा बंदियों को नाजायज, अमानुषिक रूप से सताने वाले अधिकारियों के खिलाफ न्यायिक जांच कराने तथा बन्दियों की क्षतिपूर्ति कराने के सम्बन्ध में ।

(25) समस्त राजनीतिक बन्दियों को तत्काल मुक्त कराने के सम्बन्ध में ।

(26) बड़ी गंडक नहर तथा उसकी शाखाओं एवं उप शाखाओं का री सर्वे कराकर उपयुक्त स्थानों पर पुल, पुलियां, साइफन, गूलें आदि के निर्माण करने के सम्बन्ध में ।

(27) बड़ी गंडक नहर के एक किनारे बस सेवायें तथा दूसरे किनारे रेलवे सेवाएं चालू कराने तथा दोनों किनारे वृक्षारोपण कराने के सम्बन्ध में ।

(28) एक एकड़ तक के जोत वाले खेतिहर मजदूरों, भूमिहीनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं विमुक्त जाति के लोगों को मुफ्त न्याय दिलाने, कराने के सम्बन्ध में ।

(29) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं विमुक्त जाति के लोगों को सभी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी एवं सहायता और मान्यता प्राप्त संस्थानों एवं संस्थाओं में तत्काल आरक्षण की पूर्ति के सम्बन्ध में ।

(30) एक साधिकार समिति का गठन कराकर सहकारिता विभाग का पूर्णतया अध्ययन एवं जांच कराकर उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने तथा गलत वसूलियों को वापस कराने तथा गलत करने वालों को दंडित कराने के सम्बन्ध में ।

(31) विकास खंडों को समाप्त करने के सम्बन्ध में ।

(32) ग्राम सभाओं, नगर क्षेत्रों, नगरपालिकाओं आदि स्थानीय निकायों का तत्काल निर्वाचन कराने के सम्बन्ध में ।

(33) प्रदेश में आठवीं कक्षा तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा तत्काल लागू कराने के सम्बन्ध में ।

(34) बिजली की कटौती समाप्त कराने के सम्बन्ध में ।

(35) बड़ी गंडक नदी की बाढ़ से ग्रस्त हुए लोगों को 1971 या उसके पूर्व के समस्त ऋणों से मुक्त कराने के सम्बन्ध में ।

(36) देवरिया जिले में छितौनी में बड़ी गंडक नदी पर रेलवे तथा यातायात के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में ।

(37) देवरिया जिले में पडरौना, जो गन्ना विभाग में अलग जिला माना गया है, उसे अलग जिला बनाने के सम्बन्ध में ।

16—श्री भगवती सिंह—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

(1) पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विद्युत प्रसार योजनाओं में लाखों रुपया जनता का व्यय करने के बाद भी विद्युत संकट अभी भी बना हुआ है तथा गत वर्ष जुलाई—अगस्त माह में सूखे के समय विद्युत संकट के और उग्र हो जाने तथा सिंचाई विभाग द्वारा रामगंगा नहर जैसी योजनाओं के ठीक से काम न करने के फलस्वरूप कृषि को अपार क्षति पहुंची ।

(2) गत वर्ष किसानों की गिरती हुई हालत को ध्यान में न रखकर शासन ने लगान कई गुना बढ़ा दिया और किसानों पर 25 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का एक नया बोझ लाद दिया केवल चुनाव प्रचार के लिए इस बढ़े हुए लगान को आधा करना जले पर नमक छिड़कने के बराबर था चुनाव की हार के बाद अब सरकार की समझ में यह बात आई है कि लगान के बोझ को और कम किया जाना चाहिए ।

(3) भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण शिल्पकारों तथा छोटे किसानों और शहरी मजदूरों को कर्ज के भार से मुक्त करने अथवा उनके कर्ज की अदायगी को स्थगित करने आदि से सम्बन्धित सभी अध्यादेशों अथवा अधिनियमों को व्यवहार में अधिकांशतः प्रभावहीन पाया गया क्योंकि इन कमजोर वर्गों के लोगों के लिए आवश्यक मात्रा में और सुलभ शर्तों पर ऋण उपलब्ध करने की कोई उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी ।

(4) शासन के सीलिंग कानून अधिकतर प्रभावहीन सिद्ध हुए हैं और इनसे न तो भूमि के स्वामित्व के चन्द हाथों में एकत्रीकरण पर कोई आंच आई है न वितरण के लिए अधिक भूमि प्राप्त हो सकी है । गांव समाज की भूमि जो अधिकतर कृषि के योग्य नहीं समझी गयी थी अथवा जिसे नियोजित सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखा गया था, वितरित कर दी गई इस भूमि के भी काफी बडे भाग पर अभी तक आवंटियों को वास्तविक कब्जा नहीं मिला है और जहां कब्जा मिला भी है वहां उस पर खेती करने के लिए पर्याप्त साधनों के अभाव में नए आवंटी खेती कर नहीं पा रहे हैं या आवंटित भूमि कृषि के लिए बेकार साबित हुई है। आवंटित आवास स्थलों में अधिकांश स्वयं शासन की रिपोर्ट के अनुसार अविकसित हैं तथा साधनों के अभाव में आवंटी व्यक्ति उन पर गृह निर्माण करने में असमर्थ हैं ।

(5) शासन ने आपातस्थिति के दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रमिक कार्यकर्ताओं और नेताओं की गिरफ्तारी की किन्तु हजारों की तादाद में मजदूरों को बेरोजगार करने वाले श्रमिकों की बड़ी संख्या में लेआफ करने वाले और कारखानों को लम्बे अरसे तक बन्द रखने वाले पूंजीपतियों के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया तथा बहुत से बन्द कारखान अभी तक बन्द पड़े हैं ।

(6) श्रमिकों की समस्याओं और श्रम तथा औद्योगिक समस्याओं पर जो एपेक्स बाडी बनाई गई है, उसका गठन अत्यन्त पक्षपातपूर्ण ढंग से किया गया है, उसमें केवल उन श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों को ही शामिल किया गया है जो शासन के समर्थक थे तथा सी०आई०टी०यू० जैसे श्रमिक संगठनों को न सिर्फ उसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया बल्कि उसकी मान्यता भी छीन ली गई ।

[श्री भगवती सिंह]

(7) शासन ने गत वर्ष भी शक्कर के बाजार में बढ़े हुए मूल्यों के बावजूद गन्ने का मूल्य 1974–75 के उत्तर प्रदेश के मूल्य से एक रुपए से सवा रुपए प्रति क्विंटल कम निर्धारित करवाये। एक तरफ गन्ना उत्पादकों को इस प्रकार नुकसान पहुंचाकर, दूसरी तरफ मिल मालिकों को लेवी के रूप में सरकार को दी जाने वाली शक्कर का अनुपात घटाकर उ भोक्त ओं के मूल्य पर, तथा करों में अनेक सुविधाएं देकर साधारण कर ताओं के मूल्य पर शासन ने केवल एक ही प्रयास किया कि मिल मालिकों, पूंजीपतियों को अधिक से अधिक लाभ कैसे पहुंचाया जाय। गन्ना उत्पादकों का करोड़ों रुपया मिल मालिकों पर अभी भी बकाया है तथा शासन उत्पादन व्यय के आधार पर गन्ने का उचित मूल्य निर्धारित करवाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है।

(8) परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने में अत्यन्त नृशंसता से सभी जगह पर बल प्रयोग किया गया तथा सुल्तानपुर जिले के रनकेडीह ग्राम में और मुजफ्फरनगर जिले में नगर मुजफ्फरनगर और कैराना कस्बे में निर्दोष जनता के खून को बहाया गया। इस प्रकार की नृशंस घटनाओं की निष्पक्ष, सार्वजनिक और न्यायिक जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

(9) आपात स्थिति के दौरान प्राप्त अधिकारों का इस राज्य में बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया, हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमें चलाए गये तथा उन्हें केवल बदले की भावना से नजरबन्द किया गया। शासन ने अभी तक आपातकालीन अधिकारों के दुरुपयोग की शिकायतों की जांच करके दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया है।

(10) मार्च, 1977 के लोक सभा के निर्वाचन में राज्य के मतदाता हर चुनाव क्षेत्र से शासक दल को ठुकरा चुके हैं तथा अब इस दल को शासन में बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। किन्तु फिर भी वह कुर्सियों से चिपका हुआ है।"

17—श्री अठई राम—

मा0 राज्यपाल के अभिभाषण में निम्न संशोधन कर दिया जाए :—

किन्तु खेद है अभिभाषण में निम्नलिखित का जिक्र नहीं है :—

(1) मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना,

(2) भूमिहीनों को जो जमीन दी गयी है उस पर उन्हें भूमिधरी अधिकार देना,

(3) प्रतापगढ़ जिले को जो उ0 प्र0 के सभी जिलों में पिछड़ा हुआ है, सिंचाई हेतु पानी देना और वहां सड़कों की सुचारू व्यवस्था करना,

(4) इलाहाबाद जिले में गंगापार में गंगा नदी की बाढ़ से तमाम गांव डूब जाते हैं, जैसे—गनेशीपुर, लालपुर बुजुर्ग, हरिहरपुर, मोड़रीटोला आदि,

(5) जनपद इलाहाबाद की हंडिया तहसील सबसे पिछड़ी तहसील है परन्तु एक भी सड़क पक्की नहीं है जैसे बरोत–बिठौली रोड, सैदाबाद–असरिया रोड, बरौत, टेला रोड भीटी–औरा रोड, भीटी–औसानपुर–कस्तुरिया रोड, सैदाबाद–दमगढ़ा रोड।

18—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल तथा श्री हिम्मत सिंह—

प्रस्ताव के अन्त में अधोलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

(1) आपातकालीन स्थिति में नसबन्दी के लिए सरकारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों का कोटा निश्चित किया गया, कोटा पूरा न होने पर उनकी तनख्वाहें रोकी गयीं, स्थानान्तरण किए गये, और उसके बाद आज तक उनका तबादला निरस्त नहीं किया गया है और न वेतन ही दिया गया।

(2) शहर के सुन्दरीकरण के नाम पर दो-दो सौ वर्ष पुरानी इमारतों को तोड़ दिया गया और उनका मुआवजा नहीं दिया गया ।

(3) सरकारी कर्मचारियों को जो प्रतिबन्धित संस्था के नाम पर मीसा में बन्द किए गये, उक्त संस्थाओं पर से प्रतिबन्ध हटाने के बाद भी आज तक सेवाओं में नहीं लिया गया।

(4) मीसा बंदियों के परिवारों को भरण-पोषण के लिए कोई मासिक भत्ता नहीं दिया गया ।

(5) मीसा तथा डी0आई0आर0 का भय दिखाकर एल0आई0यू0 वालों ने जनता को लूटा है ।

19—श्री रघुनाथ—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया :—

(1) बलिया तथा गाजीपुर सीमा पर टोंस नदी के सिधागर घाट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में,

(2) बलिया जनपद के रसड़ा तहसील में निम्नांकित सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में :—

(i) पक्का इनार से सिधागर घाट मार्ग,
(ii) रतनपुरा से भीमपुरा मार्ग,
(iii) रतनपुरा से बेचा राम,
(iv) पहसा से इटौरा मार्ग,
(v) पहसा से चचरा मार्ग,
(vi) रसड़ा से जाय बसनही होते हुए सलेमपुर मार्ग,
(vii) पक्का इनार से अतरौली विकासी मार्ग,
(viii) रसड़ा से कोटवारी होते हुए नगपुरा मार्ग,

(3) बलिया जनपद के रसड़ा में नहर तथा राजकीय नलकूप के विस्तार के सम्बन्ध में,

(4) बलिया जनपद के रसड़ा सदर अस्पताल के विस्तार के सम्बन्ध में,

(5) बलिया जनपद की रसड़ा तहसील के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में,

(6) बलिया जनपद के किसानों को सस्ती बिजली, खाद व बीज उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

(7) बलिया जनपद में पुलिस एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के सम्बन्ध में,

(8) बलिया जनपद के रसड़ा तहसील बेल्थरा रोड नहर की शाखा को रतनपुरा के असिंचित क्षेत्र में बढ़ाने के सम्बन्ध में,

(9) बलिया जनपद की रसड़ा के जी0एस0जे0 इण्टर कालेज के हरिजन छात्रावास के निर्माण के सम्बन्ध में,

(10) अनुसूचित जातियों का 18 प्रतिशत कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में,

(11) बलिया जनपद में तथा अन्य जिलों में, जो भूमि निर्बल वर्ग को कृषि योग्य दी गई है, कब्जा कराने के सम्बन्ध में,

(12) बलिया जनपद के रसड़ा सहकारी चीनी मिल में स्थानीय हरिजनों को प्रतिनिधित्व दिलाने के सम्बन्ध में,

(13) बलिया जनपद के विद्यालयों में हरिजन छात्रों को नसबन्दी का केस न देने पर प्रवेश व छात्रवृत्ति न देने के सम्बन्ध में,

[श्री रघुनाथ]

(14) बलिया जनपद के रसड़ा तहसील में पुराने विद्यालयों की मरम्मत व नए विद्यालयों के निर्माण के सम्बन्ध में।

(15) बलिया जनपद के रसड़ा तहसील में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं, सुरक्षा एवं उचित सहायता देने के सम्बन्ध में।

20—श्री मन्ना लाल—

प्रस्ताव के अन्त में अधोलिखित जोड़ दिया जाय —

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया —

(1) आपत्स्थिति के दौरान प्रदेश के नागरिकों पर किये गये भीषण अत्याचारों की जांच कराने के सम्बन्ध में।

(2) उनके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को दंडित करने के सम्बन्ध में।

(3) निर्दोष व्यक्तियों को घर से पकड़ कर फर्जी मुकदमें कायम करने के लिये शासन की भर्त्सना करने के सम्बन्ध में।

(4) शासन द्वारा अत्याचारों के कारण क्षतिपूर्ति देने की घोषणा करने के सम्बन्ध में।

(5) जबरियन नसबन्दी कराने में अनेकों की मृत्यु हुई, उनकी जांच कराने तथा उनके परिवार के भरण पोषण के लिये सरकारी आदेश जारी करने के सम्बन्ध में।

(6) भूमिहीनों एवं खेतिहर मजदूरों को कागज पर वितरण की गयी भूमि को दिलाने के जांच तथा कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में।

(7) कालेजों तथा स्कूलों में हरिजनों के छात्रों के अभिभावकों द्वारा नसबन्दी न कराने के कारण उन छात्रों की फीस माफ न करने, प्रवेश न पाने के बारे में तथा छात्रवृत्तियां रोक देने के बारे में।

(8) अध्यापकों की जबरिया नसबन्दी कराने तथा उनके वेतन रोकने, ससपेन्ड करने, नौकरी से निकाले जाने के बारे में।

(9) सिचाई की दरों को कम करने, बिजली की दरों को कम करने, खाद की कीमतों के कम करने के बारे में।

(10) गन्ने के उचित दाम किसानों को दिलाने तथा गेहूं, धान की उपज का किसानों को उचित मूल्य दिलाने के बारे में।

(11) पुलिस अत्याचारों को रोकने के बारे में।

(12) हरिजनों को मिलने वाले अनुदान को रोक देने के बारे में।

21—श्री देवकुमार यादव—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय —

किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने—

(1) बुन्देलखंड के सर्वांगीण विकास के लिये बुन्देलखंड विकास आयोग की नियुक्ति की घोषणा नहीं की है।

(2) बांदा जिले में बाक्साइट, सिल्का सैण्ड, डोलेमाइट पत्थर, तेन्दू पत्ती, बांस, पुआल आदि उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग करके औद्योगीकरण करके शिक्षित व अशिक्षित लोगों को रोजगार देने की घोषणा नहीं की है।

(3) बांदा जिले में सिचाई साधनों का प्रसार करने की घोषणा नहीं की है।

(4) बांदा शहर में पीने के पानी के संकट को हल करने की घोषणा नहीं की है।

(5) बांदा जिले के औगासी, खकौलो तथा मोहनपुरवा आदि गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने की घोषणा नहीं की है।

(6) बांदा जिले में ओरू-कमासिन रोड, दांदौ-कमासिन रोड, बबेरू मर्का रोड आदि को पक्का कराने की घोषणा नहीं की है।

(7) बांदा में प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम 1857 के सेनानी नवाब अली बहादुर सानी व उनकी बहादुर बेटी राबिया बेगम की यादगार में स्मारक बनवाने व महिला डिग्री कालेज खोलने की घोषणा नहीं की गयी है।

(8) उत्तर प्रदेश में शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की घोषणा नहीं की है।

(9) बबेरू-कमासिन, मानिरपुर, तिन्दवारी, अतर्रा आदि स्थानों पर बालिका हाई स्कूल खोलने की घोषणा नहीं की है।

(10) मोरंही, मर्का, सिहपुर, दांदौ आदि गांवों में राजकीय चिकित्सालय खोलने की घोषणा नहीं की है।

(11) बांदा शहर में फैली व्यापक गन्दगी हटाने, सीवर सिस्टम बनाने की घोषणा नहीं की है।

22—श्री मधुकर दिघे—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में—

(1) राज्य की जनता को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने की कोई बात नहीं कही है।

(2) प्रशासनिक एवं राजनैतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने की घोषणा नहीं की है।

(3) हाल ही में हुए लोक सभा के निर्वाचन में प्रदेश के समस्त सीटों पर शासक दल की पराजय होने के बावजूद राज्य सरकार के शासन से हटने की नैतिक घोषणा नहीं की है।

(4) सवा छः एकड़ की अलाभकर जोतों से लगान माफ करने और न ही किसानों पर लगे विभिन्न प्रकार के अभिभारों को समाप्त करने की घोषणा की है।

(5) परिवार नियोजन में की गयी ज्यादतियों के लिये कोई जांच आयोग बैठने की घोषणा नहीं की है और जिन लोगों की इससे मृत्यु हो गयी उसके लिये खेद व्यक्त नहीं किया है।

(6) आपातकालीन स्थिति के दौरान लोगों को गिरफ्तारियां और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार तथा पुलिस द्वारा की गयी ज्यादतियों पर अफसोस जाहिर नहीं किया है।

(7) सभी डी0 आई0 आर0, मीसा बंदियों के मुकदमें वापस लेने की घोषणा नहीं की है।

(8) सिंचाई दरों में कमी करने तथा बिना सिंचाई किये सिंचाई कर लेने और एरिया कमाण्ड की नीति को समाप्त करने की घोषणा नहीं की है।

(9) शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन व विद्यार्थियों की फीस कम करने की घोषणा नहीं की है।

23—श्री गिरजा शंकर पाठक तथा श्री राम रति विन्द—

प्रस्तावों के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय —

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया—

(1) पेयजल जनपद वाराणसी के विकास खंड औराई, भदोही, सेवापुरी, सुरियावां, ज्ञानपुर, डीघ पेयजल संकट दूर करने की तत्काल उचित कार्यवाही की जाय।

(2) सिंचाई जनपद वाराणसी के औराई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत व ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र भदोही विधान सभा के अन्तर्गत गांव के किसान सिंचाई के अभाव से महान संकट एवं कठिनाइयों से गुजर रहे हैं सभी ग्रामों की धरती प्यासी ही रह जाती है वहां सिंचाई की तत्काल समुचित व्यवस्था हो।

(3) जनपद वाराणसी में भदोही को जिला बनाया जाय।

(4) घोसिया एवं चौरी बाजार व सुरियावां बाजार को तत्काल उचित कार्यवाही कर टाउन एरिया बनाने हेतु आदेश दिया जाय।

(5) असिंचित भूमि पर कमाण्ड शुल्क न लगाया जाय तथा कृषकों से पुरानी दर से ही लगान वसूल हो अधिक लगान न लिया जाय।

(6) 15 रु0 प्रति हार्स पावर पम्पिंग सेट का रेट तभी लिया जाय जब उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिले अन्यथा बिजली जितनी कम दी जाती है उसक अनुसार रेट कम करके वसूल किया जाय।

(7) कालीन बुनकर एवं असामियों को विदेश से मिलने वाले कमीशन का बोनस समान दिया जाय।

(8) छटनी किये गये कर्मचारियों को उनके कार्यों के अनुसार बरीयता दे कर पुनः नियुक्त किया जाय।

(9) तहसील ज्ञानपुर विकास खंड सेवापुरी की सभी सड़कें दुर्दशा की ओर हैं उन्हें तत्काल बनवाया जाय।

(10) तहसील ज्ञानपुर में आकस्मिक बरसात से मोरवा नदी एवं महेन्द्र ताल नाले के पट जाने से पूरी तहसील में बाढ़ आ जाती है और हजारों गांव उससे प्रभावित होते हैं। मोरवा नदी एवं महेन्द्र ताल का नाला व मटका व बहरी नाला खुदाई कर सफाई कराया जाय ताकि पानी की निकासी हो सके तथा गंगा नदी के कटाव से ग्राम छेछुवा आदि के बचाव की तत्काल व्यवस्था किया जाय।

(11) तहसील ज्ञानपुर के जू0 हा0 स्कूल के पचास चपरासियों को जिन्हें अंशकालिक कहकर केवल पचास रुपया महीना वेतन दिया जाता है जबकि वे पूर्णकालिक कर्मचारी हैं, अन्य चपरासियों के समान ही वेतन देने की व्यवस्था की जाय।

24—श्री झामलाल अहेरवार—

प्रस्ताव के अन्त में अधोलिखित जोड़ दिया जाय—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का जिक्र नहीं किया —

(1) जबरिया नसबन्दी कराने में अनेकों लोगों की मत्यु हुई, उनकी जांच कराने तथा उनके परिवार की मत्यु को भरण-पोषण के लिये सरकारी आदेश जारी करने के सम्बन्ध में।

(2) अध्यापकों की जबरिया नसबन्दी कराने तथा उनके वेतन रोकने, निलम्बित करन, नौकरी से निकाले जाने के बार में।

(3) कालेजों तथा स्कूलों में हरिजन के छात्रों के अभिभावकों द्वारा नसबन्दी न कराये जाने के कारण उन छात्रों की फीस माफ न करने तथा छात्रवृत्ति रोकने, स्कूल, कालेज में प्रवेश न मिलने के बारे में।

(4) जिला फर्रुखाबाद, तहसील कन्नौज के अन्तर्गत डड़वारी में काली नदी पर पुल बनवाने के बारे में।

(5) डड़वारी क्षेत्र मे जहां 20 लाख की आबादी है, यातायात की सुविधा देने के बारे में।

(6) डड़वारी क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

(7) डड़वारी क्षेत्र में सिंचाई के लिये राजकीय नलकूपों की व्यवस्था के बारे में।

(8) आपतकालीन स्थिति के दौरान घरों से पकड़ कर लोगों पर झूठे मुकदमें कायम करने के बारे में।

(9) हरिजनों की खेती तथा मकान के लिये मिली भूमि पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में।

(10) कन्नौज राजघाट के यातायात के सम्बन्ध में गंगा नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में।

(11) नगरपालिका तथा टाउन एरिया के चुनाव के सम्बन्ध में।

25—श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री जफर आजमी, श्री रामचन्द्र बक्श सिंह तथा श्री ऊदल—

प्रस्ताव के अन्त मे निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया—

(1) भूतपूर्व प्रधान मंत्री का उद्योगों में श्रमिकों की साझेदारी सम्बन्धी सूत्र कागज पर अवश्य क्रियान्वित हुआ परन्तु अमल में वह कोरा दिखावा है। प्रबन्धकों की ओर से श्रमिकों की साझेदारी का विरोध है। सरकार संयुक्त प्रबन्ध समितियों को सक्रिय बनाने में नाकामयाब रही है। प्रबन्ध में मजदूर की साझेदारी को क्रियाशील बनाने हेतु कदम नहीं उठाये गये हैं।

(2) स्टेट अपेक्स बाडी मृत प्रायः है। कई महीनों से उसकी बैठक भी नहीं बुलाई गई है। प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों ने उसकी पिछली बैठक का बहिष्कार कर दिया था उसके बाद राज्य सरकार उन्हें राजी नहीं कर सकी कि वह बैठक में भाग लें। औद्योगिक द्वि-पक्षीय समितियों में भी प्रबन्धकों के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहते हैं।

(3) खेत मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है और न इसको लागू करने के लिये सरकार कोई प्रयास कर रही है।

(4) कारखाना बन्दी और बैठकी का प्रकोप जारी है-अनेकों प्रतिष्ठानों में मजदूरों के कमाये हुये वेतन की अदायगी नहीं हुई है। इसके बाद भी मजदूरों के सामान्य अधिकारों का अपहरण किया गया है और उनकी यूनियनों के काम में रुकावट डाली गई है।

(5) विद्युत् उत्पादन, वितरण, रख-रखाव और रेवेन्यू की उगाही में सुधार होने के बावजूद बिजली मजदूरों के हितों की उपेक्षा हो रही है। उनके वेतन पुनः निर्धारण का मामला गत तीन वर्षों से अनिर्णीत पड़ा हुआ है और राज्य बिजली बोर्ड द्वि-पक्षीय वार्ता करने के लिये भी तैयार नहीं है।

[श्री जगदीश नारायन त्रिपाठी, श्री जफर आजमी, श्री रामचन्द्र बक्श सिंह तथा श्री ऊदल]

बिजली बोर्ड की मजदूर विरोधी नीति औद्योगिक शान्ति के लिये खतरनाक है ।

(6) प्रदेश के 50 लाख बुनकरों के लिये बावजूद घोषणाओं के अब तक कुछ भी नहीं किया गया है और भूख के कगार पर खड़े हुये हैं ? इनकी दशा को सुधारने हेतु ठोस और व्यावहारिक कदम उठाने पड़ेंगे ।

(7) प्रदेश के किसानों के ऊपर बिजली, सिंचाई और लगान का भारी बोझ बढ़ाकर उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमत घटाकर उनकी कमर तोड़ दी गई है । किसानों की दशा सुधारने हेतु टैक्सों को कम करने और उचित दाम किसानों को देने की व्यवस्था होनी चाहिये ।

(8) विद्यार्थियों की बढ़ी हुई फीस समाप्त की जाय और उन्हें अधिक सहूलियतें दी जायं ।

(9) बेरोजगारी दूर करने हेतु आवयक ठोस योजना तैयार की जाय ।

(10) नसबन्दी के दौरान अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा की गई ज्यादतियों की तमाम घटनाओं में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक जांच एवं कार्यवाही की जाय ।

26—श्री ऊदल—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया—

(1) प्रदेश में पेय जल की सैकड़ों योजनायें अधूरी पड़ी हैं और पेय जल का संकट पैदा हो गया है उसको ठीक करने के सम्बन्ध में तथा उनकी जांच कराने के बारे में ।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने हेतु कन्या जू0 हाई0 स्कूल, हाई स्कूल, इन्टर कालेज खोलने, खास कर वाराणसी जिले में प्रत्येक ब्लाकों में एक-एक हाई स्कूलों की स्थापना के बारे में ।

(3) वाराणसी जिले में, खास कर पंचकोशी सड़क को रउत से गंगापुर होते हुये शीतला धाम व राजा तालाब से जमुवा कछवां मार्ग, लहरतार से कोटवा मार्ग तथा कछवां बागांव मार्ग में कालिका धाम से अनेई 9 कि0 मीटर और फूलपुर से सिधौरा धरसौना मार्ग व मंगारी से चौबेपुर मार्ग के बारे में और वरुणा नदी में बन रहे कालिका धाम में पुल, कुंडी का बंधा कुंडी नाले में कनिपर का पुल और नाद नदी में महगांव पुल के निर्माण के बारे में ।

(4) वाराणसी जिले के कोटवां तथा कुआर व धोकलगंज दौदूपुर में एलोपैथिक अस्पताल स्थापित करने के बारे में ।

27—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह तथा श्री ऊदल—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय —

किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का जिक्र नहीं किया —

(1) पिछले सन् 1976 में किसानों के ऊपर जो लगान तथा विकास कर बढ़ाया गया है उसको खत्म किया जायगा ।

(2) प्रदेश में ट्यूबवेल के कमांड में जो बिला सिंचाई के 21 रुपया प्रति एकड़ कमांड टैक्स लगाया गया है उसे रद्द किया जायगा ।

(3) मजदूरों का बोनस सवा आठ फीसदी से चार फीसदी किया गया है उसे रद्द कर पुनः सवा आठ फीसदी देने के सम्बन्ध में भारत सरकार से सिफारिश की जायगी ।

(4) प्रदेश के सभी स्तर के विद्यालयों में जो विकास शुल्क तथा फीस बढ़ायी गयी है उसे खत्म किया जायगा ।

(5) किसानों को पम्पिंग सेट (सिंचाई हेतु) की बिजली की दर 15 रुपया प्रति हार्सपावर की जगह पर 10 रुपया प्रति हार्सपावर किया जायेगा ।

(6) प्रदेश के हजारों किसानों को सिंचाई हेतु कनेक्शन दिये जायेंगे ।

(7) प्रदेश के देहाती क्षेत्रों में लड़कियों में शिक्षा प्रसार हेतु प्रत्येक ब्लाकों में एक-एक हाई स्कूल तथा इन्टर कालेजों की स्थापना की जायेगी ।

विधान परिषद उ०प्र०

पी० एस० यू० पी०—एल० 19 वि० सभा (34)—18-4-77—840 ।